दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.

(डीएमआईसीडीसी लि.)

सीआईएनःयू45400डीएल2008पीएलसी172316

DMICDC
DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION
India Reimagined

वित्तीय वर्ष 2017-18

(हिंदी तथा अंग्रेज़ी)

10वीं वार्षिक रिपोर्ट

तथा

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

(वित्तीय वर्ष 2017-18)

DMICDC

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION

India Reimagined

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.

(डीएमआईसीडीसी लि.)

सीआईएनःयू45400डीएल2008पीएलसी172316

राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के लिए भेजे जाने वाले दस्तावेजों के का.ज्ञा. के साथ संलग्न किया जाने वाला प्रपत्र

1	अधिसूचना/दस्तावेज की विषय वस्तु का संक्षिप्त उद्देश्यः	:	डीएमआईसीडीसी भारत सरकार की एक अनुदान ग्राही संस्था है। इस संबंध में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा राज्य सभा के पटल पर रखा जाना आवश्यक है।
2	सांविधिक अथवा अन्य अपेक्षाएं जिनके अंतरर्गत दस्तावेज सभा पटल पर रखी जानी है (न कि सांविधिक प्रावधान जिनके अंतर्गत इन्हें जारी किया गया है/बनाया गया है।	:	जीएफआर, 2017 का नियम 242(2)(iv)
	(i) केंद्र सरकार की अधिसूचना के मामले में अधिनियम और धारा का नाम जिसमें पटल पर रखे जाने का प्रावधान है, को स्पष्ट रूप से लिखा जाएः	:	
	(ii) राज्य सरकार के मामले में अधिसूचना,राज्य के अधिनियम का नाम पुनर्भाषित किया जाएः	:	
3	क्या राजपत्र में प्रकाशन किया गया है, यदि हां,	:	-
	(i) राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना का जीएसआर./ एसओ/एसआरओ. संख्याः		
	(ii) राजपत्र की तारीख,भाग और धारा:		
4	क्या विषय सभा द्वारा संशोधित की जानी है अथवा नहीः	:	नहीं
5	मुख्य अधिनियम में निर्धारित अवधि जबतक इसे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैः	:	शीतकालीन संसद सत्र- 2018 के दौरान
6	क्या अधिसूचना/दस्तावेज निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत की जा रही है,यदि नहीं तो क्या विलंब के बारे में कोई विवरण संलग्न किया गया है?	:	हां
7	क्या इसे राज्य सभा के पटल पर इससे पहले भी प्रस्तुत किया गया था यदि हां, तो किस तारीख को?	:	हां, संसद सत्र- 2017 के दौरान
8	क्या अंग्रेजी और हिंदी रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत किए जा रहें? यदि नहीं,तो अंग्रेजी रूपांतर प्रस्तुत किए जाने की तारीखः	:	हां
9	तारीख जब दस्तावेज को सभा के पटल पर रखे जाने का प्रस्ताव हैः	:	शीतकालीन संसद सत्र- 2018 के दौरान

विषय-सूची

क्रम सं.	ब्योरे	पृष्ठ सं.
1.	कंपनी रूपरेखा	3 - 5
2.	अध्यक्ष का संदेश	6 - 8
3.	कारपोरेट सूचना	9 - 10
4.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	11 - 28
5.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट	29 - 56
6.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी एंड एजी) की रिपोर्ट	57 - 62
7.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंड एलोन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	63 - 76
8.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंड एलोन वित्तीय विवरण	77 - 100
9.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	101 - 110
10.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण	111 - 142

कंपनी के बारे में

सुनियोजित शहरीकरण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए जिसमें विनिर्माण मुख्य आर्थिक कारक होगा तथा देश के औद्योगिक/विनिर्माण विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2007 में पहले औद्योगिक कोरिडोर के रूप में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना के अवधारणा की घोषणा की। इस परियोजना का उद्देश्य स्मार्ट,संपोषित औद्योगिक शहरों का निर्माण करना है जिन्हें उच्च गति एवं विशाल क्षमता की आधार स्तम्भ वाली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर(डीएफसी) द्वारा सुगम बनाया जाएगा ताकि नीति मानदंड के अनुसार लाजिस्टिक लागत को कम किया जा सके। तद्नुसार जनवरी, 2008 में डीएमआईसी परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए एक स्पेशल परपज वेकिल अर्थात दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) लि. की स्थापना की गई। डीएमआईसीडीसी के वर्तमान साम्य शेयरधारकों में भारत सरकार (49%) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा प्रतिनिधित्व, जापान बैंक फार इंटरनेशनल कारपोरेशन (जेबीआईसी) (26%) और वित्तीय संस्थाओं जैसे कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवेलेपमेंट कार्पोरेशन (हुडको) (19.9%), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) (41%) और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) (1.0%) शामिल है।

कंपनी की संस्थागत एवं वित्तीय संरचनाः

डीएमआईसी परियोजना के लिए संस्थागत और वित्तीय संरचना की मंजूरी 2011 में भारत सरकार द्वारा रू.17,500 करोड़ की बजटीय सहायता (रू.3000 करोड़ की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 7 नोडो में से प्रत्येक के लिए औसत रूप से रू.2500 करोड़) के साथ दी गई थी जिसे परियोजना के चरण-1 के औद्योगिक शहरों के विकास के लिए 5 वर्षों की अवधि के दौरान दिया जाना था। भारत सरकार से बजटीय सहायता डीएमआईसी-पीआईटीएफ (परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड) को प्राप्त होती है। डीएमआईसी-पीआईटीएफ भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित स्पेशल परपज वेकिल (एसपीवी) को साम्य और /अथवा ऋण प्रदान करती है जिससे कि डीएमआईसी शहरों/ नोडों/ परियोजनाओं का विकास किया जा सके। डीएमआईसी परियोजना के लिए विभिन्न परियोजना विकास गतिविधियों के व्यय को पूरा करने के लिए परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) का सृजन किया गया है। यह फंड अपनी प्रकृति के अनुसार कार्यशील है और कुल मिलाकर रू.1000 करोड़ की राशि डीएमआईसीडीसी को अनुदान सहायता के रूप में दी जाएगी ताकि परियोजना विकास संबंधित कार्यकलापों को जारी रखा जा सके। पीडीएफ के लिए निधियों का आबंटन औद्योगिक नीति एवं संबर्धन विभाग (डीआईपीपी) की ओर से डीएमआईसी ट्रस्ट को वार्षिक अनुदान के रूप में किया जाता है।

प्रत्येक परियोजना का कार्यान्वयन परियोजना/नोड शहर स्तरीय एसपीवी जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत होती है, के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार ने एक सुदृढ़ शेयरधारक समझौता (एसएचए) और राज्य सहायता अनुबंध(एसएसए) किया है जिसमें डीएमआईसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न पक्षकारों की भूमिका और जवाबदेही को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

डीएमआईसी परियोजना के अलावा, निम्नलिखित अन्य औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। आरंभ में इन चार(4)अन्य औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं का विकास करने का प्रस्ताव है ताकि अवसंरचना और विनिर्माण संबंधी सुविधाओं में तेजी लाई जा सके।

क) चेन्नै बंगलुरू औद्योगिक कोरिडोर(सीबीआईसी)

ख) बंगलुरू मुंबई आर्थिक कोरिडोर(बीएमईसी)

ग) अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर(एकेआईसी) और

घ) पूर्वी तट आर्थिक कोरिडोर(ईसीईसी) चरण-1 के रूप में विजाग-चेन्नै औद्योगिक कोरिडोर (वीसीआईसी) के साथ।

सभी औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं के समन्वित एवं एकीकृत विकास के लिए भारत सरकार ने 8 दिसंबर, 2016 को वर्तमान डीएमआईसी-पीआईटीएफ के कार्यक्षेत्र के विस्तार का अनुमोदन किया और इसका नया नाम नेशनल औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) रखा। एनआईसीडीआईटी हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित सभी औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं के समन्वित एवं एकीकृत विकास करने के लिए औद्योगिक नीति एवं संबर्धन विभाग (डीआईपीपी) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। सभी विकासोन्नमुख कोरिडोर और अन्य कोरिडोर भविष्य में एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे।

डीएमआईसी के तहत इन शहरों/अर्ली बर्ड परियोजनाओं का कार्यान्वयन सतत विकास की कुछ मूल अवधारणाओं के आधार पर किया जा रहा है जैसे कि वितरित कारोबारी जिलों और औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से कामगारों के लिए आवागमन की मांग को इष्टतम करना, मिश्रित प्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए कम्पेटिबल लैंडयूज का एकीकरण, हाई एक्सेस मास ट्रांजिट कोरिडोरों के आसपास अधिक आबादी वाले आवासीय नेवरहुड बनाना, गाड़ियों की तुलना में साईकिल चलाने और पैदल चलने के उपायों को प्रोत्साहित करना,जलीय और ठोस अपशिष्टों की रिसायक्लिंग और पुनर्प्रयोग, नवीकरणीय साधनों के इस्तेमाल द्वारा ऊर्जा पर्याप्तता, बेहतर कृषि भूमि का संरक्षण और संवेदनशील प्राकृतिक पर्यावरण (तटीय क्षेत्रों, वनों सैंच्यूअरी)का संरक्षण, और वर्तमान गांवों का नए शहर के रूप में सुयोजित एकीकरण आदि शामिल है।

चूंकि डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन के चरण में प्रवेश कर चुकी है और गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश राज्यों में निर्माण कार्य जोरों पर है अतः भूमि निस्तारण नीतियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और एंकर निवेशकों/ ग्राहकों को उपरिलिखित चार (4) स्थलों के लिए तय किया जा रहा है। सभी डीएमआईसी शहरों की प्रमुख विशेषता यह है कि सभी परियोजनाओं को बिना जोखिम के बना दिया गया है तथा सभी आवश्यक मंजूरियां/अनुमोदन पहले ही ले लिए गए हैं ताकि कोई भी एंकर निवेशक आ सके और अपने निर्माण सुविधा की स्थापना कर सके। सबसे समीप के राष्ट्रीय/और अथवा राज्य राजमार्ग, समीपस्थ रेल, डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर आदि के साथ संपर्क के संबंध में आवश्यक बातचीत डीएमआईसीडीसी द्वारा की जा रही है। ये एसपीवी इन शहरों में औद्योगिक प्लेयरों/निजी डेवेलपरों द्वारा अपनी सुविधाओं की स्थापना के लिए आवश्यक सभी जरूरी मंजूरियों/ लाइसेंसों की सुविधा के लिए एकल खिड़की के रूप में काम करेंगे।

नोड/सीटी लेवेल की परियोजनाओं को छोड़कर, डीएमआईसीडीसी स्टैंडएलोन परियोजनाओं जैसे कि हरियाणा,उत्तरप्रदेश और गुजरात राज्यों में मल्टी माडल लाजिस्टिक हब (एमएमएलएच), गुजरात और राजस्थान राज्यों में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा परियोजना तथा हरियाणा और गुजरात राज्य में मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (एमआरटीएस) का भी विकास कर रही है।

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी का कार्य निष्पादन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। इस अवधि के दौरान डीएमआईसीडीसी ने व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जैसे अनेक विकास कार्यकलापों का शुभारंभ किया है और पर्यावरण मंजूरी समेत विभिन्न मंजूरियों को प्राप्त किया है। राज्य सरकारों ने केवल औद्योगिक गलियारे के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थागत और वित्तीय संरचना का समर्थन ही नहीं किया बल्कि परियोजनाओं के लिए भूमि भी उपलब्ध कराई। डीएमआईसी परियोजना ने कार्यान्वयन के अपनी वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए लम्बा सफर तय किया है ।

विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर देश में आगे बढ़ने की दृष्टि से वर्ष 2017 घटनापूर्ण वर्ष रहा। विश्व बैंक के इज आफ डूईंग बिजनेस सूचकांक में भारत के 130वें से 100वें स्थान पर आ पहुंचने के भारी भरकम छलांग और एकल राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करते हुए जीएसटी दौर के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन से औद्योगिक प्रगति और विनिर्माण विकास के नए क्षेत्र खुले हैं।

सामान्य अपद्रव्य संसाधन संयंत्र (सीईटीपी) और पिपली से धोलेरा तक के वाटर पाइपलाइन के शुभारंभ तथा धोलेरा के निर्माण कार्य से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना के गुजरात नोड में तेजी आई है। औरंगाबाद औद्योगिक शहर के बिडकिन नोड पर भी विकास गतिविधियां शुरू की जा चुकी हैं। विक्रम-उद्योगपुरी, उज्जैन, म.प्र. में आंतरिक अवसंरचना निर्माण कार्यों और ग्रेटर नोएडा,उ.प्र. में एकीकृत औद्योगिक शहर परियोजना का विकास भी उन्नत स्तर पर है।

परियोजनाओं के त्वरित विकास से निवेशकों को आवश्यक आश्वासन प्राप्त होता है। यह इस तथ्य से प्रकट होता है कि कुल 45 भूमि पार्सलों (40 औद्योगिक, 2 वाणिज्यिक, 2 रिहायशी और 1 यूटिलिटी) जिनका क्षेत्रफल 122 एकड़ है, का आबंटन शेन्द्रा औद्योगिक क्षेत्र में हो चुका है। इन 45 भूखंडों मैसे,1 औद्योगिक भूखंड जिसका क्षेत्रफल 100 एकड़ है, का आबंटन हाउसंग ग्रुप आफ कोरिया को किया गया है जहां ये 3400 करोड़ रूपए का चरणबद्ध तरीके से निवेश करेंगे। यह कंपनी जो कि अपने क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनी है, स्पांडेक्स का निर्माण करेगी और इसके उत्पादन यूनिट के 2019 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है। निवेशकर्ताओं ने भी औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा और एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम-उद्योगपुरी परियोजना में गहरी रूचि दर्शाई है।

सतत विकास और समावेशी प्रगति के लिए प्रतिबद्ध किसी भी परियोजना में सम्बद्धता के महत्व को कम करके नहीं आँका जा सकता। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने ट्रांजिट उन्मुख विकास के उद्देश्य के अनुरूप हरियाणा में नांगल चौधरी के पास फ्रेट विलेज के नाम से मशहूर मल्टी माडल लाजिस्टिक्स हब के चरण-1 के लिए 1029.49 करोड़ रूपए की स्वीकृति का अनुमोदन किया है और

चरण-2 के विकास के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी तरह की परियोजनाएं उ.प्र. के दादरी और गुजरात के साणंद में अभिकल्पित की गई है। उ.प्र. के दादरी में मल्टी माडल ट्रांस्पोर्ट हब का विकास किया जाएगा । रोजगार का सृजन करके, ईंधन लागतों में कमी लाकर तथा प्रदूषण में भारी कमी के साथ निर्यातकों को प्रोत्साहित करते हुए इन परियोजनाओं में बडी मात्रा में आर्थिक मूल्य सृजित करने का सामर्थ्य होगा।

सभी हित ग्राहकों के अंतिम जुड़ाव को सुनिश्चित करते हुए हमारी कंपनी धौलेरा और भिवाडी में दो ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और गुजरात तथा हरियाणा में दो मास रैपिड ट्रांजिट प्रणालियों (एमआरटीएस) का विकास कर रही है जिनका जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के सक्रिय सहयोग से विकास किये जाने का प्रस्ताव है। हरियाणा राज्य में लगभग 1100 एकड़ क्षेत्र में एक ग्लोबल सिटी का विकास एक समेकित वित्तीय एवं व्यापार हब के रूप में किया जा रहा है। प्रारंभिक अभियांत्रिकी निर्माण कार्य इस समय चल रहा है।

कंपनी प्रतिष्ठित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) परियोजना के लिए नालेज पार्टनर (ज्ञान भागीदार) के रूप में भी काम कर रही है जहां चरण-1 के लिए इपीसी ठेकेदार की नियुक्ति के साथ अवसंरचना विकास गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। ईसैंग नेटवर्क्स प्रा.लि. के साथ केआईएनटीईएक्स (किनटैक्स) को इसका प्रचालक नियुक्त किया गया है। दिसंबर,2019 में चरण-1 के पूरा होने के साथ ही आशा है कि इस सुविधा का 10 मिलियन से अधिक लोग लाभ उठा सकेंगे। इस परियोजना के लिए एक अलग एसपीवी की 19 दिसंबर, 2017 को स्थापना की गई है।

आईटी इनपुटों का लाजिस्टिक्स में आमेलन करते हुए लाजिस्टिक्स डाटा बैंक परियोजना सर्वाधिक उल्लेखनीय परियोजनाओं में से एक परियोजना है जिसमें कंटेनर को सूक्ष्म रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटीफिकेशन टैग द्वारा सक्रिय कंटेनर प्रणाली को ट्रैकिंग प्रणाली देकर लगभग वास्तविक समय आधार पर इसे ट्रैक किया जाता है। अब तक 9.5 मिलियन से अधिक कार्गो कंटेनरों ने सफलतापूर्वक इस सुविधा का लाभ उठाया है और इन सेवाओं का विस्तार भारत के दक्षिणी और पूर्वी बन्दरगाहों पर किया जा रहा है। निमराना, राजस्थान में 6 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली एक माडल सौर ऊर्जा परियोजना सफलतापूर्वक काम कर रही है।

डीएमआईसी न्यास के अधिदेश का राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में विस्तार के साथ चेन्नै-बंगलूरू औद्योगिक गलियारा(सीबीआईसी) और अमृतसर- कोलकाता औद्योगिक गलियारा(एकेआईसी) के लिए परियोजना विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया है। आंध्रप्रदेश में कृष्णापट्टनम नोड और कर्नाटक में तुमकुर नोड के लिए शेयरधारक समझौता (एसएसए) और राज्य सहायता समझौता (एसएसए) निष्पादित किए जा चुके हैं जिनका विकास चेन्नै-बंगलूरू औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी) परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इन

नोडों के लिए विस्तृत मास्टर आयोजना और प्रारंभिक इंजीनियरिंग से संबंधित कार्यकलापों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के ग्लोबल ब्रैंडिग के लिए एक समेकित और विस्तृत मार्केटिंग अभियान भी संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे कि प्रिंट,डिजिटल, ब्राडकास्ट और सोसल मिडिया के जरिए शुरू किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों औद्योगिक संघों और चैंबर आफ कामर्स के सहयोग से अनेक कार्यशालाओं, रोड-शो का आयोजन किया गया है ताकि शेयरधारकों और निवेशकों के साथ बेहतर तालमेल बनाया जा सके। कई विदेशी कंपनियों ने भी विभिन्न ट्रेड निवेश फेसिलिटेशन एजेंसियों और संबंधित राजदूतावासों के आर्थिक कासुलेटों के माध्यम से डीएमआईसी परियोजना में अपनी कारोबारी रूचि दर्शाई है।

कुल मिलाकर, यह वर्ष हमारे सभी कार्यकलापों के लिए उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरा सतत् उच्च निष्पादन वाला वर्ष साबित हुआ है जो हमारी टीम के समर्पित और दृढ़निश्चय प्रयास द्वारा संभव हुआ । मै, हमारे निदेशकमंडल द्वारा किए गए भरोसा, विश्वास और सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता हूं। हम देश के विकास को आगे बढ़ाने के हमारे प्रयास और रोजगार सृजन, आय में बृद्धि तथा नागरिकों के जीवन शैली में समावेशी तथा सतत् औद्योगिक विकास के माध्यमों द्वारा सुधार करके सकारात्मक सामाजिक प्रभाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

रमेश अभिषेक

हस्ताक्षर/-

अध्यक्ष

कारपोरेट सूचना

निदेशक मंडल	**लेखा परीक्षा समिति**	**सांविधिक लेखा परीक्षक**
श्री रमेश **अभिषेक** ,आईएएस अध्यक्ष	श्री आईचीरो हयशीदानी निदेशक	मेसर्स एसएसएआर एंड एसोसिएट चार्टर्ड लेखाकार
श्री शैलेन्द्र सिंह,आईएएस निदेशक	श्री जय प्रकाश बत्रा स्वतंत्र निदेशक	**आंतरिक लेखा परीक्षक**
श्री अल्केश कुमार शर्मा,आईएएस मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	**नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति**	मेसर्स खंडेलिया एंड शर्मा चार्टर्ड लेखाकार
श्रीमती वंदना कुमार, आईडीएएस निदेशक	श्री आईचीरो हयशीदानी निदेशक	**सचिविक लेखा परीक्षक**
श्री आईचीरो हयशीदानी निदेशक	श्री जय प्रकाश बत्रा स्वतंत्र निदेशक	मेसर्स विनोद कुमार एंड कं. कंपनी सचिव
श्री काजूहिसा यूमिकुरा निदेशक	**मुख्य वित्तीय अधिकारी**	**बैंकर**
डा.रवि कांत मेदिथि निदेशक	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, होटल अशोक, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
डा.सुब्रहमण्यम दुर्वासुला निदेशक	**उपाध्यक्ष -कारपोरेट कार्य, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव**	
श्री जय प्रकाश बत्रा स्वतंत्र निदेशक	श्री अभिषेक चौधरी	
पंजीकृत कार्यालय		
कमरा सं.341 बी, 03 मंजिल मेन बिल्डिंग, होटल अशोक, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, 50बी, चाणक्यपुरी,नई दिल्ली-110021		

वार्षिक आम बैठक

सूचना

नोटिस

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि **दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.** की 10वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित प्रयोजनार्थ दिनांक 20 सितंबर,2018, वृहस्पतिवार को अपराह्न 03.30 बजे कमरा सं. 341 बी, 03 मंजिल मेन बिल्डिंग, होटल अशोक, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, 50बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगीः

सामान्य कार्यः

1. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल एवं समेकित) और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए निदेशकमंडल एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को प्राप्त करना, विचार करना तथा स्वीकार करना।
2. विचार करना और सही पाए जाने पर संशोधनों के साथ अथवा बिना संशोधनों के निम्नलिखित संकल्प को **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

   "संकल्प किया जाता है कि श्री रमेश अभिषेक, कंपनी निदेशक जो क्रमावर्तन (रोटेशन) द्वारा सेवा निवृत्त हैं तथा पात्र होने पर स्वयं को फिर से नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, उन्हें एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता हैं जो रोटेशन आधार पर सेवा निवृत्त होंगे।"

3. विचार करना और सही पाए जाने पर संशोधनों के साथ अथवा बिना संशोधनों के निम्नलिखित संकल्प को **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

   "संकल्प किया जाता है कि श्री आईचिरो हयशिदानी, कंपनी निदेशक जो क्रमावर्तन (रोटेशन) द्वारा सेवा निवृत्त हैं तथा पात्र होने पर स्वयं को फिर से नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, उन्हें एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता हैं जो रोटेशन आधार पर सेवा निवृत्त होंगे।"

4. विचार करना और सही पाए जाने पर संशोधनों के साथ अथवा बिना संशोधनों के निम्नलिखित संकल्प को **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुशरण में एसएसएआर एंड एसोशिएट्स, चार्टर्ड लेखाकार, नई दिल्ली (आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 004739एन) की नियुक्ति को जैसा कि भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा अपने पत्र सं. /सीए-5/सीओवाई/केंद्रीय सरकार,डीएमआईसीडीसी(0)/412 दिनांक 02 अगस्त, 2018 जिसकी प्रति बैठक के समक्ष रखी गई है, के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नामित किया जाता है और उनको एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है /नोट किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के मु.का.अ. और प्रबंध निदेशक को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है कि वे शर्तों का निर्धारण करें जिसमें नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों को देय लेखा परीक्षा फीस का निर्धारण भी शामिल है।"

विशेष कार्यः

5. विचार करना और सही पाए जाने पर संशोधनों के साथ अथवा बिना संशोधनों के निम्नलिखित संकल्प को **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची -04 के साथ पठित अधिनियम की धारा 149, 152 और अन्य कोई लागू प्रावधान के अनुशरण में श्री अजय नाथ, आईएएस (सेवा निवृत्त) को एतद् द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है जो 05 वर्ष के कार्यकाल तक कार्यालय भार ग्रहण करेंगे जिनके कार्यालय का कार्यकाल रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति द्वारा निर्धारित नहीं होगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का कोई भी निदेशक अथवा कंपनी सचिव एतद् द्वारा व्यक्तिगत रूप से ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले अथवा चीज को करने के लिए अधिकृत है जिसे आवश्यक, वांक्षित एवं इस संकल्प के लिए शीघ्र प्रभावी समझा जाएगा और/अथवा अन्यथा रूप से कंपनी के सर्वाधिक हित में उनके द्वारा सुविचारित समझा जाएगा जिसमें कंपनियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा के यहां अपेक्षित ई-रिटर्न भरना शामिल है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. के लिए

हस्ता./-
(अभिषेक चौधरी)
वीपी-कारपोरेट अफेयर्स, एचआर
एंड कंपनी सचिव
एम.सं.-एफ6701

स्थान : नई दिल्ली
तारीखः 27 अगस्त, 2018

टिप्पणियां

1. सदस्य को हक होगा कि वह बैठक में भाग लें तथा मतदान करें। उसे यह भी अधिकार होगा कि वह किसी प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को अपनी जगह भाग लेने तथा मतदान करने के लिए नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं होगा। प्रभावी होने के लिए इन्स्ट्रूमेंट आफ प्राक्सि (प्रतिनिधित्व दस्तावेज) का भलीभांति मोहरबंद, पूर्ण, हस्ताक्षरित होना चाहिए और उपर्युक्त बैठक के शुरू होने के कम से कम 48 घंटे पहले इसे जमा किया जाना चाहिए।
2. कोई व्यक्ति प्राक्सि के रूप में केवल 50 सदस्यों के लिए ही काम कर सकता है और यह समग्र रूप से कंपनी के वोट अधिकार वाली कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। 10 प्रतिशत से अधिक कंपनी के वोट अधिकार वाले कुल शेयरपूंजी की धारिता वाला सदस्य किसी एकल व्यक्ति को प्रोक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रोक्सी के रूप में काम नहीं कर सकेगा।
3. प्रोक्सी फार्म (प्रतिनिधित्व प्रपत्र) और निदेशक मंडल संकल्पों की प्रमाणित प्रतियां जो प्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करेंगी, को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजा जाएगा।
4. बोडी कारपोरेट के सदस्य होने पर व्यक्तिशः रूप से तभी उपस्थित माना जाएगा जब इसका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के अनुसार प्रतिनिधित्व किया जाता है।
5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त कार्यों के संबंध में सभी भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाले व्याख्यात्मक विवरण इसी के साथ संलग्न हैं तथा नोटिस का भाग हैं।
6. संभावित बैठक में नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का विवरण नोटिस के अनुलग्नक में दिया गया है।
7. स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए शर्तें कारोबार समय से लेकर बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों को (अर्थात शनिवार,रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी। उपर्युक्त दस्तावेज बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा102(1) के प्रावधानों के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद सं.2

श्री रमेश अभिषेक, (डीआईएन 07452293) कंपनी निदेशक जो क्रमावर्तन (रोटेशन) द्वारा सेवा निवृत्त होंगे इस वार्षिक सामान्य बैठक में रोटेशन द्वारा कार्यभार छोड़ते हैं। श्री रमेश अभिषेक अर्ह होने पर स्वयं फिर से नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं और उन्हें एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया जाता हैं जो रोटेशन आधार पर सेवा निवृत्त होंगे। इसलिए इस संकल्प का प्रस्ताव किया जाता है।

श्री रमेश अभिषेक को छोड़कर, नियुक्त व्यक्ति होने के कारण कंपनी के निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी इस नोटिस के मद सं.2 पर निर्धारित संकल्प से संबंधित अथवा उसका इच्छुक नहीं है।

मद सं.3

कंपनी के निदेशक श्री आईचिरो हयसिदानी (डीआईएन 07417884) जो क्रमावर्तन(रोटेशन) द्वारा सेवानिवृत्त होंगे, इस वार्षिक आम बैठक में (क्रमावर्तन) रोटेशन द्वारा कार्यभार छोड़ते हैं। श्री आईचिरो हयसिदानी अर्ह होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं और उन्हें एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्ति के लिए प्रस्ताव किया जाता है जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे। इसलिए संकल्प का प्रस्ताव किया जाता है।

नियुक्त व्यक्ति होने के कारण श्री आईचिरो हयसिदानी को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनका रिश्तेदार इस नोटिस के मद सं. 3 पर निर्धारित संकल्प से संबंधित अथवा उसका इच्छुक नहीं है।

मद सं.4

भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा अपने पत्र सं. /सीए 5/सीओवाई/केंद्रीय सरकार, डीएमआईसीडीसी(0)/412 दिनांक 02 अगस्त,2018 के अनुसार एसएसएआर एंड एसोशिएट्स, चार्टर्ड लेखाकार,नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नामित किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) और (7) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी का पूरक लेखा परीक्षण का कार्य प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-1 को सौंपा गया है। इसलिए संकल्प का प्रस्ताव किया जाता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनका रिश्तेदार इस नोटिस के मद सं. 4 पर निर्धारित संकल्प से संबंधित अथवा उसमें इच्छुक नहीं है।

मद सं.5

श्री अजय नाथ, आईएएस (सेवा निवृत्त) आयु 62 वर्ष, अर्थशास्त्र में स्नातक(प्रथम डिविजन) तथा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर (प्रथम डिविजन) हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग में प्रधान सचिव और बाद में अपर मुख्य सचिव के रूप में काम किया है। उन्होंने कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में निवेश और पंजीकरण महा निदेशक और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय में निदेशक के रूप में कार्य किया है। उनके पास वित्त, कंपनी कार्य, सतर्कता, कानून एवं न्याय, राजस्व, कार्पोरेट प्रबंधन आदि का व्यापक अनुभव है। उनके अनुभव और कौशल से कंपनी अपना उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकेगी।

निदेशक मंडल का मत है कि नियुक्ति के लिए प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशक, अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और यह कि प्रस्तावित निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। निदेशक मंडल यह समझता है कि श्री अजय नाथ,आईएएस(सेवा निवृत्त)के सहयोग से कंपनी का विपुल लाभ होगा और श्री अजय नाथ, आईएएस (सेवा निवृत्त) को कंपनी निदेशक मंडल का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होगा। तद् नुसार, श्री अजय नाथ, आईएएस (सेवा निवृत्त) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और निदेशक मंडल द्वारा सिफारिश की गई और अब उसे सदस्यों के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

नियुक्त व्यक्ति होने के कारण श्री अजय नाथ,आईएएस(सेवा निवृत्त) को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनका रिश्तेदार इस नोटिस के मद सं. 5 पर निर्धारित संकल्प से संबंधित अथवा उसका इच्छुक नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. के लिए

हस्ता./-
(अभिषेक चौधरी)
वीपी-कारपोरेट अफेयर्स, एचआर
एंड कंपनी सचिव
एम.सं.-एफ6701

स्थान : नई दिल्ली
तारीखः 27 अगस्त, 2018

नोटिस का अनुलग्नकः

<u>आम बैठक पर सचिवीय मानक-2 के अनुशरण में सूचनाः</u>

कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री अजय नाथ, आईएएस (सेवा निवृत्त) की नियुक्ति का विवरणः	
आयु	62
योग्यता	अर्थशास्त्र में स्नातक (प्रथम डिविजन) और अर्थशास्त्र में स्नात्कोत्तर (प्रथम डिविजन)
अनुभव/संक्षिप्त जीवनवृत्त	उन्हें विभिन्न विभागों में 42 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग में प्रधान सचिव और बाद में अपर मुख्य सचिव के रूप में काम किया है। उन्होंने कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में निवेश एवं पंजीकरण महानिदेशक और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में निदेशक के रूप में भी काम किया है।
पुनर्नियुक्ति की शर्तें	5 वर्ष के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति। नियुक्ति के संबंध में विस्तृत शर्तें **अनुलग्नक-क** पर संलग्न हैं।
ली गई अंतिम पारिश्रमिक (सिटिंग फीस यदि कोई हो को शामिल करके)	-
दिए जाने के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक	रू. 20,000/- की सिटिंग फीस - बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तारीख	-
31 मार्च, 2018 को कंपनी की शेयरधारिता	शून्य
अन्य निदेशको / केएमपी के साथ संबंध	किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से संबंधित नहीं है।
वित्तीय वर्ष (2017-18) के दौरान भाग लिए गए बोर्ड की बैठकों की संख्या	लागू नहीं
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अन्य बोर्डों के निदेशक के रूप में	1. भारत डायनामिक्स लि. और 2. सिंगरौली एयरपोर्ट कार्पोरेशन लि.
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अन्य बोर्डों की समितियों के सदस्यता/अध्यक्षता	भारत डायनामिक्स लि. • लेखा परीक्षा समिति-सदस्य • नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य और • कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलीटी समिति- अध्यक्ष

कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री अजय नाथ, आईएएस (सेवा निवृत्त) की शर्तेः

1. **<u>नियुक्ति/पुनर्नियुक्तिः</u>**

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.(डीएमआईसीडीसी लि.) के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री अजय नाथ, आईएएस (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6), 152 और उसके अन्य किसी लागू प्रावधान और कथित अधिनियम की अनुसूची- 4 के साथ पठित और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियमावली, 2014 (किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा लागू रहने के दौरान उनमें पुनर्अधिनियमन सहित) की शर्तों के अनुसार शेयरधारकों के अनुमोदन की तारीख अर्थात 20 सितंबर,2018 से प्रभावी होगी। उनकी नियुक्ति क्रमागत पांच वर्षों की अवधि के लिए होगी। उनकी नियमित नियुक्ति कंपनी की संघ नियमावली और कंपनी अधिनियम,2013 की अपेक्षाओं के अध्यधीन होगी।

1.1 वह रोटेशन (क्रमावर्तन) द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं होंगे और

1.2 कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची-4 के साथ पठित धारा 178 के प्रावधानों तथा कंपनी की आंतरिक नीतियों और निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों के अनुसार उनके कार्य निष्पादन मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर वह कंपनी के निदेशक मंडल में अपने वर्तमान कार्यकाल को पूरा करने के पश्चात कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और अन्य लागू विनियमनों के अनुसार कंपनी के सदस्य द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे।

2. **समिति में सदस्यताः**

2.1 कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवा प्रदान करने के अलावा वह निदेशक मंडल की समितियों में सदस्य अथवा अध्यक्ष निदेशक मंडल (बोर्ड) जैसा उपयुक्त समझे, भी कार्य करेंगे, और

2.2 ऐसी समिति (समितियों) में उनकी नियुक्ति कंपनी की संघ नियमावली और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों की अपेक्षाओं को अध्यधीन होगी।

3. पेशेवर आचरण के लिए दिशानिर्देशः

कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची-4 के तहत किये गए प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनसे निम्नलिखित पेशेवर आचरण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन किए जाने की अपेक्षा की जाती हैः

3.1 सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के नैतिक मूल्यों को बनाए रखना;

3.2 अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय तटस्थ एवं रचनात्मक ढ़ंग से काम करना;

3.3 कंपनी के हित में अपने दायित्वों का सद्भाव निर्वहन करना;

3.4 संसूचित और संतुलित निर्णय निर्माण में अपने पेशेवर दायित्वों पर पर्याप्त समय और ध्यान देना;

3.5 नीति निर्माण में बोर्ड के सामूहिक निर्णय से सहमत होने या असहमत होने की स्थिति में समग्र रूप से कंपनी के व्यापक हित में ऐसे किसी ऊपरी दबाव को अनुमति प्रदान नहीं करना जिससे उनका तटस्थ स्वतंत्र निर्णय प्रभावित होता हो;

3.6 कंपनी अथवा इसके शेयरधारकों के हितों के खिलाफ अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निजी लाभ के लिए अथवा किसी संबद्ध व्यक्ति के लाभ के लिए अपने पद का दुरूपयोग नहीं करना;

3.7 ऐसा कोई कार्य न करना जिससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होती हो;

3.8 यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनसे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है तो उन्हें उसे अविलंब निदेशक मंडल के सूचित करना होगा, और

3.9 सर्वोत्तम कार्पोरेट शासन कार्य-व्यवहारों को कार्यान्वित करने में कंपनी की सहायता करना।

4. समय की प्रतिबद्धताः

4.1 स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनसे आशा की जाता है कि वे बोर्ड की चर्चाओं में निष्पक्षता बरतेंगे और विचारों की स्वतंत्रता को क्रियान्वित करेंगे और कंपनी की रणनीति, निष्पादन एवं जोखिम प्रबंधन को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड को प्रभावी नेतृत्व प्रदान करेंगे तथा वित्तीय सत्यनिष्ठा और कार्पोरेट शासन के उच्च मानदंडों का अनुपालन करेंगे। उनसे यह भी आशा की जाएगी कि वे स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों के उपयुक्त निर्वहन के लिए जरूरत के मुताबिक समय प्रदान करेंगे। एक वर्ष में बोर्ड की कम से कम चार बार बैठक होती है। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013

के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत गठित विभिन्न निदेशकों की समितियों की अन्य बैठकें होंगी। उन्हें बोर्ड की बैठकों, समिति की बैठकों में जिनमें उन्हें सदस्य नियुक्त किया जाएगा और सदस्यों, शेयरधारकों की बैठकों अथवा अन्य क्लास बैठकों यदि बोर्ड द्वारा अनुरोध किया जाता है, में उपस्थित होना होगा और प्रमुख शेयरधारकों, प्रबंधन, स्टाफ तथा पेशेवर सलाहकारों के साथ समय-समय पर बैठक करना होगा। इन कार्यों में से किसी के लिए भी वे किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।

4.2 इस नियुक्ति को स्वीकार करने के बाद वह यह पुष्टि करेंगे कि वह बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के प्रति अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देने में सक्षम हैं और वे इसके इच्छुक हैं।

5. भूमिका एवं कर्तव्यः

5.1 स्वतंत्र निदेशक की वही कानूनी जवाबदेही होती है जो अन्य किसी दूसरे निदेशक की होती है और बोर्ड की यह सामूहिक जिम्मेवारी है कि वह कंपनी की सफलता के लिए मिलजुल कर काम करे। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के लिए कुछ अतिरिक्त कर्तव्यों और दायित्वों का प्रावधान किया गया है जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-4 में प्रदत्त स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोड शामिल है, का भी अनुपालन करना होगा। स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका दायित्व कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और अन्य लागू नियमों एवं विनियमनों द्वारा शासित होगा।

5.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-4 में प्रदत्त के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में उनके फिडूसियरी कर्तव्य निम्नानुसार होंगेः

- उपयुक्त प्रेरण कार्य को हाथ में लेना और उनके कौशल, ज्ञान और कंपनी के साथ संबंधों को नियमित रूप से नवीकृत करना और अद्यतन बनाना;
- सूचना के बारे में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा विस्तारण मांगना और जहां कहीं भी आवश्यक हो, कंपनी के खर्चे से बाहरी विशेषज्ञों से अभिमत और उचित पेशेवर सलाह लेना और उनका अनुपालन करना;
- निदेशक मंडल की सभी बैठकों में तथा उन बोर्ड समितियों की बैठकों में जिनके वे सदस्य होंगे, भाग लेने का प्रयास करना;

- बोर्ड की समितियों में सक्रियतापूर्वक रचनात्मक रूप से भाग लेना जिनके वे अध्यक्ष अथवा सदस्य हैं;
- कंपनी की आम बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करना;
- जहां पर कंपनी के बारे में उन्हें चिंता हो अथवा कोई कार्य प्रस्तावित हो, यह सुनिश्चित करना कि इन सबका बोर्ड द्वारा समाधान किया जा रहा है तथा जब तक उनका समाधान नहीं हो जाता,इस बात के लिए जोर देना कि उनकी चिंताएं बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्तों में दर्ज की जा रही हैं;
- कंपनी और उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें यह काम कर रही है स्वयं को भलीभांति संसूचित रखना;
- अन्यथा रूप से एक उपयुक्त बोर्ड अथवा बोर्ड की समिति के कार्यकरण को अनुचित रूप से बाधा नहीं पहुंचाना;
- इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना तथा यह सुनिश्चित करना कि सम्बद्ध पार्टी सौदों को मंजूरी प्रदान करने से पहले समुचित रूप से विचार-विमर्श किए जाते हैं तथा उन्हें स्वयं सुनिश्चित करना कि यह सब कंपनी के हित में है;
- यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के पास एक उपयुक्त क्रियाशील सतर्कता तंत्र मौजूद है तथा यह सुनिश्चित करना कि जो व्यक्ति इस तंत्र का इस्तेमाल करता है, के हित उस तरह के प्रयोग के कारण नुकसानदेह नहीं हैं;
- अनैतिक कार्य-व्यवहार,वास्तविक अथवा संदेहास्पद धोखेबाजी अथवा कंपनी की आचरण नियमावली अथवा नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में मसलों को रिपोर्ट करना;
- अपने प्राधिकार के तहत काम करना और कंपनी,शेयरधारकों और इसके कर्मचारियों के वैध हितों की रक्षा में सहायता करना और
- गोपनीय सूचना जिसमे वाणिज्यिक गोपनीयता,प्रौद्योगिकियां,विज्ञापन और बिक्री प्रवर्धन योजनाएं, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना शामिल है, को तबतक उजागर नहीं करना जब तक कि उन्हें उजागर करने के लिए बोर्ड द्वारा लिखित रूप से अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता अथवा ऐसा करना कानून के अंतर्गत आवश्यक नहीं होता।

5.3 वह कंपनी की संघ नियमावली के अनुसार भी काम करेंगे।

5.4 वह समग्र रूप से कंपनी के सदस्यों के हित में कंपनी के उद्देश्यों के प्रवर्धन तथा कंपनी, इसके कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदाय के सर्वाधिक हित और पर्यावरण की रक्षा के लिए विश्वसनीय ढ़ंग से काम करेंगे।

5.5 वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी व उचित सावधानी, कौशल और निपुणता के साथ करेंगे।

5.6 वह स्वयं को ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेंगे जिनमें उनका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हित होगा जो कंपनी के हित से टकराएगा अथवा उसके टकराने की संभावना होगी।

5.7 वह कोई अनुचित लाभ नहीं लेंगे अथवा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे अथवा जिससे उन्हें स्वयं या उनके किसी रिश्तेदार,पार्टनर अथवा एशोसिएट का लाभ होगा।

5.8 वह अपने कार्यालय को निदेशक के रूप में नहीं सौपेंगे और इस तरह किया गया कोई भी समनुदेशन अमान्य होगा।

उपर्युक्त आवश्यक कार्यों के अलावा वह कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची-4 में प्रदत्त के अनुसार निम्नलिखित कार्य भी निष्पादित करेंगे:

- स्वतंत्र निर्णय करने में मदद करना जो बोर्ड के विचार-विमर्श विशेष रूप से रणनीति,निष्पादन,जोखिम प्रबंधन, संसाधन, मुख्य नियुक्तियों और आचरण के मानदंडों के मुद्दों पर लागू होगा;
- बोर्ड और प्रबंधन के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ वैचारिकता का समावेशन करना;
- निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में प्रबंधन के कार्य निष्पादन की जांच करना और कार्य निष्पादन की रपट की निगरानी करना;
- वित्तीय संसूचना की सत्यनिष्ठा और यह कि वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन की प्रणाली मजबूत और प्रतिरक्षी रूप में काम कर रही है, के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करना;
- सभी साझेदारों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना;
- साझेदारों के परस्पर विरोधी हितों में संतुलन बनाना;
- कार्यकारी निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक का समुचित स्तर निर्धारित करना और नियुक्ति प्रक्रिया में अहम भूमिका अदा करना और जहां आवश्यक हो निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन के निष्कासन की सिफारिश करना तथा

- प्रबंधन और शेयरधारकों के हितों के बीच टकराव की स्थिति में समग्र रूप से कंपनी के हित में नियंत्रित होना और मध्यस्थता करना।

6. पारिश्रमिक, फीस एवं व्ययः

कंपनी, कंपनी अधिनियम,2013 के प्रावधानों तथा यथावश्यक मंजूरियां प्राप्त करने की व्यवस्था के अध्यधीन बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए सिटिंग फीस का भुगतान करेगी । वह रसीद प्राप्त व्ययों, जिन्हें कंपनी द्वारा उचित और सही समझा जाएगा जो यात्रा और आवास तथा अन्य व्ययों पर खर्च होंगे, का भुगतान प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

- निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थित होने अथवा उसकी किसी समिति अथवा कंपनी की आम बैठक में उपस्थित होने के लिए अथवा
- कंपनी के कारोबार के सिलसिले में।

7. मूल्यांकनः

उनका कार्य निष्पादन मूल्यांकन निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा। कार्य निष्पादन मूल्यांकन के परिणामों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में बोर्ड में उनकी फिर से नियुक्ति पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

8. हित संघर्ष एवं उद्घोषणाएः

8.1 ऐसा स्वीकार और प्रकट किया जाता है कि कंपनी के अलावा उनके दूसरे कारोबारी हित हो सकते हैं। उनकी नियुक्ति की शर्त के रूप में उनके लिए ऐसे सभी निदेशकत्व, नियुक्तियों और बोर्ड के हितों को हर वर्ष दिए गए प्रपत्र में लिखित रूप में और उनमें कोई परिवर्तन होने पर उद्घोषित करना अपेक्षित है। सचिविक विभाग समयबद्ध तरीके से इन घोषणाओं को करने में उनकी सहायता करेगा। आशा की जाती है कि वह प्रतिस्पर्धी कंपनियों के निदेशक मंडल में तब तक कोई काम नहीं करेंगे जब तक बोर्ड की पूर्व लिखित मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती।

8.2 उपरोक्त के रूप में घोषणापत्र में बदलाव की स्थिति में या कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी आजादी को प्रभावित करने वाले परिवर्तन में, वह प्रबंध निदेशक के साथ-साथ कंपनी के कंपनी सचिव को तुरंत सूचित करेगा।

9. गोपनीयताः

अपनी नियुक्ति की वजह से उन्हें कंपनी या इसकी प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायक कंपनियों से जो भी सूचना प्राप्त होती है और कंपनी और सहायक कंपनियों के कारोबार, लेनदेन,कर्मचारियों और कार्यों(किसी सूचना के बारे में संदेह न करना जिसके संबंध में कंपनी या कोई कंपनी समूह तीसरे पक्ष के प्रति गोपनीयता की बाध्यता द्वारा मजबूर न हो) के बारे में जो भी पहुंच होती है, उसे गोपनीय समझा जाएगा। इसे उनकी नियुक्ति के दौरान या उसके बाद किसी समय कंपनी के प्रबंध निदेशक की लिखित अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताया जाएगा। यह अपेक्षा उस सूचना पर लागू नहीं होगी जो कानूनी रूप से पब्लिक पोर्टल पर है अथवा जिन्हें किसी कानूनी अथवा विनियामक प्राधिकरण द्वारा समुचित ढ़ंग से उद्घोषित करना अपेक्षित होगा। उन्हें गोपनीय सूचना का इस्तेमाल कंपनी द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहिए। कंपनी से प्राप्त सभी सामान स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त होने पर लौटा दिए जाएंगे और उनके लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होगा कि वे कंपनी की किसी गोपनीय सूचना के संबंध में कोई दस्तावेज अथवा उनकी प्रतियां किसी भी रूप में नहीं रखें।

10. समापनः

10.1 वह किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें बोर्ड को एक उपयुक्त लिखित रूप में नोटिस भेजना आवश्यक होगा।

10.2 उनकी नियुक्ति का जारी रहना समय-समय पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों,उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और कंपनी की संघ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार है।

10.3 उनकी नियुक्ति को कंपनी की संघ नियमावली के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा समय-समय पर यथा संशोधित तथा निर्मित नियमों के अनुसार समाप्त किया जा सकता है।

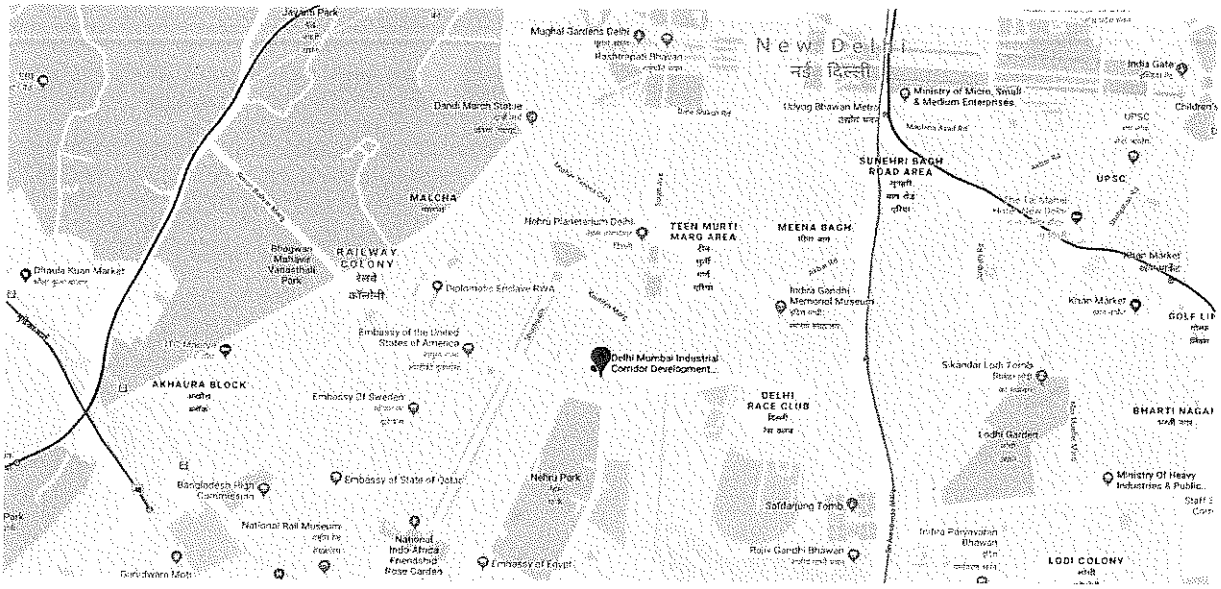
11. विविधः

उनकी नियुक्ति की शर्तें कंपनी अधिनियम,2013 के प्रावधानों ,कंपनी की संघ नियमावली तथा समय-समय पर लागू अन्य कानूनों के अध्यधीन है। सांविधिक प्रावधानों और इस

पत्र के बीच किसी प्रकार की असंगतता की स्थिति में सांविधिक प्रावधान इस पत्र की सामग्री पर लागू माने जाएंगे और इस पत्र की शर्तें उस सीमा तक अपने आप ही संशोधित समझी जाएंगी।

उनके नियुक्ति की शर्तें जिसमें इस पत्र में उल्लिखित शर्तें भी शामिल है,भारतीय कानूनों द्वारा शासित हैं और तदनुसार, वे दिल्ली स्थित भारतीय न्यायालयों के विशेषाधिकार के अध्यधीन होंगी।

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड
कक्ष सं.341 बी,03 मंजिल, मेन बिल्डिंग, होटल अशोक, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, 50 बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली -110021



निदेशक की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

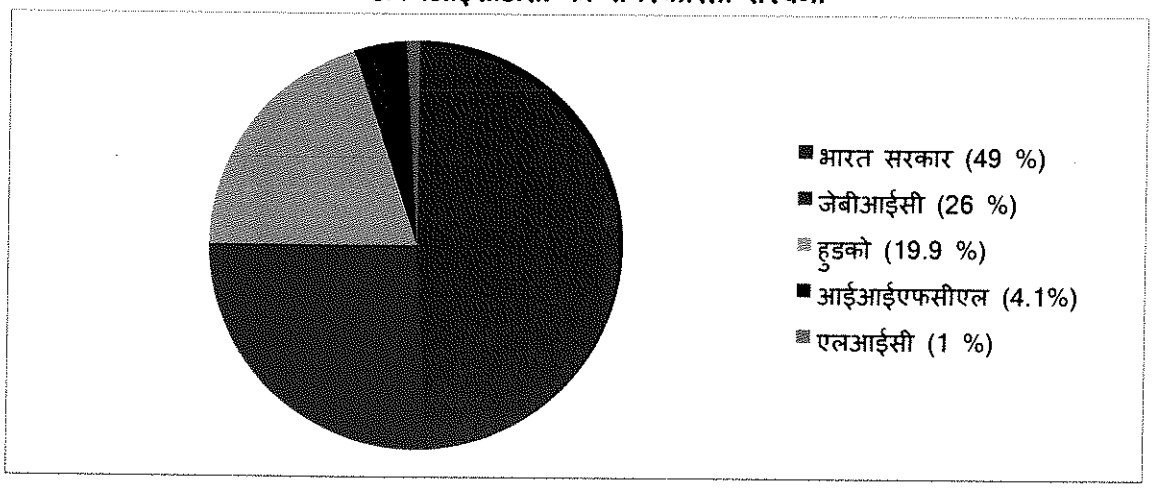
प्रिय शेयरधारको,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के मामलों की 10वीं **(दसवीं) मंडल रिपोर्ट** प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है ।

औद्योगिक नीति एवं प्रवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को डीएमआईसी की परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की ओर से नोडल अभिकरण के रूप में नामित किया गया है।

भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार लोक वित्तीय संस्थाओं जिनके नाम हाउसिंग एंड अरबन डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लि. (हुडको), इंडिया इन्फ्रास्ट्रचर फाइनेंस कार्पोरेशन लि. (आईआईएफसीएल), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी) हैं, के आने के बाद कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन हो गया।
कंपनी की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार है:

डीएमआईसीडीसी की शेयरधारिता संरचना



1. **वित्तीय विवरणों का सारांश:**

   31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है :

(राशि रूपए में)

विवरण	2017-18	2016-17
कुल आय	21,18,91,641	11,47,58,242
कुल व्यय	13,25,55,278	7,70,77,910
कर व्यय	2,41,25,580	1,16,16,983
कर के पश्चात वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	**5,52,10,783**	**2,60,63,349**

2. कंपनी के कार्यों की स्थितिः

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना को चरण-1 में स्मार्ट शहरों के रूप में विकास के लिए 8 निवेश क्षेत्रों/ औद्योगिक क्षेत्रों को लिया जा रहा है।

डीएमआईसी परियोजना की राज्यवार प्रगति निम्नानुसार हैः

गुजरातः

धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र(डीएसआईआर)

- राज्य सरकार ने परियोजना एसपीवी को 22.45 वर्ग किमी. भूमि अंतरित की है और उसके समरूप साम्य जो रू. 1294.22 करोड़ की राशि है, राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीसी) द्वारा जारी की जा चुकी है।
- आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने रू. 2784.82 करोड़ के विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर घटकों के लिए निविदा पैकेजों का अनुमोदन कर दिया है और रू. 2111.51 करोड़ के ईपीसी ठेके दिए जा चुके है।
- कार्य की भौतिक प्रगति 42.65 प्रतिशत है।
- मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) के चयन के लिए निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है और भूमि आबंटन के लिए तैयार है।
- एंकर टेनेंट्स/ निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो और राउन्ड टेबल सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है।

ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, धौलेरा, गुजरातः

- नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण(एएआई) ने परियोजना में साम्य लेने हेतु रूचि प्रकट की है और एएआई के साथ बातचीत चल रही है।

अहमदाबाद और धौलेरा,गुजरात के बीच एमआरटीएसः

- डीपीआर तैयार कर ली गई है और राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
- परियोजना को डीएमआईसी परियोजना के लिए जेआईसीए रोलिंग प्लान में शामिल कर लिया गया है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआईए) ने अहमदाबाद और धौलेरा के बीच एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति कर दी है। डीपीआर के तैयार होते ही एक्सप्रेसवे परियोजना के आरओडब्लू के भाग के रूप में एमआरटीएस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू की जाएगी।

भीमनाथ धौलेरा रेल लाईन परियोजनाः

- रेल मंत्रालय द्वारा अंतिम स्थल सर्वेक्षण (एफएलएस) को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- परियोजना गैर-सरकारी रेलवे (एनजीआर) माडल के तहत कार्यान्वित की जाएगी।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाता के चयन के लिए निविदा को पहली बिडिंग प्रक्रिया में सीमित प्रतिक्रिया आने के कारण फिर से जारी किया गया है।

मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी), साणन्द,गुजरात (500 एकड़)

- मास्टर प्लान के साथ -साथ तकनीकी आर्थिक व्यहार्यता अध्ययन (टीईएफएस) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे टाउन प्लानिंग और भूमि अधिग्रहण योजनाओं को अंतिम रूप देने के पश्चात भूमि अधिग्रहण की शुरूआत करें।

महाराष्ट्रः

शेन्द्रा बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआईए)

- राज्य सरकार ने एसवीपी के लिए 18.55 वर्ग किमी. भूमि अंतरित कर दी है और रू.1452.70 करोड़ की समतुल्य राशि भी एनआईसीडीआईटी द्वारा जारी की जा चुकी है।
- शेन्द्रा के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने रू 1533.44 करोड़ के विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर घटकों के लिए निविदा पैकेजों का अनुमोदन कर दिया है और रू. 977.34 करोड़ के इपीसी ठेके दिए जा चुके हैं।
- बिडकिन के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने रू 6414.21 करोड़ के विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर घटकों के लिए निविदा पैकेजों का अनुमोदन कर दिया है और रू.1223 करोड़ के इपीसी ठेके दिए जा चुके हैं।
- शेन्द्रा में कार्य की भौतिक प्रगति 72.60% तथा बिडकिन में 21.42% है।
- शेन्द्रा में मुख्य रूप से लघु और मध्यम उद्यमों हेतु 44 भूखंड आबंटित किए गए हैं। एक औद्योगिक भूखंड ह्यूसोंग कार्पोरेशन, साउथ कोरिया और एक स्विटजरलैंड के ओर्लिकोन ग्रुप को आबंटित किया गया है।

दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्रः

- राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एमआईडीसी द्वारा कुल 2500 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है और दूसरे 500 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है ताकि लैंड पार्सल पास-पास रहें।
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक अभियांत्रिकी के लिए अभिकरण के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

मध्यप्रदेश:

पिथमपुर धार,मऊ निवेश क्षेत्र

राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट(एनआईसीडीआईटी) और मध्यप्रदेश राज्य सरकार / नोड/शहर स्तर के लिए एमपीटीआरआईएफए के बीच राज्य सहायता अनुबंध(एसएसए) और शेयरधारक अनुबंध(एसएचए) किया गया है।

समेकित औद्योगिक टाउनशिप, विक्रम उद्योगपुरी परियोजना, उज्जैनः

- 1100 एकड़ की माप वाली भूमि परियोजना एसपीवी के लिए अंतरित की गई है और समतुल्य साम्य जो रूपए 55.93 करोड़ है, को राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीटी) द्वारा जारी किया जा चुका है।
- सीसीईए ने रू. 808.60 करोड़ परियोजना लागत की मंजूरी दी है और रू. 471 करोड़ के ईपीसी ठेके दिए जा चुके हैं।
- कार्य की भौतिक प्रगति 62.20% है।
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है और भूमि आबंटन के लिए तैयार है।
- रोड शो और राउन्ड टेबल सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है।

पिथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए जलापूर्ति परियोजना

- राज्य सरकार और राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीटी) के बीच पिथमपुर जल प्रबंधन कंपनी लि. (पीजेपीसीएल) नाम से एसपीवी की स्थापना की गई है।
- रूपए 306.55 करोड़ की परियोजना लागत मंजूरी दी गई है और रू. 219 करोड़ के इपीसी ठेके दिए जा चुके हैं।
- कार्य की भौतिक प्रगति 75% है।

हरियाणा:

समेकित मल्टीमाडल लाजिस्टिक हब (आईएमएलएच), नांगल चौधरी

- परियोजना के लिए महेन्दरगढ़ जिले में 886.78 एकड़ भूमि की पहचान की गई है।
- राज्य सरकार और राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीटी) के बीच परियोजना एसपीवी की स्थापना की गई है।
- कुल भूमि में से 80 प्रतिशत (710) एकड़ का अधिग्रहण किया जा चुका है और बाकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।
- सीसीइए द्वारा 16 मई, 2018 को हुई बैठक में परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है और आगे की गतिविधियां शुरू हो गई हैं।

ग्लोबल सिटी परियोजना

- राज्य सरकार और राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीटी) के बीच परियोजना एसपीवी की स्थापना की गई है।

- सड़क और सर्विस/यूटिलिटी के लिए प्रारंभिक अभियांत्रिक परामर्शदाता इपीसी ठेकेदार के चयन के लिए निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप दे रहे हैं।

<u>मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम(एमआरटीएस) परियोजना</u>

- राज्य सरकार ने अंतिम डीपीआर का अनुमोदन कर दिया है।
- हरियाणा राज्य सरकार और राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीटी) के बीच परियोजना एसपीवी की स्थापना की गई है।
- भूमि राज्य सरकार के कब्जे में है और परियोजना को जेआईसीए स्पेशल रोलिंग प्लान में शामिल कर लिया गया है।
- जेआईसीए से अनुरोध किया गया है कि वे तैयारी सर्वेक्षण के संबंध में कार्यकलापों समेत अपना ड्यू डिलिजेंस शुरू करें।

<u>उत्तर प्रदेश:</u>

<u>समेकित औद्योगिक टाउनशिप परियोजना, ग्रेटर नोएडा:</u>

- 747.5 एकड़ की माप वाली भूमि परियोजना एसपीवी के लिए अंतरित की गई है और समतुल्य साम्य जो रूपए 617.20 करोड़ है, को राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीटी) द्वारा जारी किया जा चुका है।
- सीसीईए ने रू.1714.70 करोड़ परियोजना लागत की मंजूरी दी है और रू.703 करोड़ के ईपीसी ठेके दिए जा चुके हैं।
- कार्य की भौतिक प्रगति 75% है।
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है और भूमि आबंटन के लिए तैयार है।
- हायर, फेन्डा, फोरमी कामुनिकेसंस आदि जैसी ह्वाइट माल निर्माता कंपनियों से इन्क्वायरियां प्राप्त हो चुकी हैं।
- रोड शो और राउन्ड टेबल सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है।
- इ-लैंड प्रबंधन परामर्श की नियुक्ति की जा चुकी है।
- आईसीटी कार्यों के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है।

<u>मल्टी माडल लाजिस्टिक हब(एमएमएलएच)और मल्टी माडल ट्रांस्पोर्ट हब(एमएमटीएच)दादरी:</u>

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डीपीआर) तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जा चुकी है।
- पश्चिमी और पूर्वी डीएफसी से इस साइट को संपर्क देने के लिए डीएफसीसीआईएल से आवश्यक मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं।
- कुल भूमि में से राज्य सरकार ने लगभग 62% भूमि अधिग्रहण कर ली है। बाकी अधिग्रहण की जा रही है।
- एनआईसीडीआईटी द्वारा 6 मार्च, 2018 को हुई बैठक में कुछ शर्तों के अध्यधीन भारतीय रूपए 4034 करोड़ के लिए परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है।

राजस्थान:

खुशखेडा भिवाणी निमराना निवेश क्षेत्र राजस्थानः

- मास्टर प्लान अधिसूचित किया जा चुका है।
- एसएचए और एसएसए के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम अधिसूचित किया जा चुका है।
- राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करें।

ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, राजस्थानः

- नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा स्थल संबंधी मंजूरी दी जा चुकी है।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र(जेपीएमआईए)

- मास्टर प्लान अधिसूचित किया जा चुका है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी दी जा चुकी है।

माडल सौर परियोजना, निमराना, राजस्थानः

- 5 मेगावाट के सोलर पावर संयंत्र का आरंभण सफलतापूर्वक किया जा चुका है।
- 10 जुलाई, 2017 से 1मेगावाट की परियोजना आरंभ की जा चुकी है और बिजली को मेकुनी इंडिया प्रा.लि. को बेचा जा रहा है।

लाजिस्टिक डाटा बैंक, डीएमआईसी क्षेत्रः

- 01 जुलाई, 2016 से जेएनपीटी पोर्ट पर प्रचालन शुरू किया जा चुका है।
- गुजरात में 01 मई, 2017 से एपीएसईजेड मुन्द्रा (एडानी पोर्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र) और एएचपीपीएल हजीरा(एडानी हजीरा पोर्ट प्रा.लि.) के सभी कंटेनर टर्मिनलों पर सफलतापूर्वक प्रचालन शुरू किये जा चुके हैं।
- जेएनपीटी के 5 टर्मिनलों पर सेवाओं का विस्तार किया गया और तीन पोर्टों- कृष्णापत्तनम, एन्नोर और कत्तुपल्ली पर 18 दिसंबर, 2017 से कार्य शुरू किया गया।
- 11 जून, 2018 तक 86,04,047 से अधिक कंटेनरों को टैग/डिटैग किया जा चुका है।

आईआईसीसी परियोजना, द्वारका, नई दिल्लीः

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10/11/2017 को हुई अपनी बैठक में भारतीय रूपए 25703 करोड़ की अनुमानित लागत पर इंडिया इंटरनेशनल कनवेंशन एंड एक्सपो सेंटर के विकास का अनुमोदन कर दिया है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी जिसका नाम इंडिया इंटरनेशनल कनवेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लि. (आईआईसीसी लि.) है, की स्थापना की गई है। इस परियोजना के विकास के लिए डीआईपीपी ने द्वारका सेक्टर -25 में 89.5832 हेक्टेयर भूमि आईआईसीसी लि. को पट्टे पर अंतरित की है। परियोजना के लिए सभी कानूनी मंजूरियां और

अनुमोदन जैसे कि पर्यावरण मंजूरी (एमओइएफसीसी), (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) की स्थापना के लिए सहमति, पेड़ काटने के लिए अनुमति(वन एवं वन्यजीव विभाग, जीएनसीटीडी), लेआउट प्लान अनुमोदन (एसडीएमसी), अर्बन डिजाइन अप्रूवल (डीयूएसी), बिल्डिंग हाइट मंजूरी (एएआई), बाह्य संपर्क अनुमोदन (एनएचएआई/ यूटीटीआईपीइसी) आदि प्राप्त कर लिए गए हैं। चरण-1 घटक के विस्तृत डिजाइन, निर्माण, परीक्षण तथा आरंभण जिसमें ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक्जीविसन एवं कनवेंशन सेंटर शामिल है, के लिए लार्सन एवं टुब्रो को इपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है और दिसंबर, 2019 तक कार्य पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा, डीएमआरसी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से होकर आईआईसीसी परियोजना तक मेट्रो लिंक के निर्माण के लिए इपीसी ठेकादार भी नियुक्त कर दिया है और निर्माण स्थल पर कार्य पूरे जोर से चल रहा है।

3. <u>सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी कंपनियाः</u>

मार्च 31, 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी की एक ही सहायक कंपनी है जिसका नाम डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कंपनी लि. है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने सहायक कंपनी के कार्यकलापो की समीक्षा की। इसके अलावा, प्रत्येक सहायक कंपनी के निष्पादन और वित्तीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट और प्रदत्त फार्म एओसी-1 के रूप में वित्तीय विवरणों की उल्लेखनीय विशेषताएं वित्तीय विवरणों के साथ पहले ही संलग्न हैं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित कंपनियां इसकी सहायक कंपनी नहीं रहीं क्योंकि कंपनियों के पंजीयक, एनसीटी दिल्ली और हरियाणा द्वारा रखे जा रहे रजिस्टर से कंपनियों के नामों को हटाने के लिए आवेदन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-248 के तहत दायर किए गए हैं।

क) डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लि.
ख) डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लि.
ग) डीएमआईसीडीसी वाघेल पावर कंपनी लि. और
घ) डीएमआईसीडीसी विले भागड़ पावर कंपनी लि.

4. <u>लाभांशः</u>

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की गई है ।

5. <u>भंडारः</u>

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा रू.5,52,10,783/- (रू. पांच करोड़ बावन लाख दस हजार सात सौ तिरासी मात्र) भंड़ार में अंतरित किया गया है।

6. **कारोबार की प्रकृति मे बदलाव,यदि कोई हो:**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

7. **वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता के संबंध में ब्योरे:**

मेसर्स खंडेलिया एंड शर्मा., चार्टर्ड एकान्टेंट्स को 22 जून, 2017 को हुई कंपनी के बोर्ड की बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138(1) के अनुशरण में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। बोर्ड समझता है कि कंपनी के आकार को देखते हुए आंतरिक लेखा परीक्षण और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्य क्षेत्र पर्याप्त है।

8. **विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा ट्रिब्युनलों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और वास्तविक आदेशों के ब्योरे जिनका वर्तमान स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों पर प्रभाव पड़ेगा:**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा ट्रिब्युनलों द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिनका कंपनी के भावी प्रचालनों पर प्रभाव पड़ेगा।

9. **वित्तीय वर्ष दिनांक 31 मार्च, 2018 के अंत में और रिपोर्ट करने की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई वस्तुगत परिवर्तन और प्रतिबद्धता, यदि कोई हो:**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष और कंपनी के रिपोर्ट की तारीख के बीच ऐसा कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है जिसका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो।

10. **कारपोरेट सामाजिक दायित्व:**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसरण में कारपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

11. **जमा:**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। न, ही कोई जमा भुगतान के बिना अथवा बिना दावा के रहा है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान कंपनी ने जमाओं के पुनर्भुगतान में अथवा उस पर देय ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

12. **सांविधिक लेखा परीक्षक:**

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक(सीएंडएजी) ने अपने पत्र सं. /सीए-V/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट,डीएमआईसीसीडीसी(0)/122 दिनांक 17 जुलाई, 2017 के अनुसार मेसर्स एसएसएआर एवं एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के पूरक लेखा परीक्षण भी प्रमुख निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षण एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड क-1 को सौंप दिया गया है।

इसका अनुपालन करते हुए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त करेंगे। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी की पूरक लेखा परीक्षा मुख्य निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-1 को सौंपी जाएगी।

नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के कार्यालय द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक के समाप्त होने तक कार्यभार धारण किए रहेंगे।

13. <u>लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:</u>

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संदर्भ में लेखाओं संबंधी टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं अतः उनपर निदेशकों की टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है।

14. <u>सचिवालय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:</u>

मैसर्स विनोद कुमार एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल की 22 जून,2017 को हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतू कंपनी का सचिवालयीय लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। एमआर-3 फार्म में सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई आपत्ति,विशेष बात अथवा प्रतिकूल टिप्पणी निहित नहीं है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवालय लेखा परीक्षा टिप्पणी **अनुलग्नक- क** पर संलग्न है।

15. <u>पूंजी संरचना:</u>

कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी रू.100,00,00,000/- (एक सौ करोड़ मात्र) है जो रू.10 प्रत्येक के 10,00,00,000 (दस करोड़) साम्य शेयरों में विभक्त है।

16. <u>धारा 92(3) के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न का सार:</u>

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 134(3)(क) के अनुसार वार्षिक रिटर्न का सार जैसा कि कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 92(3) के अंतर्गत फार्म सं. एमजीटी-9 में दिया गया है, **<u>अनुबंध ख</u>** पर संलग्न है।

17. <u>ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्योगिकी संलयन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन:</u>

ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन निम्नानुसार है:

(क) ऊर्जा का संरक्षण:

i. ऊर्जा के संरक्षण के उपाय अथवा प्रभाव : लागू नहीं
ii. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों क प्रयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम: : लागू नहीं
iii. ऊर्जा संरक्षण उपस्करों पर पूंजी निवेश: : लागू नहीं

(ख) प्रौद्योगिकी समावेशनः

1. प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए प्रयास : लागू नहीं
2. उत्पाद सुधार, लागत कम करना, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ : लागू नहीं
3. आयातित प्रोद्योगिकी के मामले में(वित्तीय वर्ष के आरंभ से गत तीन वर्षों के दौरान आयातित) : लागू नहीं
   (क) आयातित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा
   (ख) आयात वर्ष
   (ग) क्या प्रौद्योगिकी का पूर्ण रूप से समावेशन किया जा चुका है।
   (घ) यदि पूरी तरह से समावेशित नहीं, तो वे क्षेत्र जहां समावेशन नहीं हुआ तथा उसके कारण, और
4. अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय : लागू नहीं

(ग) विदेशी मुद्रा में अर्जन एवं बहिर्गमनः

1. वर्ष के दौरान वास्तविक आगमन के रूप में अर्जित विदेशी मुद्रा :शून्य
2. वर्ष के दौरान वास्तविक बहिर्गमन के रूप में बहिर्गमित विदेशी मुद्रा : रू.13,16,116/-

(नोटः कंपनी का मुख्य कार्य अत्याधुनिक औद्योगिक ,भौतिक व सामाजिक अवसंरचना के साथ औद्योगिक गलियारों/निवेश क्षेत्रों/औद्योगिक क्षेत्रों/आर्थिक क्षेत्रों/औद्योगिक नोडों/ विशेष आर्थिक क्षेत्रों/टाउनशिपों को सुकर बनाना, उनका प्रवर्तन करना एवं स्थापना करना है। ऊर्जा का संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी संलयन लागू नहीं है। तथापि, कंपनी विभिन्न नवीनतम परियोजनाओं के विकास के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है।)

18. <u>निदेशक मंडलः</u>

(क) <u>निदेशकों और मुख्य प्रबंधन कार्मिकों में परिवर्तन</u>

क्रम सं.	निदेशक/मु.प्र.का. का नाम	नियुक्ति की तारीख	पदत्याग की तारीख
1.	श्री शैलेन्द्र सिंह	30 अगस्त, 2017	-
2.	श्री काजूहिसा यूमिकूरा	30 अगस्त, 2017	-
3.	श्री संजीव गुप्ता	24 अगस्त, 2016	30 अगस्त, 2017
4.	श्री हिडीयो नीटो	01 मार्च, 2016	30 अगस्त, 2017
5.	श्री प्रसन्न कुमार दाश	30 मार्च, 2015	03 अक्टूबर, 2017

(ख) <u>वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा उद्घोषणाः</u>

स्वतंत्र निदेशकों के **स्वतंत्रता** की परिभाषा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) से निष्पन्न हुई है। प्राप्त हुई पुष्टियों/उद्घोषणाओं के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के

अनुसार 31 मार्च, 2015 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है:

i) श्री जय प्रकाश बत्रा (डीआईएनः 00654332) और

ii) श्री प्रसन्न कुमार दास (डीआईएनः01578400) (03 अक्टूबर, 2017 को इस्तीफा दिया)

कंपनी ने कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 149 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्वतंत्र निदेशकों से यह उद्घोषणा प्राप्त कर ली है कि वे कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 149 की उपधारा(6) में प्रदत्त के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के मानदंड को पूरा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भी इसी तरह की एक उद्घोषणा श्री जेपी बत्रा से प्राप्त कर ली गई है।

(ग) <u>निदेशक मंडल की बैठक की संख्याः</u>

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की चार(4) बैठकें हुई। निदेशक मंडल की बैठकों के ब्योरे निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	ब्योरे	बोर्ड बैठक की तारीख
1.	44वीं बोर्ड बैठक	22 जून, 2017
2.	45वीं बोर्ड बैठक	21 सितंबर, 2017
3.	46वीं बोर्ड बैठक	20 दिसंबर, 2017
4.	47वीं बोर्ड बैठक	22 मार्च, 2018

19. <u>निदेशक मंडल की समितियां</u>

कंपनी के निदेशक मंडल की निम्नलिखित दो समितियां हैः

(क) <u>लेखा परीक्षा समितिः</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने 30 मार्च, 2015 को हुई अपनी 34वीं बैठक में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है। लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार हैः

i. श्री जे.पी.बत्रा (डीआईएनः00654332) भूतपूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं स्वतंत्र निदेशक, डीएमआईसीडीसी लि.

ii. श्री पी.के.दाश (डीआईएनः01578400), भूतपूर्व अपर मुख्य सचिव, उद्योग, मध्य प्रदेश सरकार और स्वतंत्र निदेशक, डीएमआईसीडीसी लि. और

iii. श्री इचिरो हयशिदानी (डीआईएनः07417884), मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी, दिल्ली, जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी) और निदेशक, डीएमआईसीडीसी लि.।

वर्ष 2017-18 के दौरान 22 जून, 2017, 21 सितंबर, 2017, 20 दिसंबर, 2017 और 22 मार्च, 2018 को चार बैठकें हुई। इसके अलावा, समिति के सदस्य श्री पी के दाश ने 03 अक्टूबर, 2017 से कंपनी से इस्तीफा दे दिया है।

(ख) नामकरण एवं पारिश्रमिक समितिः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने 30 मार्च,2015 को हुई 34वीं बैठक में कंपनी के नामकरण और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। नामकरण और पारिश्रमिक समिति का गठन निम्नानुसार हैः

i. श्री जे.पी.बत्रा (डीआईएनः00654332) भूतपूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं स्वतंत्र निदेशक, डीएमआईसीडीसी लि.
ii. श्री पी.के.दाश(डीआईएनः01578400), भूतपूर्व अपर मुख्य सचिव, उद्योग, मध्य प्रदेश सरकार और स्वतंत्र निदेशक, डीएमआईसीडीसी लि. और
iii. श्री इचिरो हयशिदानी(डीआईएनः07417884), मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी, दिल्ली, जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी) और निदेशक,डीएमआईसीडीसी लि.।

वर्ष के दौरान समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में 22जून,2017 को एक बैठक हुई। इसके अलावा, समिति के सदस्य श्री पी के दाश ने 03 अक्टूबर,2017 से कंपनी से इस्तीफा दे दिया है।

20. मुख्य प्रबंधक कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान की गई पारिश्रमिकः

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान श्री अल्केश कुमार शर्मा, सीईओ एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल , मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री अभिषेक चौधरी, वीपी- कार्पोरेट कार्य, एचआर और कंपनी सचिव को पारिश्रमिक का भुगतान किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भुगतान किए गए पारिश्रमिक के ब्योरे फार्म सं. एमजीटी-9 के उपबंध 6(सी) में उल्लिखित हैं।

21. धारा 186 के अंतर्गत ऋणों,गारंटियों अथवा निवेशों का ब्योराः

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा धारा 186 के अंतर्गत न तो कोई ऋण अथवा गारंटी दी गई है और न, ही निवेश किया गया है।

22. धारा 188(1) के अंतर्गत संबद्ध पक्षकारों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का ब्यौराः

कंपनी अधिनियम की धारा 188 की उपधारा(1) में उल्लिखित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा किसी संविदा अथवा व्यवस्था का अनुबंध नहीं किया गया।

23. जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक उपयुक्तताः

जोखिमें अथवा अवसर जिनका कंपनी के प्रचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है अथवा जिन्हें लाभ को अधिकतम करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ,की पहचान करने तथा उसे

निदेशक मंडल को सूचित करने के बारे में कंपनी के पास पर्याप्त जोखिम प्रबंधन व्यवस्था मौजूद है। जोखिमों अथवा अवसरों का प्रबंधन करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की समीक्षा की जाती है और निदेशक मंडल द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इसके कारोबार की प्रकृति,आकार और प्रचालनों की जटिलताओं के अनुरूप है । इनकी नियमित रूप से जांच होती है और सांविधिक तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई को लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट किया जाता है।

24. <u>निदेशक के कर्तव्य संबंधी विवरण:</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा(3) के उपबंध(ग) के अनुशरण में यह उल्लेख किया जाता है:

क) कि वार्षिक लेखा तैयार करते समय सामग्री भेजने संबंधी उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित मान्य लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है ।

ख) कि निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है एवं उन्हें नियमित रूप से लागू किया है तथा ऐसा निर्णय एवं आंकलन किया है जो तर्क संगत एवं विवेक संगत है जिससे वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति का तथा उक्त अवधि में कंपनी के लाभ और हानि का वास्तविक एवं स्पष्ट चित्रण किया जा सके ।

ग) कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं इसका पता लागने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्डों का रखरखाव करने में उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान दिया है; और

घ) कि निदेशकों ने मौजूदा सरोकारों के आधार पर वार्षिक लेखाओं को तैयार किया है ।

ङ) कि निदेशकों ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां बनाई हैं और यह कि ये प्रणालियां पर्याप्त हैं और दक्षतापूर्वक काम कर रही हैं।

25. <u>निदेशक मंडल का कार्य निष्पादन मूल्यांकन:</u>

आपकी कंपनी के निदेशक न्यासीय स्थिति में है जो प्रभावकारिता और शेयरधारकों के मूल्य की वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधकीय कार्यकलापों की निगरानी रखने के लिए अधिकृत हैं।स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति उनके व्यापक कौशल और अनुभव के मद्देनजर की जाती है ताकि प्रबंधन को निर्देश, मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त हो सके।

26. <u>लागत लेखा परीक्षक:</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है।

27. <u>कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोक, प्रतिबंध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में नीतिः</u>

कंपनी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कंपनी में कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोक, प्रतिबंध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के रोकथाम, प्रतिबंध एवं समाधान के संबंध में नीति अपनाई गई है।

28. <u>प्रत्येक उल्लेखनीय कमी, आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा किए गए डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) पर निदेशक मंडल द्वारा स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणीः</u>

सांविधिक लेखा परीक्षक और सचिवालयीय लेखा परीक्षक की रिपोर्टों में किसी तरह की उल्लेखनीय कमी, आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकरण नहीं है।

29. <u>आभारः</u>

कंपनी का निदेशक मंडल सभी कामगारों,स्टाफ सदस्यों और कार्यकारियों का कंपनी के प्रचालन में योगदान के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण, भारत सरकार, जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन(जेबीआईसी),हाउसिंग एंड डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लि.(हुडको), इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कार्पोरेशन लि.(आईआईएफसीएल) और भारतीय जीवन बीमा निगम(एलआईसी) और इसके बैंकरों के प्रति आभारी है। निदेशकगण शेयरधारकों की उनके निरंतर समर्थन, सहयोग एवं कंपनी के प्रबंधन में विश्वास के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.
(रमेश अभिषेक)
अध्यक्ष
डीआईएनः07452293
पताः सं. 59, नया मोती बाग,
नई दिल्ली-110023

दिनांक: जून 22, 2018
स्थान : नई दिल्ली

फार्म सं. एम.आर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2018 के समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुशरण में]

सेवा में
सदस्य
दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.
कमरा सं.341बी, 03 मंजिल, मेन बिल्डिंग
अशोक होटेल, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव
50बी चाणक्यपुरी
दिल्ली-110021

मैंने **दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.** (जिसे यहां कंपनी कहा गया है) में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कारपोरेट कार्यप्रणाली के अनुशीलन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से की गई कि मुझे कारपोरेट आचरण /सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उनपर अपने मत को अभिव्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला है।

कंपनी के बुक्स, पेपरों, मिनट बुक्स, फाइल किए गए फार्मों और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखरखाव किए जा रहे अन्य रेकार्ड तथा कंपनी इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान दी गई सूचना के सत्यापन के आधार पर मैं एतद् द्वारा यह रिपोर्ट करता हूं कि मेरे मत में लेखा परीक्षा अवधि के दौरान जिसमें 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष भी शामिल है, कंपनी ने यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन प्रक्रियाएं हैं जिनका उस सीमा और तरीके तक उपयोग किया जा सकता है और जो यहां की जा रही रिपोर्टिंग के अध्यधीन है।

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. (कंपनी) के बुक्स, पेपरों, मिनट बुक्स, फाइल किए गए फार्मों और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखरखाव किए जा रहे अन्य रेकार्ड की जांच-पड़ताल कर ली है:

1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम,
2) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन विदेश प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज डायरेक्ट निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक बने विनियमन,

3) अन्य कानून जो मौजूद हैं तथा जो प्रबंधन अभिवेदनो जिन्हें नीचे दिया गया है, के अनुसार कंपनी पर सीमा तक लागू हैः

i. कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
ii. ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972
iii. दिल्ली दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954
iv. भारतीय स्टैम्प अधिनियम, 1999

मैंने निम्नलिखित के भी अनुपालन और लागू उपबंधों की जांच-पड़ताल कर ली हैः

i. दि इन्स्टीच्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक ।
ii. कंपनी ने गैर-सूचीबद्ध एनटीटी होने के कारण किसी स्टाक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण अनुबंध नही किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उल्लेख किए गए अधिनियम, नियमावलियों, विनियमों, दिशा निर्देशों मानकों आदि का समुचित अनुपालन किया है और उपर्युक्त पैराओं के संबंध में किसी तरह की गैरअनुपालन/टिप्पणी/लेखा परीक्षा क्वालिफिकेशन, कारण अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं किः

कंपनी के निदेशक मंडल का कार्यकारी निदेशकों, गैर कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन बनाते हुए भलीभांति गठन किया गया है।

समीक्षाधीन अवधिक के दौरान निदेशक मंडल के संघटन में जो परिवर्तन हुए उन्हें अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया गया था।

बोर्ड की बैठकें, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट बनाने के लिए सभी निदेशको को कम से कम सात दिन पहले का उपयुक्त नोटिस दिया गया था और बैठक के पहले कार्य सूची के मदों तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के संबंध में अतिरिक्त सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है।

बहुमत के निर्णय का अनुपालन किया जाता है जबकि विरोधी सदस्यों के विचारों का कार्यवृत्त के भाग के रूप में उल्लेख किया जाता है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी में उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं मौजूद है जो कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप है ताकि प्रयोज्य विधियों, नियमावलियों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

लेखा परीक्षा अवधि के संबंध में बोर्ड की संरचना/कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओ के संबंध में कोई गैर-अनुपालन /टिप्पणी / लेखापरीक्षा क्वालिफिकेशन/ रिजर्वेशन अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम को हटाना) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के प्रावधान के अनुसार कंपनियां के रजिस्ट्रार द्वारा रखरखाव किए जा रहे रजिस्टर से इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली गैस आधारित पावर एसपीवी अर्थात डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लि., डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लि., डीएमआईसीडीसी वाघेल पावर कंपनी लि. तथा डीएमआईसीडीसी विले भागड़ पावर कंपनी लि. के नाम को हटाने की प्रक्रिया की शुरूआत करने के लिए परिपत्र दिनांक 21 अप्रैल, 2017 द्वारा एक संकल्प पारित किया है।

विनोद कुमार एंड कं.
कंपनी सेक्रेटरी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.06.2018

हस्ता./-
(विनोद कुमार अनेजा)
एफसीएस-5740
सीपी सं.-5740

नोटः इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक पत्र दिनांक जो अनुलग्नक क के रूप में संलग्न है और रिपोर्ट का महत्वपूर्ण भाग है, के साथ पढ़ा जाए।

अनुबंध-"क"

सेवा में
सदस्य
दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.
कमरा सं.341बी,03 मंजिल,मेन बिल्डिंग
अशोक होटेल, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव
50बी चाणक्यपुरी
दिल्ली-110021

समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाएः

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों के संबंध में मत अभिव्यक्त करना है।

2. हमने लेखा संव्यवहारों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सही होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। ये सत्यापन परीक्षण आधार पर किए गए ताकि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों को दर्शाया जा सके। हमारा विश्वास है कि हमने जिन कार्य संव्यवहारों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है वे हमारे मत के लिए समुचित आधार प्रदान करते है।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और खातों के सही और उपयुक्त होने का सत्यापन नहीं किया है क्योंकि वह सब सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षक और किसी अन्य नामित पेशेवर द्वारा समीक्षा किए जाने के अध्यधीन है।

4. लागू वित्तीय कानूनों जैसे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों का कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने के बारे में हमने समीक्षा नहीं की है क्योंकि वह सब सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षक और किसी अन्य नामित पेशेवर द्वारा समीक्षा किए जाने के अध्यधीन है।

5. जहां कही भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया है।

6. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित रही है।

7. सचिवीय लेखा परीक्षा अभिलेख न ही इस बात का आश्वासन हैं कि कंपनी भविष्य में भी अर्थक्षम होगी। न ही प्रभावकारिता अथवा दक्षता के बारे में कोई आश्वासन है जिनसे कंपनी ने प्रबंधन कंपनी के कार्यो कार्यां का संचालन किया है।

विनोद कुमार एंड कं. के लिए
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.06.2018

हस्ता./-
(विनोद कुमार अनेजा)
एफसीएस-5740
सी.पी.सं.-5740

फार्म सं.एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न का सार

31-03-2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुशरण में]

I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरे

1	सीआईएन	यू45400डीएल2008पीएलसी172316
2	पंजीकरण तारीख	07 जनवरी, 2008
3	कंपनी का नाम	दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.
4	कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी	शेयरों के द्वारा कंपनी लि.
5	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरे	कमरा सं. 341 बी, तीसरी मंजिल, मेन बिल्डिंग अशोक होटल, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, 50बी, चाणक्यपुर, नई दिल्ली-110021
6	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
7	रजिस्ट्रार और ट्रांस्फर एजेंट, यदि कोई हो का नाम ,पता और संपर्क ब्योरा	अनुपलब्ध

II. कंपनी की प्रमुख व्यापारिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंशदान करने वाली सभी व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा।

क्रम. सं.	प्रमुख उत्पाद/सेवा का नाम विवरण	उत्पाद /सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	कंपनी का मुख्य कार्य औद्योगिक कोरिडोर/निवेश क्षेत्रों/औद्योगिक क्षेत्रों/आर्थिक क्षेत्रो /औद्योगिक नोडो /विशेष आर्थिक क्षेत्रों / टाउनशिप का अत्याधुनिक औद्योगिक,भौतिक और सामजिक अवसंरचना के साथ स्थापना, विकास एवं उन्हें सुकर बनाना है।	84* (सार्वजनिक प्रशा.एवं रक्षात, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा)	100

**(राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2008 कोड के अनुसार)*

III.धारक,सबसिडियरी एवं एसोशिएट कंपनियों का ब्योरा

क्रम सं.	कंपनी का नाम	सीआईएन	धारक/ सबसिडीयरी/ एसोशिएट	धारित शेयर का%	लागू धारा
1	डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कंपनी लि.	यू40300डीएल2014पीएलसी266439	सहायक	100	2(87)
2	डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लि.*	यू40109डीएल2010पीएलसी202494	सहायक	100	2(87)
3	डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लि.*	यू40109डीएल2010पीएलसी202497	सहायक	100	2(87)
4	डीएमआईसीडीसी बाघेल पावर कंपनी लि.*	यू40101डीएल2010पीएलसी202516	सहायक	100	2(87)
5	डीएमआईसीडीसी विले भागड़ पावर कंपनी लि.*	यू40108डीएल2010पीएलसी202518	सहायक	100	2(87)

* इन चारों कंपनियों को हटाने के लिए आवेदन पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा के कंपनियों के पंजीयक के कार्यालय में 16 अक्टूबर, 2017 को दायर किए गए हैं। आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है।

IV.शेयरधारिता का पैटर्न (साम्य शेयर पूंजी ब्रेक-अप कुल साम्य की प्रतिशतता के रूप में)

1) श्रेणीवार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	
क. प्रवर्तक									
(1)भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केन्द्र सरकार	0	4,90,00,000	4,90,00,000	49	0	4,90,00,000	4,90,00,000	49	शून्य
ग) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) संस्था/ निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड़) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) कोई अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (क)(1):-	0	4,90,00,000	4,90,00,000	49	0	4,90,00,000	4,90,00,000	49	शून्य
2) विदेशी									
क) एनआरआई-व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) अन्य - व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) संस्था/ निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड़) बैंक/ वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) कोई अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (क)(2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य
कुल शेयरधारिता (क)= (क)(1)+(क)(2)	0	4,90,00,000	4,90,00,000	49	0	4,90,00,000	4,90,00,000	49	शून्य
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचुएल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक/ वित्तीय संस्थान	0	2,40,00,000	2,40,00,000	24	0	2,40,00,000	2,40,00,000	24	शून्य
ग) केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड़) वेंचर पूंजी फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) बीमा कंपनियां	0	10,00,000	10,00,000	1	0	10,00,000	10,00,000	1	शून्य
छ) एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) विदेशी वेंचर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झ) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी धारिता (एफआईआई/ एसी/ एफएफआई/ एनआरआई/ ओसीबी)	0	2,60,00,000	2,60,00,000	26	0	2,60,00,000	2,60,00,000	26	शून्य
उप-योग (ख)(1):-	0	5,10,00,000	5,10,00,000	51	0	5,10,00,000	5,10,00,000	51	शून्य

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	
2. गैर-संस्थान									
क)संस्थाएं/कार्पोरेट	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i. भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii. विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) व्यक्तिगत शेयरधारक जो रू. 1 लाख तक सामान्य शेयरपूंजी धारण करते हैं।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) व्यक्तिगत शेयरधारक जो रू.1लाख से अधिक सामान्य शेयरपूंजी धारण करते हैं।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (ख)(2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य
कुल पब्लिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	0	5,10,00,000	5,10,00,000	51	0	5,10,00,000	5,10,00,000	51	शून्य
ग.जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य
कुल योग (क+ख+ग)	0	10,00,00,000	10,00,00,000	100	0	10,00,00,000	10,00,00,000	100	शून्य

2. प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों को प्लेज किये गए या दिए गए शेयरों की	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों को प्लेज किये गए या दिए गए शेयरों की प्रतिशतता	
1	भारत के राष्ट्रपति माध्यम से-सचिव,औद्योगिक नीति एवं संबर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	4,89,99,998	49	-	4,89,99,998	49	-	-
	श्री शैलेन्द्र सिंह,आईएएस, अपर सचिव, औद्योगिक नीति एवं संबर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	1			1			
	भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	1			1			

3. प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन, यदि कोई परिवर्तन न हो तो उल्लेख करें: कोई परिवर्तन नहीं

क्रम सं.	ब्यौरे	वर्ष के आरंभ मे शेयरधारिता		वर्ष के दौरान योजित शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का%	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का%
1	वर्ष के आरंभ में	-	-	-	-
2	वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रवत्तकों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदा. आबंटन,स्वेट साम्य आदि.	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
3	वर्ष के अंत में	-	-	-	-

4. शीर्ष 10 शेयरधारको की शेयरधारिता को पैटर्न
(जीडीआर, एडीआर के निदेशकों, प्रवर्तकों और धारको के अलावा):

क्रम सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ मे शेयरधारिता		वर्ष के दौरान योजित शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन(जेबीआईसी)				
1	वर्ष के आरंभ में	2,60,00,000	26	2,60,00,000	26
2	वृद्धि /कमी के कारणों को उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि /कमी(जैसे कि आबंटन,/अंतरण/बोनस/स्वीट साम्य आदि)	-	-	-	-
3	वर्ष के अंत में(अथवा पृथक होने की तारीख को ,यदि वर्ष के दौरान अलग हो गया)	2,60,00,000	26	2,60,00,000	26
	हाउसिंग एंड अर्बन डेवेलेपमेंट कार्पोरेशन लि.(हुडको)				
1	वर्ष के आरंभ में	1,99,00,000	19.9	1,99,00,000	19.9
2	वृद्धि /कमी के कारणों को उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि /कमी(जैसे कि आबंटन,/अंतरण/बोनस/स्वीट साम्य आदि)	-	-	-	-
3	वर्ष के अंत में(अथवा पृथक होने की तारीख को ,यदि वर्ष के दौरान अलग हो गया)	1,99,00,000	19.9	1,99,00,000	19.9
	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) [क+ख+ग]				
	(क) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि.(आईआईएफसीएल)				
1	वर्ष के आरंभ में	40,99,998		40,99,998	
2	वृद्धि /कमी के कारणों को उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि /कमी(जैसे कि आबंटन,/अंतरण/बोनस/स्वीट साम्य आदि)	-		-	
3	वर्ष के अंत में(अथवा पृथक होने की तारीख को ,यदि वर्ष के दौरान अलग हो गया)	40,99,998		40,99,998	
	(ख) आईआईएफसीएल संयुक्त रूप से श्री पी.आर.जयशंकर के साथ				
1	वर्ष के आरंभ में	01		01	
2	वृद्धि /कमी के कारणों को उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि /कमी (जैसे कि आबंटन,/अंतरण/बोनस/स्वीट साम्य आदि)	-		-	
3	वर्ष के अंत में(अथवा पृथक होने की तारीख को, यदि वर्ष के दौरान अलग हो गया)	01	4.1	01	4.1
	(ग) आईआईएफसीएल संयुक्त रूप से श्री राजीव मुखीजा के साथ				
1	वर्ष के आरंभ में	01		01	
2	वृद्धि /कमी के कारणों को उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि /कमी (जैसे कि आबंटन,/अंतरण/बोनस/स्वीट साम्य आदि)	-		-	
3	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक होने की तारीख को, यदि वर्ष के दौरान अलग हो गया)	01		01	
	भारतीय जीवन बीमा निगम				
1	वर्ष के आरंभ में	10,00,000	1	10,00,000	1
2	वृद्धि /कमी के कारणों को उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि /कमी (जैसे कि आबंटन,/अंतरण/बोनस/स्वीट साम्य आदि)	-	-	-	-
3	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक होने की तारीख को, यदि वर्ष के दौरान अलग हो गया)	10,00,000	1	10,00,000	1

5. निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों की शेयरधारितः शून्य

क्रम सं.	निदे. और मु. प्र. कार्मिकों में से हरेक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान योजित शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के आरंभ में	शून्य			
2	वृद्धि /कमी के कारणों को उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि /कमी (जैसे कि आबंटन,/अंतरण/बोनस/स्वीट साम्य आदि)				
3	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक होने की तारीख को, यदि वर्ष के दौरान अलग हो गया)				

5. कर्ज :

बकाया ब्याज जिसे निकाला गया किंतु भुगतान के लिए देय नहीं समेत कंपनी का कर्ज:

	जमा छोड़कर प्राप्त ऋण	अनसिक्योर्ड ऋण	जमाएं	कुल कर्ज
वित्तीय वर्ष के आरंभ में कर्ज	-	-	-	-
i) मूलधन	-	-	-	-
ii) देय ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) अर्जित ब्याज किंतु देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्ज में परिवर्तन				
जोड़	-	-	-	-
घटा	-	-	-	-
शुद्ध परिवर्तन	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्ज				
i) मूलधन	-		-	-
ii) ब्याज देय जो नही दिया गया	-	-	-	-
iii)अर्जित ब्याज किंतु देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-		-	-

6. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक,पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक :

क्रम सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	एमडी/ डब्लूटीडी/ प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1	समग्र वेतन	श्री अल्केश कुमार शर्मा (मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक)	46,22,380
	(क) आयकर अधि.1961 की धारा 17(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वेतन		10,83,263
	(ख) आयकर अधि.1961 की धारा 17(2) के तहत अधिलाभों मूल्य		0
	(ग) आयकर अधि. 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन की जगह लाभ		
2	भंडार विकल्प		0
3	स्वीट साम्य		
4	कमीशन-लाभ के % के रूप में		
	- अन्य उल्लेख करें		
5	अन्य कृप्या उल्लेख करें		
	कुल(क)		57,05,643
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग		-

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

क्रम	पारिश्रमिक का ब्योरा	निदेशकों का नाम	कुल राशि
1	बोर्ड/ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को फीस	श्री जय प्रकाश बत्रा	1,40,000
		श्री प्रसन्न कुमार दाश	1,20,000
	कमीशन	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-
	कुल (1)		2,60,000
2	**अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक**	लागू नहीं	
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस		
	कमीशन		
	अन्य, कृपया उल्लेख करें		
	कुल (2)		-
	कुल(ख) =(1)+(2)		2,60,000
कुल(क+ख)			59,65,643

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्लूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक		
		कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
1	समग्र वेतन			
	(क) आयकर अधि.1961 की धारा17(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वेतन	38,28,019	39,53,809	77,81,828
	(ख) आयकर अधि.1961 की धारा 17(2) के तहत अधिलाभों मूल्य	8,24,704	8,04,487	16,29,191
	(ग) आयकर अधि. 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन की जगह लाभ	-	-	-
2	स्टाक विकल्प	-	-	-
3	स्वीट साम्य	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-
	- लाभ की प्रतिशतता के रूप में	-	-	-
	- अन्य, उल्लेख करें	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-
	कुल	46,52,723	47,58,296	94,11,019

7. दंड/अधिभार/कम्पाउन्डिंग आफेंसेज:

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त वर्णन	लगाए गए दंड/अधिभार/कंपाउन्डिंग फीस के ब्योरे	प्राधिकार[आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय]	की गई अपील यदि कोई हो,(ब्योरे दें)
क.कंपनी					
पेनाल्टी	कोई नहीं				
दंड					
कम्पाउन्डिंग					
ख.निदेशक					
पेनाल्टी	कोई नहीं				
दंड					
कम्पाउन्डिंग					
ग. अन्य अधिकारी डिफाल्ट में					
पेनाल्टी	कोई नहीं				
दंड					
कम्पाउन्डिंग					

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.
(रमेश अभिषेक)
अध्यक्ष
डीआईएन: 07452293
पता: सं. 59, नई मोती बाग, नई दिल्ली-110023

दिनांक : 22 जून, 2018
स्थान : नई दिल्ली

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई पत्र संख्या फ. नo. 28(1)2016-एलईजी.I दिनांक जनवरी 24, 2018 के माध्यम से कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सूचना:

1. **सतर्कता**

   वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कोई सतर्कता मामला दर्ज नहीं हुआ और ना हीं कंपनी में पिछले कोई सतर्कता मामले लंबित हैं।

2. **सूचना का अधिकार**

   वर्ष के दौरान प्राप्त आर.टी.आई की स्थिति इस प्रकार है:

आर.टी.आई आवेदन / प्राप्त अपील		आर.टी.आई आवेदन				लंबित आवेदन
		अस्वीकृत	प्रदान की गयी जानकारी	अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित	आवेदक को लौटाई गई	
आर.टी.आई आवेदन	28	0	22	6	1	0
आर.टी.आई अपील	7	3	1	3	0	0

भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट

DD-I/HQ/DMCDC/AIC/1-85/2017-18/520

संख्या / No.

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1, नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1, New Delhi

गोपनीय

दिनांक / Dated 23/8/2018

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूम न. 341-B, होटल अशोक
डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, 50-B चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021

विषय : **31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Consolidated Financial Statements and Standalone Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा143(6)(b) व 129(4) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियॉ**

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Consolidated Financial Statements and Standalone Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा143(6)(b) व 129(4) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक की "**शून्य टिप्पणियाँ**" अग्रेषित करती हूँ । इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाषित किया जाए और कम्पनी की आमसभा में उसी समय व उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,

नन्दना मुंशी

(नन्दना मुंशी)
महानिदेशक

संलग्न : शून्य टिप्पणियॉ

तृतीय तल, ए–स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष / Tele.: 011-23378473, फैक्स / Fax : **011**-23378432, **011**-23370871
E-mail : mabnewdelhi1@cag.gov.in

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)बी के अन्तर्गत नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ:

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.** के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत प्रदत्त लेखा परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में मत प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 22 जून, 2018 के अनुसार ऐसा उनके द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.** के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के वर्किंग पेपर के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक की जांच और कंपनी के कार्मिक एवं कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी उल्लेख करने योग्य नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी अथवा वृद्धि की जा सके।

नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.
(नन्दना मुंशी)
महानिदेशक
कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-1
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)बी के अन्तर्गत नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ:

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.** के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(10) के तहत प्रदत्त लेखा परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में मत प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 22 जून, 2018 के अनुसार ऐसा उनके द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.** के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत पूरक लेखा परीक्षा की है। हमने इसकी पांच सहायक कंपनियों जिनकी सूची संलग्न है, के वित्तीय विवरणों की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए पूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यानुमति पत्र के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक की जांच और कंपनी के कार्मिक एवं कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी उल्लेख करने योग्य नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी अथवा वृद्धि की जा सके।

नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.
(नन्दना मुंशी)
महानिदेशक
कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-1
नई दिल्ली

स्थानःनई दिल्ली
दिनांकः23 अगस्त, 2018

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. की सहायक कंपनियों की सूची जिनकी नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षा के कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा नहीं किया गया

डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लि.*

डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लि.*

डीएमआईसीडीसी वाघेल पावर कंपनी लि.*

डीएमआईसीडीसी विले भागड पावर कंपनी लि.*

डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कंपनी लि.

*इन कंपनियों के नाम हटाने के लिए आवेदन पत्र कंपनियों के पंजीयक कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा में दायर किया गया है और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार उन पर कार्रवाई की जा रही है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार इन कंपनियों के वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए थे, न ही वे दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. के समेकित वित्तीय विवरणों का भाग थे।

एकल वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य
दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरण संबंधित रिपोर्टः

हमने **दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड (कंपनी)** के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों जिसमें **31 मार्च, 2018** की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र और तब समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण एवं रोकड अंतर्वाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सार शामिल है, की लेखा जांच की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्वः

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों जिसमें कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम-7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानदंड शामिल हैं, के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकद प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है ,को तैयार करने के संबंध कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है।इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन दस्तावेजों का रख-रखाव शामिल है ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधडी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाना और रोकना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं प्रयोग, उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण आंकलन करना तथा निर्णय देना और उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रख-रखाव किया जा सके जो लेखांकन दस्तावेजों की सटीकता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढ़ंग से काम कर रहे थे जो वित्तीय विवरणों की बनावट एवं प्रस्तुतीकरण से सम्बंधित सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और गलत सामग्री प्रस्तुत नहीं करते हैं, चाहें वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्वः

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में मत अभिव्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखापरीक्षा मानदंडों और अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा-143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक जरूरतों का अनुपालन करें ओर कोई वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त है या नहीं के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा सुयोजित करें तथा निष्पादित करें।

लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की राशि तथा प्रकटीकरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना अंतर्ग्रस्त है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है जिसमें वित्तीय विवरण जो चाहे धोखाधड़ी वाले हों अथवा गलती के कारण, में वास्तविक गलत विवरण का जोखिम शामिल है। इन जोखिमों के मूल्यांकन में लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उन्हें सही ढ़ंग से प्रस्तुत करने में उचित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं न कि यह मत प्रकट करने के लिए कि धारक कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग करने के संबंध में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावकारिता के प्रचालन के लिए, ताकि परिस्थितियों के उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन किया जा सके। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन प्राक्कलनों की तर्कसंगतता तथा वित्तीय विवरणों के समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे लेखा परीक्षा मत के लिए एकल वित्तीय विवरणों को आधार प्रदान करने हेतु उपयुक्त हैं।

मतः

हमारा मत है कि हमारी सर्वोत्कृष्ट जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा यथापेक्षित रूप में वांक्षित सूचना प्रदान करते हैं और यह भारत में सामान्य रूप से मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप **31 मार्च, 2018** की स्थिति के अनुसार कंपनी के

कार्यों तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके **लाभ** और रोकड़ अंतर्वाह के संबंध में वास्तविक एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करता है।

अन्य विधिक एवं विनियमितिकरण अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. हम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा(11) के शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित, **संलग्नक क** में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक विवरण प्रस्तुत करते हैं।
2. हम अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत यथा अपेक्षित लागू सीमा तक यह रिपोर्ट करते है:
   (क) कि हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर ली हैं जो हमारी जानकारी एवं अधिकतम विश्वास के अनुरूप उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा जांच के उद्देश्य से आवश्यक थी।

   (ख) हमारी राय में जैसा कि कंपनी की लेखा पुस्तिकाओं की जांच से प्रतीत होता है, विधि के अंतर्गत अपेक्षित लेखा बहियों को उचित ढ़ंग से रखा गया है।

   (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा रोकड़ अंतर्वाह ब्यौरे लेखा बही के अनुरूप हैं।

   (घ) हमारे मत में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण में कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम-7 के साथ पठित अधिनियम की धारा-133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है।

   (ङ) **31 मार्च, 2018** की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल से प्राप्त लिखित प्रत्यावेदनों निदेशक मंडल द्वारा लिए गए रिकार्ड के आधार पर कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) की शर्तों के अनुसार **31 मार्च, 2018** को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की कार्यकारी प्रभावकारिता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट में **संलग्नक-ख** का अवलोकन करें।

   (छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम-11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

(i.) कम्पनी के पास कोई मुकदमा लंबित नहीं है जिससे कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े।

(ii.) कम्पनी के पास कोई ऐसा दीर्घवधिक अनुबंध नहीं है जिसमें व्युत्पन्न अनुबंध भी शामिल हैं जिसके लिए कोई भावी हानि हुई हो।

(iii.) कोई ऐसी राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेश शिक्षा एवं सुरक्षा फंड में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

3. अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा यथा अपेक्षित हम हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार यह रिपोर्ट करते हैं किः

(क) कंपनी के पास कोई फ्रीहोल्ड/ लीज होल्ड (परिचालन लीज़ के अलावा) संपत्ति नहीं है।

(ख) हमारे मत में ऋण/कर्ज/व्याज को बट्टे खाते डालने/ माफ करने का कोई मामला नहीं है।

(ग) कंपनी किसी सामान का रखरखाव नहीं करती और उसने सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं किया है।

कृते एसएसएआर एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 004739एन

हस्ता.
(सचिन जैन)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 502054
पताः 19ए, अंसारी रोड, दरियागंज
नई दिल्ली-110002

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 जून, 2018

एस.एस.ए.आर. एंड एसोसिएट

सनदी लेखाकार

"संलग्नक-क"

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. वित्तीय वर्ष 2017-18) के संबंध में -

(i.) अचल परिसंपत्तियों के बारे में हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) कंपनी ने अभिलेखों का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रखरखाव किया है जिसमें मात्रात्मक विवरणों और अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सम्मिलित है।

(ख) हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा सत्यापन के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का भौतिक रूप से सत्यापन कर लिया गया है जो हमारे मत में कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उपयुक्त है। इस भौतिक सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है और इस भौतिक सत्यापन के दौरान किसी तरह की विसंगति देखने को नहीं मिली है।

(ग) हमें प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी के नाम से धारित कोई अचल संपत्ति कंपनी के पास नहीं है। अतः आदेश के उपबंध 3(1)(ग) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(ii.) हमें प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी के पास कोई मालसूची नहीं है। तद्नुसार आदेश के उपबंध 3(2) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(iii.) हमें प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखरखाव किए जा रहे रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी को कोई ऋण नहीं दिया है।

(iv.) हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा के संबंध में 186 और 185 ऋणों, निवेशों और सिक्योरिटी के लिए सीएआरओ 2016 का उपबंध3(4) लागू नहीं है।

(v.) हमारे मत में तथा हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधानों या किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान और उनके अंतर्गत बने नियमों जहां लागू होगा, के विरूद्ध

किसी प्रकार के जमा को स्वीकार नहीं किया है। कंपनी ला बोर्ड या नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल अथवा आरबीआई या किसी न्यायालय अथवा अन्य किसी ट्रिब्यूनल ने कोई आदेश पारित नहीं किया है।

(vi.) हमें यह सूचित किया गया है कि कंपनी के उत्पाद के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है।

(vii.) सांविधिक और अन्य बकायों के संबंध में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसारः

(क) कंपनी अविवादित सांविधिक बकायों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास यथा प्रयोज्य नियमित रूप से जमा कराती रही हैं जिनमें उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जो भी लागू हो आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, वैल्यू एडेड कर, सेस और अन्य सांविधिक बकाए शामिल है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार ऐसे सांविधिक बकायों के संबंध में कोई भी अविवादित राशि देय नही है जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार देय तारीख से 6माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया रही हो।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार ऐसे सांविधिक बकायों के संबंध में कोई भी अविवादित राशि देय नही है जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया हो।

(viii.) कंपनी ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, और डिबेंचर धारकों से कोई ऋण और उधार नहीं लिया है। तद्नुसार आदेश के उपबंध 3(8) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है।

(ix.) हमें प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक आफर अथवा बाद के पब्लिक आफर(ऋण पत्र सहित) और सावधि ऋण के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तद्नुसार आदेश का उपबंध 3(9) कंपनी पर लागू नहीं है।

(x.) हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के साथ अथवा द्वारा वर्ष के दौरान न तो कोई धोखाधड़ी हुई है न रिपोर्ट की गई है।

(xi.) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान द्वारा प्राप्त आवश्यक अनुमोदन मत के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया है अथवा प्रावधान किया है।

(xii.) कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तद्नुसार, आदेश का पैरा 3(12) कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii.) संबद्ध पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुसार हैं तथा तत् संबंधी विवरणों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि एएस-18 के तहत अपेक्षित है और इसे नोट सं.-29 में उद्घाटित किया गया है।

(xiv.) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का अधिमानी आबंटन/ प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है। अतः आदेश का उपबंध 3(14) कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xv.) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी तरह का गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है। तद्नुसार,कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का अनुपालन लागू नहीं है।

(xvi.) कंपनी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है अतः आदेश का उपबंध 3(16) कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते एसएसएआर एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 004739एन

हस्ता.
(सचिन जैन)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 502054
पताः 19ए, अंसारी रोड, दरियागंज
नई दिल्ली-110002
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 जून, 2018

संलग्नक-ख

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. वित्तीय वर्ष 2017-18) के संबंध में-

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के उपबंध(1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में रिपोर्टः

हमने **31 मार्च, 2018** की स्थिति के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए **दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. (कंपनी)** की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्वः

कंपनी का प्रबंधन इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी निर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करने के लिए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो इसके कारोबार का नियमानुसार दक्षतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके जिसमें कंपनी की नीतियों, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाना और रोकना, लेखांकन अभिलेखों का सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है, की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्वः

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में मत अभिव्यक्त करना है। हमने इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी निर्देश टिप्पणी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(10) के निर्देश के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लागू सीमा तक अपेक्षित दोनों जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू है और जो इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए हैं, की लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और निर्देशों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक जरूरतों का अनुपालन करें और वित्तीय रिपोर्टिंग पर कोई उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और इसका अनुपालन किया गया था और ये नियंत्रण हर तरह से प्रभावी ढ़ंग से काम कर रहे थे या नहीं के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा सुयोजित करें और निष्पादित करें।

हमारी लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना अंतर्ग्रस्त है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना और उस जोखिम का मूल्यांकन करना जिसकी वजह से कोई कमी आती है और मूल्यांकित जोखिम पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित है जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक गलत विवरण का जोखिम जो चाहें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को आधार प्रदान करने हेतु हमारी लेखा परीक्षा मत के लिए उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्सनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

(1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित होती हैं जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और उनके बारे में सटीक एवं सही जानकारी प्रदान करती हैं

(2) उचित आश्वासन देती हैं कि लेनदेन या सौदों को इसलिए रिकार्ड किया जाता है कि वे आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणो को तैयार करने की अनुमति प्रदान करती हैं और कंपनी की इन प्राप्तियों एवं ब्ययों को कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रकों के प्राधिकार के अनुसार ही तैयार किया जा रहा है।

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों की अनधिकृत अधिप्राप्ति,प्रयोग अथवा निस्तारण के रोकथाम अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन देती हैं जिनका वित्तीय विवरणों के संबंध में वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण जिसमें सांठ-गांठ की संभावना अथवा नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधकीय अवहेलना शामिल हैं, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक रूप से गलत विवरण हो सकते हैं अथवा पता नहीं लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा, भावी अवधियों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में कमी आ सकती है।

मतः

हमारे मत में सभी मामलों के संबंध में, कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और **31 मार्च, 2018** की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढ़ंग से काम कर रहे हैं जो इंस्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकान्टेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के

संबंध में निर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आधारित है।

कृते एसएसएआर एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ट लेखाकार
एफआरएनः 004739एन

हस्ता.
(सचिन जैन)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 502054
पताः 19ए, अंसारी रोड, दरियागंज
नई दिल्ली-110002

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 जून, 2018

एकल वित्तीय विवरण

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीसीएल172316

तुलन पत्र 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

ब्योरे	नोट सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार रूपए		31 मार्च, 2017 के अनुसार रूपए	
I.साम्य एवं देनदारियां					
(1) शेयरधारक निधि					
(क) शेयरपूंजी	1	1,00,00,00,000		1,00,00,00,000	
(ख) भंडार एवं पूर्तियां	2	5,12,92,71,796	6,12,92,71,796	4,45,98,80,662	5,45,98,80,662
(2) गैर-वर्तमान देनदारियां					
(क) अन्य दीर्घावधिक देनदारियां	3	10,00,000		10,00,000	
(ख) दीर्घावधिक प्रावधान	4	23,87,449	33,87,449	17,12,848	27,12,848
(3)वर्तमान देनदारियां					
(क) व्यापार देय	5				
(i) माइक्रो उद्यम और लघु उद्यमों के कारण कुल बकाया		-		-	
(ii) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर ऋणदाताओं के कुल बकाया देय		74,21,48,835		32,52,23,916	
(ख) अन्य वर्तमान देनदारियां	6	5,93,43,307		4,08,54,123	
(ग) अल्पावधिक प्रावधान	7	1,74,296	80,16,66,438	1,22,861	36,62,00,900
कुल			**6,93,43,25,683**		**5,82,87,94,410**
II. परिसंपत्तियां					
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां					
(क) चल परिसंपत्तियां	8				
(i) संपत्ति,संयंत्र एवं उपस्कर		20,10,087		31,72,516	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		58,25,340		2,43,716	
		78,35,427		34,16,232	
(ख) गैर-वर्तमान निवेश	9	13,00,00,000		17,47,72,815	
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां(निवल)	10	15,14,066		17,81,856	
(घ) दीर्घावधिक ऋण व अग्रिमें	11	98,11,618		98,11,618	
(ड) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	12	4,60,97,67,563	4,75,89,28,674	3,88,97,58,556	4,07,95,41,077
(2)वर्तमान परिसंपत्तियां					
(क) व्यापार प्राप्तियां	13	1,55,00,856		-	
(ख) नकद एवं बैंक शेष	14	1,06,40,57,079		1,21,41,50,025	
(ग) अल्पावधिक ऋण व अग्रिमें	15	1,04,54,27,255		20,52,56,466	
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	16	5,04,11,819	2,17,53,97,009	32,98,46,842	1,74,92,53,333
			6,93,43,25,683		**5,82,87,94,410**

उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों के साथ टिप्पणियां **1 - 43**

संलग्न समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एसएसएआर एवं एसोशिएट्स के लिए
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

हस्ता.
सचिन जैन
(पार्टनर)
(सदस्यता सं.. 502054)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जून, 2018

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.
अल्केश कुमार शर्मा
(सीईओ एवं प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन : 02724743)

हस्ता.
पी.के.अग्रवाल
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.
जय प्रकाश बत्रा
(निदेशक)
(डीआईएन : 00654332)

हस्ता.
अभिषेक चौधरी
(वीपी - कारपोरेट कार्य, एचआर एवं कंपनी सचिव)

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.
सीआईएन: यू45400डीएल2008पीसीएल172316

लाभ एवं हानि विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

	नोट सं.	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2018 रूपए	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017 रूपए
I. प्रचालन से राजस्व	**17**	14,37,86,338	3,32,62,000
II. अन्य आय	**18**	6,81,05,303	8,14,96,242
III. कुल राजस्व (I+II)		**21,18,91,641**	**11,47,58,242**
IV. व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	**19**	3,93,25,078	3,24,31,385
मूल्यह्रास व्यय	**20**	30,97,971	18,25,010
अन्य व्यय	**21**	9,01,32,228	4,28,21,515
V. कुल व्यय		**13,25,55,277**	**7,70,77,910**
VI. लाभ/(हानि) कर-पूर्व (III-V)		**7,93,36,364**	**3,76,80,332**
VII. कर व्यय			
- वर्तमान वर्ष		2,34,48,800	1,18,02,027
- गत वर्ष		4,08,989	19,602
- आस्थगित कर देनदारी /(परिसंपति)		2,67,791	(2,04,646)
VIII लाभ /(हानि) वर्ष के लिए कर-पश्चात (VI-VII)		**5,52,10,784**	**2,60,63,349**
IX. अर्जन प्रति साम्य शेयर, प्रत्येक रू.10/- के अंकित मूल्य पर			
- बेसिक/डाइल्युटेड		**0.55**	**0.26**
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां			
वित्तीय विवरणों के साथ टिप्पणियां	**1 - 43**		

संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार
एसएसएआर एवं एसोशिएट्स के लिए
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
सचिन जैन	**अल्केश कुमार शर्मा**	**जय प्रकाश बत्रा**
(पार्टनर)	(सीईओ एवं प्रबंध निदेशक)	(निदेशक)
(सदस्यता सं.. 502054)	(डीआईएन : 02724743)	(डीआईएन : 00654332)

	हस्ता.	हस्ता.
स्थान: नई दिल्ली	**पी.के.अग्रवाल**	**अभिषेक चौधरी**
दिनांक: 22 जून, 2018	(मुख्य वित्तीय अधिकारी)	(वीपी - कारपोरेट कार्य, एचआर एवं कंपनी सचिव)

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.
सीआईएन: यू45400डीएल2008पीसीएल172316

नकदी प्रवाह विवरण 31मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2018 रूपए		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017 रूपए	
क. नकद प्रवाह, प्रचालन गतिविधियों से:					
कर-पूर्व शुद्ध लाभ		7,93,36,364		3,76,80,332	
समायोजन:					
मूल्यह्रास		30,97,971		18,25,010	
ब्याज आय		(6,48,72,995)		(7,87,01,641)	
शुद्ध नकद असाधारण मद और कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन गतिविधियों से		1,75,61,340		(3,91,96,299)	
असाधारण मदें		-		-	
प्रचालन लाभ, कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व	**(क)**	1,75,61,340		(3,91,96,299)	
समायोजन:					
व्यापार में(वृद्धि)/ह्रास एवं अन्य प्राप्तियां		(56,86,55,654)		(37,27,76,633)	
व्यापार देयों में वृद्धि/(ह्रास) एवं अन्य देय		43,61,40,139		4,08,34,847	
करों का रिफंड/(भुगतान) (टीडीएस सहित)		(3,14,38,759)		(62,77,456)	
प्रचालन कार्यों से शुद्ध नकद/(में प्रयोग किया गया)	**(ख)**	**(16,39,54,274)**		**(33,82,19,242)**	
प्रचालन कार्यों से शुद्ध नकद	**(क)+(ख)**		**(14,63,92,934)**		**(37,74,15,541)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह:					
(निवेशित) परियोजना विकास व्ययों में		(94,14,45,397)		(34,66,26,830)	
(खरीद) / बिक्री निवेश		4,39,00,000		-	
(खरीद) / बिक्री अचल परिसंपत्तियां		(75,17,166)		(23,81,578)	
बैंक जमा में (वृद्धि)/ कमी		22,24,912		(97,36,618)	
ब्याज आय		6,48,72,995		7,87,01,641	
शुद्ध नकद निवेश गतिविधियों से/ (में प्रयोग किया गया)			**(83,79,64,656)**		**(28,00,43,385)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह					
परियोजना विकास निधि		83,64,89,555		77,59,47,975	
वित्तीय गतिविधियों से/ (में प्रयोग किया गया) शुद्ध नकद			**83,64,89,555**		**77,59,47,975**
घ. नकद एवं नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/ (कमी)			**(14,78,68,034)**		**11,84,89,049**
ङ. नकद एवं नकद समतुल्य, वर्ष के आरंभ में			**1,21,01,15,467**		**1,09,16,26,418**
च. नकद एवं नकद समतुल्य, वर्ष के अंत में (नोट सं.-14 देखें)			**1,06,22,47,433**		**1,21,01,15,467**

संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

एसएसएआर एवं एसोशिएट्स के लिए
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

हस्ता.
सचिन जैन
(पार्टनर)
(सदस्यता सं.. 502054)

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.
अल्केश कुमार शर्मा
(सीईओ एवं प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन : 02724743)

हस्ता.
जय प्रकाश बत्रा
(निदेशक)
(डीआईएन : 00654332)

स्थान:नई दिल्ली
दिनांक: 22 जून, 2018

हस्ता.
पी.के.अग्रवाल
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.
अभिषेक चौधरी
(वीपी - कारपोरेट कार्य, एचआर एवं कंपनी सचिव)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम,2013 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन नीतियों (इंडियन जीएएपी) का अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत कन्वेशनों के तहत उपचय आधार पर तैयार किया जाता है।वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां गत वर्षों के दौरान अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

ख) प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह अपेक्षित है कि कंपनी का प्रबंधन कुछ प्राक्कलन और अनुमान नियत करें जिनका परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक देनदारियों की उद्घोषणा और रिपोर्ट की जा रही अवधि के दौरान राजस्व और व्ययों की रिपोर्ट की गई राशि पर प्रभाव पड़ता है। वास्तविक परिणाम और प्राक्कलनों के बीच अंतर को उस अवधि में लिया जाता जिसमें परिणाम ज्ञात / या मूर्त होते हैं।

ग) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

i) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर लागत माडल के अनुसार अर्थात लागत रहित संचित मूल्यह्रास क्षति, यदि कोई हो पर बताए गए हैं।

ii) अधिग्रहण से सीधे जुड़ी लागतें पूंजीभूत हैं जबतक कि जैसा कि प्रबंधन द्वारा अपेक्षित है संपत्ति,संयत्र और उपस्कर प्रयोग के लिए तैयार नहीं है।

iii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर से संबंधित परिणामी व्यय तब पूंजीभूत होते हैं जब इस बात की संभावना हो कि इनसे जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तुओं की लागत का विश्वसनीय तरीके से अनुमापन किया जा सकेगा। मरम्मत और रखरखाव लागतें लाभ एवं हानि के विवरण में खर्च होने पर स्वीकृत की जाती हैं।

iv) लागत और संबंधित संचित मूल्यह्रास परिसंपत्ति की बिक्री होने या निवृत्ति पर वित्तीय विवरणों से हटा दिए जाते हैं और परिणामी लाभ व हानियों को लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत कर लिया जाता है। निस्तारित परिसंपत्तियों को कैरी वैल्यू या फेयर वैल्यू घटा बिक्री की लागत पर रिपोर्ट किया जाता है।

v) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को आनुपातिक आधार पर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से मूल्यह्रास राशि की सीमा तक कम करती है। मूल्यह्रास निम्नलिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर जिनका उपयोग योग्य जीवनकाल अनुसूची 2 में प्रदत्त से अलग है, परिसंपत्तियों के उपयोग योग्य जीवनकाल के आधार पर प्रदान किया जाता है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में निर्धारित है।

व्यौरे	मूल्यह्रास	औचित्य
- कार्यालय नवीकरण व्यय	पूंजीकरण की तारीख से कार्यालय की पट्टा अवधि में समान रूप से एमोरटाइज किया गया।	परिसंपत्तियां की प्रकृति अचल है और इसलिए लीज अवधि के दौरान बट्टे खाते डाल दी गई।

vi) मूल्यह्रास तरीकों, उपयोग योग्य जीवन काल,और शेष मूल्यों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत और आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

घ) प्रगतिशील पूंजी कार्य

प्रत्येक बैलेंस सीट की तारीख पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत पूंजी अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उस तारीख से पहले प्रयोग नहीं की जा रही परिसंपत्तियों की लागत को प्रगतिशील पूंजी कार्य के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां

i) अमूर्त परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत,शुद्ध समेकित परिशोधित/ रिक्तिकरण और दुर्बलता हानि यदि कोई हो पर किया गया है।

ii) अमूर्त परिसंपत्तियों को स्ट्रेट लाइन मेथड से खरीद की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

च) परियोजना विकास निधि(पीडीएफ)

भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना और अन्य औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं अर्थात अमृतसर -कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर(एकेआईसी) परियोजना, बंगलुरू- मुंबई औद्योगिक कोरिडोर(बीएमआईसी) परियोजना, चेन्नै- बंगलुरू औद्योगिक कोरिडोर (सीबीआईसी) परियोजना और विजाग- चेन्नै औद्योगिक कोरिडोर परियोजना(वीसीआईसी) के लिए परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। तद्नुसार, उपर्युक्त कथित उद्देश्य के लिए भारत सरकार/राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) जिसे पहले डीएमआईसीपरियोजना कार्यान्यन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से जाना जाता था, से प्राप्त अनुदान को लेखांकन मानक(एएस 12) के अनुसार तुलनपत्र में पूंजी भंडार शीर्ष के तहत दिखाया गया है। कथित पीडीएफ पर अर्जित व्याज को परियोजना विकास निधि में जोड़ा जाता है। यदि किसी भावी तारीख को निधियों का कोई भाग रिफंड योग्य हो जाता है तो उसे पूंजी भंडार में से कम कर दिया जाएगा।

छ) परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ)

भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर (डीएमआईसी)परियोजना के लिए विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन कार्यकलापों के लिए परियोजना कार्यान्वयन निधि स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। तद्नुसार, उपर्युक्त कथित उद्देश्य के लिए भारत सरकार / राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) जिसे पहले डीएमआईसीपरियोजना कार्यान्यन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से जाना जाता था, से प्राप्त अनुदान को लेखांकन मानक (एएस 12) के अनुसार तुलनपत्र में पूंजी भंडार शीर्ष के तहत दिखाया गया है। कथित पीआईफ पर अर्जित व्याज, लाभांश अथवा किसी अन्य आय को परियोजना कार्यान्वयन निधि में जोड़ा जाता है। यदि किसी भावी तारीख को निधियों का कोई भाग रिफंड योग्य हो जाता है तो उसे पूंजी भंडार में से कम कर दिया जाएगा।

ज) परियोजना विकास व्यय(पीडीई)

औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं की परियोजना विकास गतिविधियों के संबंध में सभी व्ययों को निम्नानुसार दर्शाया गया है।

i) जहां तक संबंध है उस सीमा तक कंपनी की सहायक कंपनियों और परियोजनाओं जिनके लिए राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईसी) जिसे पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से जाना जाता था और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच अलग से स्पेशन परपज वेकल (एसपीबी) संबंधित सहायक कंपनियों /एसपीवी को अंतरित किया जाता है और उन्हें गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के तहत वसूली योग्य दर्शाया गया है।

ii) उन परियोजनाओं पर किया गया व्यय जिन्हें शुरू नहीं किया जाना है अथवा कोई अतिरिक्त गतिविधि नहीं की जानी है, को पूंजीगत भंडार शीर्षक के अंतर्गत परियोजना विकास निधि में से कम कर दिया जाता है, और

iii) उपर्युक्त पैरा (1) और (2) के तहत सम्मिलित व्ययों को "गैर- वर्तमान परिसंपत्तियां" के अंतर्गत परियोजना विकास व्यय के रूप में लेखांकित किया गया है।

झ) दीर्घावधिक निवेश

दीर्घावधिक निवेशों को वास्तविक लागत जिसमें अधिग्रहण के कारण लागत भी शामिल है,पर दिखाया गया है। यदि अस्थाई को छोड़कर कोई गिरावट होती है तो कैरीइंग राशि को कम कर दिया जाता है ताकि गिरावट को स्वीकृति प्रदान की जा सके। निवेश के मूल्य के संकेतकों को इनके बाजार मूल्य, निवेशकर्ता की परिसंपत्तियों और परिणामों तथा निवेशों से संभावित नकद अंतर्वाह के संदर्भ द्वारा प्राप्त किया जाता है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

ञ) राजस्व स्वीकृति

i) व्याज आय को एक्रूएल (उपचय) आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

ii) लाभांश आय को तब लेखे में लिया जाता है जब प्राप्त करने का अधिकार तय हो जाता है।

iii) कंपनी द्वारा दी गई सेवाओं के लिए 1 प्रतिशत की दर पर(वर्ष में रू.20करोड़ की अधिकतम सीमा के अध्यधीन) सेवा फीस जो राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए 26 जुलाई,2016 से परियोजना कार्यान्वयन निधि में से दी जाएगी को उपचय आधार पर स्वीकृत किया गया है।

iv) नालेज पार्टनर के रूप में इंडिया इंटरनेशनल कनवेंशन एंड एक्जीविशन सेंटर लि को दी गई सेवाओं को प्रदान की गई वार्षिक सेवा फीस वार्षिक रूप से 1 प्रतिशत के आंतरिक एक्रूअल की दर पर (आनुपातिक आधार पर शुरू के 10 वर्षों के लिए न्यूनतम रू. 5.00 करोड़ और अधिकतम रू. 10 करोड़ प्रति वर्ष के अध्यधीन)

ट) पट्टा

पट्टों को प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है जहां पट्टाकर्ता (लेसर) पट्टा अवधि के दौरान स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से ग्रहण करता है। पट्टा अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रचालन पट्टा भुगतानों को उपचय आधार पर लाभ हानि के विवरण में व्यय के रूप में स्वीकृत किया गया है।

ठ) विदेशी मुद्रा में लेनदेन

विदेशी मुद्रा में व्यय अथवा लेनदेन को लेनदेन की तारीख को विद्यमान बाज़ार विनिमय दर पर लेखांकित किया गया है और विदेशी मुद्राओं में आय को इन मुद्राओं से प्राप्त मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

ड) कर्मचारी लाभ

i) कंपनी वर्ष के अंत में एक्चूरिएल वैल्युएशन के आधार पर ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम,1972 और ग्रेच्यूटी(केंद्रीय)नियमावली,1972 की शर्तों के अनुसार ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान करती है।

ii) अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान का लेखांकन उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है केंद्र सरकार के प्रदत्त नियमों के अनुसार किया जाता है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

ढ) आयकर

कर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल है। वर्तमान आयकर को भारत में अधिनियमित आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार कर प्राधिकारियों को देय हेतू प्रत्याशित राशि पर मापा जाता है । आस्थगित आयकर कर योग्य आय और उस अवधि के लिए लेखांकित आय के बीच चालू अवधि समयांतरालों और पूर्ववर्ती वर्षों की अवधि के समयांतरालों के व्युत्क्रम को दर्शाता है।

आस्थगित कर का निर्धारण कर दरों के आधार पर और तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा वस्तुतः अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देनदारियां आफसेट हैं, यदि वर्तमान कर देनदारियों के विरूद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों के सेट आफ करने के लिए कानूनी रूप से लागू अधिकार मौजूद हैं। आस्थगित कर उस सीमा तक ही मान्य हैं जहां तर्कसंगत निश्चितता हो कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरूद्ध ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकेगा। उन परिस्थितियों मे जहां कंपनी के पास अनअवशोषित मूल्यह्रास अथवा कैरी फारवर्ड हानियां हों , सभी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को तभी मान्य किया जाता है जब इस बात का आभासी समर्थन हो कि भरोसे के लायक साक्ष्य मौजूद होंगे कि उन्हें भावी कर योग्य लाभों से प्राप्त किया जा सकेगा।

हरेक तुलन पत्र की तारीख को कंपनी गैर-मान्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करती है। वह उस सीमा तक गैर-मान्य आस्थगित करों को मान्यता प्रदान करती है जहां तक तर्कसंगत ढंग से या आभासी रूप से जैसा भी मामला हो, पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरूद्ध ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकेगा।

कंपनी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की कैरियिंग राशि को उस सीमा तक राइट-डाउन करती है कि यह तर्कसंगत या आभासी रूप से मामला जैसा भी हो, सुनिश्चित न हो कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरूद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकेगा। कोई भी इस तरह का राइट-डाउन उस सीमा तक उलट दिया जाता है जब तक कि यह तर्कसंगत या आभासी रूप से मामला जैसा भी हो, सुनिश्चित न हो कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरूद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकेगा।

मैट साख को केवल उस सीमा तक ही परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है कि इस बात का भरोसे मंद साक्ष्य हो कि कंपनी निर्धारित अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी।

ण) प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

लेखाओं के प्रावधानों को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप कंपनी की वर्तमान देनदारी है और इस बात की संभावना है कि संसाधनों का अंतर्वाह देनदारियों के समायोजन के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय प्राक्लन किया जा सकता है. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती और रिपोर्ट की जाने वाली तारीख पर देनदारियों को समायोजित करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम प्राक्कलन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

आकस्मिक देनदारियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया जाता है और उनके बारे में टिप्पणियों में जानकारी दी जाती है।

आकस्मिक परिसंपत्ति को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न, ही उनका वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है।

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीसीएल172316

वित्तीय विवरणों पर नोट

	31-मार्च-2018 की स्थिति के अनुसार रूपए (₹)	31-मार्च-2017 की स्थिति के अनुसार रूपए (₹)
नोट 1: शेयर पूंजी		
1.0 अधिकृत		
10,00,00,000 साम्य शेयर रू.10/-प्रत्येक मतदान अधिकार के साथ	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	1,00,00,00,000	**1,00,00,00,000**
जारी,अभिदत्त एवं प्रदत्त		
10,00,00,000 साम्य शेयर रू.10/-प्रत्येक वोट करने के अधिकार के साथ	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	1,00,00,00,000	**1,00,00,00,000**

1.1 बकाया शेयरों की संख्या का समाधान नीचे दिया गया है:

	शेयरों की सं.	रूपए (₹)	शेयरों की सं.	रूपए (₹)
वर्ष के आरंभ में साम्य शेयर	10,00,00,000	1,00,00,00,000	10,00,00,000	1,00,00,00,000
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में साम्य शेयर	**10,00,00,000**	**1,00,00,00,000**	**10,00,00,000**	**1,00,00,00,000**

1.2 5% शेयर से अधिक की शेयर धारिता का ब्यौरा :

	धारिता %	शेयरों की सं.	धारिता %	शेयरों की सं.
भारत के राष्ट्रपति (माध्यम से सचिव, औद्योगिक नीति एवं संबर्धन विभाग एवं इसके नामिति)	49.0	4,90,00,000	49.0	4,90,00,000
जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कोआपरेशन	26.0	2,60,00,000	26.0	2,60,00,000
हाउसिंग एंड अर्बन डेवेलपमेंट विकास निगम लि.	19.9	1,99,00,000	19.9	1,99,00,000

1.3 कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के साम्य शेयर हैं। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए अर्ह है।लाभांश के वितरण और पूंजी भुगतान के संबंध में शेयरधारकों के पास कोई अलग अधिकार नहीं हैं।

नोट 2 : भंडार एवं आधिक्य:				
2.0 पूंजी भंडार				
(क) परियोजना विकास निधि				
[लेखांकन नीति सं.(च) का संदर्भ लें]				
गत तुलन पत्र के अनुसार		3,95,32,00,000		3,18,82,00,000
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान		83,18,27,000		76,50,00,000
		4,78,50,27,000		3,95,32,00,000
जोड़ें				
- ।गत वर्ष तक जमाओं पर अर्जित ब्याज	27,56,02,248		26,46,54,273	
- चालू वर्ष के दौरान जमओं पर अर्जित ब्याज	46,62,555	28,02,64,803	1,09,47,975	27,56,02,248
		5,06,52,91,803		4,22,88,02,248
घटाएं - परियोजना विकास व्यय वसूली न होने योग्य सीमा तक [लेखांकन नीति सं.(झ) का संदर्भ लें]		22,23,09,205		-
(क)		**4,84,29,82,598**		**4,22,88,02,248**
(ख) परियोजना कार्यान्वयन निधि				
[लेखांकन नीति सं.(छ) का संदर्भ लें]				
गत तुलन पत्र के अनुसार		13,00,00,000		13,00,00,000
(ख)		**13,00,00,000**		**13,00,00,000**
2.1 लाभ एवं हानि खाता				
गत तुलन पत्र के अनुसार		10,10,78,414		6,51,09,193
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के लिए लाभ(हानि)		5,52,10,784		2,60,63,349
जोड़े/(घटाएं): रू.5000/- से कम लागत की परिसंपत्तियों के डब्लूडीवी के संबंध में समायोजन -नोट सं.-32(ख) का संदर्भ लें।		-		(4,415)
जोड़े/(घटाएं): परियोजना विकास गतिविधियों के संबंध में समायोजन (नोट सं.36 का संदर्भ लें।)		-		99,10,287
(ग)		**15,62,89,198**		**10,10,78,414**
कुल (क + ख + ग)		**5,12,92,71,796**		**4,45,98,80,662**

वित्तीय विवरणों पर नोट

	31-मार्च-2018 की स्थिति के अनुसार रूपए (₹)	31-मार्च-2017 की स्थिति के अनुसार रूपए (₹)
नोट 3 : अन्य दीर्घावधिक देनदारियां		
- निष्पादन सिक्यूरिटी	10,00,000	10,00,000
कुल	**10,00,000**	**10,00,000**
नोट 4 : दीर्घावधिक प्रावधान		
- कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान(ग्रेच्यूटी) (नोट सं.33 को देखें)	23,87,449	17,12,848
कुल	**23,87,449**	**17,12,848**
नोट 5 : देय व्यापार		
(i) माइक्रो और लघु उद्यमों का कुल देय बकाया (नोट-34 देखें)	-	-
कुल	**-**	**-**
(ii) माइक्रो और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य ऋणदाताओं का कुल देय बकाया	74,21,48,835	32,52,23,916
कुल	**74,21,48,835**	**32,52,23,916**
नोट 6 : अन्य वर्तमान देनदारियां		
- सांविधिक देनदारियां	4,50,55,947	2,57,23,912
- बिड प्रतिभूति	21,00,000	46,50,000
- निष्पादन प्रतिभूति	10,00,000	10,00,000
- भविष्य निधि देय	4,76,142	3,63,998
- राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट को देय (पूर्व नाम डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट निधि)	-	25,48,090
- ग्रेच्यूटी और अवकाश नकदीकरण के विरूद्ध देनदारियां	-	13,22,852
- अन्य देय व्यय	1,07,11,218	52,45,271
कुल	**5,93,43,307**	**4,08,54,123**
नोट 7 : अल्पावधिक प्रावधान		
- कर्मचारी लाभों (ग्रेच्यूटी एवं अवकाश नकदीकरण) के लिए प्रावधान (नोट सं.-33 को देखें)	1,74,296	1,22,861
कुल	**1,74,296**	**1,22,861**

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीसीएल172316

वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट 8 : अचल परिसंपत्तियां

रूपए(₹)

ब्यौरे	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास					शुद्ध ब्लाक	
	01.04.2017 के अनुसार	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान कटौतियां (नोट सं. 32(ख))	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक	वर्ष के लिए	गत वर्ष के लिए	अन्य समायोजन (नोट सं. 32(ख))	31.03.2018तक	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017के अनुसार
I. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर											
क. फर्निचर एवं फिक्चर	22,57,302	-	-	22,57,302	16,10,710	1,75,383	-	-	17,86,093	4,71,209	6,46,592
ख. कार्यालय उपस्कर	43,74,595	62,937	-	44,37,532	30,04,434	6,12,634	-	-	36,17,068	8,20,464	13,70,161
ग. विद्युत इन्स्टालेशन व उपस्कर	7,04,194	-	-	7,04,194	4,08,529	77,946	-	-	4,86,475	2,17,719	2,95,665
घ. कंप्युटर व डाटा प्रोसेसिंग युनिट	26,88,404	1,25,000	-	28,13,404	21,07,592	3,65,550	(20,599)	-	24,52,543	3,60,861	5,80,812
ड. अन्य कार्यालय नवीकरण व्यय	43,86,960	-	-	43,86,960	41,07,674	1,39,452	-	-	42,47,126	1,39,834	2,79,286
कुल	**1,44,11,455**	**1,87,937**	**-**	**1,45,99,392**	**1,12,38,939**	**13,70,965**	**(20,599)**	**-**	**1,25,89,305**	**20,10,087**	**31,72,516**
गत वर्ष (31.03.2017)	1,22,49,828	22,53,584	91,957	1,44,11,455	95,93,616	17,32,865	-	(87,542)	1,12,38,939	31,72,516	26,56,212
II. अमूर्त परिसंपत्तियां											
कंप्यूटर साफ्टवेयर	6,56,078	73,29,229	-	79,85,307	4,12,362	15,50,725	1,96,880	-	21,59,967	58,25,340	2,43,716
कुल	**6,56,078**	**73,29,229**	**-**	**79,85,307**	**4,12,362**	**15,50,725**	**1,96,880**	**-**	**21,59,967**	**58,25,340**	**2,43,716**
गत वर्ष (31.03.2017)	5,28,084	1,27,994	-	6,56,078	3,20,217	92,145	-	-	4,12,362	2,43,716	2,07,867

		31-मार्च-2018 की स्थिति के अनुसार रूपए (₹)		31-मार्च-2017 की स्थिति के अनुसार रूपए (₹)	
नोट 9 : गैर-वर्तमान निवेश					
गैर-व्यापार निवेश (अनकोट की गई लागत पर भुगतान किया गया)					
(क) भारत सरकार के पीडीएफ से किया गया निवेश					
सहायक कंपनियों के साम्य शेयरों में निवेश					
i) डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लि.		5,00,000		5,00,000	
50,000 पूर्ण प्रदत्त साम्यशेयर ₹10/- प्रत्येक					
ii) डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लि.		5,00,000		5,00,000	
50,000 पूर्ण प्रदत्त साम्यशेयर ₹10/- प्रत्येक					
iii) डीएमआईसीडीसी वाघेल पावर कंपनी लि.		5,00,000		5,00,000	
50,000 पूर्ण प्रदत्त साम्यशेयर ₹10/- प्रत्येक					
iv) डीएमआईसीडीसी विले भागड पावर कंपनी लि.		5,00,000		5,00,000	
50,000 पूर्ण प्रदत्त साम्यशेयर ₹10/- प्रत्येक					
			20,00,000		20,00,000
घटाएं: मूल्य में स्थाई कमी के लिए प्रावधान (देखें नोट सं. 39)					
i) डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लि.		(5,00,000)		(2,85,759)	
ii) डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लि.		(5,00,000)		(2,82,983)	
iii) डीएमआईसीडीसी वाघेल पावर कंपनी लि.		(5,00,000)		(2,74,629)	
iv) डीएमआईसीडीसी विले भागड पावर कंपनी लि.		(5,00,000)	(20,00,000)	(2,83,814)	(11,27,185)
			-		8,72,815
साम्य शेयरों में अन्य निवेश					
i) धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लि.			-		4,39,00,000
43,90,000 पूर्ण प्रदत्त साम्यशेयर ₹10/-प्रत्येक (देखें नोट सं. 40)					
(ख) भारत सरकार के पीआईएफ से किया गया निवेश					
सहायक कंपनियों के साम्य शेयरों में निवेश					
i) डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कंपनी लि.			13,00,00,000		13,00,00,000
1,30,00,000 पूर्ण प्रदत्त साम्यशेयर ₹10/- प्रत्येक*					
कोट नहीं किए गए निवेश की समग्र राशि			**13,00,00,000**		**17,47,72,815**

* आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट के मुख्य कारपस/पूंजी फंड में से रू.13,00,00,000/- (रू. तेरह करोड़ मात्र) राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्यन ट्रस्ट फंड (पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के रूप में ज्ञात) को अंतरित किया गया ताकि वे एसपीवी,डीएमआईसी निमराना सोलर पावर कंपनी लि. को 6.00 मेगावाट माडल सोलर पावर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए डीएमआईसीडीसी लि. के माध्यम से ट्रस्ट के 100 प्रतिशत साम्य निवेश के लिए आगे जारी कर सके।

नोट 10 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां(निवल)					
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:					
- अचल परिसंपत्तियों से संबंधित			7,82,636		11,95,147
- आयकर अधि., 1961 के तहत कर्मचारी लाभ और भत्ते			7,31,430		5,86,709
			15,14,066		17,81,856
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			-		-
	कुल		**15,14,066**		**17,81,856**
नोट 11 : दीर्घावधिक ऋण व अग्रिमें					
(अनसिक्योर्ड समझे गए माल)					
- प्रतिभूति जमा			98,11,618		98,11,618
	कुल		**98,11,618**		**98,11,618**

	31-मार्च-2018 रूपए (₹)	31-मार्च-2017 रूपए (₹)
नोट 12 : अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		
(क) परियोजना विकास व्यय(पीडीई)		
- भारत सरकार के परियोजना विकास फंड के विरूद्ध पीडीई		
- गत वर्ष के अनुसार*	3,88,00,21,938	3,52,23,57,636
- वर्ष के दौरान व्यय	94,52,46,753	70,16,87,406
	4,82,52,68,691	4,22,40,45,042
जोड़ें : परियोजना विकास गतिविधियों के संबंध में समायोजन [नोट सं.36 देखें)	-	99,10,287
जोड़े : गैस आधारित एसपीवी में निवेश के मूल्य मे स्थाई रूप से कमी करने के लिए प्रावधान (देखें नोट सं. 39)	8,72,815	11,27,185
घटाएं: सहायक कंपनियों/एसपीवी को अंतरित राशि [नोट सं. 24 देखें]	(3,66,78,43,535)	(90,188)
घटाएं: भूमि छोड़ने के विरूद्ध समायोजन(नोट सं. 38 देखें)	-	(35,49,70,388)
घटाएं: परियोजना विकास निधि को अंतरित [नोट सं. 24 देखें]	(22,23,09,205)	-
कुल (क)	**93,59,88,766**	**3,88,00,21,938**
(ख) एसपीवी में अंतरित परियोजना विकास व्यय (नोट सं.-24 देखें)		
- औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लि.	1,13,00,16,858	-
- धौलेरा इंडस्ट्रियल सिटी विकास लि.	2,26,45,92,190	-
- डीएमआईसी हरियाना ग्लोबल सिटी परियोजना लि	6,03,91,666	-
- डीएमआईसी हरियाना एमएमएलएच परियोजना लि.	2,19,41,511	-
- डीएमआईसी हरियाना एमआरटीएस परियोजना लि	6,87,12,587	-
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि.	4,83,31,970	-
- आईआईआईटी ग्रेटर नोएडा लि.	7,00,55,397	-
- डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कंपनी लि.	38,01,356	
	3,66,78,43,535	**-**
घटाएं: डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कंपनी लि. अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिमों के रूप में दर्शाया गया (देखें नोट सं. 15)	(38,01,356)	-
कुल (ख)	**3,66,40,42,179**	**-**
(ग) अन्य		
- बैंक गारंटियों के विरूद्ध लियन के अंतर्गत बैंक जमा (12 माह की परिपक्वता से अधिक वाली)	97,36,618	97,36,618
कुल (ग)	**97,36,618**	**97,36,618**
कुल (क+ख+ग)	**4,60,97,67,563**	**3,88,97,58,556**
नोट 13 : व्यापार प्राप्तियां		
(अनसिक्योर्ड समझी गई सामग्री)		
- 6 माह से अधिक की अवधि से बकाया	2,62,500	-
- अन्य	1,52,38,356	-
	1,55,00,856	**-**

	31-मार्च-2018 रूपए (₹)	31-मार्च-2017 रूपए (₹)
नोट-14 : नकद एवं बैंक शेष		
नकद एवं बैक शेष		
(क) नकद एवं नकद समतुल्य *		
- भारत सरकार की पीडीएफ में से		
बैंक मे चालू खातों में शेष	24,901	8,70,68,542
बैंक में जमा खातों में शेष	5,25,000	10,93,50,804
- अन्यों में से		
हाथ में नकद	3,139	14,202
बैंक में चालू खातों में शेष	(12,98,116)	(65,36,166)
बैंक में जमा खातों में शेष	1,06,29,92,509	1,02,02,18,085
एएस-3 के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य कुल(क)	1,06,22,47,433	1,21,01,15,467
(ख) अन्य बैंक शेष		
- भारत सरकार के पीडीएफ में से	-	-
- अन्य में से		
बैंक गारंटी के लिए लियन के तहत बैंक में जमा खातों में शेष	18,09,646	40,34,558
कुल(ख)	18,09,646	40,34,558
कुल नकद एवं बैंक शेष (क+ख)	**1,06,40,57,079**	**1,21,41,50,025**

* नकद एवं नकद समतुल्यों में कंपनी द्वारा बैंकों में मेंटेन की जाने वाली जमाएं शामिल हैं जिसे मूलधन पर दंड अथवा पूर्व नोटिस के बिना किसी भी समय कंपनी द्वारा निकाली जा सकता है।

नोट- 15 : अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिमें		
अल्पावधिक ऋण और अग्रिमें		
(अनसिक्योर्ड समझी गई सामग्री)		
(i) भारत सरकार के पीडीएफ से		
अन्य ऋण एवं अग्रिमे	1,00,47,72,133	18,22,09,666
(ii) अन्य		
- एडवांस कर/टीडीएस (नेट प्रावधान)	39,14,064	56,97,424
[कराधान के लिए प्रावधान Rs. 2,34,48,800/- (गत वर्ष - रू.1,18,02,027/-)]		
- राजस्व प्राधिकार के साथ संतुलन	1,20,20,978	26,56,650
- प्रतिभूति जमाएं	18,09,646	15,70,353
- अन्य ऋण एवं अग्रिमे	2,29,10,434	1,31,22,373
	1,04,54,27,255	**20,52,56,466**

** शामिल हैः रू. 97,24,34,285/- (गत वर्ष - शून्या) इंडिया इंटरनेशनल कनवेंशन एंड एक्जीविसन सेंटर लि. और पूर्ण स्वामित्व वाली निम्नलिखित सहायक कंपनियों से बकाया

i)	डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लि.	-	5,000
ii)	डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लि.	-	5,000
iii)	डीएमआईसीडीसी वाधेल पावर कंपनी लि.	-	5,000
iv)	डीएमआईसीडीसी विले भागड कंपनी लि.	-	5,000
v)	डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कंपनी लि.	68,42,880	21,94,269

नोट 16 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		
(i) भारत सरकार के पीडीएफ में से		
अर्जित ब्याज किंतु बकाया नहीं	23,149	7,96,355
- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) (नोट सं.- 38 देखें)	-	15,61,44,375
- औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम (ग्वालियर) मध्य प्रदेश लि.(नोट सं. 38 देखें)	-	11,17,79,888
(ii) अन्य		
अर्जित ब्याज किंतु बकाया नहीं	5,03,88,670	6,11,26,224
	5,04,11,819	**32,98,46,842**

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीसीएल172316

वित्तीय विवरणों पर नोट

	समाप्त वर्ष 31 मार्च,2018 रूपए (₹)	समाप्त वर्ष 31 मार्च,2017 रूपए (₹)
नोट 19: प्रचालनों से राजस्व		
सेवा फीस [लेखांकन नीति सं. (ट) और नोट सं. 41 देखें]	14,37,86,338	3,32,62,000
कुल	**14,37,86,338**	**3,32,62,000**
नोट 20 : अन्य आय		
पीडीएफ राशि के अलावा अन्य सावधि जमाओं पर ब्याज	6,48,72,995	7,80,79,582
बोली प्रक्रिया फीस	-	6,02,621
आयकर रिफंड पर व्याज	-	6,22,059
विविध आय	3,92,110	1,980
सहायक कंपनियों के प्रशासन और अन्य सामान्य शीर्षों का संविभाजन	28,40,198	21,90,000
कुल	**6,81,05,303**	**8,14,96,242**
नोट 19 : कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन,मजदूरी एवं भत्ते (संविदागत कर्मचारियों समेत)	3,31,65,784	2,71,64,895
भविष्य निधि में अंशदान / पेंशन फंड में अंशदान	28,34,946	24,32,684
ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान	7,14,417	5,41,461
अवकाश नगदीकरण के लिए प्रावधान	1,04,414	92,795
स्टाफ कल्याण व्यय	23,74,431	20,03,317
स्टाइपेंड	1,31,086	1,96,233
कुल	**3,93,25,078**	**3,24,31,385**

		समाप्त वर्ष 31 मार्च,2018 रूपए (₹)	समाप्त वर्ष 31 मार्च,2017 रूपए (₹)
नोट 20 : मूल्यह्रास			
वर्ष के लिए (नोट सं.8 देखें)		29,21,690	18,25,010
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए (नोट सं.8 देखें)		1,76,281	-
	कुल	**30,97,971**	**18,25,010**
नोट 21 : अन्य व्यय			
किराया		2,19,48,069	1,98,58,205
लेखा परीक्षकों को भुगतान		3,25,000	2,75,000
विज्ञापन एवं सार्वजनिक सूचना पर व्यय		19,42,364	17,19,993
व्यापार प्रवर्धन व्यय		4,77,77,956	8,73,325
बिजली व्यय		2,90,033	3,05,799
मूल्यांकन समिति बैठक फीस		-	9,50,000
विदेश यात्रा व्यय		19,64,186	26,64,392
पेशेवर एवं परामर्श व्यय		48,53,266	46,37,806
बैठक एवं जलपान व्यय		6,35,380	13,17,302
कार्यालय मरम्मत एवं रखरखाव व्यय		4,08,843	76,801
आईटी व्यय		3,37,498	4,77,875
मूद्रण एवं स्टेशनरी		21,06,019	20,99,402
संचार एवं डाक टिकट व्यय		19,14,691	13,23,844
यात्रा एवं वाहन व्यय		43,39,101	47,40,330
बीमा व्यय		33,806	36,926
निदेशकों की बैठक फीस		2,60,600	4,42,600
पूर्व अवधि व्यय		74,042	33,616
अन्य व्यय		9,21,374	9,88,299
	कुल	**9,01,32,228**	**4,28,21,515**

लेखाओं के लिए नोट

22 औद्योगिक नीति एवं संबर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार ने पत्र सं. 11/1/2016-आईसी दिनांक 12 जनवरी,2017 के अनुसार भारत सरकार के अनुमोदन को सूचित करने वाले आदेश के बारे में बताया कि कंपनी राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्यन न्यास के लिए इसके वर्तमान डीएमआईसी परियोजना सहित सभी औद्योगिक कोरिडोरों के संबंध में नालेज भागीदार के रूप में काम करेगी जब तक कि दूसरे औद्योगिक कोरिडोर के लिए नालेज भागीदार सुव्यवस्थित नहीं हो जाते ।

23 निदेशक मंडल के विचार से सभी वर्तमान परिसंपत्तियों,ऋण और अग्रिमों का सामान्य कारोबार की स्थिति में भुनाए जाने पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होगा जिस पर उन्हें वित्तीय विवरणों और वर्ष के दौरान प्रावधान किए गए सभी ज्ञात देनदारियों में बताया गया होगा। व्यापार देयों, प्राप्तियों और अन्य प्राप्तियों/देयो के शेष को लेखाकन पुस्तिका में बताए गए मूल्य पर लिया गया है और वह संबंधित पक्षकारों द्वारा पुष्टि के अध्यधीन है।

24 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास और कार्यान्यन ट्रस्ट(एनआईसीडीआईटी) जिसे पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के नाम से जाना जाता था और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच निर्मित संबंधित सहायक कंपनियों/एसपीवी को परियोजना विकास फंड में से व्यय परियोजना विकास व्यय के अंतरण के मामले को 6/3/2018 को हुई एनआईसीडीआइटी के न्यास मंडल की तीसरी बैठक में विचारार्थ रखा गया था।

न्यास मंडल ने निर्णय किया है कि संबंधित सहायक कंपनियों/एसपीवी को अनुदान सहायता के रूप में दी गई परियोजना विकास निधि में से कथित सहायक कंपनियों/एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में डीएमआईसीडीसी द्वारा व्यय परियजना विकास व्यय को अंतरित किया जाए और उसकी वसूली को तबतक के लिए आस्थगित किया जाए जब तक कि एसपीवी पर्याप्त आधिक्य फंड सृजन करना शुरू न कर दे।

25 निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी संरचना के संबंध में दिनांक 27/05/2016 के का.ज्ञा.सं.5/2/2016 नीति के अनुसार दिशा-निर्देश जारी किया । दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सीपीएसई के लिए आवश्यक है कि वह पीएटी का न्यूनतम 30 प्रतिशत वार्षिक लाभांश अथवा शुद्ध मूल्य का 5 प्रतिशत जो भी अधिक हो भुगतान करे जो इस बात के अध्यधीन होगा कि यह विद्यमान कानूनी प्रावधानों के तहत आदेशित अधिकतम लाभांश है।

धारक और इसकी सहायक कंपनियों ने औद्योगिक नीति एवं प्रवर्धन विभाग के माध्यम से सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और सचिव, निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन की ओर से जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार न्यूनतम लाभांश के भुगतान से छूट की मांग की है। अतः कथित छूट के लंबित होने को ध्यान में रखते हुए वर्ष के लिए लाभांश के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

	31-मार्च-2018 रूपए (₹)	31-मार्च-2017 रूपए (₹)
26 आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है):		
(1) आकस्मिक देनदारियां	-	-
(2) प्रतिबद्धताएं		
(क) निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि जिनका प्रावधान निम्न कारण नहीं किया गया:		
- पूंजी खाता	-	-
- परियोजना विकास के कारण परामर्श संविदाएं	1,28,28,52,029	1,04,48,40,418
(ख) कंपनी की ओर से बैंक द्वारा जारी गारंटी	1,15,46,264	1,37,71,176
27 विदेशी मुद्रा में अर्जन एवं व्यय		
I विदशी मुद्रा में अर्जन	-	-
II विदेशी मुद्रा में व्यय		
- विदेश यात्रा व्यय	13,16,116	11,71,985
28 लेखा परीक्षकों को भुगतान		
लेखा परीक्षा फीस	2,25,000	2,25,000
अन्य सेवा:	1,00,000	50,000
	3,25,000	2,75,000

29 संबद्ध पार्टी द्वारा उद्घोषणा

I इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी संबद्ध पार्टी उद्घोषणा (एएस-18) पर लेखांकन मानक के अनुसार संबद्ध पार्टियां निम्नानुसार हैः

क	**कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव/नियंत्रण रखने वाले उद्यम**		
	जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कोआपरेशन(जेबीआईसी)	हां	हां

लेखाओं के लिए नोट

ख	**सहायक कंपनियां**		
	डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लि*	हां	हां
	डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लि.*	हां	हां
	डीएमआईसीडीसी वाघेल पावर कंपनी लि.*	हां	हां
	डीएमआईसीडीसी विले भागड पावर कंपनी लि.*	हां	हां
	डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कंपनी लि.	हां	हां
ग	**एफीलेट्स/ एसोशिएट्स**		
	हाउसिंग एंड अर्बन डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लि.	हां	हां
घ	**मुख्य प्रबंधन कार्मिक**		
	श्री अल्केश कुमार शर्मा	हां	हां
ङ	**वे उद्यम जिनपर मुख्य प्रबधन कार्मिक का महत्वपूर्ण प्रभाव है।**		
	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेशन एंड एक्जीविशन सेंटर लि. (19.12.2017 को निगमित)	हां	नहीं
	डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कंपनी लि.	नहीं	हां

* इन कंपनियों को खत्म करने के लिए आवेदन पत्रों को कंपनियों के पंजीयक एनसीटी दिल्ली और हरियाणा के कार्यालय में अक्टूबर 2017 में इन कंपनियों के नाम को हटाने के लिए आवेदन पत्रों को दायर किया गया है और उस पर कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए 31/03/2018 को समाप्त वर्ष के लिए इन कंपनियों के वित्तीय विवरणों को तैयार नहीं किया गया है और वह 31/03/2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा नहीं है। इस बात को कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सीएंडएजी को कार्यालयों को उनकी स्वीकृति /टिप्पणी के लिए सूचित कर दिया गया है। अभी तक इस संबंध में उनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

II उपर्युक्त पक्षकारों के साथ अवधि के दौरान लेनदेन की प्रकृति एवं मात्रा निम्नवत थीः

(राशि रूपए में)

ब्योरे	सहायक कंपनियां	एफिलेट्स	उद्यम जिनका कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव/नियंत्रण था	मुख्य प्रबंधन कार्मिक(केएमपी)	उद्यम जिन पर केएमपी का महत्वपूर्ण प्रभाव था।
बकाया शेष					
डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कंपनी लि.	68,42,880 21,94,269 (Cr)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लि.	शून्य (5,000)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लि.	शून्य (5,000)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
डीएमआईसीडीसी वाघेल पावर कंपनी लि.	शून्य (5,000)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
डीएमआईसीडीसी विले भागड पावर कंपनी लि.	शून्य (5,000)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
इंडिया इंटरनेशनल कंवेंशन एंड एक्जीविशन सेंटर लि.	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	98,76,72,641 (शून्य)

लेखाओं के लिए नोट

अवधि के दौरान समग्र लेनदेन					
डीएमआईसीडीसी निमराना सोलह पावर कंपनी लि.	1,77,65,593	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(30,92,755)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लि.	6,212	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(5,000)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लि.	6,216	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(5,000)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
डीएमआईसीडीसी वाघेल पावर कंपनी लि.	6,216	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(5,000)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
डीएमआईसीडीसी विले भागड पावर कंपनी लि.	6,216	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(5,000)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
श्री अल्केश कुमार शर्मा	शून्य	शून्य	शून्य	57,05,643	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(57,41,600)	(शून्य)
इंडिया इंटरनेशनल कंवेंशन एंड एक्जीविशन सेंटर लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	98,90,78,770
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
III अवधि के दौरान कंपनी वार भौतिक लेनदेन का विवरण					
क मुख्य प्रबंधन कार्मिक को भुगतान					
श्री अल्केश कुमार शर्मा	शून्य	शून्य	शून्य	57,05,643	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(57,41,600)	(शून्य)
ख डीएमआईसीडीसी निमराना सोलह पावर कंपनी लि.					
किया गया व्यय	1,77,65,593	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(30,92,755)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
ग डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लि					
किया गया व्यय	6,212	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(5,000)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
घ डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लि.*					
किया गया व्यय	6,216	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(5,000)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
ड़ डीएमआईसीडीसी वाघेल पावर कंपनी लि.*					
किया गया व्यय	6,216	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(5,000)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
च डीएमआईसीडीसी विले भागड पावर कंपनी लि					
किया गया व्यय	6,216	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(5,000)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
छ इंडिया इंटरनेशनल कंवेंशन एंड एक्जीविशन सेंटर लि.					
निगमन-पूर्व व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2,80,74,973
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
किया गया अन्य व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	94,43,54,482
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
वार्षिक सेवा मूल्य (कर सहित)	शून्य	(शून्य)	शून्य	शून्य	1,66,49,315
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)

नोट: कोष्ठक में () दिए गए आंकड़े गत वर्ष की राशि दर्शाते हैं।

लेखाओं के लिए नोट

30 सेगमेंट (वृत्त खंड) रिपोर्टिंग

कंपनी अत्याधुनिक औद्योगिक,औत्तिक और सामाजिक अवसंरचना के साथ औद्योगिक कोरिडोरों/ निवेश क्षेत्रों/ औद्योगिक क्षेत्रों/ आर्थिक क्षेत्रों/ औद्योगिक केंद्रों /विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों/ टाउनशिपों को सुकर बनाने, उनका विकास करने और स्थापना करने के कार्य में संलग्न है। चूंकि कंपनी एकल कारोबार एवं भौगोलिक सिग्मेंट में प्रचालन करती है अतः एएस-17 द्वारा प्रदत्त प्राथमिक एवं द्वीतियक उद्घोषणाओं की अपेक्षाएं लागू नहीं हैं।

31 प्रति शेयर आय

प्रति साम्य बेसिक अर्जन का संगणन कर पश्चात शुद्ध लाभ को अवधि के लिए शेष साम्य शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया गया है।

	व्यौरे	यूनिट	समाप्त वर्ष 31 मार्च,2018 रूपए (₹)	समाप्त वर्ष 31 मार्च,2017 रूपए (₹)
क	साम्य शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	रूपए (₹)	5,52,10,784	2,60,63,349
ख	इपीएस की गणना के लिए हल के रूप में प्रयोग किए गए साम्य शेयरों की संख्या का भारित औसत	शेयरों की संख्या	10,00,00,000	10,00,00,000
ग	प्रति शेयर बेसिक/डाइल्यूटिड अर्जन(क/ख)	रूपए (₹)	0.55	0.26
घ	प्रति साम्य शेयर अंकित मूल्य	रूपए (₹)	10.00	10.00

32 लेखांकन नीति में परिवर्तन

क गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां शीर्ष के तहत दर्शाये गये परियोजना विकास व्यय को अग्रलिखित के अनुसार अंतरित किया गया है (1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां के अंतर्गत विशेष एसपीवी से वसूली योग्य राशि एसपीवी /सहायक कंपनियों से सीधे संबंध तक और(2) परियोजनाएं जिन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजी भंडार शीर्ष के तहत परियोजना विकास फंड से कटौती के रूप में शुरू नहीं किया जा सका से सीधे जुड़ी सीमा तक।

लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण कंपनी के लाभ और हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ख वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान रू.5000/- से कम की लागत वाली परिसंपत्तियों के शुद्ध अंकित मूल्य को पूरी तरह बट्टे खाते डाल दिया गया है। इसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों की बट्टेखाते डाली गई राशि और लाभ एवं हानि के शेष को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रू.4,415/- कम कर दिया गया है।

33 सेवा निवृत्ति लाभ

परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में भविष्य निधि/पेंशन फंड में वास्तविक अंशदान के आधार पर परिभाषित अंशदान योजना के तहत रू 28,34,946/- (गत वर्ष रू. 24,32,684/-) की राशि को स्वीकार किया है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

क ग्रेच्यूटी (अनिधिकृत): 5 वर्ष की सेवा के पूरा होने पर संगठन छोड़ते समय प्रत्येक पूरा किए गए वर्ष के लिए 15 दिनों की सेवा के बराबर का भुगतान । वास्तविक मूल्यांकन पर विचार करते हुए रू. 7,14,417/- की राशि (गत वर्ष - रू 5,41,461/-) का प्रावधान 31 मार्च, 2018 को समाप्त लाभ हानि के विवरण में किया गया है।

ख अवकाश नकदीकरण (अनिधिकृत): कंपनी ने 01 अप्रेल, 2016 से अवकाश नकदीकरण की नीति को लागू किया है। नीति के अनुसार कर्मचारी को वर्ष के दौरान एक निर्धारित सीमा के अध्यधीन बाद के वर्षों के लिए छुट्टियों न ले जाते हुए प्रयोग नहीं की गई छुट्टियों का नगदीकरण कराने का हक होगा। अवकाश नकदीकरण का मूल्य, प्रयोग न की गयी छुट्टियों के लिए बेसिक वेतन की राशि के अनुपात में परिगणित किया जाता है।

लेखाओं के लिए नोट

ग्रेच्यूटी (अनिधिकृत))

	31-मार्च-2018	31-मार्च-2017
लाभ हानि के विवरण में व्यय का सामंजस्य विवरण		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	24,57,331	17,42,914
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,42,914	12,01,453
भुगतान किये गए लाभ	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय	7,14,417	5,41,461
लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय		
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	-	-
नियोजक का अंशदान	-	-
दिए गए लाभ	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	-	-
नियोजक का अंशदान	-	-
दिए गए लाभ	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
निधिकरण की स्थिति	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्राक्कलित लाभ पर वास्तविक का आधिक्य	-	-
लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	5,25,413	4,35,092
पूर्व सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	1,35,076	96,116
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	-	-
कटौती लागत/(ऋण)	-	-
समायोजन लागत /(ऋण)	-	-
अवधि में स्वीकृत शुद्ध वास्तविक (लाभ)/हानि	53,928	10,253
लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय	7,14,417	5,41,461
परिकल्पना :		
छूट दर	7.75% प्रति वर्ष	8% प्रति वर्ष
भावी वेतन वृद्धि	6% प्रति वर्ष	6%प्रति वर्ष
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ दर	-	-

एक्चूरिएल वैलुएशन के मद्देनजर भावी वेतन वृद्धि में मूल्य वृद्धि,वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों जिसमें रोजगार बाजार में पूर्ति और मांग सम्मलित है, को शामिल किया जाता है।

उपर्युक्त सूचना एक्चूरियल मूल्यांकन कर्ता द्वारा प्रमाणित है।

छूट की दर मूल्यांकन की तारीख के अनुसार वर्तमान बाजार उत्पाद पर आधारित है।

लेखाओं के लिए नोट

34 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्योगों के बकायों का विवरण

माइक्रो,लघु एव मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उनके पंजीकरण और पात्रता पर व्यापार देयों से पुष्टी के अभाव में इन उद्यमों को वर्ष के अंत में देय राशि को शून्य दर्शाया गया है।

35 प्रचालन लीज(पट्टा)

कंपनी के पास होटल अशोक,चाणक्यपुरी,नई दिल्ली में लाइसेंस पर आरंभ में तीन वर्ष के लिए तीन आफिस स्पेस हैं। लाइसेंसी (लेसी) 6 माह की लिखित में एडवांस सूचना देने को छोड़ कर लाइसेंस अवधि समाप्त होने से पहले लाइसेंस समाप्त नहीं करेगा। लाइसेंस संबंधी डीड आरंभिक लीज अवधि समाप्त होने से पहले परस्पर सहमति से अगले दो वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत की जा सकती है। वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में कुल लाइसेंस फीस की राशि ₹ 2,19,48,069 /- (गत वर्ष ₹ 1,98,58,205/-) प्रकट की गई है।

परियोजना विकास गतिविधियों से कंपनी द्वारा विज्ञापन एवं प्रकाशन पर किये गये व्यय को जो उस कार्य के लिए गत वित्तीय वर्षों के लिए बिड प्रक्रिया फीस द्वारा कम किया गया, लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए परियोजना विकास व्यय को अंतरित किया गया है।

37 भारत सरकार ने दिनांक 07/12/2016 के मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के अनुसार डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के आदेश पत्र में विस्तार किया है ताकि औद्योगिक कोरिडोरो में समग्र रूप से आयोजना, विकास, निधिकरण, कार्यान्वयन, प्रचालन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए एकीकृत डेडिकेटेड संस्थागत फ्रेमवर्क के लिए औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं अर्थात अमृतसर- कोलकाता निवेश क्षेत्र (एकेआईसी) ,बंगलूरू - मुंबई आर्थिक कोरिडोर(बीएमईसी) और चेन्नै- बंगलूरू औद्योगिक कोरिडोर (सीबीआईसी) को शामिल किया जा सके। जबतक अन्य औद्योगिक कोरिडोरों के लिए नालेज पार्टनरों को नियोजित किया जाएगा , तबतक डीएमआईसीडीसी लि. अन्य औद्योगिक कोरिडोरों के लिए भी नालेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगी। अन्य औद्योगिक कोरिडोरों के लिए मंजूर परियोजना विकास फंड भी ट्रस्ट के माध्यम से डीएमआईसीडीसी लि. को भेजे जाएंगे।

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.(डीएमआईसीडीसी) के निदेशक मंडल ने दिनांक 16 नवंबर, 2016 को हुई अपनी 42वीं बैठक में गुना मध्यप्रदेश, इंदापुर और विले भागड़ महाराष्ट्र में स्थित गैस आधारित पावर परियोजनाओं के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा आबंटित भूमि को वापस करने का फैसला लिया। डीएमआइसीडीसी ने दिनांक 03/12/2016 के पत्र द्वारा संबंधित राज्य एजेंसियों को भूमि वापस कर दिया है।

औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (ग्वालियर) म.प्र. ने म.प्र. में गुना में भूमि की वापसी के लिए अग्रिम के रूप में दी गई समग्र राशि लौटा दी है। तथापि, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमडीसी) ने महाराष्ट्र में विले भागड और इंदापुर में डीएमआईसीडीसी लि. द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण राशि का 95 प्रतिशत वापस कर दिया है।

कंपनी की लेखा पुस्तकों में आवश्यक समायोजन कर दिए गए है।

39 कंपनी ने अपनी खुद की स्वामित्व वाली गैस आधारित पावर एसपीवी अर्थात डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लि., डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लि, डीएमआईसीडीसी वाघेल पावर कंपनी लि, डीएमआईसीडीसी विले भागड़ पावर कंपनी लि के नाम को 21 अप्रेल,2017 के परिपत्र द्वारा जारी संकल्प के अनुसार कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियमावली,2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार कंपनियों के पंजीयक द्वारा रखे जा रहे केपनी रजिस्टर में से निकालने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन पत्रों को कंपनी रजिस्ट्रार एनसीटी दिल्ली और हरियाणा के कार्यालय मे दायर कर दिया गया है। ताकि 16 अक्टूबर, 2017 को इन केपनियों के नाम को हटाया जा सके और यह प्रक्रिया चल रही है।

तदनुसार इन एसपीवी में धारित साम्य शेयरों का मूल्यांकन उनकी परिसंपत्तियों के आधार पर किया गया है और संबंधित एसपीवी के वित्तीय विवरणों के अनुसार परिणामों और अंतर को परियोजना विकास व्ययों के रूप में स्वीकृत किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की सिफारिशों के अनुसार डीएमआईसीडीसी के निदेशक मंडल ने 21 सितंबर, 2017 को हुई 45 बैठक में रू. 10/- प्रति के अंकित मूल्य पर धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लि. के 43,90,000 साम्य शेयरों को राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्यन ट्रस्ट पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वय ट्रस्ट **फंड (डीएएमआईसीपीआईटीएफ)** को अंतरित करने का निर्णय लिया जिसे परियोजना विकास फंड में से व्यय परियोजना विकास व्यय के विरूद्ध कंपनी के नाम से जारी किया गया था ।

एनआईसीडीआईटी द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2017 को हुई दूसरी बैठक में इसे अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदुनुसार धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी के साम्य शेयरों को एनआईसीडीआईटी के नाम में अंतरित किया गया है और समतुल्य राशि को एनआईसीडीआईटी के परियोजना कार्यान्वयन फंड से डीएमआईसीडीसी के परियोजना विकास फंड मे वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया है।

41 लेखांकन नीति सं. (के) को देखते हुए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेशन एंड एक्जीविशन सेंटर लि. से वार्षिक सेवा फीस को 19/12/2017 से आनुपातिक आधार पर स्वीकृत किया गया है।

लेखाओं के लिए नोट

42 (i) राजस्थान राज्य में भूमि अधिग्रहण के संबंध में वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त हुई 2 रिट याचिकाओं में एक प्रतिवादी कंपनी को बनाया गया है। चूंकि भूमि के अधिग्रहण में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है और यह पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार में आता है अतः कंपनी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर शाखा में एक प्रति हलफनामा दायर किया है कि प्रतिवादी के रूप में कंपनी के नाम को हटाया जाए।

(ii) इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीविशन सेंटर परियोजना द्वारका, नई दिल्ली के संबंध में डीएमआईसीडीसी लि. परियोजना हेतु नालेज पार्टनर के रूप में कार्य कर रहा है। परियोजना बाउंडरी के आस-पास की जगह पर फिर से वृक्ष लगाने के संबंध में 31 मार्च, 2018 को चूंकि यह मामला राष्ट्रीय हरित ट्राईब्यूनेल के पास लंबित था और डीएमआईसीडीसी को एक प्रतिवादी बना दिया गया। एनजीटी ने अपने आदेश दिनांक 4 अप्रेल, 2018 के अनुसार मुकदमें को खारिज कर दिया है।

(iii) तथापि, उपर्युक्त घटनाओं से कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

43 गत वर्ष के लिए आंकडों को चालू वर्ष के हिसाब से मिलान के लिए जहां आवश्यक हो पुनर्वर्गीकृत किया गया है और उनका फिर से समूहन किया गया है। .

संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार
एसएसएआर एवं एसोशिएट्स के लिए
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

हस्ता.
सचिन जैन
(पार्टनर)
(सदस्यता सं.. 502054)

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.
अल्केश कुमार शर्मा
(सीईओ एवं प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन : 02724743)

हस्ता.
(जय प्रकाश बत्रा)
निदेशक
(डीआईएन: 00654332)

स्थान:नई दिल्ली
दिनांक: 22 जून, 2018

हस्ता.
पी.के.अग्रवाल
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.
(अभिषेक चौधरी)
उपाध्यक्ष - कार्पोरेट कार्य, मा.सं.
एवं कंपनी सचिव

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

एसएसएआर एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य
दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरण संबंधित रिपोर्टः

हमने **दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड** (एतद्पश्चात धारक कंपनी के रूप में उल्लिखित) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियां एक साथ समूह के रूप में उल्लिखित) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों जिसके साथ **31 मार्च, 2018** की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित रोकड अंतर्वाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं के सार की लेखा जांच की है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्वः

धारक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (एतद्पश्चात अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की अपेक्षाओं की शर्तों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के नियम-7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विशेष रूप से निर्धारित लेखांकन मानदंडों के साथ भारत मे सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित नकद प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त लेखांकन दस्तावेजों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना और धोखाधडी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाना और रोकना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं प्रयोग, उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण आंकलन करना तथा निर्णय देना और उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रख-रखाव जो लेखांकन दस्तावेजों के सटीकता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढ़ंग से काम कर रहे थे जो समेकित वित्तीय विवरणों जो सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और गलत सामग्री प्रस्तुत नहीं करते हैं, चाहें वह

धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो तथा जिसका प्रयोग जैसा कि पहले कहा गया है, धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया गया है, शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्वः

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में मत अभिव्यक्त करना है। लेखा परीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखा परीक्षा मानदंडों और अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा-143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक जरूरतों का अनुपालन करें ओर कोई वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त है या नहीं के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा सुयोजित करें तथा निष्पादित करें।

लेखा परीक्षा के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की राशि तथा प्रकटीकरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना अंतर्ग्रस्त है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है जिसमें समेकित वित्तीय विवरण जो चाहे धोखाधड़ी वाले हों अथवा गलती के कारण, में वास्तविक गलत विवरण का जोखिम शामिल है। इन जोखिमों के मूल्यांकन में लेखा परीक्षक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उन्हें सही ढ़ंग से प्रस्तुत करने में उचित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं न कि यह मत प्रकट करने के लिए कि धारक कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग करने के संबंध में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावकारिता के प्रचालन के लिए,ताकि परिस्थितियों के उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन किया जा सके। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन प्राक्कलनों की तर्कसंगतता तथा वित्तीय विवरणों के समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य तथा नीचे दिए अन्य मामले अनुच्छेद में उल्लिखित अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की शर्तों में उनके द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु उपयुक्त हैं।

मतः

हमारा मत है कि हमारी सर्वोत्कृष्ट जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, अधिनियम द्वारा यथापेक्षित रूप में वांक्षित सूचना प्रदान करता है और यह भारत में सामान्य रूप से मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप **31 मार्च, 2018** की स्थिति के अनुसार समूह के समेकित कार्यों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उनकी समेकित लाभ और समेकित रोकड़ प्रवाह के संबंध में वास्तविक एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत करता है।

अन्य मामलेः

हमने सहायक कंपनी डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कंपनी लि. जिसका वित्तीय विवरण **31मार्च, 2018** की स्थिति के अनुसार रू. 3826.74 लाख की कुल परिसंपत्तियां और उस तिथि को समाप्त वर्ष जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, रू. 1737.23 लाख का कुल राजस्व तथा रू.140.89 लाख के राशि का शुद्ध नकद अंतर्वाह दर्शाता है, के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा किसी अन्य लेखा परीक्षक के द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है और इस प्रकार समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत जहां तक इनका संबंध संबंधित सहायक कंपनियों के संबध में शामिल राशियों और उद्घोषणाओं से है, तथा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के अनुसार जहां तक उपर्युक्त सहायक कंपनियों से इनका संबंध है, पूर्ण रूपेण अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे मत और अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में नीचे दी गई हमारी रिपोर्ट में काम के बारे में हमारे विश्वास और अन्य लेखाकार की रिपोर्ट के संबंध में उपर्युक्त मामले को देखते हुए कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियमितिकरण अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. हम अधिनियम की धारा 143 उपधारा (3) के अंतर्गत यथा अपेक्षित लागू सीमा तक यह रिपोर्ट करते हैः

   (क) कि हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर ली हैं जो हमारी जानकारी एवं अधिकतम विश्वास के अनुरूप उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा जांच के उद्देश्य से आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में जैसा कि कंपनी की लेखा पुस्तिकाओं की जांच से प्रतीत होता है, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बहियों को उचित ढ़ंग से रखा गया है।

(ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण तथा समेकित रोकड़ अंतर्वाह ब्यौरे समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए काम में आने वाली लेखा बही के अनुरूप हैं।

(घ) हमारे मत में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण में कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014(यथा संशोधित) के नियम-7 के साथ पठित अधिनियम की धारा-133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ङ) 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रत्यावेदनों के आधार पर धारक कंपनी तथा उसकी सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल के अभिलेख के अनुसार समूह कंपनियों का कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2018 को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

(च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और इन नियंत्रणों की कार्यशील प्रभावकारिता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट "**संलग्नक-क**" का अवलोकन करें।

(छ) कंपनी(लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम-11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i.) समूह के पास कोई मुकदमा लंबित नहीं है जिससे इसकी समेकित वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े।

ii.) समूह के पास कोई ऐसा दीर्घवधिक अनुबंध नहीं है जिसमें व्युत्पन्न अनुबंध भी शामिल हैं जिसके लिए कोई वास्तविक भावी हानि हुई हो।

iii.) ऐसी कोई राशि नहीं थी जो समूह द्वारा निवेश शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित की जानी अपेक्षित थी।

2. अधिनियम की धारा143(5) द्वारा यथा अपेक्षित अपनी सर्वोत्तम जानकारी और हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं किः

(क) समूह के पास पट्टा धारित भूमि का स्पष्ट स्वामित्व है।

(ख) हमारे मत में समूह की किसी भी कंपनी के ऋण/कर्ज/व्याज को बट्टे खाते डालने/मांफ करने का कोई मामला नहीं है।

(ग) समूह ने जापान सरकार के न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेकनालाजी डेवेलपमेंट आर्गेनाइजेशन से अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों/ उपस्करों के अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है। समूह का तीसरे पक्ष के पास पड़ी कोई सामान नहीं है।

कृते एसएसएआर एंड एशोसिएट
चार्टर्ट लेखाकार
एफआरएनः 004739एन

हस्ता.
(सचिन जैन)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 502054
पताः 19ए, अंसारी रोड, दरियागंज
नई दिल्ली-110002

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 जून, 2018

"संलग्नक-क"

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक दिनांक की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के उपबंध(1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में रिपोर्टः

हमने **31 मार्च, 2018** को समाप्त वर्ष के लिए तथा कंपनी की स्थिति के अनुसार उसके समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ **दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. (धारक कंपनी) और** इसकी सहायक कंपनियों जो उस तारीख को भारत में निगमित हुई हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्वः

धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों जिनकी स्थापना भारत में की गई है, के संबंधित निदेशक मंडल इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया(आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी निर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करने के लिए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो इसके कारोबार का नियमानुसार दक्षतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके जिसमें कंपनी की नीतियों, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाना और रोकना, लेखांकन अभिलेखों का सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है, की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्वः

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में मत अभिव्यक्त करना है। हमने इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी निर्देश टिप्पणी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(10) के निर्देश के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लागू सीमा तक अपेक्षित दोनों जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू है और जो इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए हैं, की लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और निर्देशों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक जरूरतों का अनुपालन करें और वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करें और इसका अनुपालन करें तथा ये नियंत्रण हर तरह से प्रभावी ढ़ंग से काम कर रहे थे या नहीं के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा सुयोजित करें और निष्पादित करें।

हमारी लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना अंतर्ग्रस्त है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना और उस जोखिम का मूल्यांकन करना जिसकी वजह से कोई कमी आती है और मूल्यांकित जोखिम पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित है जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक गलत विवरण का जोखिम जो चाहें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य और नीचे लिखे अन्य मामले पैरा में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को आधार प्रदान करने हेतु हमारी लेखा परीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्रायः

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्सनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:-

i.) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित होती हैं जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और उनके बारे में सटीक एवं सही जानकारी प्रदान करती हैं;

ii.) उचित आश्वासन देती हैं कि लेनदेन या सौदों को इसलिए रिकार्ड किया जाता है कि वे आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणो को तैयार करने की अनुमति प्रदान करती हैं और कंपनी की इन प्राप्तियों एवं व्ययों को कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रकों के प्राधिकार के अनुसार ही तैयार किया जा रहा है;

iii.) कंपनी की परिसंपत्तियों की अनधिकृत अधिप्राप्ति,प्रयोग अथवा निस्तारण के रोकथाम अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन देती हैं जिनका वित्तीय विवरणों के संबंध में वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण जिसमें सांठ-गांठ की संभावना अथवा नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधकीय अवहेलना शामिल हैं, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक रूप से गलत विवरण हो सकते हैं अथवा पता नहीं लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा, भावी अवधियों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में कमी आ सकती है।

मतः

हमारे मत में सभी मामलों के संबंध में, धारक कंपनी भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और **31मार्च,2018** की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढ़ंग से काम कर रहे थे जो इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकान्टैंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के संबंध में निर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आधारित है।

अन्य मामलेः

हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट जहां तक भारत में निगमित सहायक कंपनियों का संबंध है, वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और प्रचालनात्मक प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3) (1) के अंतर्गत भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखा परीक्षकों की समकक्ष रिपोर्टों पर आधारित है।

कृते एसएसएआर एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004739 एन

हस्ता.
(सचिन जैन)
पार्टनर
सदस्यता सः 502054
पताः 19ए, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

स्थानःनई दिल्ली
दिनांकः 22 जून, 2018

समेकित वित्तीय विवरण

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

समेकित तुलन पत्र 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

ब्योरे	नोट सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार रूपए (₹)	रूपए (₹)	31 मार्च, 2017 के अनुसार रूपए (₹)	रूपए (₹)
I.साम्य एवं देनदारियां					
(1) शेयरधारक निधि					
(क) शेयरपूंजी	1	1,00,00,00,000		1,00,00,00,000	
(ख) भंडार एवं पूर्तियां	2	5,25,05,80,138	6,25,05,80,138	4,54,79,00,841	5,54,79,00,841
(2) गैर-वर्तमान देनदारियां					
(क) दीर्घावधिक उधार	3	3,60,00,000		6,64,89,756	
(ख) अन्य दीर्घावधिक देनदारियां	4	7,20,24,850		7,74,88,300	
(ग) दीर्घावधिक प्रावधान	5	24,74,295	11,04,99,145	17,34,611	14,57,12,667
(3) वर्तमान देनदारियां					
(क) व्यापार देय	6				
(i) माइक्रो उद्यम और लघु उद्यमों के कारण कुल बकाया		-		-	
(ii) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर ऋणदाताओं के कुल बकाया देय		74,51,62,068		32,58,21,656	
(ख) अन्य वर्तमान देनदारियां	7	7,07,11,567		6,87,48,564	
(ग) अल्पावधिक प्रावधान	8	1,85,104	81,60,58,739	1,90,55,953	41,36,26,173
कुल			**7,17,71,38,022**		**6,10,72,39,681**
II. परिसंपत्तियां					
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां					
(क) चल परिसंपत्तियां					
(i) संपत्ति,संयंत्र एवं उपस्कर	9	33,40,80,201		28,24,77,687	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		59,06,098		3,31,874	
(iii) कार्यशील पूंजी		6,69,654		2,91,96,156	
		34,06,55,953		31,20,05,717	
(ख) गैर-वर्तमान निवेश	10	-		4,39,00,000	
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	11	34,75,899		24,20,772	
(घ) दीर्घावधिक ऋण व अग्रिमें	12	98,61,618		1,12,68,538	
(ङ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	13	4,60,77,67,563	4,96,17,61,033	3,88,86,81,371	4,25,82,76,398
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां					
(क) वस्तु सूची	14	12,46,880		-	
(ख) व्यापार प्राप्तियां	15	2,71,65,156		10,06,96,702	
(ग) नकद एवं बैंक शेष	16	1,08,31,39,278		1,22,02,02,926	
(घ) अल्पावधिक ऋण व अग्रिमें	17	1,05,24,72,523		19,79,28,078	
(ङ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	18	5,13,53,152	2,21,53,76,989	33,01,35,577	1,84,89,63,283
			7,17,71,38,022		**6,10,72,39,681**
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों के साथ टिप्पणियां	1 - 47				

संलग्न समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एसएसएआर एवं एसोशिएट्स के लिए
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.
सचिन जैन
(पार्टनर)
(सदस्यता सं.. 502054)

हस्ता.
अल्केश कुमार शर्मा
(सीईओ एवं प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन : 02724743)

हस्ता.
जय प्रकाश बत्रा
(निदेशक)
(डीआईएन : 00654332)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22-जून-2018

हस्ता.
पी.के. अग्रवाल
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.
अभिषेक चौधरी
(वीपी - कारपोरेट कार्य, एचआर एवं कंपनी सचिव)

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

समेकित लाभ एवं हानि विवरण, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

	नोट सं.	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2018 रूपए (₹)	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017 रूपए (₹)
I. प्रचालन से राजस्व	**19**	31,52,83,183	18,99,81,489
II. अन्य आय	**20**	6,74,91,407	9,36,40,252
III. कुल राजस्व(I+II)		**38,27,74,590**	**28,36,21,741**
IV. व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	**21**	4,42,41,498	3,47,56,835
वित्त लागत	**22**	84,61,770	79,77,038
मूल्यह्रास व्यय	**23**	4,27,45,134	3,00,42,132
अन्य व्यय	**24**	15,27,94,165	4,99,44,465
V. कुल व्यय		**24,82,42,567**	**12,27,20,470**
VI. लाभ/(हानि) कर-पूर्व (III-V)		**13,45,32,023**	**16,09,01,271**
VII कर व्यय			
- वर्तमान वर्ष		4,15,69,800	4,81,57,127
- गत वर्ष		46,45,249	19,602
- आस्थगित कर देनदारी/ (परिसंपति)		(10,55,126)	(11,21,201)
- आधिक्य प्रावधान वापस लिया गया		-	-
VII लाभ /(हानि) वर्ष के लिए कर-पश्चात (VI-VII)		**8,93,72,100**	**11,38,45,743**
IX. अर्जन प्रति साम्य शेयर, प्रत्येक रू.10/- के अंकित मूल्य पर			
- बेसिक /डाइल्युटेड		**0.89**	**1.14**
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां			
वित्तीय विवरणों के साथ टिप्पणियां	**1 - 47**		

संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

एसएसएआर एवं एसोशिएट्स के लिए
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

हस्ता.
सचिन जैन
(पार्टनर)
(सदस्यता सं.. 502054)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22-जून-2018

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.
अल्केश कुमार शर्मा
(सीईओ एवं प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन : 02724743)

हस्ता.
पी.के. अग्रवाल
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.
जय प्रकाश बत्रा
(निदेशक)
(डीआईएन : 00654332)

हस्ता.
अभिषेक चौधरी
(वीपी - कारपोरेट कार्य, एचआर एवं कंपनी सचिव)

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2018 रूपए (₹)		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017 रूपए (₹)	
क. नकद प्रवाह, प्रचालन गतिविधियों से:					
कर-पूर्व शुद्ध लाभ		13,45,32,023		16,09,01,271	
समायोजन:					
मूल्यह्रास		4,27,45,134		3,00,42,132	
वित्त लागत		84,61,770		79,77,038	
ब्याज आय		(6,70,74,528)		(8,04,33,014)	
शुद्ध नकद असाधारण मद और कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन गतिविधियों से		11,86,64,399		11,84,87,427	
असाधारण मदें		(8,67,218)		-	
प्रचालन लाभ, कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व	**(क)**	11,77,97,181		11,84,87,427	
समायोजन:					
व्यापार में(वृद्धि)/ह्रास एवं अन्य प्राप्तियां		(47,69,25,524)		(46,84,10,748)	
वस्तु सूचियों में(वृद्धि)/कमी		(12,46,880)		-	
व्यापार देयों में वृद्धि/(ह्रास) एवं अन्य देय		43,68,41,789		2,41,85,963	
करों का रिफंड/(भुगतान) (टीडीएस सहित)		(8,90,52,043)		(1,57,07,451)	
प्रचालन कार्यों से शुद्ध नकद/(में प्रयोग किया गया)	**(ख)**	**(13,03,82,658)**		**(45,99,32,236)**	
प्रचालन कार्यों से शुद्ध नकद	**(क)+(ख)**		**(1,25,85,477)**		**(34,14,44,809)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह:					
परियोजना विकास व्ययों में (निवेशित)		(94,14,45,397)		(34,66,26,830)	
(खरीद) / बिक्री अचल परिसंपत्तियां		4,39,00,000		-	
भुमि किस्तों का (भुगतान)		(54,63,450)		(54,63,450)	
निवल परिसंपत्तियों की (खरीद)/बिक्री		(7,13,95,370)		55,62,117	
पूंजी मालों के लिए अग्रिम में (वृद्धि)/कमी		(1,05,46,933)		(1,09,88,092)	
बैंक जमा में (वृद्धि)/ कमी		22,74,912		1,52,63,382	
ब्याज आय		6,70,74,528		8,04,33,014	
शुद्ध नकद निवेश गतिविधियों से/ (में प्रयोग किया गया)			**(91,56,01,710)**		**(26,18,19,859)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह					
वित्त लागत		(1,26,51,348)		(37,87,460)	
एनआईसीडीआईटी से ऋण		(3,04,89,756)		(4,70,10,244)	
परियोजना विकास निधि		83,64,89,555		77,59,47,975	
वित्तीय गतिविधियों से/ (में प्रयोग किया गया) शुद्ध नकद			**79,33,48,451**		**72,51,50,271**
घ. नकद एवं नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/ (कमी)			**(13,48,38,736)**		**12,18,85,603**
ड़. नकद एवं नकद समतुल्य, वर्ष के आरंभ में			**1,21,61,58,368**		**1,09,42,72,765**
च. नकद एवं नकद समतुल्य, वर्ष के अंत में (नोट सं.-16 देखें)			**1,08,13,19,632**		**1,21,61,58,368**

संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

एसएसएआर एवं एसोशिएट्स के लिए
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

हस्ता.
सचिन जैन
(पार्टनर)
(सदस्यता सं.. 502054)

स्थान:नई दिल्ली
दिनांक: 22-जून-2018

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.
अल्केश कुमार शर्मा
(सीईओ एवं प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन : 02724743)

हस्ता.
पी.के. अग्रवाल
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.
जय प्रकाश बत्रा
(निदेशक)
(डीआईएन : 00654332)

हस्ता.
अभिषेक चौधरी
(वीपी - कारपोरेट कार्य, एचआर एवं कंपनी सचिव)

समेकित लेखाओं के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) समेकन के सिद्धांत

यह समेकित वित्तीय विवरण दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. और इसकी सहायक कंपनियों के संबंध में है। समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है।

कंपनी और इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को लेखांकन मानक (एएस-21) -समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार अंतरा-समूह शेष राशियों और अंतरा-समूह लेनदेन को पूरी तरह समाप्त करते हुए एक समान परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्ययों के बुक वैल्यू को एक साथ जोड़कर लाइन -बाई -लाइन आधार पर संयुक्त किया गया है।

जहां तक संभव है समेकित वित्तीय विवरणों को समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य कार्यों के लिए समान लेखांकन नीतियों को अपनाते हुए तैयार किया गया है। और उन्हें उसी तरह प्रस्तुत किया गया है जैसे कंपनी के स्टैंड एलोन वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया गया है।

ख) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन नीतियों (इंडियन जीएएपी) का अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत कन्वेशनों के तहत उपचय आधार पर तैयार किया जाता है।वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां गत वर्षों के दौरान अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

ग) प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह अपेक्षित है कि कंपनी का प्रबंधन कुछ प्राक्कलन और अनुमान नियत करें जिनका परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक देनदारियों की उद्घोषणा और रिपोर्ट की जा रही अवधि के दौरान राजस्व और व्ययों की रिपोर्ट की गई राशि पर प्रभाव पड़ता है। वास्तविक परिणाम और प्राक्कलनों के बीच अंतर को उस अवधि में लिया जाता जिसमें परिणाम ज्ञात /या मूर्त होते हैं।

घ) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

i) संपत्ति,संयंत्र और उपस्कर लागत माडल के अनुसार अर्थात लागत रहित संचित मूल्यह्रास क्षति, यदि कोई हो पर बताए गए हैं।

ii) अधिग्रहण से सीधे जुड़ी लागतें पूंजीभूत हैं जबतक कि जैसा कि प्रबंधन द्वारा अपेक्षित है संपत्ति,संयत्र और उपस्कर प्रयोग के लिए तैयार नहीं है।

iii) संपत्ति,संयंत्र और उपस्कर से संबंधित परिणामी व्यय तब पूंजीभूत होते हैं जब इस बात की संभावना हो कि इनसे जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तुओं की लागत का विश्वसनीय तरीके से अनुमापन किया जा सकेगा। मरम्मत और रखरखाव लागतें लाभ एवं हानि के विवरण में खर्च होने पर स्वीकृत की जाती हैं।

iv) लागत और संबंधित संचित मूल्यह्रास परिसंपत्ति की बिक्री होने या निवृत्ति पर वित्तीय विवरणों से हटा दिए जाते हैं और परिणामी लाभ व हानियों को लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत कर लिया जाता है। निस्तारित परिसंपत्तियों को कैरी वैल्यू या फेयर वैल्यू घटा बिक्री की लागत पर रिपोर्ट किया जाता है।

v) लैंडस्केपिंग एवं हार्टिकल्चर कार्यों के संबंध में व्यय को लैंडस्केपिंग एवं हार्टिकल्चर कार्य शीर्ष के अंतर्गत पूंजीभूत किया गया है।

vi) 99 वर्ष अथवा उससे कम समय के लिए पट्टा पर ली गई भूमि को पट्टाधारित भूमि के रूप में माना गया है।

समेकित लेखाओं के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

vii) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को आनुपातिक आधार पर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से मूल्यह्रास राशि की सीमा तक कम करती है। मूल्यह्रास निम्नलिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर जिनका उपयोग योग्य जीवनकाल अनुसूची 2 में प्रदत्त से अलग है, परिसंपत्तियों के उपयोग योग्य जीवनकाल के आधार पर प्रदान किया जाता है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में निर्धारित है।

व्यौरे	मूल्यह्रास	औचित्य
- कार्यालय नवीकरण व्यय	पूंजीकरण की तारीख से कार्यालय की पट्टा अवधि में समान रूप से एमोरटाइज़ किया गया	परिसंपत्तियां की प्रकृति अचल है और इसलिए लीज अवधि के दौरान बट्टे खाते डाल दी गई।
- सोलर पैनेल	- साल्वेज मूल्य 10 प्रतिशत माना गया है और मूल्यह्रास परिसंपत्तियां पूंजीलागत का 90 प्रतिशत मानी गई है। - प्रयोज्यता जीवन काल वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 25 वर्ष माना गया है। - पहले 13 वर्षों के लिए मूल्यह्रास दर 5.28 प्रतिशत है और शेष मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के शेष जीवन काल के दौरान विस्तारित है। - मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर लगाया जाएगा।	यह केंद्रीय विद्युत विनियमन आयोग नियमावली, 2017 के अनुसार है।
- लैंडस्केपिंग और हार्टिकल्चर कार्य	मूल्यह्रास योग्य राशि डब्लूडीवी तरीके से 5 वर्ष की अवधि के दौरान कम की गई है।	उपयोग योग्य जीवन काल 5 वर्ष माना गया है।
- पट्टाधारित भूमि	कब्जा की तारीख से पट्टा की शेष अवधि (97 वर्ष 106 दिन के लिए स्ट्रेट लाइन तरीके से एमार्टाइज की गई ।	ऐसा भूमि विकास प्राधिकरण अर्थात रिको के साथ निष्पादित पट्टा विलेख के अनुसार है।

viii) मूल्यह्रास तरीकों, उपयोग योग्य जीवन काल और शेष मूल्यों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत और आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

ङ) प्रगतिशील पूंजी कार्य

प्रत्येक बैलेंस सीट की तारीख पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत पूंजी अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उस तारीख से पहले प्रयोग नहीं की जा रही परिसंपत्तियों की लागत को प्रगतिशील पूंजी कार्य के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

च) अमूर्त परिसंपत्तियां

i) अमूर्त परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत,शुद्ध समेकित परिशोधित/ रिक्तिकरण और दुर्बलता हानि यदि कोई हो पर किया गया है।

ii) अमूर्त परिसंपत्तियों को स्ट्रेट लाइन मेथड से खरीद की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

छ) परियोजना विकास निधि(पीडीएफ)

भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना और अन्य औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं अर्थात अमृतसर - कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर(एकेआईसी) परियोजना, बंगलुरू- मुंबई औद्योगिक कोरिडोर(बीएमआईसी) परियोजना, चेन्नै- बंगलुरु औद्योगिक कोरिडोर (सीबीआईसी) परियोजना और विजाग- चेन्नै औद्योगिक कोरिडोर परियोजना(वीसीआईसी) के लिए परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। तदनुसार, उपर्युक्त कथित उद्देश्य के लिए भारत सरकार / राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) जिसे पहले डीएमआईसी परियोजना कार्यान्यन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से जाना जाता था, से प्राप्त अनुदान को लेखांकन मानक (एएस 12) के अनुसार तुलनपत्र में पूंजी भंडार शीर्ष के तहत दिखाया गया है। कथित पीडीएफ पर अर्जित ब्याज को परियोजना विकास निधि में जोड़ा जाता है। यदि किसी भावी तारीख को निधियों का कोई भाग रिफंड योग्य हो जाता है तो उसे पूंजी भंडार में से कम कर दिया जाएगा।

समेकित लेखाओं के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

ज) परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ)

भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना के लिए विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन कार्यकलापों के लिए परियोजना कार्यान्वयन निधि स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। तदनुसार, उपर्युक्त कथित उद्देश्य के लिए भारत सरकार/राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) जिसे पहले डीएमआईसीपरियोजना कार्यान्यन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से जाना जाता था, से प्राप्त अनुदान को लेखांकन मानक (एएस 12) के अनुसार तुलनपत्र में पूंजी भंडार शीर्ष के तहत दिखाया गया है। कथित पी.आई.एफ पर अर्जित व्याज,लाभांश अथवा किसी अन्य आय को परियोजना कार्यान्वयन निधि में जोड़ा जाता है। यदि किसी भावी तारीख को निधियों का कोई भाग रिफंड योग्य हो जाता है तो उसे पूंजी भंडार में से कम कर दिया जाएगा।

झ) परियोजना विकास व्यय(पीडीई)

औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं की परियोजना विकास गतिविधियों के संबंध में सभी व्ययों को निम्नानुसार दर्शाया गया है।

i) जहां तक संबंध है उस सीमा तक कंपनी की सहायक कंपनियों और परियोजनाओं जिनके लिए राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईसी) जिसे पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से जाना जाता था और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच अलग से स्पेशन परपज वेकल (एसपीबी) संबंधित सहायक कंपनियों /एसपीवी को अंतरित किया जाता है और उन्हें गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के तहत वसूली योग्य दर्शाया गया है।

ii) उन परियोजनाओं पर किया गया व्यय जिन्हें शुरू नहीं किया जाना है अथवा कोई अतिरिक्त गतिविधि नहीं की जानी है, को पूंजीगत भंडार शीर्षक के अंतर्गत परियोजना विकास निधि में से कम कर दिया जाता है।

iii) उपर्युक्त पैरा (1) और (2) के तहत सम्मिलित व्ययों को गैर- वर्तमान परिसंपत्तियां के अंतर्गत परियोजना विकास व्यय के रूप में लेखांकित किया गया है।

ट) दीर्घावधिक निवेश

दीर्घावधिक निवेशों को वास्तविक लागत जिसमें अधिग्रहण के कारण लागत भी शामिल है,पर दिखाया गया है। यदि अस्थाई को छोड़कर कोई गिरावट होती है तो कैरीइंग राशि को कम कर दिया जाता है ताकि गिरावट को स्वीकृति प्रदान की जा सके। निवेश के मूल्य के संकेतकों को इनके बाजार मूल्य, निवेशकर्ता की परिसंपत्तियों और परिणामों तथा निवेशों से संभावित नकद अंतर्वाह के संदर्भ द्वारा प्राप्त किया जाता है।

ठ) राजस्व स्वीकृति

i) ब्याज आय को एक्रूएल (उपचय) आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

ii) लाभांश आय को तब लेखे में लिया जाता है जब प्राप्त करने का अधिकार तय हो जाता है।

iii) विद्युत की बिक्री से राजस्व को उपभोक्ताओं के साथ अनुबंधित दरों पर मासिक आधार पर निर्यातित यूनिटों की शुद्ध संख्या के आधार पर मान्य किया गया है।

iv) कंपनी द्वारा दी गई सेवाओं के लिए 1 प्रतिशत की दर पर (वर्ष में रू.20 करोड़ की अधिकतम सीमा के अध्यधीन) सेवा फीस जो राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए 26 जुलाई, 2016 से परियोजना कार्यान्वयन निधि में से दी जाएगी को उपचय आधार पर स्वीकृत किया गया है।

v) नालेज पार्टनर के रूप में इंडिया इंटरनेशनल कनवेंशन एंड एक्जीविशन सैंटर लि को दी गई सेवाओं को प्रदान की गई वार्षिक सेवा फीस वार्षिक रूप से 1 प्रतिशत के आंतरिक एक्रूअल की दर पर (आनुपातिक आधार पर शुरू के 10 वर्षों के लिए न्यूनतम रू. 5.00 करोड़ और अधिकतम रू. 10 करोड़ प्रति वर्ष के अध्यधीन)

समेकित लेखाओं के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

ङ) **पट्टा**

पट्टों को प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है जहां पट्टाकर्ता (लेसर) पट्टा अवधि के दौरान स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से ग्रहण करता है। पट्टा अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रचालन पट्टा भुगतानों को उपचय आधार पर लाभ हानि के विवरण में व्यय के रूप में स्वीकृत किया गया है।

ढ) **विदेशी मुद्रा में लेनदेन**

विदेशी मुद्रा में व्यय अथवा लेनदेन को लेनदेन की तारीख को विद्यमान बाजार विनिमय दर पर लेखांकित किया गया है और विदेशी मुद्राओं में आय को इन मुद्राओं से प्राप्त मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

ण) **वस्तुसूची**

पहले आओ - पहले पावों (फीफो) आधार पर शुद्ध उपभोग योग्य वसूली लायक वस्तु सूची, मूल्य अथवा भंडार और स्पेयर जिनका मूल्यांकन लागत के न्यूनतम मूल्य पर किया गया है

त) **कर्मचारी लाभ**

i) कंपनी वर्ष के अंत में एक्चूरिएल वैल्युएशन के आधार पर ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 और ग्रेच्यूटी (केंद्रीय) नियमावली, 1972 की शर्तों के अनुसार ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान करती है।

ii) अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान का लेखांकन उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है केंद्र सरकार के प्रदत्त नियमों के अनुसार किया जाता है।

थ) **आयकर**

कर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल है। वर्तमान आयकर को भारत में अधिनियमित आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार कर प्राधिकारियों को देय हेतू प्रत्याशित राशि पर मापा जाता है। आस्थगित आयकर कर योग्य आय और उस अवधि के लिए लेखांकित आय के बीच चालू अवधि समयांतरालों और पूर्ववर्ती वर्षों की अवधि के समयांतरालों के व्युत्क्रम को दर्शाता है।

आस्थगित कर का निर्धारण कर दरों के आधार पर और तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा वस्तुतः अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देनदारियां आफसेट हैं, यदि वर्तमान कर देनदारियों के विरूद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों के सेट आफ करने के लिए कानूनी रूप से लागू अधिकार मौजूद हैं। आस्थगित कर उस सीमा तक ही मान्य हैं जहां तर्कसंगत निश्चितता हो कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरूद्ध ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकेगा। उन परिस्थितियों मे जहां कंपनी के पास अनअवशोषित मूल्यह्रास अथवा कैरी फारवर्ड हानियां हों , सभी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को तभी मान्य किया जाता है जब इस बात का आभासी समर्थन हो कि भरोसे के लायक साक्ष्य मौजूद होंगे कि उन्हें भावी कर योग्य लाभों से प्राप्त किया जा सकेगा।

हरेक तुलन पत्र की तारीख को कंपनी गैर-मान्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करती है। वह उस सीमा तक गैर-मान्य आस्थगित करों को मान्यता प्रदान करती है जहां तक तर्कसंगत ढंग से या आभासी रूप से जैसा भी मामला हो, पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरूद्ध ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकेगा।

कंपनी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की कैरियिंग राशि को उस सीमा तक राइट-डाउन करती है कि यह तर्कसंगत या आभासी रूप से मामला जैसा भी हो, सुनिश्चित न हो कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरूद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकेगा। कोई भी इस तरह का राइट-डाउन उस सीमा तक उलट दिया जाता है जब तक कि यह तर्कसंगत या आभासी रूप से मामला जैसा भी हो, सुनिश्चित न हो कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरूद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकेगा।

मैट साख को केवल उस सीमा तक ही परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है कि इस बात का भरोसे मंद साक्ष्य हो कि कंपनी निर्धारित अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी।

समेकित लेखाओं के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

द) प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

लेखाओं के प्रावधानों को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप कंपनी की वर्तमान देनदारी है और इस बात की संभावना है कि संसाधनों का अंतर्वाह देनदारियों के समायोजन के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती और रिपोर्ट की जाने वाली तारीख पर देनदारियों को समायोजित करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम प्राक्कलन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

आकस्मिक देनदारियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया जाता है और उनके बारे में टिप्पणियों में जानकारी दी जाती है।

आकस्मिक परिसंपत्ति को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न, ही उनका वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है।

	31-मार्च-2018 की स्थिति के अनुसार रूपए (₹)	31-मार्च-2017 की स्थिति के अनुसार रूपए (₹)

नोट 1: शेयर पूंजी

1.0 अधिकृत

10,00,00,000 साम्य शेयर रू.10/- प्रत्येक वोट करने के अधिकार के साथ	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	1,00,00,00,000	**1,00,00,00,000**
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
10,00,00,000 साम्य शेयर रू.10/- प्रत्येक वोट करने के अधिकार के साथ	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	1,00,00,00,000	**1,00,00,00,000**

1.1 बकाया शेयरों की संख्या का समाधान नीचे दिया गया है:

	शेयरों की सं.	रूपए (₹)	शेयरों की सं.	रूपए (₹)
वर्ष के आरंभ में साम्य शेयर	10,00,00,000	1,00,00,00,000	10,00,00,000	1,00,00,00,000
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में साम्य शेयर	**10,00,00,000**	**1,00,00,00,000**	**10,00,00,000**	**1,00,00,00,000**

1.2 5% शेयर से अधिक की शेयर धारिता का ब्यौरा :

	धारिता %	शेयरों की सं.	धारिता %	शेयरों की सं.
भारत के राष्ट्रपति (माध्यम से सचिव, औद्योगिक नीति एवं संबर्धन विभाग एवं इसके नामिति)	49.0	4,90,00,000	49.0	4,90,00,000
जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कोआपरेशन	26.0	2,60,00,000	26.0	2,60,00,000
हाउसिंग एंड अर्बन डेवेलपमेंट विकास निगम लि.	19.9	1,99,00,000	19.9	1,99,00,000

1.3 कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के साम्य शेयर हैं। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए अर्ह है। लाभांश के वितरण और पूंजी भुगतान के संबंध में शेयरधारकों के पास कोई अलग अधिकार नहीं हैं।

	31-मार्च-2018 की स्थिति के अनुसार रूपए (₹)		31-मार्च-2017 की स्थिति के अनुसार रूपए (₹)	
नोट 2: भंडार एवं आधिक्य:				
2.0 पूंजी भंडार				
(क) परियोजना विकास निधि				
[लेखांकन नीति सं.(छ) का संदर्भ लें]				
गत तुलन पत्र के अनुसार		3,95,32,00,000		3,18,82,00,000
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान		83,18,27,000		76,50,00,000
		4,78,50,27,000		3,95,32,00,000
जोड़ें				
- गत वर्ष तक जमाओं पर अर्जित ब्याज	27,56,02,248		26,46,54,273	
- चालू वर्ष के दौरान जमओं पर अर्जित ब्याज	46,62,555	28,02,64,803	1,09,47,975	27,56,02,248
		5,06,52,91,803		4,22,88,02,248
घटाएं - परियोजना विकास व्यय वसूली न होने योग्य सीमा तक [लेखांकन नीति सं.(ज) का संदर्भ लें]		22,23,09,205		-
(क)		**4,84,29,82,598**		**4,22,88,02,248**
(ख) परियोजना कार्यान्वयन निधि				
गत तुलन पत्र के अनुसार		13,00,00,000		13,00,00,000
(ख)		**13,00,00,000**		**13,00,00,000**
2.1 लाभ एवं हानि खाता				
गत तुलन पत्र के अनुसार		18,90,98,593		6,53,46,978
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के लिए लाभ(हानि)		8,93,72,100		11,38,45,743
जोड़े/(घटाएं): रू.5000/- से कम लागत की परिसंपत्तियों के डब्लूडीवी के संबंध में समायोजन -नोट सं.-32(ख) का संदर्भ लें।		-		(4,415)
जोड़े/(घटाएं): परियोजना विकास गतिविधियों के संबंध में समायोजन (नोट सं.36 का संदर्भ लें।)		-		99,10,287
जोड़े/(घटाएं): गैस आधारित बिजली सहायक कंपनियों द्वारा वर्ष के दौरान किए गए नुकसान, जिनको बंद करने के लिए आरओसी के साथ आवेदन किया गया है (नोट सं. 3 का संदर्भ लें।)		(8,73,153)		-
(ग)		**27,75,97,540**		**18,90,98,593**
कुल (क + ख + ग)		**5,25,05,80,138**		**4,54,79,00,841**

नोट 3 :दीर्घावधिक उधार

आवधिक ऋण (अनसिक्योर्ड)

- राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट निधि)	3,60,00,000	6,64,89,756
	3,60,00,000	**6,64,89,756**

* राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के साथ दिनांक 09 अप्रेल, 2015 से रू. 22.34 करोड़ के लिए एक ऋण अनुबंध का निष्पादन किया गया। ब्याज की दर गत एक वर्ष के लिए औसत जी सेक दर के उपर के लिए 100 बेसिस प्वाइंट होगी। यह ऋण 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसमें एक वर्ष की अवधि ऋण की अंतिम किस्त जारी होने की तारीख से मोरिटोरियम की अवधि शामिल होगा। पुनर्भुगतान की राशि कंपनी के पास उपलब्ध आधिक्य निधि की उपलब्धता के आधार पर होगी जो इस शर्त के अधीन होगा कि पुनर्भुगतान किस्त की न्युनतम राशि किसी भी मामले में 0.50 करोड़ से कम नहीं होगी और मोरेटोरियम की अवधि की समाप्ति की तारीख से 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भुगतान कर दी जाएगी।

नोट 4 : अन्य दीर्घावधिक देनदारियां

अन्य

- भूमि के लिए देय राशि **	7,10,24,850	7,64,88,300
- निष्पादन सिक्यूरिटी	10,00,000	10,00,000
	7,20,24,850	**7,74,88,300**

** राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि.(रिक्को) ने 21 नवंबर, 2012 को रू.1000/- प्रति वर्ग मी. की रियायती दर पर परियोजना स्थल के लिए 145692 वर्ग मी. भूमि आबंटित की थी । कुल विकास प्रभारों में से 25 प्रतिशत आबंटन के समय भुगतान किया गया और शेष राशि 20 जनवरी, 2013 से 20 समान वार्षिक ब्याज मुक्त किस्तों में भुगतान की जानी है।

	31-मार्च-2018 को रूपए (₹)	31-मार्च-2017 को रूपए (₹)
नोट 5 : दीर्घावधिक प्रावधान		
- कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान(ग्रेच्यूटी) (नोट सं. 33 को देखें)	24,74,295	17,34,611
कुल	**24,74,295**	**17,34,611**
नोट 6 : देय व्यापार		
(i) माइक्रो और लघु उद्यमों का कुल देय बकाया (नोट सं. 34 को देखें)	-	-
कुल	**-**	**-**
(ii) माइक्रो और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य ऋणदाताओं का कुल देय बकाया	74,51,62,068	32,58,21,656
कुल	**74,51,62,068**	**32,58,21,656**
नोट 7 : अन्य वर्तमान देनदारियां		
- सांविधिक देनदारियां	4,51,85,153	2,77,37,788
- बिड प्रतिभूति	23,80,000	48,35,000
- निष्पादन प्रतिभूति	10,00,000	10,00,000
- भविष्य निधि देय	4,76,142	3,63,998
- कैपिटल माल के लिए ऋणदाता [₹ 39,76,560/- की रिटेंशन सिक्योरिटी के साथ (गत वर्ष का ₹ 32,66,230/-)]	54,95,604	1,60,42,537
- दीर्घावधिक देनदारियों की वर्तमान परिपक्वताएं	54,63,450	54,63,450
- ग्रेच्यूटी और अवकाश नकदीकरण के विरूद्ध देनदारियां	-	13,22,852
- एक्रूड ब्याज और उधारों पर बकाया	-	41,89,578
- राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट को देय (पूर्व नाम डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट निधि)	-	25,48,090
- अन्य देय व्यय	1,07,11,218	52,45,271
कुल	**7,07,11,567**	**6,87,48,564**
नोट 8 : अल्पावधिक प्रावधान		
-आयकर के लिए प्रावधान	-	1,89,33,028
- कर्मचारी लाभों (ग्रेच्यूटी एवं अवकाश नकदीकरण) के लिए प्रावधान (नोट सं. 33 को देखें)	1,85,104	1,22,925
कुल	**1,85,104**	**1,90,55,953**

नोट 9 : अचल परिसंपत्तियां

रूपए(₹)

ब्यौरे	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लाक	
	01.04.2017 के अनुसार	वर्ष के दौरान		31.03.2018 तक	31.03.2017 तक	वर्ष के लिए	अन्य समायोजन [नोट सं. 32(ख)]	31.03.2018 तक	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
		संयोजन	कटौतियां [नोट सं. 32(ख)]							
I. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर										
क. भवन										
i.) भवन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के अलावा	84,39,279	37,31,330	-	1,21,70,609	12,21,643	9,43,357	(265)	21,64,735	1,00,05,874	72,17,636
ii.) फेंसिंग	97,25,574	15,02,087	-	1,12,27,661	58,72,851	22,41,859	(1,277)	81,13,433	31,14,228	38,52,723
iii.) ट्यूब वेल	6,44,070	4,08,280	-	10,52,350	74,377	3,76,810	-	4,51,187	6,01,163	5,69,693
ख. सड़क										
i.) कार्पेट की गई - आरसीसी के अलावा	2,92,213	4,50,113		7,42,326	1,76,455	2,68,164	(38)	4,44,581	2,97,745	1,15,758
ii.) गैर-कार्पेट की गई सड़कें	76,48,287	(391)	-	76,47,896	36,38,757	26,62,282	(310)	63,00,729	13,47,167	40,09,530
ग. संयंत्र एवं मशीनरी										
i.) संयंत्र एवं मशीनरी (सामान्य)	14,74,21,563	7,14,36,596	-	21,88,58,159	3,72,55,084	2,93,08,636	3,65,581	6,69,29,301	15,19,28,858	11,01,66,479
ii.) सोलर पैनेल (सं. 1288)	-	1,33,29,516	-	1,33,29,516	-	6,33,419	-	6,33,419	1,26,96,097	-
घ. फर्निचर एवं फिक्चर	23,30,302	70,500	-	24,00,802	16,37,838	2,00,627	-	18,38,465	5,62,337	6,92,464
ड. कार्यालय उपस्कर	44,02,288	3,94,816	-	47,97,104	30,21,155	7,28,191	-	37,49,346	10,47,758	13,81,133
च. विद्युत इन्स्टालेशन व उपस्कर	7,04,194	-	-	7,04,194	4,08,529	77,946	-	4,86,475	2,17,719	2,95,665
छ. कंप्युटर व डाटा प्रोसेसिंग युनिट	29,25,879	1,89,500	-	31,15,379	22,02,568	4,62,009	(20,599)	26,43,978	4,71,401	7,23,311
ज. भूमि - लीज होल्ड (99 years)	15,61,68,910	-	-	15,61,68,910	42,57,033	16,05,183	-	58,62,216	15,03,06,694	15,19,11,877
झ. अन्य										
i.) कार्यालय नवीकरण व्यय	43,86,960	-	-	43,86,960	41,07,674	1,39,452	-	42,47,126	1,39,834	2,79,286
ii.) लैंडस्केपिंग एवं हार्टिकल्चर कार्य	17,02,870	10,61,996	-	27,64,866	4,40,738	9,80,802	-	14,21,540	13,43,326	12,62,132
कुल	**34,67,92,389**	**9,25,74,343**	-	**43,93,66,732**	**6,43,14,702**	**4,06,28,737**	**3,43,092**	**10,52,86,531**	**33,40,80,201**	**28,24,77,687**
गत वर्ष	35,99,58,843	2,17,94,848	3,49,61,302	34,67,92,389	3,44,74,297	3,39,83,669	(41,43,264)	6,43,14,702	28,24,77,687	32,54,84,546
II. अमूर्त परिसंपत्तियां										
कंप्यूटर साफ्टवेयर	7,66,276	73,47,529	-	81,13,805	4,34,402	15,76,425	1,96,880	22,07,707	59,06,098	3,31,874
कुल	**7,66,276**	**73,47,529**	-	**81,13,805**	**4,34,402**	**15,76,425**	**1,96,880**	**22,07,707**	**59,06,098**	**3,31,874**
गत वर्ष	5,28,084	2,38,192	-	7,66,276	3,20,217	1,14,185	-	4,34,402	3,31,874	2,07,867

		31-मार्च-2018 को रूपए(₹)	31-मार्च-2017 को रूपए(₹)
नोट 10 : गैर-वर्तमान निवेश			
गैर-व्यापार निवेश (अनकोटेड लागत पर भुगतान किया गया)			
(क) भारत सरकार के पीडीएफ से किया गया निवेश			
साम्य शेयरों के रूप में अन्य निवेश			
i) धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लि.		-	4,39,00,000
43,90,000 पूर्णतः भुगतान किए गए शेयर प्रत्येक रू. 10/- के			
नहीं कोट किए गए निवेश की समग्र राशि		-	**4,39,00,000**
नोट 11 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां(निवल)			
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:			
- अचल परिसंपत्तियों से संबंधित		27,17,563	17,65,074
- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत भत्तो से संबंधित		-	62,975
- आयकर अधि.1961 के तहत कमेचारी लाभ और भत्ते		7,58,336	5,92,723
		34,75,899	24,20,772
आस्थगित कर देनदारियां			
- अचल परिसंपत्तियों से संबंधित		-	-
	कुल	**34,75,899**	**24,20,772**
नोट 12 : दीर्घावधिक ऋण व अग्रिमें			
(अनसिक्योर्ड समझे गए माल)			
- प्रतिभूति जमा		98,61,618	1,12,68,538
	कुल	**98,61,618**	**1,12,68,538**

		31-मार्च-2018 को रूपए (₹)	31-मार्च-2017 को रूपए (₹)
नोट 13 : अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) परियोजना विकास व्यय(पीडीई)			
- परि. विकास व्यय भारत सरकार की परियोजना विकास निधि के विरूद्ध			
- गत वर्ष के अनुसार		3,87,88,94,753	3,52,23,57,636
- वर्ष के दौरान व्यय		94,52,46,753	70,16,87,406
		4,82,41,41,506	4,22,40,45,042
जोड़ें : परियोजना विकास गतिविधियों के संबंध में समायोजन [नोट सं. 36 देखें]		-	99,10,287
घटाएं: सहायक कंपनियों / एसपीवी को अंतरित राशि [नोट सं.32(क) देखें]		(3,66,78,43,535)	(90,188)
घटाएं: भूमि छोड़ने के विरूद्ध समायोजन (नोट सं. 38 देखें)		-	(35,49,70,388)
घटाएं: परियोजना विकास निधि को अंतरित [नोट सं.-32(क) देखें]		(22,23,09,205)	-
	कुल (क)	93,39,88,766	3,87,88,94,753
(ख) एसपीवी में अंतरित परियोजना विकास व्यय [(नोट सं.-32(क) देखें)]			
- औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लि.		1,13,00,16,858	-
- धौलेरा इंडस्ट्रियल सिटी विकास लि.		2,26,45,92,190	-
- डीएमआईसी हरयाणा ग्लोबल सिटी परियोजना लि		6,03,91,666	-
- डीएमआईसी हरयाणा एमएमएलएच परियोजना लि.		2,19,41,511	-
- डीएमआईसी हरयाणा एमआरटीएस परियोजना लि		6,87,12,587	-
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि.		4,83,31,970	-
- आईआईआईटी ग्रेटर नोएडा लि.		7,00,55,397	-
	कुल (ख)	3,66,40,42,179	-
(ग) अन्य			
- बैंक गारंटियों के विरूद्ध लियन के अंतर्गत बैंक जमा (12 माह की परिपक्वता से अधिक वाली)		97,36,618	97,86,618
	कुल (ग)	**97,36,618**	**97,86,618**
	कुल (क+ख+ग)	**4,60,77,67,563**	**3,88,86,81,371**
नोट 14 : वस्तु सूची (कम लागत और निवल प्राप्त मूल्य पर मूल्यांकित)			
- उपभोग्योग्य		12,46,880	-
- अन्य		-	-
		12,46,880	-

	31-मार्च-2018 को रूपए (₹)	31-मार्च-2017 को रूपए (₹)
नोट 15 : व्यापार प्राप्तियां		
(अनसिक्योर्ड समझी गई सामग्री)		
- 6 माह से अधिक की अवधि से बकाया	2,62,500	-
- अन्य	2,69,02,656	10,06,96,702
	2,71,65,156	**10,06,96,702**
नोट 16 : नकद एवं बैंक शेष		
नकद एवं बैक शेष		
(क) नकद एवं नकद समतुल्य *		
- भारत सरकार की पीडीएफ में से		
बैंक मे चालू खातों में शेष	24,901	8,70,68,542
बैंक में जमा खातों में शेष	5,25,000	10,93,50,804
- अन्यों में से		
हाथ में नकद	8,552	20,693
बैंक में चालू खातों में शेष	(12,94,545)	(64,70,717)
बैंक में जमा खातों में शेष	1,08,20,55,724	1,02,61,89,046
		-
एएस-3 के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य कुल (क)	1,08,13,19,632	1,21,61,58,368
(ख) अन्य बैंक शेष		
- भारत सरकार के पीडीएफ में से	-	-
- अन्य में से		
बैंक गारंटी के लिए लियन के तहत बैंक में जमा खातों में शेष	18,19,646	40,44,558
कुल (ख)	18,19,646	40,44,558
कुल नकद एवं बैंक शेष (क+ख)	**1,08,31,39,278**	**1,22,02,02,926**

* नकद एवं नकद समतुल्यों में कंपनी द्वारा बैंकों में मेंटेन की जाने वाली जमाएं शामिल हैं जिसे मूलधन पर दंड अथवा पूर्व नोटिस के बिना किसी भी समय कंपनी द्वारा निकाला जा सकता है।.

नोट 17 : अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिमें		
(अनसिक्योर्ड समझी गई सामग्री)		
(i) भारत सरकार के पीडीएफ से		
अन्य ऋण एवं अग्रिमे*	99,71,69,421	18,22,09,666
(ii) अन्य		
- एडवांस कर / टीडीएस (नेट प्रावधान)	28,95,282	-
[कराधान के लिए प्रावधान - रू. 4,15,69,800/- (गत वर्ष - Rs. 4,81,57,127/-)]		
- राजस्व प्राधिकार के साथ संतुलन	2,36,59,398	26,56,650
- प्रतिभूति जमाएं	32,66,566	15,70,353
- राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट से देय	-	-
(पूर्व में डीएमआईसीडीसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड रूप में ज्ञात)	-	
- अन्य ऋण एवं अग्रिमे	2,54,81,856	1,14,91,409
	1,05,24,72,523	**19,79,28,078**

शामिल है: रू. 97,24,34,285/- (गत वर्ष - शून्य) इंडिया इंटरनेशनल कनवेंशन एंड एक्जीविसन सेंटर लि. से बकाया।

	31-मार्च-2018 को रूपए (₹)	31-मार्च-2017 को रूपए (₹)
नोट 18 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		
(i) भारत सरकार के पीडीएफ में से		
- अर्जित ब्याज किंतु बकाया नहीं	23,149	7,96,355
- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) (नोट सं.- 38 देखें)	-	15,61,44,375
- औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम (ग्वालियर) मध्य प्रदेश लि. (नोट सं. 38 देखें)	-	11,17,79,888
(ii) अन्य	-	
- अर्जित ब्याज किंतु बकाया नहीं	5,13,30,003	6,14,14,959
	5,13,53,152	**33,01,35,577**

	समाप्त वर्ष 31-मार्च-2018 रूपए (₹)	समाप्त वर्ष 31-मार्च-2017 रूपए (₹)
नोट 19 : प्रचालनों से राजस्व		
बिजली की बिक्री	10,84,34,738	6,21,26,328
[1,09,42,395 किलोवाट यूनिट (गत वर्ष 70,83,960 किलोवाट यूनिट) और अन्य समायोजन]		
डेटा सर्विस से आय *	6,30,62,107	9,45,93,161
सेवा फीस (लेखांकन नीति सं.(ठ) देखे)	14,37,86,338	3,32,62,000
कुल	**31,52,83,183**	**18,99,81,489**

* कंपनी ने 13 सितंबर, 2016 को मेसर्स हिटैची लि. जापान से रू. 15,76,55,268/- (लागू दरों पर सेवा कर छोड़कर) के कुल मूल्य का डेटा प्रोवाडिंग सेवा के लिए एक अनुबंध किया है।

नोट 20 : अन्य आय

पीडीएफ राशि के अलावा अन्य सावधि जमाओं पर ब्याज	6,70,74,528	7,97,07,758
बोली प्रक्रिया फीस	3,269	7,66,585
आयकर रिफंड पर व्याज	-	7,25,256
बैंक गारंटी की जब्ती से आय	-	1,07,43,956
प्रचालन और रखरखाव व्यय जिन्हें रिटिन बैक किया गया	-	16,94,717
विविध आय	4,13,610	1,980
कुल	**6,74,91,407**	**9,36,40,252**

समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

		समाप्त वर्ष 31-मार्च-2018 रूपए (₹)	समाप्त वर्ष 31-मार्च-2017 रूपए (₹)
नोट 21 : कर्मचारी लाभ व्यय			
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते (संविदागत कर्मचारियों समेत)		3,79,31,377	2,93,88,472
भविष्य निधि में अंशदान / पेंशन फंड में अंशदान		28,34,946	24,32,684
ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान		7,90,244	5,20,380
अवकाश नगदीकरण के लिए प्रावधान		1,04,414	92,795
स्टाफ कल्याण व्यय		23,74,431	20,03,317
स्टाइपेंड		2,06,086	3,19,187
	कुल	**4,42,41,498**	**3,47,56,835**
नोट 22 : वित्त लागत			
उधारों पर ब्याज		68,86,260	79,77,038
आयकर पर ब्याज		15,75,510	-
		84,61,770	**79,77,038**
नोट 23 : मूल्यह्रास			
वर्ष के लिए (नोट सं. 9 देखें)		4,22,05,162	3,40,97,854
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजित (नोट सं. 9 देखें)		5,39,972	(40,55,722)
	कुल	**4,27,45,134**	**3,00,42,132**

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

	समाप्त वर्ष 31-मार्च-2018 रूपए (₹)	समाप्त वर्ष 31-मार्च-2017 रूपए (₹
नोट 24 : अन्य व्यय		
डीजल का व्यय	5,00,87,583	-
व्यापार प्रवर्धन व्यय	4,77,77,956	8,73,325
किराया	2,19,48,069	1,98,58,205
लेखा परीक्षकों को भुगतान	4,17,500	4,28,500
विज्ञापन एवं सार्वजनिक सूचना पर व्यय	31,70,652	36,96,498
बिजली व्यय	2,90,033	3,05,799
मूल्यांकन समिति बैठक फीस	1,27,167	11,60,000
विदेश यात्रा व्यय	19,64,186	26,64,392
पेशेवर एवं परामर्श व्यय	60,34,492	51,04,186
बैठक एवं जलपान व्यय	7,12,872	13,17,302
कार्यालय मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	4,08,843	76,801
जल प्रभार	1,33,339	2,65,409
आईटी व्यय	3,37,498	4,77,875
मूद्रण एवं स्टेशनरी	21,06,019	20,99,402
संचार एवं डाक टिकट व्यय	19,14,691	14,46,111
यात्रा एवं वाहन व्यय	49,55,667	51,19,778
बीमा व्यय	3,69,895	1,16,973
निदेशकों की बैठक फीस	3,40,800	6,55,425
पूर्व अवधि व्यय	81,943	52,351
विविध खर्चे	13,70,526	14,17,293
प्रचालन एवं रखरखाव व्यय	34,14,643	78,596
विकास प्रभार	5,00,000	5,41,927
भूमि पर सेवा प्रभार	12,00,755	10,63,550
एनवीवीएन पर छूट	12,89,580	11,24,767
प्राथमिक व्यय	18,39,456	-
कुल	**15,27,94,165**	**4,99,44,465**

लेखाओं के लिए नोट

		31-मार्च-2018 की स्थिति के अनुसार	31-मार्च-2017 की स्थिति के अनुसार
25	**कारपोरेट एवं सामाजिक उत्तरदायित्व**		
	I व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि	8,50,547	-
	II वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर व्यय राशि	-	-
26	**आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है):**		
	क.) आकस्मिक देनदारियां		
	(i) कंपनी पर दावा, जो ऋण के रूप में नहीं बताया गया	-	66,74,853
	ख.) प्रतिबद्धताएं		
	(i) निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि जिनका प्रावधान निम्न कारण नहीं किया गया:		
	- पूंजी खाता	-	4,90,34,605
	- परियोजना विकास के कारण परामर्श संविदाएं	1,28,28,52,029	1,04,48,40,418
	- परियोजना का प्रचालन एवं रखरखाव	5,38,06,026	6,40,87,122
	(ii) अन्य प्रतिबद्धताएं		
	- कंपनी की ओर से बैंक द्वारा जारी गारंटी	1,15,56,264	1,38,31,176
27	**विदेशी मुद्रा में अर्जन एवं व्यय**		
	I **विदशी मुद्रा में अर्जन**	-	-
	II **विदेशी मुद्रा में व्यय**		
	- विदेश यात्रा व्यय	13,16,116	11,71,985
28	**लेखा परीक्षकों को भुगतान**		
	(i) लेखा परीक्षा फीस	3,17,500	3,78,500
	(ii) अन्य सेवाओं के लिए	1,00,000	50,000
		4,17,500	4,28,500

29 **संबद्ध पार्टी द्वारा उद्घोषणा**

I इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी संबद्ध पार्टी उद्घोषणा (एएस-18) पर लेखांकन मानक के अनुसार संबद्ध पार्टियां निम्नानुसार है:

क	**कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव/नियंत्रण रखने वाले उद्यम**		
	जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	हां	हां
ख	**एफीलेट्स/ एसोशिएट्स**		
	हाउसिंग एंड अर्बन डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लि.	हां	हां
ग	**मुख्य प्रबंधन कार्मिक**		
	श्री अल्केश कुमार शर्मा	हां	हां
घ	**वे उद्यम जिनपर मुख्य प्रबधन कार्मिक का महत्वपूर्ण प्रभाव है।**		
	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेशन एंड एक्जीविशन सेंटर लि. (19.12.2017 को निगमित)	हां	नहीं

II उपर्युक्त पक्षकारों के साथ अवधि के दौरान लेनदेन की प्रकृति एवं मात्रा निम्नवत थीः

राशि रूपए में (₹)

ब्योरे	एफिलेट्स	उद्यम जिनका कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव/नियंत्रण था	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	वे उद्यम जिनपर केएमपी का महत्वपूर्ण प्रभाव है
बकाया शेष:				
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेशन एंड एक्जीविशन सेंटर लि.	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	98,76,72,641 (शून्य)
अवधि के दौरान समग्र लेनदेन				
श्री अल्केश कुमार शर्मा	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	57,05,643 (57,41,600)	शून्य (शून्य)
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेशन एंड एक्जीविशन सेंटर लि.	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	98,90,78,770 (शून्य)

III अवधि के दौरान कंपनी वार भौतिक लेनदेन का विवरण

a मुख्य प्रबंधन कार्मिक को भुगतान				
श्री अल्केश कुमार शर्मा	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	57,05,643 (57,41,600)	शून्य (शून्य)
b इंडिया इंटरनेशनल कन्वेशन एंड एक्जीविशन सेंटर लि.				
निगमन- पूर्व व्यय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	2,80,74,973 (शून्य)
किए गए अन्य व्यय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	94,43,54,482 (शून्य)
वार्षिक सेवा फीस (कर सहित)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	1,66,49,315 (शून्य)

नोटः कोष्ठक () में दिए गए आंकड़े गत वर्ष की राशि दर्शाते हैं।

30 सेगमेंट(वृत्त खंड) रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्राथमिक कारोबारी वृत्तखंडों अर्थात पावर जेनेरेशन और परियोजना विकास प्रभाग की पहचान की है। इन वृत्त खंडों की पहचान और रिपोर्टिंग सेवाओं की प्रकृति, जोखिमों और लाभों, संगठनात्मक संरचना और आंतरिक कारोबार रिपोर्टिंग प्रणाली को ध्यान में रखकर किया गया है।

क. सिग्मेंट के लिए राजस्व और व्ययों की पहचान सिग्मेंट की प्रचालन गतिविधियों के आधार पर की गई है।

ख. सिग्मेंट परिसंपत्तियां और सिग्मेंट देनदारियां संबंधित सिगमेंट की परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्शाती हैं।

ग. प्राथमिक व्यापार सिग्मेंट के बारे में सूचना

ब्यौरे	विद्युत उत्पादन	परियोजना विकास	कुल
राजस्व			
बाह्य राजस्व	17,37,23,147	20,90,51,443	38,27,74,590
	(17,10,53,499)	(11,25,68,242)	(28,36,21,741)
अंतर सिग्मेंट राजस्व	शून्य	28,40,198	28,40,198
	(शून्य)	(21,90,000)	(21,90,000)
कुल राजस्व	17,37,23,147	21,18,91,641	38,56,14,788
	(17,10,53,499)	(11,47,58,242)	(28,58,11,741)
जोड़ें: आबंटन योग्य अन्य आय	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
सिग्मेंट राजस्व	17,37,23,147	21,18,91,641	38,56,14,788
	(17,10,53,499)	(11,47,58,242)	(28,58,11,741)
सिग्मेंट परिणाम (मूल्यह्रास से पहले)	9,43,48,535	8,24,34,334	17,67,82,869
	(15,14,38,061)	(3,95,05,342)	(19,09,43,403)
लाभ (/हानि) अपवाद रूप मदों और कर से पहले	5,47,01,372	7,93,36,363	13,40,37,735
	(12,32,20,939)	(3,76,80,332)	(16,09,01,271)
अपवाद स्वरूप मदें	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
लाभ/(हानि) कर से पहले	5,47,01,372	7,93,36,363	13,40,37,735
	(12,32,20,939)	(3,76,80,332)	(16,09,01,271)
कर व्यय	2,23,57,260	2,38,57,789	4,62,15,049
	(3,63,55,100)	(1,18,21,629)	(4,81,76,729)
आस्थगित कर व्यय/ (वापस लेना)	(13,22,917)	2,67,791	(10,55,126)
	(9,16,555)	(2,04,646)	(11,21,201)
लाभ/हानि कर पश्चात	3,36,67,029	5,52,10,783	8,88,77,812
	(8,59,49,284)	(2,60,63,349)	(11,20,12,633)

अन्य सूचना

ब्यौरे	विद्युत उत्पादन	परियोजना विकास	कुल
सिग्मेंट परिसंपत्तियां	38,26,74,001	6,93,43,25,682	7,31,69,99,683
	(41,83,62,899)	(5,82,87,94,410)	(6,24,71,57,309)
सिग्मेंट देनदारियां	12,98,79,946	80,50,53,887	93,49,33,833
	(19,83,42,720)	(36,89,13,748)	(56,72,56,468)
पूंजीगत व्यय	6,38,78,204	75,17,166	7,13,95,370
	(4,25,88,833)	(23,81,578)	(4,49,70,411)
मूल्यह्रास और एमोरटाइजेशन	3,96,47,163	30,97,971	4,27,45,134
	(2,82,17,122)	(18,25,010)	(3,00,42,132)
मूल्यह्रास और एमोरटाइजेशन को छोड़कर अन्य गैर-नकद व्यय	75,827	8,18,968	8,94,795
	(21,081) उत्क्रमण	(6,34,256)	(6,13,175)

नोट: कोष्ठक में () दिए गए आंकड़े गत वर्ष की राशि को दर्शाते हैं

घ . द्वितीयक भौगोलिक सिग्मेंटों के बारे में सूचनाः कोई द्वितीयक सिंग्मेंट नहीं है।

31 प्रति शेयर आय

प्रति साम्य बेसिक अर्जन का संगणन कर पश्चात शुद्ध लाभ को अवधि के लिए शेष साम्य शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया गया है।

ब्यौरे	यूनिट	31/03/2018 के अनुसार	31/03/2017 के अनुसार
क. साम्य शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ/ (हानि)	रूपए (₹)	8,93,72,100	11,38,45,743
ख. इपीएस की गणना के लिए हल के रूप में प्रयोग किए गए साम्य शेयरों की संख्या का भारित औसत	शेयरों की संख्या	10,00,00,000	10,00,00,000
ग. प्रति शेयर बेसिक/डाइल्यूटिड अर्जन (क/ख)	रूपए (₹)	0.89	1.14
घ. प्रति साम्य शेयर अंकित मूल्य	रूपएs (₹)	10.00	10.00

32 लेखांकन नीति में परिवर्तन

क. गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां शीर्ष के तहत दर्शाये गये परियोजना विकास व्यय को अग्रलिखित के अनुसार अंतरित किया गया है (i) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां के अंतर्गत विशेष एसपीवी से वसूली योग्य राशि एसपीवी /सहायक कंपनियों से सीधे संबंध तक और (ii) परियोजनाएं जिन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजी भंडार शीर्ष के तहत परियोजना विकास फंड से कटौती के रूप में शुरू नहीं किया जा सका से सीधे जुड़ी सीमा तक।

लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण कंपनी के लाभ और हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ख. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान रू. 5000/- से कम की लागत वाली परिसंपत्तियों के शुद्ध अंकित मूल्य को पूरी तरह बट्टे खाते डाल दिया गया है। इसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों की बट्टेखाते डाली गई राशि और लाभ एवं हानि के शेष को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रू. 4,415/- कम कर दिया गया है।

33 सेवा निवृत्ति लाभ

परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में भविष्य निधि / पेंशन फंड में वास्तविक अंशदान के आधार पर परिभाषित अंशदान योजना के तहत रू 28,34,946/- (गत वर्ष रू. 24,32,684/-) की राशि को स्वीकार किया है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

क. ग्रेच्यूटी (अनिधिकृत): 5 वर्ष की सेवा के पूरा होने पर संगठन छोड़ते समय प्रत्येक पूरा किए गए वर्ष के लिए 15 दिनों की सेवा के बराबर का भुगतान । वास्तविक मूल्यांकन पर विचार करते हुए रू. 7,90,244/- की राशि (गत वर्ष-रू 5,20,380/-) का प्रावधान 31 मार्च, 2018 को समाप्त लाभ हानि के विवरण में किया गया है।

ख. अवकाश नकदीकरण (अनिधिकृत): कंपनी ने 01 अप्रेल, 2016 से अवकाश नकदीकरण की नीति को लागू किया है। नीति के अनुसार कर्मचारी को वर्ष के दौरान एक निर्धारित सीमा के अध्यधीन बाद के वर्षों के लिए छुट्टियों न ले जाते हुए प्रयोग नहीं की गई छुट्टियों का नगदीकरण कराने का हक होगा। अवकाश नकदीकरण का मूल्य, प्रयोग न की गयी छुट्टियों के लिए बेसिक वेतन की राशि के अनुपात में परिगणित किया जाता है।

ग्रेच्यूटी (अनिधिकृत))*

लाभ हानि के विवरण में व्यय का सामंजस्य विवरण	31-मार्च-2018	31-मार्च-2017
अवधि के अंत में (31/03/2018) दायित्व का वर्तमान मूल्य	25,44,440	17,42,914
अवधि के आरंभ में (31/03/2017) दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,64,741	12,01,453
भुगतान किये गए लाभ	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय	7,79,699	5,41,461

लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय

अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	-	-
नियोजक का अंशदान	-	-
दिए गए लाभ	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि)	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य

अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	-	-
नियोजक का अंशदान	-	-
दिए गए लाभ	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
निधिकरण की स्थिति	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्राक्कलित लाभ पर वास्तविक का आधिक्य	-	-

लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय

वर्तमान सेवा लागत	5,73,307	4,35,092
पूर्व सेवा लागत	-	-
व्याज लागत	1,36,768	96,116
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	-	-
कटौती लागत/(ऋण)	-	-
समायोजन लागत /(ऋण)	-	-
अवधि में स्वीकृत शुद्ध वास्तविक (लाभ)/हानि	69,624	10,253
लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय	7,79,699	5,41,461
परिकल्पना :		
छूट दर	7.75% प्रतिवर्ष	8% प्रतिवर्ष
भावी वेतन वृद्धि	6% प्रतिवर्ष	6% प्रतिवर्ष
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ दर	-	-

एक्चूरिएल वैलुएशन के मद्देनजर भावी वेतन वृद्धि में मूल्य वृद्धि,वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों जिसमें रोजगार बाजार में पूर्ति और मांग सम्मलित है, को शामिल किया जाता है।

उपर्युक्त सूचना एक्चूरियल मूल्यांकन कर्ता द्वारा प्रमाणित है।

छूट की दर मूल्यांकन की तारीख के अनुसार वर्तमान बाजार उत्पाद पर आधारित है।

* गत वर्ष के आंकड़े केवल धारक कंपनी के हैं।

34 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्योगों के बकायों का विवरण

माइक्रो,लघु एव मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उनके पंजीकरण और पात्रता पर व्यापार देयों से पुष्टी के अभाव में इन उद्यमों को वर्ष के अंत में देय राशि को शून्य दर्शाया गया है।

35 प्रचालन लीज(पट्टा)

कंपनी के पास होटल अशोक, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में लाइसेंस पर आरंभ में तीन वर्ष के लिए तीन आफिस स्पेस हैं। लाइसेंसी (लेसी) 6 माह की लिखित में एडवांस सूचना देने को छोड़ कर लाइसेंस अवधि समाप्त होने से पहले लाइसेंस समाप्त नहीं करेगा। लाइसेंस संबंधी डीड आरंभिक लीज अवधि समाप्त होने से पहले परस्पर सहमति से अगले दो वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत की जा सकती है। वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में कुल लाइसेंस फीस की राशि ₹ 2,19,48,069 /- (गत वर्ष ₹ 1,98,58,205/-) प्रकट की गई है।

36 परियोजना विकास गतिविधियों से कंपनी द्वारा विज्ञापन एवं प्रकाशन पर किये गये व्यय को जो उस कार्य के लिए गत वित्तीय वर्षों के लिए बिड प्रक्रिया फीस द्वारा कम किया गया, लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए परियोजना विकास व्यय को अंतरित किया गया है।

37 भारत सरकार ने दिनांक 07/12/2016 के मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के अनुसार डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के आदेश पत्र में विस्तार किया है ताकि औद्योगिक कोरिडोरो में समग्र रूप से आयोजना, विकास, निधिकरण, कार्यान्वयन, प्रचालन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए एकीकृत डेडिकेटेड संस्थागत फ्रेमवर्क के लिए औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं अर्थात अमृतसर- कोलकाता निवेश क्षेत्र (एकेआईसी), बंगलूरू - मुंबई आर्थिक कोरिडोर(बीएमईसी) और चेन्नै- बंगलूरू औद्योगिक कोरिडोर (सीबीआईसी) को शामिल किया जा सके। जबतक अन्य औद्योगिक कोरिडोरों के लिए नालेज पार्टनरों को नियोजित किया जाएगा, तब तक डीएमआईसीडीसी लि. अन्य औद्योगिक कोरिडोरों के लिए भी नालेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगी। अन्य औद्योगिक कोरिडोरों के लिए मंजूर परियोजना विकास फंड भी ट्रस्ट के माध्यम से डीएमआईसीडीसी लि. को भेजे जाएंगे।

38 दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि. (डीएमआईसीडीसी) के निदेशक मंडल ने दिनांक 16 नवंबर, 2016 को हुई अपनी 42वीं बैठक में गुना मध्यप्रदेश, इंदापुर और विले भागड़, महाराष्ट्र में स्थित गैस आधारित पावर परियोजनाओं के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा आबंटित भूमि को वापस करने का फैसला लिया। डीएमआइसीडीसी ने दिनांक 03/12/2016 के पत्र द्वारा संबंधित राज्य एजेंसियों को भूमि वापस कर दिया है।

औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (ग्वालियर) म.प्र. ने म.प्र. में गुना में भूमि की वापसी के लिए अग्रिम के रूप में दी गई समग्र राशि लौटा दी है।

तथापि, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमडीसी) ने महाराष्ट्र में विले भागड और इंदापुर में डीएमआईसीडीसी लि. द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण राशि का 95 प्रतिशत वापस कर दिया है। कंपनी की लेखा पुस्तकों में आवश्यक समायोजन कर दिए गए है।

39 कंपनी ने अपनी खुद की स्वामित्व वाली गैस आधारित पावर एसपीवी अर्थात डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लि., डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लि, डीएमआईसीडीसी वाधेल पावर कंपनी लि, डीएमआईसीडीसी विले भागड़ पावर कंपनी लि के नाम को 21 अप्रेल, 2017 के परिपत्र द्वारा जारी संकल्प के अनुसार कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियमावली,2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार कंपनियों के पंजीयक द्वारा रखे जा रहे केपनी रजिस्टर में से निकालने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन पत्रों को कंपनी रजिस्ट्रार एनसीटी दिल्ली और हरियाणा के कार्यालय मे दायर कर दिया गया है। ताकि 16 अक्टूबर, 2017 को इन केपनियों के नाम को हटाया जा सके और यह प्रक्रिया चल रही है।

तद्नसार इन एसपीवी में धारित साम्य शेयरों का मूल्यांकन उनकी परिसंपत्तियों के आधार पर किया गया है और संबंधित एसपीवी के वित्तीय विवरणों के अनुसार परिणामों और अंतर को परियोजना विकास व्ययों के रूप में स्वीकृत किया गया है।

40 भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की सिफारिशों के अनुसार डीएमआईसीडीसी के निदेशक मंडल ने 21 सितंबर, 2017 को हुई 45 बैठक में रू. 10/- प्रति के अंकित मूल्य पर धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लि. के 43,90,000 साम्य शेयरों को राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्यन ट्रस्ट पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वय ट्रस्ट फंड(डीएएमआईसीपीआईटीएफ) को अंतरित करने का निर्णय लिया जिसे परियोजना विकास फंड में से व्यय परियोजना विकास व्यय के विरूद्ध कंपनी के नाम से जारी किया गया था।

एनआईसीडीआईटी द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2017 को हुई दूसरी बैठक में इसे अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदुनुसार धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी के साम्य शेयरों को एनआईसीडीआईटी के नाम में अंतरित किया गया है और समतुल्य राशि को एनआईसीडीआईटी के परियोजना कार्यान्वयन फंड से डीएमआईसीडीसी के परियोजना विकास फंड मे वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया है।

41 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास और कार्यान्यन ट्रस्ट(एनआईसीडीआईटी) जिसे पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के नाम से जाना जाता था और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच निर्मित संबंधित सहायक कंपनियों/एसपीवी को परियोजना विकास फंड में से व्यय परियोजना विकास व्यय के अंतरण के मामले को 6/3/2018 को हुई एनआईसीडीआइटी के न्यास मंडल की तीसरी बैठक में विचारार्थ रखा गया था।

न्यास मंडल ने निर्णय किया है कि संबंधित सहायक कंपनियों/एसपीवी को अनुदान सहायता के रूप में दी गई परियोजना विकास निधि में से कथित सहायक कंपनियों/एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में डीएमआईसीडीसी द्वारा व्यय परियजना विकास व्यय को अंतरित किया जाए और उसकी वसूली को तबतक के लिए आस्थगित किया जाए जब तक कि एसपीवी पर्याप्त आधिक्य फंड सृजन करना शुरू न कर दे।

42 निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी संरचना के संबंध में दिनांक 27/05/2016 के का.ज्ञा.सं.5/2/2016 नीति के अनुसार दिशा-निर्देश जारी किया । दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सीपीएसई के लिए आवश्यक है कि वह कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30 प्रतिशत वार्षिक लाभांश अथवा शुद्ध मूल्य का 5 प्रतिशत जो भी अधिक हो भुगतान करे जो इस बात के अध्यधीन होगा कि यह विद्यमान कानूनी प्रावधानों के तहत आदेशित अधिकतम लाभांश है।

धारक और इसकी सहायक कंपनियों ने औद्योगिक नीति एवं प्रवर्धन विभाग के माध्यम से सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और सचिव, निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन की ओर से जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार न्यूनतम लाभांश के भुगतान से छूट की मांग की है। अतः कथित छूट के लंबित होने को ध्यान में रखते हुए वर्ष के लिए लाभांश के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

43 लेखांकन नीति सं. (ठ) को देखते हुए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेशन एंड एक्जीविशन सेंटर लि. से वार्षिक सेवा फीस को 19/12/2017 से आनुपातिक आधार पर स्वीकृत किया गया है।

44 (i) राजस्थान राज्य में भूमि अधिग्रहण के संबंध में वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त हुई 2 रिट याचिकाओं में एक प्रतिवादी कंपनी को बनाया गया है। चूंकि भूमि के अधिग्रहण में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है और यह पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार में आता है अतः कंपनी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर शाखा में एक प्रति हलफनामा दायर किया है कि प्रतिवादी के रूप में कंपनी के नाम को हटाया जाए।

(ii) इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीविशन सेंटर परियोजना द्वारका, नई दिल्ली के संबंध में डीएमआईसीडीसी लि. परियोजना हेतु नालेज पार्टनर के रूप में कार्य कर रहा है। परियोजना बाउंडरी के आस-पास की जगह पर फिर से वृक्ष लगाने के संबंध में 31 मार्च, 2018 को मामला राष्ट्रीय हरित ट्राईब्यूनेल के पास लंबित था और डीएमआईसीडीसी को एक प्रतिवादी बना दिया गया। एनजीटी ने अपने आदेश दिनांक 4 अप्रेल, 2018 के अनुसार मुकदमें को खारिज कर दिया है।

(iii) तथापि, उपर्युक्त घटनाओं से कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

45 सहायक कंपनियों में निवेश:

लेखांकन मानक 21 -समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार सहायक उद्यम

क्रमांक	कंपनी का नाम (सभी भारत में निगमित)	स्वामित्व ब्याज(%) 31मार्च,2018 की स्थिति के अनुसार	स्वामित्व ब्याज(%) 31मार्च,2017 की स्थिति के अनुसार
1	**डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लि***	-	100%
2	डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लि.*	-	100%
3	डीएमआईसीडीसी वाघेल पावर कंपनी लि.*	-	100%
4	डीएमआईसीडीसी विले भागड पावर कंपनी लि.*	-	100%
5	डीएमआईसीडीसी निमराना सोलह पावर कंपनी लि.	100%	100%

* इन कंपनियों को खत्म करने के लिए आवेदन पत्रों को कंपनियों के पंजीयक एनसीटी दिल्ली और हरियाणा के कार्यालय में अक्टूबर 2017 में इन कंपनियों के नाम को हटाने के लिए आवेदन पत्रों को दायर किया गया है और उस पर कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए 31/03/2018 को समाप्त वर्ष के लिए इन कंपनियों के वित्तीय विवरणों को तैयार नहीं किया गया है और वह 31/03/2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा नहीं है। इस बात को कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सीएंडएजी को कार्यालयों को उनकी स्वीकृति /टिप्पणी के लिए सूचित कर दिया गया है। अभी तक इस संबंध में उनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

46 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-3 के अंतर्गत सहायक कंपनी के रूप में समेकित उद्यमों के लिए अतिरिक्त सूचना

कंपनी का नाम (अखिल भारतीय कंपनियां)	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ अथवा हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में	राशि (₹)	समेकित लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता के रूप	राशि (₹)
मूल कंपनी				
दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.	0.95846	5,99,09,43,203	0.5860	5,23,70,585
सहायक कंपनियां (भारतीय)				
डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कंपनी लि.	0.04154	25,96,36,935	0.4140	3,70,01,51
सभी सहायक कंपनियों में अल्प रुचियां	-	-	-	-

47 गत वर्ष के लिए आंकडों को चालू वर्ष के हिसाब से मिलान के लिए जहां आवश्यक हो पुनर्वर्गीकृत किया गया है और उनका फिर से समूहन किया गया है। .

संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

एसएसएआर एवं एसोशिएट्स के लिए
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

हस्ता.
सचिन जैन
(पार्टनर)
(सदस्यता सं.. 502054)

स्थान:नई दिल्ली
दिनांक: 22-जून-2018

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.
अल्केश कुमार शर्मा
(सीईओ एवं प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन : 02724743)

हस्ता.
जय प्रकाश बत्रा
(निदेशक)
(डीआईएन : 00654332)

हस्ता.
पी.के. अग्रवाल
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.
अभिषेक चौधरी
(वीपी - कारपोरेट कार्य, एचआर एवं कंपनी सचिव)

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.

फार्म एओसी -1

[कंपनी(लेखा) नियमावली, 2014 के नियम-5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहायक कंपनियों, एसोशिएट कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की विशेषताओं के उल्लेख करने वाला विवरण पत्रः

भाग क : सहायक कंपनियां

क्रम संख्या	सहायक कंपनी का नाम	डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लि.	डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लि.	डीएमआईसीडीसी वाधेल पावर कंपनी लि.	डीएमआईसीडीसी विले भागड़ पावर कंपनी लि.	डीएमआईसीडीसी निमराना सोलर पावर कंपनी लि.
1	यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अधिक है तो संबंधित कंपनी के लिए रिपोर्टिंग की अवधि	इन कंपनियों के नाम को हटाने के लिए आवेदन कंपनी पंजीयक का कार्यालय, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा में प्रस्तुत किए गए हैं ताकि अक्टूबर,2017 में इन कंपनियों के नाम हटाए जा सकें और उनपर कार्रवाई चल रही है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार नहीं किया गया है और वे 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों का भाग नहीं हैं।			धारित कंपनी के समान
2	रिपोर्टिंग मुद्रा					भारतीय रुपया
3	शेयर पूंजी					13,00,00,000
4	भंडार एवं आधिक्य					12,27,94,055
5	कुल परिसंपत्तियां					38,26,74,001
6	कुल देनदारियां					12,98,79,946
7	निवेश					शून्य
8	कारोबार					17,37,23,147
9	कराधान पूर्व लाभ/हानि					5,47,01,372
10	कराधान के लिए प्रावधान					2,10,34,343
11	कराधान के बाद लाभ/हानि					3,36,67,029
12	प्रस्तावित लाभांश					शून्य
13	शेयरधारित की प्रतिशतता					100%

भाग ख: एसोशिएट/संयुक्त उद्यम : शून्य

1. एसोशिएट अथवा संयुक्त उद्यम के नाम जिन्हें अभी प्रचालन शुरू करना है। : शून्य
2. एसोशिएट अथवा संयुक्त उद्यम के नाम जो वर्ष के दौरान लिक्विडेट हुए या बेच दिए गए : शून्य

संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

एसएसएआर एवं एसोशिएट्स के लिए
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

हस्ता.
सचिन जैन
(पार्टनर)
(सदस्यता सं.. 502054)

स्थान:नई दिल्ली
दिनांक: 22-जून-2018

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.
अल्केश कुमार शर्मा
(सीईओ एवं प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन : 02724743)

हस्ता.
जय प्रकाश बत्रा
(निदेशक)
(डीआईएन : 00654332)

हस्ता.
पी.के. अग्रवाल
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.
अभिषेक चौधरी
(वीपी - कारपोरेट कार्य, एचआर एवं कंपनी सचिव)

उपस्थिति पत्र

सीआईएन	यू45400डीएल2008पीएलसी172316
कंपनी का नाम	दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.
पंजीकृत कार्यालय	कमरा सं.341 बी, 03 मंजिलमेन बिल्डिंग, होटल अशोक, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, 50बी, चाणक्यपुरी,नई दिल्ली-110021

मैं/हम एतद्द्वारा कमरा सं.341 बी, 03 मंजिलमेन बिल्डिंग, होटल अशोक, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, 50बी, चाणक्यपुरी,नई दिल्ली-110021 में कंपनी की 10वीं वार्षिक आम बैठक मे अपनी/हमारी उपस्थिति दर्ज करते हैं।

---	---	---
सदस्य का फोलियो	सदस्य/ प्रतिनिधि का नाम	सदस्य / प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

फार्म सं. एमजीटी-11

प्रतिनिधि प्रपत्र

(कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी प्रबंधन एवं प्रशासन नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सीआईएन	:	यू45400डीएल2008पीएलसी172316
कंपनी का नाम	:	दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लि.
पंजीकृत कार्यालय	:	कमरा सं. 341 बी, 03 मंजिलमेन बिल्डिंग, होटल अशोक, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, 50बी, चाणक्यपुरी,नई दिल्ली-110021

सदस्य सदस्यों) का नाम		
पंजीकृत पता	:	
ईमेल आईडी	:	
फोलियो सं./क्लाएंट आईडी	:	
डीपी आईडी	:	

मैं/हम उपर्युक्त नाम की कंपनी के _____ शेयरों का सदस्य हूं/हैं और एतद्द्वारा निम्नलिखित को मेरे/हमारे प्रतिनिधि (प्राक्सी) के रूप में मेरे/हमारे लिए मेरे/हमारे बदले में

1	नाम	:	
	पता	:	
	ईमेल आईडी	:	
	हस्ताक्षर	:	,अथवा उनके न रहने पर
2	नाम	:	
	पता	:	
	ईमेल आईडी	:	
	हस्ताक्षर	:	,अथवा उनके न रहने पर
3	नाम	:	
	पता	:	
	ईमेल आईडी	:	
	हस्ताक्षर	:	,अथवा उनके न रहने पर

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय कमरा सं. 341बी, 03 मंजिल मेन बिल्डिंग, होटल अशोक, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, 50बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 में 20 सितंबर,2018 को 03.30 बजे अपराह्न आयोजित और बैठक बुलाई जाने वाली नोटिस में निर्धारित ऐसे संकल्पों के संबंध में उनके किसी कार्य स्थगन पर जिन्हें नीचे दिया गया है, कंपनी की वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए और मतदान करने के लिए नियुक्त करता हूं/करते हैं।

संकल्प सं.

1.----------

2.----------

3.----------

4.----------

5.----------

दिन----------2018 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक का हस्ताक्षर----------

प्रोक्सी(प्रतिपत्र) धारक(कों) का/(के)हस्ताक्षर----------

रसीदी टिकट लगाएं

नोटः इस प्रोक्सी फार्म को प्रभावी होने के लिए भलीभांति भरा जाए और बैठक शुरू होने से 48 घंटे से अनधिक समय के अंदर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाए।

10th ANNUAL REPORT
AND
FINANCIAL STATEMENTS
(F.YR. 2017-18)

DMICDC
DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION
India Reimagined

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(DMICDC LTD.)

CIN: U45400DL2008PLC172316

PERFORMA TO BE ATTACHED TO THE O.M. FORWARDING PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF RAJYA SABHA

1	Brief purpose of the matter the paper/ Notification covers	:	DMICDC Limited is a grantee institution of Government of India. In this regard Annual Report and Audited Annual Account for FY 2017-18 is required to be laid on the Table of Rajya Sabha.
2	Statutory or other requirement under which the paper is to be laid on the Table; (and not the Statutory Provision under which it has been issued/ made)	:	Rule 242(2)(iv) of GFR, 2017
	(i) in case of Central Government Notification, name of the Act and section which provides for laying should be clearly stated:	:	
	(ii) in case of State Government Notification, name of the State Act should be reproduced:	:	
3	Whether published in the Gazette, if so,	:	-
	(i) G.S.R./ S.O./S.R.O. number of Notification published in the Gazette:		
	(ii) Date, Part and Section of the Gazette:		
4	Whether subject to modification by the House?:	:	No
5	Period specified in the principal Act by which it is required to be laid	:	To be laid by 31st December, 2018.
6	Whether paper/Notification is being laid within the stipulated time, if not, whether any delay statement has been enclosed?	:	Yes
7	Whether it has been previously laid on the Table of the Rajya Sabha and if so, on what date?	:	Yes, during the winter session of Parliament - 2017
8	Whether English and Hindi versions are being laid together? If not, the date on which the English version was laid?	:	Yes
9	Date on which the paper is proposed to be laid on the Table	:	During the winter session of Parliament -2018.

CONTENTS

S. No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ABOUT THE COMPANY	145 – 146
2.	CHAIRMAN'S MESSAGE	147 – 148
3.	CORPORATE INFORMATION	149
4.	ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE	150 – 164
5.	DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2018	165 – 192
6.	C&AG AUDIT REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2018.	193 – 198
7.	AUDITOR'S REPORT ON STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2018.	199 – 208
8.	STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2018.	209 – 232
9.	AUDITOR'S REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2018.	233 – 240
10.	CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2018.	241 - 272

ABOUT THE COMPANY

In order to embark on the process of planned urbanization with manufacturing as the key economic driver and to give a strong impetus to the country's industrial/ manufacturing development, the Government of India (GoI) announced the concept of Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) Project as the first Industrial Corridor in 2007. The project aims to create smart, sustainable industrial cities by leveraging the high speed, high capacity connectivity backbone provided by the Western Dedicated Freight Corridor (DFC) to reduce logistic costs in an enabling policy framework. A special purpose vehicle i.e. Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited was accordingly incorporated in January, 2008 for the development and implementation of DMIC project. The current equity shareholders in DMICDC include Government of India (49%), represented through the Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP), Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (26%) and financial institutions such as Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) (19.9%), India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) (4.1%) & Life Insurance Corporation (LIC) (1.0%).

Company Institutional and Financial Structure

The institutional and financial structure for the DMIC project was approved by the Government of India in 2011 with a budgetary support of Rs. 17,500 crore (at an average of Rs. 2500 crore for each of the 7 nodes subject to a maximum of Rs. 3000 crore) to be provided over a period of five years for the development of industrial cities in phase-I of the project. The budgetary support from GoI flows to DMIC-PITF (Project Implementation Trust Fund). The DMIC-PITF provides equity and/or debt to Special Purpose Vehicles (SPVs) incorporated as joint ventures between GoI and the respective State Governments for developing DMIC cities /nodes/projects. Project Development Fund (PDF) has been created to meet the expenditure against various project development activities for DMIC project. The fund is revolving in nature and in all Rs. 1000 crore would be given as grant-in-aid to DMICDC Limited to carry out project development activities. The allocation of funds against PDF is made in the form of annual grant from Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) to DMIC Trust.

Each project is implemented through a project/node city level SPV, incorporated under the provisions of Company's Act. Govt. of India has entered into a robust Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) clearly defining the roles and responsibilities of various parties for implementing the DMIC project.

Apart from DMIC Project, following other Industrial Corridor Projects are also under implementation. It is proposed initially to develop these four (4) other Industrial Corridor Projects to augment the infrastructure and manufacturing facilities.

a) Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC);
b) Bengaluru Mumbai Economic Corridor (BMEC);

c) Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC); and
d) East Coast Economic Corridor (ECEC) with Vizag-Chennai Industrial Corridor (VCIC) as phase-1.

For coordinated and unified development of all industrial corridor projects, GoI on 8th December, 2016 approved the expansion of the scope of existing DMIC-PITF and re-designated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT). NICDIT is under the administrative control of DIPP for coordinated and unified development of all the industrial corridor projects which has been announced by GoI in the recent past and are at various stages of development and implementation. All the upcoming corridors and other corridors in future will function under the administrative control of NICDIT.

These cities/early bird projects under DMIC are being implemented based on certain fundamental concepts of sustainable development like optimizing travel demand for the workforce through distributed business districts and industrial zones, integration of compatible land uses encouraging mixed-use, affordable workers housing planned near the industrial zones, high density residential neighbourhoods around High access Mass Transit Corridors, encouraging cycling & pedestrian modes over cars, recycling and reuse of water and solid wastes, energy sufficiency through use of renewables, conservation of better agricultural land & protection of sensitive natural environment (coastal zones, forests, sanctuaries), planned integration of existing villages into the new city, etc.

As the DMIC project has entered into the implementation stage and the construction work is being carried out in full swing in the States of Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, the land disposal policies have been finalized and the process of land allotment has been initiated. The major highlights of all the DMIC cities is that the projects have been completely de-risked and all necessary clearances/approvals are already in place for any anchor investor to come in and set up his manufacturing facility. The necessary linkages with regard to connectivity to the nearest National and/or State Highway, nearest rail head, Dedicated Freight Corridor etc. are bring facilitated by DMICDC. SPV's will act as a single window for facilitating all necessary approvals/licenses which may be required by the Industry players/Private Developers to set up their facilities in these cities.

Apart from the node/city level projects, DMICDC is also developing standalone projects like Multi Modal Logistic Hubs (MMLH) in the State of Haryana, Uttar Pradesh and Gujarat, Greenfield International Airport Projects in the State of Gujarat and Rajasthan and Mass Rapid Transit System (MRTS) Projects in the State of Haryana and Gujarat.

Chairman's Message

Dear Shareholders,

It gives me great pleasure in sharing with you performance of the company for the year 2017-18. During this period DMICDC undertook a number of project development activities like pre-feasibility studies, feasibility studies, detailed project reports and obtained various clearances including environment clearances. State Government(s) not only agreed to Institutional and Financial Structure approved by the Government of India for the implementation of Industrial Corridors but also made land available for the projects. The DMIC project has come a long way to reach its present state of implementation.

2017 was an eventful year in the country's march towards development and economic self-reliance. With India's ranking in the World Bank's Ease of Doing Business (EoDB) Index taking a quantum leap from 130th to 100th and the successful implementation of the GST regime creating a single national market, more avenues of industrial progress and manufacturing advancement have been opened.

With the Ground Breaking of Common Effluent Treatment Plant (CETP) and Water Pipeline from Pipli to Dholera, the construction work of Dholera, the Gujarat node of Delhi-Mumbai Industrial Corridor project has been accelerated. The development activities at the Bidkin node of Aurangabad Industrial City too have started. Development of internal infrastructure works in Vikram Udyogpuri at Ujjain, M.P. and Integrated Industrial Township project at Greater Noida, U.P. are also at advanced stages.

The rapid development of projects provides much needed comfort for the investors. This is reflected in the fact that total of 45 land parcels (40 Industrial, 2 Commercial, 2 Residential & 1 Utility) admeasuring 122 acres have been allotted in Shendra Industrial Area. Out of these 45 plots, one industrial plot measuring 100 acres has been allotted to Hyosung Group of Korea where it will be investing Rs. 3,400 crores in a phased manner. The company, which is a global leader in its segment will be manufacturing 'Spandex' and its production unit is likely to be completed by mid-2019. Investors have also shown their keen interest for investment in Integrated Industrial Township, Greater Noida and Integrated Industrial Township, Vikram Udyogpuri Project.

The significance of connectivity cannot be undermined in any project which is aimed at sustainable and inclusive development. In line with the objective of transit-oriented development, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), approved the Multimodal Logistics Hub (MMLH) project known as Freight Village at Nangal Chaudhary in Haryana by sanctioning Rs. 1,029.49 crores for Phase-I and granted 'In-Principle' approval for development of Phase-II. Similar projects have been conceptualised at Dadri in Uttar Pradesh and Sanand in Gujarat. A Multimodal Transport Hub (MMTH) will be developed at Dadri in Uttar Pradesh. These projects have potential to generate immense economic value by creating employment, reducing fuel costs, encouraging exports with considerable decline in pollution.

To ensure last-mile connectivity for all stakeholders, our company is developing two greenfield international airports at Dholera and Bhiwadi and two Mass Rapid Transit Systems (MRTS) at Gujarat and Haryana, which are proposed to be developed with active collaboration from Japan International Cooperation Agency (JICA). A Global City over an area of nearly 1100 acres is being developed in the State of Haryana as an integrated financial and business hub. The works of preliminary engineering are presently underway.

The Company is also acting as the knowledge partner for the iconic India International Convention & Expo Centre (IICC) project where infrastructure development activities for Phase-I has commenced with the appointment of EPC contractor and KINTEX in collaboration with eSang Networks Pvt. Ltd. has been appointed as its Operator. With the completion of Phase-I in December 2019, it is expected that the facility will have the footfall of over 10 million. A separate SPV for the project has been incorporated on 19th December 2017.

The Logistics Data Bank project is one of the most significant projects bringing IT inputs into logistics by offering a single-window container tracking system enabled by a tiny Radio-frequency identification (RFID) tag to have it tracked on a near "real-time basis". Over 9.5 million cargo containers have successfully availed this facility till now and the services are being extended to Southern and Eastern ports of India. A model Solar Project at Neemrana, Rajasthan with total capacity of 6 MW is also running successfully.

With the expansion of the mandate of DMIC Trust to National Industrial Corridor Development & Implementation Trust (NICDIT), project development activities have been taken forward for Chennai-Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) and Amritsar-Kolkata Industrial Corridor (AKIC). Shareholders Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) have been executed for Krishnapatnam node in Andhra Pradesh and Tumakuru node in Karnataka being developed under the Chennai-Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) project. The activities relating to Detailed Master Planning and Preliminary Engineering for these nodes are being taken forward.

A concerted and comprehensive marketing campaign intended for "Global Branding" of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor has also been launched across various mediums of communication like Print, Digital, Broadcast and Social media. Further, a number of workshops and roadshows have also been organised in association with various Ministries & Departments of Govt. of India, Industry Associations and Chambers of Commerce to enable greater interaction with stakeholders and investors. Several overseas companies have also conveyed their business interests in the DMIC project through different Trade Investment facilitation agencies and Economic consulates of respective embassies.

Overall, the year turned out to be one of sustained high performance with considerable accomplishments across all our verticals, made possible by the dedicated and determined efforts of our team. I would also like to acknowledge the trust, confidence and cooperation extended by our Board of Directors. We stand committed in our endeavour of driving the country's growth and at the same time, making a positive social impact by creating employment, enhancing incomes and improving the quality of life of citizens by means of inclusive growth and sustainable industrial development.

Sd/-
Ramesh Abhishek
Chairman

CORPORATE INFORMATION

Board of Directors

Shri Ramesh Abhishek, IAS
Chairman

Shri Shailendra Singh, IAS
Director

Shri Alkesh Kumar Sharma, IAS
Chief Executive Officer and Managing Director

Smt. Vandana Kumar, IDAS
Director

Shri Ichiro Hayashidani
Director

Shri Kazuhisa Yumikura
Director

Dr. Ravi Kanth Medithi
Director

Dr. Subrahmanyam Durvasula
Director

Shri Jai Prakash Batra
Independent Director

Audit Committee

Shri Ichiro Hayashidani
Director

Shri Jai Prakash Batra
Independent Director

Nomination & Remuneration Committee

Shri Ichiro Hayashidani
Director

Shri Jai Prakash Batra
Independent Director

Chief Financial Officer

Shri Pradeep Kumar Agarwal

Vice President-Corporate Affairs, Human Resources and Company Secretary

Shri Abhishek Chaudhary

Statutory Auditor

M/s SSAR & Associates,
Chartered Accountants

Internal Auditor

M/s Khandelia & Sharma, Chartered Accountants

Secretarial Auditor

M/s Vinod Kumar & Company, Company Secretaries

Banker's

Central Bank of India , Hotel Ashok, Chanakyapuri, New Delhi

Registered Office:

Room No. 341B, 03rd Floor,
Main Building, Hotel Ashok,
Diplomatic Enclave,
50B, Chanakyapuri,
New Delhi - 110021

ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 10th Annual General Meeting of the Members of **Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited** will be held on **Thursday, 20th day of September, 2018** at **03:30 P.M** at the registered office of the Company situated at Room No. 341B, 03rd Floor, Main Building, Hotel Ashok, Diplomatic Enclave, 50B, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021 to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS: -

1. To receive, consider & adopt the Audited Financial Statements (Standalone & Consolidated) as at 31st March, 2018 and the reports of the Board of Directors' and the Auditor's thereon for the period ended on that date.

2. To consider, and if thought fit, to pass, with or without modification(s), following resolution as an ***Ordinary Resolution:*** -

   "**RESOLVED THAT** Shri Ramesh Abhishek, Director of the Company, who retires by rotation and being eligible has offered himself for re-appointment, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation."

3. To consider, and if thought fit, to pass, with or without modification(s), following resolution as an ***Ordinary Resolution: -***

   "**RESOLVED THAT** Shri Ichiro Hayashidani, Director of the Company, who retires by rotation and being eligible has offered himself for re-appointment, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation."

4. To consider, and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following resolution as an ***Ordinary Resolution:*** -

   "**RESOLVED THAT** pursuant to Section 139 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the appointment of SSAR & Associates, Chartered Accountants, New Delhi (ICAI Firm Registration No.004739N) as nominated by the office of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) as the Statutory Auditor of the Company for the financial year 2018-19 vide its letter No. /CA. V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, DMICDC (0)/412 dated 02nd August, 2018, a copy of which has been placed before the meeting, be and is hereby approved/taken note of."

"RESOLVED FURTHER THAT CEO & Managing Director of the Company be and is hereby authorized to fix the terms and conditions including the determination of the audit fee payable to the Statutory Auditors as recommended by the office of the C&AG."

SPECIAL BUSINESS: -

5. To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolutions as an ***Ordinary Resolution:***

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 149, 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Schedule IV of the said Act, **Shri Ajay Nath, IAS (Retired)** be and is hereby appointed as Independent Director on the Board of the Company to hold office for a term up to 05 (five) consecutive years, whose period of office shall not be liable to determination by retirement of directors by rotation."

"RESOLVED FURTHER THAT any Director of the Company or Company Secretary be and is hereby individually authorised to do all such act(s), deed(s), matter(s) and thing(s) as may be considered necessary, desirable and expedient for giving effect to this resolution and/or otherwise considered by them in the best interest of the Company including filing of requisite e-return with the Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana."

BY ORDER OF THE BOARD
For Delhi Mumbai Industrial Corridor
Development Corporation Limited

Place: New Delhi
Date: 27th August, 2018

(Abhishek Chaudhary)
VP-Corporate Affairs, HR
& Company Secretary
Membership No. -F6701

NOTES:

1. **A member is entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy/ proxies to attend and vote instead of him/her and such proxies need not be a member of the Company. The instrument of proxy in order to be effective should be duly stamped, completed, signed and must be deposited at least 48 hours before the time for holding the aforesaid meeting.**

2. **A person shall act as proxy for only 50 members and holding in aggregate not more than 10 percent of the total Share Capital of the Company carrying voting rights. Member holding more than 10 percent of the total Share Capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other member.**

3. Proxy Form(s) and certified copy of the Board Resolution(s) authorizing representative(s) to attend and vote at the Meeting shall be sent to the registered office of the Company.

4. A Body Corporate, being a member, shall be deemed to be personally present only if it is represented in accordance with Section 113 of the Companies Act, 2013.

5. In conformity with the provisions of section 102(1) of the Companies Act, 2013, the Explanatory Statement setting out all the material facts relating to the aforesaid business is annexed herewith and form part of the notice.

6. Details of Director seeking appointment at the ensuing Meeting are provided in the "Annexure" to the notice.

7. The terms & condition for appointment of Independent Director is open for inspection by the members at the registered Office of the Company on all working days (i.e. except Saturdays, Sundays and Public holidays) during business hours upto the date of the meeting. The aforesaid documents will be also available for inspection by members at the meeting.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECTION 102(1) OF THE COMPANIES ACT, 2013: -

ITEM NO. 2

Shri Ramesh Abhishek (holding DIN 07452293), Director of the Company, liable to retire by rotation, vacates office by rotation at this Annual General Meeting. Shri Ramesh Abhishek being eligible offers himself for re-appointment and is proposed to be re-appointed as a Director of the Company liable to retire by rotation.

Hence the resolution is proposed.

Except Shri Ramesh Abhishek, being an appointee, none of the Directors and Key Managerial personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 2 of this notice.

ITEM NO. 3

Shri Ichiro Hayashidani (holding DIN 07417884), Director of the Company, liable to retire by rotation, vacates office by rotation at this Annual General Meeting. Shri Ichiro Hayashidani being eligible offers himself for re-appointment and is proposed to be re-appointed as a Director of the Company liable to retire by rotation.

Hence the resolution is proposed.

Except Shri Ichiro Hayashidani, being an appointee, none of the Directors and Key Managerial personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 3 of this notice.

ITEM NO. 4

The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) vide its letter No. /CA. V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, DMICDC (0)/412 dated 02nd August, 2018 has nominated SSAR & Associates, Chartered Accountants as the Statutory Auditor of the Company as per Section 139 of the Companies Act, 2013 for the financial year 2018-19. The Supplementary Audit of the Company for the financial year 2018-19 pursuant to Section 143 (6) & (7) of the Companies Act, 2013 has been entrusted to Principal Director, Commercial Audit & Ex- Officio Member Audit Board - I.

Hence the resolution is proposed.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 4 of this notice.

ITEM NO. 5

Shri Ajay Nath, IAS (Retired), aged 62 years is Graduate in Economics (First Division) and Post Graduate in Economics (First Division). He has worked as Principal Secretary and later, as Additional Chief Secretary, in the Finance Department of the Government of Madhya Pradesh. He has also served as a Director General of Investigation and Registration in the Ministry of Corporate Affairs and as Director of Serious Fraud

Investigation Office in Ministry of Corporate Affairs. He brings with him a wealth of experience in Finance, Company Affairs, Vigilance, Law & Justice, Revenue, Corporate Management etc. His Experience and skills will enable the Company to achieve its objectives successfully.

The Board is of the opinion that the Independent Director proposed to be appointed fulfils the conditions specified in the Act and the rules made thereunder and that the proposed Director is Independent of the Management. The Board considers that association of Shri Ajay Nath, IAS (Retired) will be of immense benefit to the Company and it would be prudent to appoint Shri Ajay Nath, IAS (Retired) as Independent Director on the Board of the Company. Accordingly, appointment of Shri Ajay Nath, IAS (Retired) as an Independent Director was recommended by the Nomination and Remuneration Committee and by the Board and is now placed before the members for their approval.

Except Shri Ajay Nath, IAS (Retired), being an appointee, none of the Directors and Key Managerial personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 5 of this notice.

BY ORDER OF THE BOARD
For Delhi Mumbai Industrial Corridor
Development Corporation Limited

Place: New Delhi
Date: 27th August, 2018

(Abhishek Chaudhary)
VP-Corporate Affairs, HR
& Company Secretary
Membership No. -F6701

ANNEXURE TO THE NOTICE

INFORMATION PURSUANT TO SECRETARIAL STANDARD-2 ON GENERALMEETING

DETAILS OF APPOINTMENT OF SHRI AJAY NATH, IAS (RETIRED) AS INDEPENDENT DIRECTOR ON THE BOARD OF THE COMPANY

Age	62
Qualification	Graduate in Economics (First Division) and Post Graduate in Economics (First Division)
Experience/Brief Resume	He is having 42 years of experience in various departments. He has worked as Principal Secretary and later, as Additional Chief Secretary, in the Finance Department of the Government of Madhya Pradesh. He has also served as a Director General of Investigation and Registration in the Ministry of Corporate Affairs and as Director of Serious Fraud Investigation Office in Ministry of Corporate Affairs.
Terms and Conditions of re-appointment	Appointment as an Independent Director for 5 years. Detailed terms and conditions attached of appointment is attached at **Annexure- "A".**
Remuneration last drawn (including sitting fees, if any)	-
Remuneration proposed to be paid	Sitting fees of Rs.20000/- for attending Board meeting and Committees thereof.
Date of first appointment on the Board	-
Shareholding in the Company as on 31st March, 2018	NIL
Relationship with other Directors/KMP	Not related to any director/Key Managerial Personnel
Number of meeting of the Board attended during the financial year (2017-18)	NA
Directorships of other Boards as on 31st March, 2018	1. Bharat Dynamics Limited and 2. Singrauli Airport Corporation Limited
Membership/ Chairmanship of Committees of other Boards as on 31st March, 2018	**Bharat Dynamics Limited:** - • Audit Committee - Member; • Nomination and Remuneration Committee - Member; and • Corporate Social Responsibility Committee - Chairman.

Annexure- "A"

Terms and Conditions of Shri Ajay Nath, IAS (Retired) as Independent Director on the Board of the Company

1. **Appointment/ Re-appointment:**

The appointment of Shri Ajay Nath, IAS (Retired) on the Board of Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC Ltd.) as an Independent Director, will be effective from the date of approval of shareholders i.e. 20th September, 2018, in terms of the Sections 149(6), 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Companies (Appointment and Qualification of Directors), Rules, 2014 (including any statutory modification (s) or re-enactment thereof for the time being in force) read with Schedule IV of the said Act. His appointment will be for a period of five consecutive years. His continued appointment will be subject to the requirements of the Company's Articles of Association and the Companies Act, 2013.

1.1. He will not be liable to retire by rotation; and

1.2. Based on the outcome of his performance evaluation, as provided under Section 178 read with schedule IV of the Companies Act, 2013 and Company's internal policies and the recommendation of the Board of Directors & Nomination and Remuneration Committee of the Board of Directors he will be eligible for re-appointment by the member of the Company after completion of his current term on the Board of the Company, as per provisions of Companies Act 2013, and other applicable regulations.

2. **Membership in Committees:**

2.1. In addition to serving as an Independent Director of the Company, he shall also serve on the committees of the Board as member/chairman as the Board of Directors (the Board) may deem fit; and

2.2. His appointment on such Committee(s) will be subject to the requirements of the Company's Article of Association and applicable provisions of the Companies Act, 2013.

3. **Guidelines for professional conduct:**

As an Independent Director, he is expected to adhere to the following guidelines of professional conduct as provided under Schedule IV of the Companies Act, 2013:

3.1 uphold ethical standards of integrity and probity;

3.2 act objectively and constructively while exercising his duties;

3.3 exercise his responsibilities in a *bona fide* manner in the interest of the Company;

3.4 devote sufficient time and attention to his professional obligations for informed and balanced decision making;

3.5 not allow any extraneous considerations that will vitiate his exercise of objective Independent judgment in the paramount interest of the Company as a whole, while concurring in or dissenting from the collective judgment of the Board indecision making;

3.6 not abuse his position to the detriment of the Company or its shareholders or for the purpose of gaining direct or indirect personal advantage or advantage for any associated person;

3.7 refrain from any action that would lead to loss of his independence;

3.8 where circumstances arise which make him lose his independence, he must immediately inform the Board accordingly; and

3.9 assist the Company in implementing the best Corporate Governance Practices.

4. **Time Commitment:**

4.1. As an Independent Director, he is expected to bring objectivity and independence of view to the Board's discussions and to provide the Board with effective leadership in relation to the Company's strategy, performance, and risk management as well as ensuring high standards of financial probity and corporate governance. He will be expected to devote such time as may be necessary for the adequate discharge of his duties as an Independent Director. The Board meets at least four times in a year. Besides, there shall be other meetings of various committees of directors constituted under provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made there under. He is expected to attend Board meetings, Committee meetings in which he may be appointed as member and meetings of members, shareholders, or other class meetings, if requested by the Board and to meet occasionally with major shareholders, management, staff and professional advisors. None of these duties will entitle him to any additional remuneration.

4.2. By accepting this appointment, he will confirm that he is willing and able to devote adequate time to meet the expectations from your role as an Independent Director on the Board.

5. **Role and Duties:**

5.1. An Independent Director has the same legal responsibilities as any other Director and the Board together has collective responsibility for the success of the Company. The Companies Act, 2013 has however introduced additional duties and responsibilities for Independent Directors of a Company including "Code of Independent Directors" provided in schedule IV of the Companies Act, 2013, which shall have to be adhered to. His liability as an Independent Director shall be governed by provisions of Companies Act, 2013, and other applicable rules and regulations.

5.2. His fiduciary duties as an Independent Director of the Company as provided in Schedule IV of the Companies Act, 2013 include:

- To undertake appropriate induction and regularly update and refresh their skills, knowledge and familiarity with the Company;
- To seek appropriate clarification or amplification of information and, where necessary, take and follow appropriate professional advice and opinion of outside experts at the expense of the Company;
- To strive to attend all meetings of the Board of Directors and of the Board committees of which he will be a member;
- To participate constructively and actively in the committees of the Board in which they are chairpersons or members;
- To strive to attend the general meetings of the Company;
- Where he has concerns about the running of the Company or a proposed action, ensure that these are addressed by the Board and, to the extent that they are not resolved, insist that their concerns are recorded in the minutes of the Board meeting;
- To keep himself well informed about the Company and the external environment in which it operates;
- Not to unfairly obstruct the functioning of an otherwise proper Board or committee of the Board;
- To pay sufficient attention and ensure that adequate deliberations are held before approving related party transactions and assure themselves that the same are in the interest of the company;
- To ascertain and ensure that the Company has an adequate and functional vigil mechanism and to ensure that the interests of a person who uses such mechanism are not prejudicially affected on account of such use;
- To report concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the company's code of conduct or ethics policy;
- To act within his authority, assist in protecting the legitimate interests of the company, shareholders and its employees; and
- Not to disclose confidential information, including commercial secrets, technologies, advertising and sales promotion plans, unpublished price sensitive information, unless such disclosure is expressly approved by the Board or required by law.

5.3. He shall also act in accordance with the Company's Articles of Association.

5.4. He shall also act in good faith in order to promote the objects of the Company for the benefit of its members as a whole, and in the best interest of the Company, its employees, the shareholders, the community and for the protection of environment.

5.5. He shall discharge his duties with due and reasonable care, skill and diligence.

5.6. He shall not involve himself in a situation in which he may have a direct or indirect interest that conflicts, or possibly may conflict, with the interest of the Company.

5.7. He shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself or to his relatives, partners or associates.

5.8. He shall not assign his office as Director and any assignments so made shall be void.

In addition to the above requirements, he should also perform the following functions as provided in Schedule IV of the Companies Act, 2013:

- help in bringing an Independent judgment to bear on the Board's deliberations especially on issues of strategy, performance, risk management, resources, key appointments and standards of conduct;
- bring an objective view in the evaluation of the performance of board and management;
- scrutinize the performance of management in meeting agreed goals and objectives and monitor the reporting of performance;
- satisfy himself on the integrity of financial information and that financial controls and the systems of risk management are robust and defensible;
- safeguard the interests of all stakeholders, particularly the minority shareholders;
- balance the conflicting interest of the stakeholders;
- determine appropriate levels of remuneration of executive directors, key managerial personnel and senior management and have a prime role in appointing and where necessary recommend removal of executive directors, key managerial personnel and senior management; and
- Moderate and arbitrate in the interest of the company as a whole, in situations of conflict between management and shareholder's interest.

6. **Remuneration, Fees and Expenses:**

The Company shall, subject to the provisions in Companies Act, 2013 and obtaining approvals as may be necessary, pay sitting fees for attending Board and committee meetings. He shall also be entitled to the reimbursement of receipted expenses, as considered fair & reasonable by the Company, incurred on travel & accommodation and other expenses:

- for attending meetings of the Board of Directors or any committee thereof or General Meetings of the Company; or
- in connection with the business of the Company.

7. **Evaluation:**

His performance evaluation shall be done by the Board of Directors. The results of the performance evaluation will be taken into account at the time of considering his re-appointment on the Board as the Independent Director.

8. **Conflict of Interest and disclosure:**

8.1 It is accepted and acknowledged that he may have business interests other than those in the Company. As a condition to his appointment, he is required to declare all such directorships, appointments and interests to the Board in writing in the prescribed form annually and as and when there is any change arises therein. The Secretarial Department will assist him in making these

disclosures in a timely manner. It is expected that he will not serve on the Board of competing Companies except without the prior written approval of the Board.

8.2 In the event of a change in declaration as aforesaid or a change which impacts his independence as an Independent Director on the Company, he shall intimate the Managing Director as well as Company Secretary of the Company forthwith.

9. Confidentiality

By virtue of his appointment, all the information that he receives from the Company or from its direct or indirect subsidiaries and have access to regarding the Company's and subsidiaries businesses, transactions, employees and affairs (and including for the avoidance of doubt any information in respect of which the Company or any Group Company is bound by an obligation of confidentiality to a third party) should be regarded as confidential. It should not be disclosed, either during his appointment or at any time thereafter to any third party without the prior written approval of the then Managing Director of the Company. This requirement shall not apply to information which is legitimately in the public domain or is properly required to be disclosed by any legal or regulatory authority. He should not use confidential information for any purposes other than those of the Company. All belongings received from the Company shall be returned at the end of your term as Independent Director and he is expected to ensure that he does not keep any documents or copies thereof of related to any confidential information of the Company in any form whatsoever.

10. Termination

10.1. He may resign from his position at any time and should he wish to do so, he is requested to serve a reasonable written notice on the Board;

10.2. Continuation of his appointment is in accordance with provisions of Companies Act, 2013, Rules made there under and the Articles of Association of the Company, from time to time in force; and

10.3. His appointment may also be terminated in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made there under as amended.

11. Miscellaneous

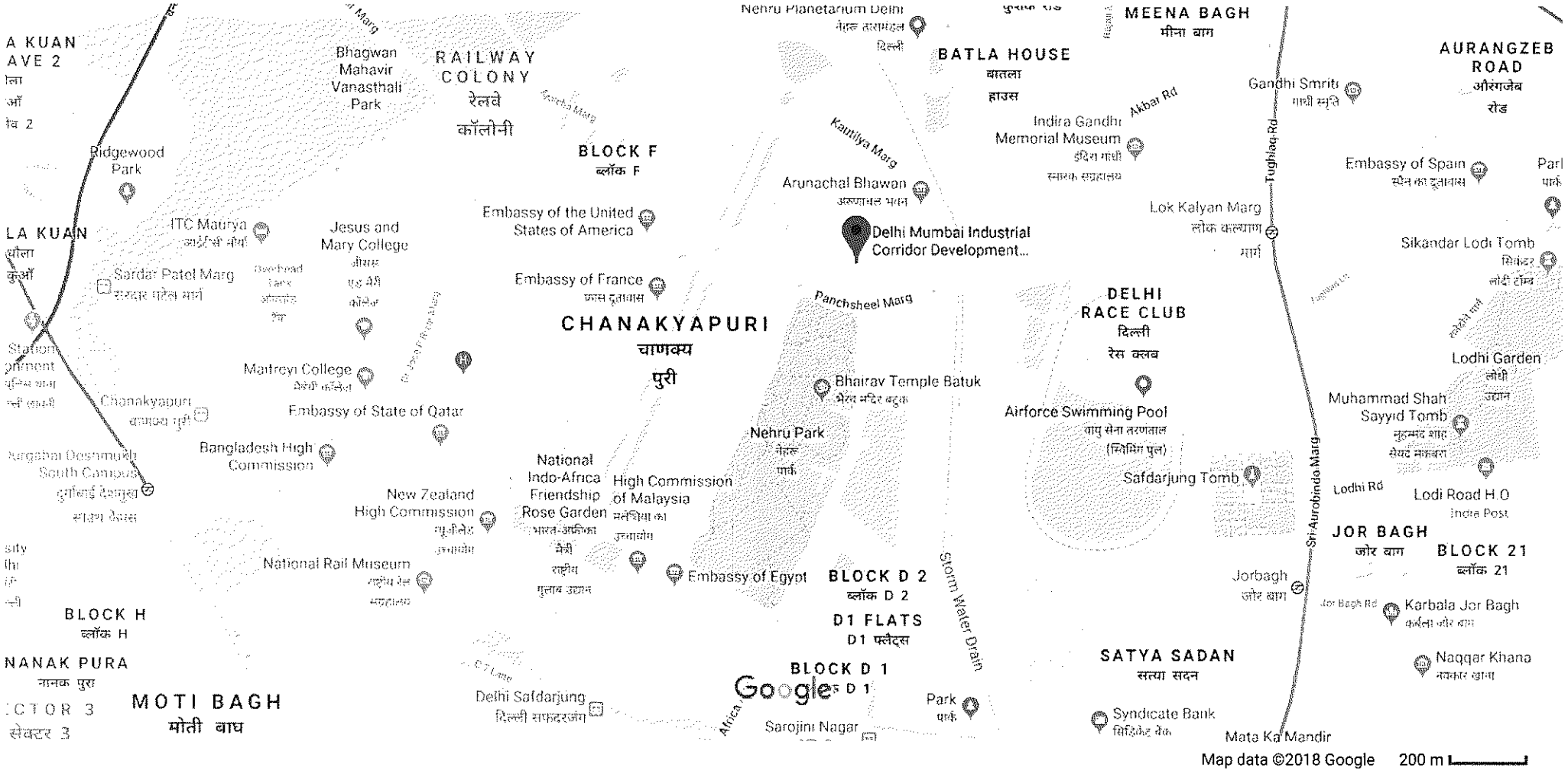
The terms of his appointment are subject to the provisions of the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Company and other laws as may be applicable from time to time. In case of any inconsistency between the statutory provisions and this letter, statutory provisions will prevail over the contents of this letter and the terms of this letter shall stand amended automatically to that extent.

His terms of appointment including the terms contained in this letter are governed by the Indian Laws and accordingly shall be subject to the exclusive jurisdictions of the Indian courts at Delhi.

Google Maps

Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited

Room No. 341B, 03rd Floor, Main Building, Hotel Ashok, Diplomatic Enclave, 50B, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021



DIRECTOR'S REPORT

DIRECTORS' REPORT

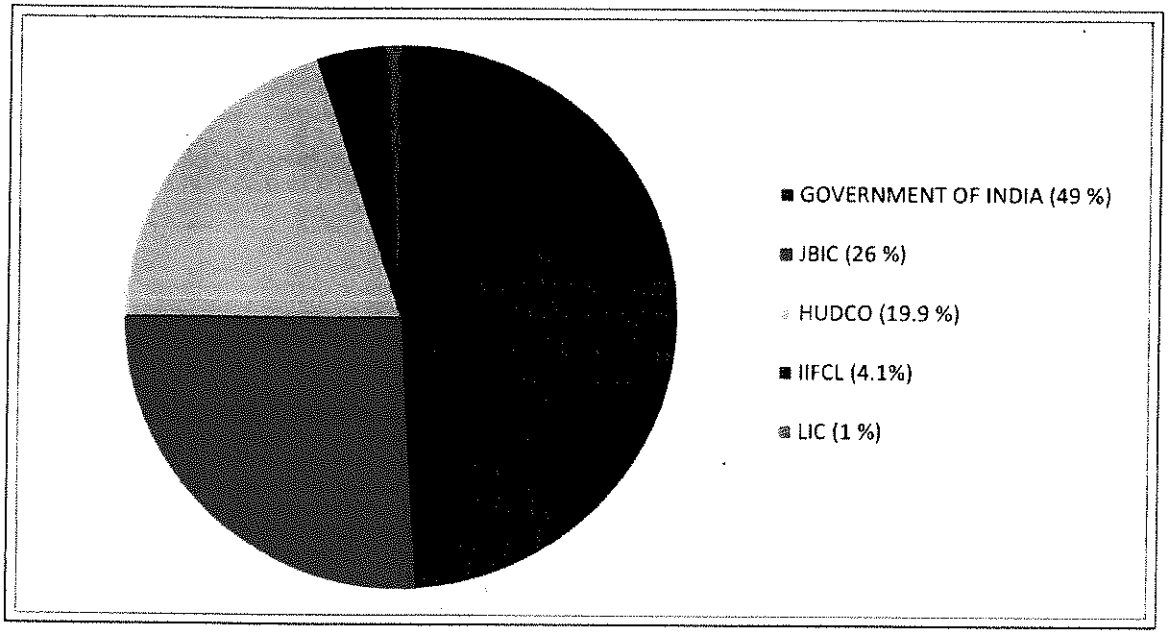
Dear Shareholders,

Your Directors have pleasure in presenting the 10th **(Tenth) Board Report** on the affairs of the Company for the year ended on March 31, 2018.

Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP), Ministry of Commerce & Industry has been designated as the nodal agency from Government of India for the DMIC project.

In accordance with the approval of Government of India, the shareholding pattern of the Company was changed with the introduction of Public financial institutions namely Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO), India Infrastructure Finance Corporation Limited (IIFCL), Life Insurance Corporation of India (LIC) and Japan Bank for International Cooperation (JBIC). The shareholding pattern of the Company is as follows:

SHAREHOLDING PATTERN



1. FINANCIAL STATEMENTS SUMMARY:-

The Financial Statements summary of the Company for the financial year ended March 31, 2018 is summarized below:

(Amount in Rs.)

Particulars	**2017-18**	**2016-17**
Total Income	21,18,91,641	11,47,58,242
Total Expenses	13,25,55,278	7,70,77,910
Tax Expense	2,41,25,580	1,16,16,983
Profit / (Loss) for the year after Tax	**5,52,10,783**	**2,60,63,349**

Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

2. STATUS OF COMPANY'S AFFAIRS:

In the Phase - I of Delhi Mumbai Industrial Corridor Project, eight Investment Regions/ Industrial Areas are being taken up for development as 'Smart Cities'.

The state-wise progress of DMIC project is as under:

GUJARAT

Dholera Special Investment Region (DSIR):

- State Govt. has transferred 22.45 sq. kms to the project SPV and matching equity has also been released by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) amounting to Rs. 1294.22 crore;
- CCEA had approved tender packages for various infrastructure components for Rs. 2784.82 crore and EPC contracts have been awarded for Rs. 2111.51 crore;
- Physical progress of work is 42.65%;
- Tender documents for selection of Master System Integrator (MSI) is being finalized;
- Land allotment policy finalized and land is ready for allotment;
- Road shows and round table conferences are being organized to attract anchor tenants/ investors.

Greenfield International Airport at Dholera in Gujarat:

- In-principle' approval has been accorded by Ministry of Civil Aviation;
- Airports Authority of India (AAI) has shown interest to take equity into the project and discussions are being held with AAI.

MRTS between Ahmedabad and Dholera, Gujarat:

- DPR prepared and approved by the State Govt.;
- Project has been included in JICA Rolling Plan for DMIC Project;
- NHAI has appointed the consultant for DPR preparation for Expressway Project between Ahmedabad and Dholera. Land acquisition for the MRTS Project will be initiated as part of RoW of expressway project once DPR is ready.

Bhimnath Dholera Rail Line Project:

- Final Location Survey (FLS) has been finalized by Ministry of Railways;
- Project will be implemented under Non-Government Railway (NGR) Model;
- Tender for selection of consultant for preparation of Detailed Project Report (DPR) has been re-issued on account of limited response in the first bidding process.

Multi Modal Logistic Park (MMLP) at Sanand, Gujarat (500 acres):

- Techno-Economic Feasibility Study (TEFS) along with Master Plan is being finalized;
- State Govt. has been requested to initiate the land acquisition process after finalization of the Town Planning and land acquisition scheme.

New Delhi

MAHARASHTRA

Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA):

- State Govt. has transferred 18.55 sq. kms to the SPV and the matching equity has also been released by NICDIT amounting to Rs. 1452.70 crore;
- For Shendra, CCEA had approved the tender packages for various infrastructure components for Rs. 1533.44 crore and EPC contracts worth Rs. 977.34 crore have been awarded;
- For Bidkin, CCEA had approved the tender packages for various infrastructure components for Rs. 6414.21 crore and EPC contracts worth Rs. 1223 crore have been awarded;
- Physical progress of work is 72.60% for Shendra and 21.42% for Bidkin;
- For Shendra, 44 plots have been allotted majorly to Small and Medium Enterprises, 1 industrial plot has been allotted to HYSOUNG Corporation of South Korea and one to Oerlikon Group of Switzerland.

Dighi Port Industrial Area:

- State Govt. has initiated the process of land acquisition. A total of 2500 Hec has been acquired by MIDC and another 500 Hec is under acquisition to make the land parcels contiguous.
- Selection of agency for detailed master planning and preliminary engineering is under way.

MADHYA PRADESH

Pithampur Dhar Mhow Investment Region:

State Support Agreement (SSA) and Shareholder's Agreement (SHA) has been executed between NICDIT and State Govt. of Madhya Pradesh/MPTRIFAC for node/city level.

Integrated Industrial Township 'Vikram Udyogpuri' Project, Ujjain:

- Land admeasuring 1100 acres has been transferred to the project SPV and the matching equity amounting to Rs. 55.93 crore has also been released by NICDIT;
- CCEA had approved the project cost of Rs. 808.60 crore and EPC contracts worth Rs. 471 crore have been awarded;
- Physical progress of work is 62.20%;
- Land allotment policy finalized and land is ready for allotment;
- Road shows and round table conferences are being organized.

Water Supply Project for Pithampur Industrial Area:

- SPV by the name of Pithampur Jal Prabandhan Company Limited (PJPCL) has been incorporated between State Govt. and NICDIT;
- Project cost of Rs. 306.55 crore has been approved and EPC contract worth Rs. 219 crore has been awarded;
- Physical progress of work is 75%.

Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited
New Delhi

HARYANA

Integrated Multi Modal Logistics Hub (IMLH) at Nangal Chaudhary:

- Land admeasuring 886.78 acres has been identified at District Mahendergarh for the project;
- Project SPV has been incorporated between NICDIT and State Govt.;
- Out of total land, 80%(710) acres has been acquired and remaining is under acquisition;
- Project has been accorded approval by CCEA in its meeting held on 16th May, 2018, and further activities are under way.

Global City Project:

- Project SPV has been incorporated between NICDIT and State Govt.;
- Preliminary engineering consultants for roads and services/utilities are finalizing the tender documents for selection of EPC contractor.

Mass Rapid Transit System (MRTS) Project:

- State Government has approved the Final DPR;
- Project SPV has been incorporated between NICDIT and State Govt.;
- Land is in the possession of State Govt. and project has been included in the JICA Special Rolling Plan;
- JICA has been requested to initiate their due-diligence including activities related to preparatory surveys.

UTTAR PRADESH

Integrated Industrial Township Project at Greater Noida:

- Land admeasuring 747.5 acres has been transferred to the Project SPV and the matching equity amounting to Rs. 617.20 crore has also been released by NICDIT;
- CCEA had approved the project cost of Rs. 1714.70 crore and EPC contracts worth Rs. 703 crore have been awarded;
- Physical progress of work is 75%;
- Land allotment policy finalized and land is ready for allotment;
- Enquiries have been received from white goods manufacturing companies like Haier, Fenda, Forme Communications etc.
- Road shows and round table conferences are being organized;
- e-Land management consultant has been appointed.
- Selection of agency for ICT works under way.

New Delhi

Multi Modal Logistics Hub (MMLH) and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Dadri:

- Detailed Project Report (DPR) for the project has been finalized;
- Necessary approvals obtained from DFCCIL so as to provide connectivity to the site from Western and Eastern DFC;
- Out of total area, State Govt. has acquired approximately 62% of the land and the balance land is under acquisition;
- NICDIT in its meeting held on 6th March, 2018 has approved the project proposal for INR 4034 crore subject to certain conditions.

RAJASTHAN

Khushkhera Bhiwadi Neemrana Investment Region, Rajasthan:

- Master plan has been notified;
- Rajasthan Special Investment Region Act has been notified by State Government for enabling execution of SHA & SSA;
- State Govt. has been requested to initiate the land acquisition process.

Greenfield International Airport at Rajasthan:

- Site Clearance accorded by MoCA;
- The preparation of Detailed Project Report (DPR) is underway by Airport Authority of India (AAI).

Jodhpur Pali Marwar Industrial Area (JPMIA):

- Master plan has been notified;
- Environment Clearance has been accorded by MoEF&CC.

Model Solar Project, Neemrana, Rajasthan:

- 5 MW Solar Power Plant has been commissioned successfully.
- 1MW Project has been commissioned with effect from 10th July, 2017 and the power is being sold to Mikuni India Pvt. Ltd.

Logistic Data Bank, DMIC Region:

- Operations have been initiated at JNPT Port with effect from 1st July, 2016;
- Operations have also been successfully launched across all container terminals at APSEZ Mundra (Adani Port Special Economic Zone) & AHPPL Hazira (Adani Hazira Port Pvt Ltd) in Gujarat from 1st May, 2017;
- Services expanded to 5th terminal at JNPT and works on for 3 Ports - Krishnapatnam, Ennore & Kattupalli from 18th December, 2017;
- More than 86,04,047 containers have been tagged/de-tagged till 11th June, 2018.

Industrial Corridor Development Corporation New Delhi

IICC Project, Dwarka, New Delhi:

Union Cabinet in its meeting held on 10.11.2017 has approved the development of India International Convention & Expo Centre at an estimated cost of INR 25703 crore. A 100% Government owned company titled as India International Convention and Exhibition Centre Limited has been incorporated to implement the project. The land measuring 89.5832 Ha in Sector-25, Dwarka has been transferred by DIPP to IICC Limited on lease for development of this project. All statutory approvals and clearances such as Environment Clearance (MoEFCC), Consent to Establish (Delhi Pollution Control Board), Tree Cutting Permission (Dept of Forest of Wildlife, GNCTD), Layout Plan Approval (SDMC), Urban Design Approval (DUAC), Building Height Clearance (AAI), External Connectivity Approval (NHAI/UTTIPEC) etc. have been obtained for the project. Larsen & Toubro has been appointed as EPC Contractor to undertake the Detailed Design, Construction, Testing & Commissioning of Phase-I components consisting of Exhibition & Convention Centre along with trunk infrastructure and work shall be completed by December, 2019. Further, DMRC has also appointed the EPC Contractor to undertake the construction of Metro link to IICC Project site via Airport Express Line and work is going on in full swing at site.

3. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES:

The Company has only one subsidiary namely DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited as on March 31, 2018.

During the year under review, the Board of Directors reviewed the affairs of the subsidiary. Further, the report on the performance and financial position of the subsidiary and salient features of the Financial Statements in the prescribed Form AOC-1 is already enclosed with the Financial Statements.

During the financial year ended on March 31, 2018, the following Companies have ceased to be its subsidiaries because the application(s) for strike off the name of the Companies from the Register maintained by the Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana have been filed under Section 248 of the Companies Act, 2013:

a) DMICDC Guna Power Company Limited;
b) DMICDC Indapur Power Company Limited;
c) DMICDC Vaghel Power Company Limited; and
d) DMICDC Ville Bhagad Power Company Limited.

4. DIVIDEND:

No dividend has been recommended during the financial year.

5. RESERVES:

During the period under review, Rs. 5,52,10,783/- (Rupees Five Crore Fifty Two Lakh Ten Thousand Seven Hundred Eighty Three only) has been transferred to the reserves by the Company.

New Delhi

6. CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY:

There was no change in the nature of the business of the Company during the financial year ended on March 31, 2018.

7. DETAILS IN RESPECT OF ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS:

M/s Khandelia & Sharma, Chartered Accountants were appointed as Internal Auditors of the Company for the financial year 2017-18 pursuant to Section 138(1) of the Companies Act, 2013 in the Board Meeting of the Company held on June 22, 2017. The Board feels that the scope of Internal Audit and Internal Financial Control having regard to the size of the Company are adequate.

8. DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE:

During the financial year ended on March 31, 2018, no order(s) has been passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

9. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE FINANCIAL YEAR ENDED ON MARCH 31, 2018 AND THE DATE OF THE REPORT:

There are no material changes occurred in between the financial year ended on March 31, 2018 and date of the report of the Company which affects the financial position of the Company.

10. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

During the year under review, the Company is not required to comply with the provisions related to Corporate Social Responsibility in pursuance to the provisions of the Section 135 of the Companies Act, 2013.

11. DEPOSITS:

During the financial year ended on March 31, 2018, the Company has not accepted any deposits nor have any deposits remained unpaid or unclaimed. Further, during this period, the Company has not defaulted in the repayment of the deposits or the payment of the interest due thereon.

12. STATUTORY AUDITORS:

The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) vide its letter No./CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, DMICDC(0)/122 dated July 17, 2017

Industrial Corridor Development Corporation New Delhi

had appointed M/s SSAR & Associates, Chartered Accountants as the Statutory Auditors of the Company as per the provisions of the Companies Act, 2013 for the financial year 2017-2018. Also the Supplementary Audit of the Company for the financial year 2017-18 has been entrusted to Principal Director, Commercial Audit & Ex-Officio Member Audit Board - I.

On similar lines, the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) will be nominating the Statutory Auditors for the financial year 2018-19. Also, the Supplementary Audit of the Company for the financial year 2018-19 will be entrusted to Principal Director, Commercial Audit & Ex- Officio Member Audit Board - I.

The Statutory Auditors of the Company as may be appointed by the office of Comptroller and Auditor General of India (C&AG) will hold office till the conclusion of the 11th Annual General Meeting of the Company.

13. AUDITORS' REPORT:

The Auditors' Report submitted by Statutory Auditor do not contain any qualifications. The notes to the accounts referred to in the Auditor's Report are self-explanatory and therefore do not call for any further comments of Directors.

14. SECRETARIAL AUDITORS' REPORT:

M/s Vinod Kumar & Company, Company Secretaries had been appointed in the Board Meeting of the Company held on June 22, 2017 to conduct the Secretarial Audit of the Company for the financial year 2017-18 as per Section 204 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder. The Secretarial Audit Report in Form MR-3 do not contain any qualification, reservation or adverse remarks. The Secretarial Audit Report for the financial year ended on March 31, 2018 is attached at **Annexure-"A"**.

15. CAPITAL STRUCTURE:

The authorized, issued and paid-up share capital of the Company is Rs. 100,00,00,000/- (Rupees One Hundred crores Only) divided into 10,00,00,000 (Ten crore) equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

16. EXTRACT OF THE ANNUAL RETURN UNDER SECTION 92(3):

In accordance with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013, the extract of the Annual Return as provided under Section 92(3) of the Companies Act, 2013 in Form No. MGT - 9 is attached at **Annexure - "B"**.

17. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

The details of conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings and outgo are as follows:-

New Delhi

A) Conservation of energy*:

i. the steps taken or impact on conservation of energy : **Not Applicable**

ii. the steps taken by the Company for utilizing alternate sources of energy : **Not Applicable**

iii. the capital investment on energy conservation equipment's : **Not Applicable**

B) Technology absorption:

i. the efforts made towards technology absorption : **Not Applicable**

ii. the benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution : **Not Applicable**

iii. in case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year) : **Not Applicable**
(a) The details of technology imported;
(b) the year of import;
(c) whether the technology been fully absorbed;
(d) if not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and

iv. the expenditure incurred on Research and Development : **Not Applicable**

C) Foreign exchange earnings and Outgo:

i. The Foreign Exchange earned in terms of actual inflows during the year : **NIL**

ii. The Foreign Exchange outgo during the year in terms of actual Outflows : **Rs. 13,16,116/-**

*[*Note: The principal activity of the Company is to facilitate, promote and establish industrial corridors/investment regions/industrial areas/ economic regions/industrial nodes/special economic zones/townships with state-of-art industrial, physical and social infrastructure. The conservation of energy and technology absorption is not applicable. However the Company is doing its best efforts for the conservation of energy through various project development activities.]*

18. BOARD OF DIRECTORS:-

(A) Changes in Directors and Key Managerial Personnel:

S. No.	Name of the Director/ Key Managerial Personnel	Date of Appointment	Date of Cessation
1.	Shri Shailendra Singh	30th August, 2017	-
2.	Shri Kazuhisa Yumikura	30th August, 2017	-
3.	Shri Sanjeev Gupta	24th August, 2016	30th August, 2017
4.	Shri Hideo Naito	01st March, 2016	30th August, 2017
5.	Shri Prasanna Kumar Dash	30th March, 2015	03rd October, 2017

Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited
New Delhi
175

(B) Declaration by Independent Director(s) for the Financial Year 2017-18:

The definition of "Independence" of Independent Directors has been derived from Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Based on the confirmation/disclosures received, the following persons have been appointed as Independent Directors of the Company for the period of five years with effect from March 31, 2015 as per Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013: -

a) Shri Jai Prakash Batra (DIN: 00654332); and
b) Shri Prasanna Kumar Dash (DIN: 01578400) (Resigned on 03rd October, 2017)

The Company had received the declaration from the Independent Directors in accordance with Section 149 of the Companies Act, 2013, for the financial year 2017-18 that they meet the criteria of independence as laid out in Sub-Section (6) of Section 149 of the Companies Act, 2013. The similar declaration has also been received for the financial year 2018-19 from Shri J.P.Batra.

(C) Number of Meetings of the Board of Directors:

Four (04) meetings of the Board of Directors of the Company were held in the financial year 2017-18. The details of the Board Meeting are as under:-

S.No.	Particulars	Date of Board Meeting
1.	44th Board Meeting	June 22, 2017
2.	45th Board Meeting	September 21, 2017
3.	46th Board Meeting	December 20, 2017
4.	47th Board Meeting	March 22, 2018

19. COMMITTEES OF THE BOARD:-

The Board of Directors has following two Committees:-

(A) Audit Committee :

As per Section 177 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company in its 34th Meeting held on March 30, 2015 had reconstituted the Audit Committee. The composition of the Audit Committee was as follows:-

a) Shri J.P Batra (DIN: 00654332), Ex-Chairman, Railway Board and Independent Director, DMICDC Ltd;
b) Shri P.K Dash (DIN: 01578400), Ex-Additional Chief Secretary, Industries, Government of Madhya Pradesh and Independent Director, DMICDC Ltd; and
c) Shri Ichiro Hayashidani (DIN: 07417884), Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) and Director, DMICDC Ltd.

Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

During the year 2017-18, four meetings of the Audit Committee were held on 22nd June, 2017, 21st September, 2017, 20th December, 2017 and 22nd March, 2018. Further, Shri P.K. Dash, member of the Committee has resigned from the Company with effect from 03rd October, 2017.

(B) Nomination and Remuneration Committee :

As per the Section 178 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company in its 34th Meeting held on March 30, 2015 had reconstituted the Nomination and Remuneration Committee. The composition of the Nomination and Remuneration Committee was as follows:-

a) Shri J.P Batra (DIN: 00654332), Ex-Chairman, Railway Board and Independent Director, DMICDC Ltd;
b) Shri P.K Dash (DIN: 01578400), Ex-Additional Chief Secretary, Industries, Government of Madhya Pradesh and Independent Director, DMICDC Ltd; and
c) Shri Ichiro Hayashidani (DIN: 07417884), Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) and Director, DMICDC Ltd.

During the year, a meeting was held on June 22, 2017 with the presence of all the members of the Committee. Further, Shri P.K. Dash, member of the Committee has resigned from the Company with effect from 03rd October, 2017.

20. REMUNERATION PAID TO KEY MANAGERIAL PERSONNELS (KMPs):

The Company during the financial year 2017-18 has paid remuneration to Shri Alkesh Kumar Sharma, CEO & Managing Director; Shri Pradeep Kumar Agarwal, Chief Financial Officer and Shri Abhishek Chaudhary, VP - Corporate Affairs, HR and Company Secretary. The details of the remuneration paid during the financial year 2017-18 is mentioned in VI (A) and Clause VI (C) of Form No. MGT - 9.

21. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186:

No Loan(s) or Guarantee(s) has been given and Investment(s) has been made under Section 186 of the Companies Act, 2013 by the Company during the financial year under review.

22. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES UNDER SECTION 188(1):

No contracts or arrangements were entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 during the financial year under review.

Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited
New Delhi

23. RISK MANAGEMENT AND INTERNAL ADEQUACY:

The Company has adequate risk management process to identify and notify the Board of Directors about the risks or opportunities that could have an adverse impact on the Company's operations or could be exploited to maximize the gains. The processes and procedures are in place to act in a time bound manner to manage the risks or opportunities. The risk management process is reviewed and evaluated by the Board of Directors.

The Company's internal control systems are commensurate with the nature of its business and the size and complexity of its operations. These are routinely tested and certified by Statutory as well as Internal Auditors. Significant audit observations and follow up actions thereon are reported to the Audit Committee.

24. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

In pursuance to clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013 it is stated that:-

a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

25. PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS:

The Directors of your Company are in a fiduciary position, empowered to oversee the management functions with a view to ensure its effectiveness and enhancement of stakeholders' value. Independent Director is appointed keeping in view their diverse skills and experience as to provide directions, guidance and support to the management.

26. COST AUDITORS:

As per the provisions of the Companies Act, 2013, the Company is not required to appoint the Cost Auditors.

New Delhi

27. POLICY IN COMPLIANCE OF THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013:

The Company has zero tolerance towards sexual harassment at the workplace and has adopted a policy on prevention, prohibition and redressal of sexual harassment at workplace in line with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the Rules thereunder.

28. EXPLANATION OR COMMENTS BY THE BOARD ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE:

The reports of Statutory Auditor and Secretarial Auditor are free from qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

29. ACKNOWLEDGEMENTS:

The Board of Directors of the Company wish to place on record, their thanks and appreciation to all workers, staff members and executives for their contribution to the operations of the Company. The Directors are thankful to the Government of India, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO), India Infrastructure Finance Corporation Limited (IIFCL) and Life Insurance Corporation of India (LIC), and its Bankers. The Directors also place on record their sincere thanks to the shareholders for their continued support, co-operation and confidence in the Management of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors

Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited
New Delhi

(Ramesh Abhishek)
Chairman
DIN: 07452293
Add: No. 59, New Moti Bagh
New Delhi-110023

Date: June 22, 2018
Place: New Delhi

Vinod Kumar & CO.
Company Secretaries
M.COM, FCS, LL.B

833, 9th Floor, West End Mall, District Centre, Janakpuri, New Delhi- 110058
Cell No.: 9212477250, 8800497844, E Mail: fcsvinod@gmail.com, fcsvinod@rediffmail.com
PAN: AGEPA2325G

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

For The Financial Year Ended 31st March, 2018

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,
Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited
Room No. 341B, 03rd Floor, Main Building,
Ashoka Hotel, Diplomatic Enclave,
50B, Chanakyapuri
Delhi - 110021

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** (hereinafter called "the Company"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, I hereby report that in my opinion, the Company has, during the audit period covering the Financial Year ended on 31st March, 2018 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** ("the Company") for the Financial Year ended on 31st March, 2018 according to the provisions of:

1) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;

VINOD KUMAR & CO. CP 7740 COMPANY SECRETARIES

2) Foreign Exchange Management Act, 1999 and Regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

3) Other laws as are and to the extent applicable to the Company as per the Management representations, given below:

(i) The Employee Provident Fund Miscellaneous Provisions Act, 1952.

(ii) The Payment of Gratuity Act, 1972.

(iii) Delhi Shops & Establishment Act, 1954.

(iv) Indian Stamp Act, 1999.

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

(ii) The Company has not entered into listing agreements with any Stock Exchange, being an unlisted entity.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned and there was no non-compliance/observation/audit qualification, reservation or adverse remarks in respect of above paragraphs.

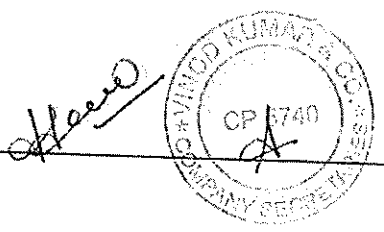
I further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted.

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.



I further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

There is no non-compliance/observation/audit qualification, reservation or adverse remarks in respect of the Board Structures/system and processes relating to the Audit period.

I further report that the company has passed a resolution by circulation dated 21st April, 2017 to initiate the process to strike off the name of its wholly owned Gas Based Power SPVs i.e. DMICDC Guna Power Company Limited, DMICDC Indapur Power Company Limited, DMICDC Vaghel Power Company Limited and DMICDC Ville Bhagad Power Company Limited from the Register of Companies maintained by the Registrar of Companies as per the provision of section 248 of the Companies Act, 2013 read with the Companies(Removal of Name of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016.

For Vinod Kumar & Co.
Company Secretaries

(Vinod Kumar Aneja)
FCS – 5740
C.P. No. - 5740

VINOD KUMAR & CO. * COMPANY SECRETARIES * CP 5740

Place: New Delhi
Dated: 22/06/2018

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

Vinod Kumar & CO.
Company Secretaries
M.COM, FCS, LL.B

833, 9th Floor, West End Mall, District Centre, Janakpuri, New Delhi- 110058
Cell No.: 9212477250, 8800497844, E Mail: fcsvinod@gmail.com, fcsvinod@rediffmail.com
PAN: AGEPA2325G

Annexure - A

To,

The Members,
Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited
Room No. 341B, 03rd Floor, Main Building,
Ashoka Hotel, Diplomatic Enclave,
50B, Chanakyapuri
Delhi – 110021

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company.

4. The Compliances done by the company of the applicable Financial Laws like Direct and Indirect Tax Laws have not been reviewed by us as the same have been subject to review by the Statutory Financial Auditor and any other designated professional.

5. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

6. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

7. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For Vinod Kumar & Co.
Company Secretaries

(Vinod Kumar Aneja)
FCS – 5740
C.P. No. - 5740

Place: New Delhi
Date: 22/06/2018

Form No. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
As on the financial year ended on 31.03.2018
[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

1	**CIN**	U45400DL2008PLC172316
2	**Registration Date**	07TH JANUARY, 2008
3	**Name of the Company**	**DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**
4	**Category/Sub-Category of Company**	COMPANY LIMITED BY SHARES
5	**Address of the Registered office and contact details**	ROOM NO. 341B, 3RD FLOOR, MAIN BUILDING , HOTEL ASHOK, DIPLOMATIC ENCLAVE, 50B, CHANAKYAPURI, NEW DELHI - 110 021
6	**Whether listed company**	NO
7	**Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any**	N.A.

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY
All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the Company shall be stated:-

S.No.	Name and Description of main products/ services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the Company
1	The principal activity of the Company is to facilitate, promote and establish industrial corridors/investment regions/industrial areas/ economic regions/industrial nodes/special economic zones/townships with state-of-art industrial, physical and social infrastructure.	84* (Public administration and defence; compulsory social security)	100

**(As per National Industrial Classifications (NIC) 2008 code)*

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S.No.	Name of the Company	CIN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
1	DMICDC NEEMRANA SOLAR POWER COMPANY LIMITED	U40300DL2014PLC266439	Subsidiary	100	2(87)
2	DMICDC GUNA POWER COMPANY LIMITED *	U40109DL2010PLC202494	Subsidiary	100	2(87)
3	DMICDC INDAPUR POWER COMPANY LIMITED *	U40109DL2010PLC202497	Subsidiary	100	2(87)
4	DMICDC VAGHEL POWER COMPANY LIMITED *	U40101DL2010PLC202516	Subsidiary	100	2(67)
5	DMICDC VILLE BHAGAD POWER COMPANY LIMITED *	U40108DL2010PLC202518	Subsidiary	100	2(87)

* The applications for the striking off these four Companies have been filed with the office of Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana on 16th October, 2017. The applications are under process.

Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation * New Delhi

IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)
i) Category-wise Shareholding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change in Shareholding during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoter(s)									
(1)Indian									
a) Individual/ HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Central Govt.	0	4,90,00,000	4,90,00,000	49	0	4,90,00,000	4,90,00,000	49	Nil
c) State Govt. (s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-total (A)(1):-	0	4,90,00,000	4,90,00,000	49	0	4,90,00,000	4,90,00,000	49	Nil
2) Foreign									
a) NRIs - Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Other - Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-total(A)(2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	Nil
Total shareholding (A)= (A)(1)+(A)(2)	**0**	**4,90,00,000**	**4,90,00,000**	**49**	**0**	**4,90,00,000**	**4,90,00,000**	**49**	**Nil**
B. Public Shareholding									
1.Institutions									
a)Mutual Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)Banks/FI	0	2,40,00,000	2,40,00,000	24	0	2,40,00,000	2,40,00,000	24	Nil
c)Central Govt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)State Govt (s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)Insurance Companies	0	10,00,000	10,00,000	1	0	10,00,000	10,00,000	1	Nil
g)FIIs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h)Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Others	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foreign Holdings (FIIs/FCs/FFIs/NRIs/OCBs)	0	2,60,00,000	2,60,00,000	26	0	2,60,00,000	2,60,00,000	26	Nil
Sub-total (B)(1):-	0	**5,10,00,000**	**5,10,00,000**	**51**	0	**5,10,00,000**	**5,10,00,000**	**51**	**Nil**

Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited
New Delhi

2. Non-Institutions									
a) Bodies Corporates	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i. Indian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii. Overseas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs.1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii)Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs.1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Others	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-total(B)(2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	Nil
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	0	5,10,00,000	5,10,00,000	51	0	5,10,00,000	5,10,00,000	51	Nil
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	0	0	0	0	0	0	0	0	Nil
Grand Total (A+B+C)	0	10,00,00,000	10,00,00,000	100	0	10,00,00,000	10,00,00,000	100	Nil

ii. Shareholding of Promoters

S. No.	Shareholders Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share-holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1	President of India Through Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce & Industries	4,89,99,998	49	-	4,89,99,998	49	-	-
	Shri Shailendra Singh, IAS, Additional Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industries	1			1			
	Repersentative of President of India represented through Joint Secretary, DIPP, Ministry of Commerce and Industries	1			1			

iii. Change in Promoters' Shareholding please specify, if there is no change): No Change

S. No.	Particulars	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No of Shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	-	-	-	-
2	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment sweat equity etc.	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
3	At the end of the year	-	-	-	-

Delhi Industrial Capital Development Corporation
New Delhi

iv. Shareholding Pattern of top ten Shareholders
(other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

S. No.	For each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the company
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)					
1	At the beginning of the year	2,60,00,000	26	2,60,00,000	26
2	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for Increase/ Decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc.)	-	-	-	-
3	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	2,60,00,000	26	2,60,00,000	26
Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)					
1	At the beginning of the year	1,99,00,000	19.9	1,99,00,000	19.9
2	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for Increase/Decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc.)	-	-	-	-
3	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	1,99,00,000	19.9	1,99,00,000	19.9
India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) [A+B+C]					
(A) India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL)					
1	At the beginning of the year	40,99,998	4.1	40,99,998	4.1
2	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for Increase/Decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc.)	-		-	
3	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	40,99,998		40,99,998	
(B) IIFCL jointly with Shri P.R. Jaishankar					
1	At the beginning of the year	01		01	
2	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for Increase/Decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc.)	-		-	
3	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	01		01	
(C) IIFCL jointly with Shri Rajeev Mukhija					
1	At the beginning of the year	01		01	
2	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for Increase/Decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc.)	-		-	
3	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	01		01	

Industrial Corridor Development Corporation of India Limited
New Delhi

Life Insurance Corporation of India (LIC)					
1	At the beginning of the year	10,00,000	1	10,00,000	1
2	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for Increase/Decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc.)	-	-	-	-
3	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	10,00,000	1	10,00,000	1

v. Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel: Nil

S. No.	For each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
1	At the beginning of the year	Nil			
2	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for Increase/Decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc.)				
3	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

V. INDEBTEDNESS:
Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment:

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year	-	-	-	-
i)Principal Amount	-	-	-	-
ii)Interest due but not paid	-	-	-	-
iii)Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total(i+ii+iii)	-	-	-	-
Change in Indebtedness during the financial year				
Addition	-	-	-	-
Reduction	-	-	-	-
Net Change	-	-	-	-
Indebtedness at the end of the financial year				
i)Principal Amount	-		-	-
ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i+ii+iii)	-		-	

Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited
New Delhi

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager	Total Amount
1	Gross salary	Shri Alkesh Kumar Sharma (CEO & Managing Director)	
	(a)Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961		46,22,380
	(b)Value of perquisites u/s 17(2)Income-tax Act, 1961		10,83,263
	(c)Profits in lieu of salary under section17(3) Income- tax Act, 1961		0
2	Stock Option		0
3	Sweat Equity		0
4	Commission - as % of profit		0
	- others specify		
5	Others, please specify		0
	Total(A)		57,05,643
	Ceiling as per the Act		0

B. REMUNERATION TO OTHER DIRECTORS:

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors	Total Amount
1	Fee for attending Board/ Committee meetings to Independent Directors	Shri Jai Prakash Batra	1,40,000
		Shri Prasanna Kumar Dash	1,20,000
	Commission	-	
	Others, please specify	-	
	Total (1)		2,60,000
2	Other Non-Executive Directors:-	N.A.	
	Fee for attending board committee meetings		-
	Commission		
	Others, please specify		
	Total(2)		0
	Total(B) =(1)+(2)		2,60,000
	Total(A+B)		59,65,643

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

S.No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel		
		Company Secretary	CFO	Total
1	Gross salary			
	(a)Salary as per provisions contained in section17(1)of the Income-tax Act,961	38,28,019	39,53,809	77,81,828
	(b)Value of perquisites u/s 17(2)Income-tax Act,1961	8,24,704	8,04,487	16,29,191
	(c)Profits in lieu of salary under section17(3)Income-tax Act,1961	-	-	-
2	Stock Option	-	-	-
3	Sweat Equity	-	-	-
4	Commission	-	-	-
	- as % of profit	-	-	-
	- others, specify	-	-	-
5	Others, please specify	-	-	-
	Total	46,52,723	47,58,296	94,11,019

Industrial Corridor Development Corporation of India New Delhi

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES:					
Type	**Section of the Companies Act**	**Brief Description**	**Details of Penalty/ Punishment/ Compounding Fees imposed**	**Authority [RD/ NCLT/ COURT]**	**Appeal made, if any (give details)**
A.COMPANY					
Penalty	NONE				
Punishment					
Compounding					
B.DIRECTORS					
Penalty	NONE				
Punishment					
Compounding					
C.OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	NONE				
Punishment					
Compounding					

For and on behalf of the Board of Directors

Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

(Ramesh Abhishek)
Chairman
DIN: 07452293
Add: No. 59, New Moti Bagh New Delhi-110023

Date :June 22, 2018
Place : New Delhi

Information pursuant to office memorandum issued by Ministry of Parliamentary Affairs vide its letter no. F.No. 28(1)2016.Leg.I, dated January 24, 2018

1. **VIGILANCE**

   There were no vigilance cases reported during the financial year 2017-18 and there are also no previous pending vigilance cases in the Company.

2. **RIGHT TO INFORMATION**

   The status of RTI received during the year are as follows:

RTI Applications/ Appeals received		RTI Applications				Pending Applications
		Rejected	Information provided	Transferred to other public Authority	Returned to Applicant	
RTI Applications	28	0	22	6	1	0
RTI Appeals	7	3	1	3	0	0

C&AG REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS

DD-2/HQ/DMICDC/CAC/1-85/2017-18/320

संख्या / No.

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1, नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1, New Delhi

गोपनीय

दिनांक / Dated 23/5/2018

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूम न. 341-B, होटल अशोक
डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, 50-B चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021

विषय : **31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Consolidated Financial Statements and Standalone Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा143(6)(b) व 129(4) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियॉ**

महोदय.

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Consolidated Financial Statements and Standalone Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा143(6)(b) व 129(4) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक की **"शून्य टिप्पणियाँ"** अग्रेषित करती हूँ । इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाषित किया जाए और कम्पनी की आमसभा में उसी समय व उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,

संलग्न : शून्य टिप्पणियॉ

(नन्दना मुंशी)
महानिदेशक

तृतीय तल, ए–स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष / Tele.: 011-23378473, फैक्स / Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : mabnewdelhi1@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

The preparation of financial statements of **DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 22 June 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2018 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

N. Munshi

(Nandana Munshi)
Director General
O/o Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member Audit Board-I,
New Delhi.

Place: New Delhi
Dated: 23 August 2018

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

The preparation of consolidated financial statements of **DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 22 June 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of **DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2018 under section 143(6) (a) read with section 129(4) of the Act. We did not conduct supplementary audit of the financial statements of its five subsidiaries, whose list is enclosed, for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

N. Munshi

(Nandana Munshi)
Director General
O/o Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member Audit Board-I,
New Delhi.

Place: New Delhi
Dated: 23 August 2018

List of subsidiaries of DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED whose audit was not conducted by the O/o C& AG of India

DMICDC Guna Power Company Ltd.*

DMICDC Indapur Power Company Ltd.*

DMICDC Vaghel Power Company Ltd.*

DMICDC Ville Bhagad Power Company Ltd.*

DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited

*The application for striking off the name of these companies have been filed with the office of Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana in October 2017 and the same was under process as on 31 March 2018. The financial statements of these companies as on 31 March 2018 were neither prepared nor form part of consolidated financial statements of DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

AUDITOR'S REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS (STANDALONE)

SSAR & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Report on the Standalone Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of **DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at **March 31, 2018**, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors are responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit.

While conducting the audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

19A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 6596 0912-13, 6528 8584. Fax: 4171 6915.
ssarca.india@gmail.com

An audit involves performing procedures to obtain audit evidences about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatements of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial controls relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at **31st March, 2018**, and its **profits** and its cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the **"Annexure A"** a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
2. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
   b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
   c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
   d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rule, 2014;
   e) On the basis of the written representations received from the Directors as on **March 31, 2018** taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on **March 31, 2018** from being appointed as a director in terms of sub section (2) of section 164 of the Companies Act 2013;
   f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in **"Annexure B"**;

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position;

ii) The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;

iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

3. As required by Section 143(5) of the Act, we report to the best of our information and according to the explanations given to us, that:

a) The Company has no Freehold/Leasehold property (Other than Operating Lease).

b) In our opinion, there are no cases of waiver/ write off of debts/ loans/ interest.

c) The Company does not maintain any inventory and has not received any asset as gift from government or other authorities

For SSAR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No: 004739 N



(Sachin Jain)
Partner
Membership No: 502054
Address: 19A, Ansari Road
Darya Ganj, New Delhi – 110002

Place: New Delhi
Date: 22-June-2018

"Annexure A"

To the Auditors' Report (Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited – FY 2017-18)

(i) in respect of its fixed assets:
   (a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets;
   (b) As explained to us, the assets have been physically verified by the management in accordance with a phased program of verification, which in our opinion, is reasonable, considering the size and the nature of its business. The frequency of verification is reasonable and no material discrepancies have been noticed on such physical verification;
   (c) According to the information and explanations given to us and records of the Company, the Company does not have any immovable property held in the name of the company. Therefore, provisions of clause 3(i)(c) of the Order are not applicable.

(ii) According to the information and explanations given to us and records of the Company, the Company does not have any inventory. Accordingly, the provisions of clause 3(ii) of the Order are not applicable.

(iii) According to the information and explanations given to us and records of the Company, it had not granted a loan to a company covered in the Register, maintained under Section 189 of the Companies Act.

(iv) According to the information and explanations given to us and records of the Company, clause 3(iv) of CARO, 2016 in respect of loans, investments, guarantees and security with reference to Section 185 and 186 of Companies Act, 2013, is not applicable for the Company;

(v) In our opinion and according to the information given to us, the Company has not accepted any deposits in contravention of the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed there-under, where applicable. No order has been passed by the Company Law Board or National Company Law Tribunal or RBI or any court or any other tribunal;

(vi) We are informed that maintenance of cost records has not been prescribed by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013;

(vii) According to information and explanations given to us in respect of statutory and other dues:
   a) The Company has been regular in depositing undisputed statutory dues including, Income-tax, Sales-tax, Service Tax, Customs Duty, Value Added Tax, Cess and other statutory dues, wherever applicable with appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, there are no undisputed amounts payable in respect of such statutory dues which have remained outstanding as at 31st March, 2018 for a period more than six months from the date they became payable;

   b) According to the information and explanations given to us, there are no disputed amounts payable in respect of such statutory dues which have remained outstanding as at **31st March, 2018**;

19A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 6596 0912-13, 6528 8584. Fax: 4171 6915.
ssarca.india@gmail.com

(viii) The company has not availed any loans and borrowings from Banks, Financial Institutions and debenture holders. Accordingly, provisions of clause 3(viii) of the order are not applicable to the Company;

(ix) According to the information and explanations given to us, the Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and by any term loan during the year; therefore, clause 3(ix) of the Order is not applicable to the Company;

(x) To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us by the management, no fraud, on or by the Company, has been noticed or reported during the year;

(xi) According to the information and explanations provided to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has paid/provided for managerial remuneration in accordance with provisions of section 197 read with Schedule V of the Act;

(xii) The Company is not a Nidhi Company, therefore clause 3(xii) of the Order is not applicable to the Company;

(xiii) Transactions with the related parties are in compliance with Sections 177 and 188 of the Companies Act, 2013, and the details have been disclosed in the Financial Statements as required by the AS-18 in the **Note No- 29;**

(xiv) The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year, so clause 3(xiv) of the Order is not applicable;

(xv) According to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with them. Hence, compliance with the provisions of Section 192 of Companies Act, 2013 is not applicable.

(xvi) The Company is not required to register under section 45-1A of Reserve Bank of India Act, 1934; therefore, clause 3(xvi) of the Order is not applicable to the Company.

For SSAR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No: 004739 N

(Sachin Jain)
Partner
Membership No: 502054
Address: 19A, Ansari Road
Darya Ganj, New Delhi - 110002

Place : New Delhi
Date: 22-June-2018

"Annexure- B"

To the Auditors' Report (Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited – FY 2017-18)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited** ("the Company") as of **March 31, 2018** in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended as on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

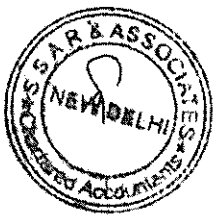
The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the "Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the "Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting" (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by the "ICAI" and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting includes obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.



19A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 6596 0912-13, 6528 8584. Fax: 4171 6915.
ssarca.india@gmail.com

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

(i) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; and

(ii) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and

(iii) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at **March 31, 2018**, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

For SSAR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No: 004739 N



(Sachin Jain)
Partner
Membership No: 502054
Address: 19A, Ansari Road
Darya Ganj, New Delhi - 110002

Place : New Delhi
Date: 22-June-2018

FINANCIAL STATEMENTS (STANDALONE)

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

CIN: U45400DL2008PLC172316

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2018

Particulars	Note No.	As at 31st March, 2018 Rupees (₹)		As at 31st March, 2017 Rupees (₹)	
I. EQUITY & LIABILITIES					
(1)SHAREHOLDERS' FUNDS					
(a) Share Capital	1	1,00,00,00,000		1,00,00,00,000	
(b) Reserves & Surplus	2	5,12,92,71,796	6,12,92,71,796	4,45,98,80,662	5,45,98,80,662
(2)NON - CURRENT LIABILITIES					
(a) Other Long - term Liabilities	3	10,00,000		10,00,000	
(b) Long - term Provisions	4	23,87,449	33,87,449	17,12,848	27,12,848
(3)CURRENT LIABILITIES					
(a) Trade Payables	5				
(i) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		-		-	
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		74,21,48,835		32,52,23,916	
(b) Other Current Liabilities	6	5,93,43,307		4,08,54,123	
(c) Short - term Provisions	7	1,74,296	80,16,66,438	1,22,861	36,62,00,900
TOTAL			**6,93,43,25,683**		**5,82,87,94,410**
II. ASSETS					
(1)NON - CURRENT ASSETS					
(a) Fixed Assets	8				
(i) Property, Plant and Equipment		20,10,087		31,72,516	
(ii) Intangible Assets		58,25,340		2,43,716	
		78,35,427		34,16,232	
(b) Non - Current Investments	9	13,00,00,000		17,47,72,815	
(c) Deferred Tax Assets (Net)	10	15,14,066		17,81,856	
(d) Long - term Loans and Advances	11	98,11,618		98,11,618	
(e) Other Non - Current Assets	12	4,60,97,67,563	4,75,89,28,674	3,88,97,58,556	4,07,95,41,077
(2)CURRENT ASSETS					
(a) Trade Receivable	13	1,55,00,856		-	
(b) Cash and Bank Balances	14	1,06,40,57,079		1,21,41,50,025	
(c) Short - term Loans and Advances	15	1,04,54,27,255		20,52,56,466	
(d) Other Current Assets	16	5,04,11,819	2,17,53,97,009	32,98,46,842	1,74,92,53,333
			6,93,43,25,683		**5,82,87,94,410**
Significant Accounting Policies					
Accompanying Notes on Financial Statements	1 - 43				

As per our Report of even date attached
For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

(Sachin Jain)
(Partner)
(Membership No. 502054)

Place: New Delhi
Date : 22-June-2018

For and on behalf of the Board

(Alkesh Kumar Sharma)
CEO & Managing Director
(DIN : 02724743)

(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Jai Prakash Batra)
Director
(DIN : 00654332)

(Abhishek Chaudhary)
VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

CIN: U45400DL2008PLC172316

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

	Note No.	For the Year ended 31-Mar-2018 Rupees (₹)	For the Year ended 31-Mar-2017 Rupees (₹)
I. REVENUE FROM OPERATIONS	**17**	14,37,86,338	3,32,62,000
II. OTHER INCOME	**18**	6,81,05,303	8,14,96,242
III. TOTAL REVENUE (I+II)		**21,18,91,641**	**11,47,58,242**
IV. EXPENSES			
- Employee Benefits Expenses	**19**	3,93,25,078	3,24,31,385
- Depreciation Expenses	**20**	30,97,971	18,25,010
- Other Expenses	**21**	9,01,32,228	4,28,21,515
V. TOTAL EXPENSES		**13,25,55,277**	**7,70,77,910**
VI. PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX (III-V)		**7,93,36,364**	**3,76,80,332**
VII. TAX EXPENSES			
- Current Year		2,34,48,800	1,18,02,027
- Previous Year		4,08,989	19,602
- Deferred Tax Liability /(Asset)		2,67,791	(2,04,646)
VIII PROFIT /(LOSS)AFTER TAX FOR THE PERIOD (VI-VII)		**5,52,10,784**	**2,60,63,349**
IX. EARNINGS PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH			
- Basic/Diluted		**0.55**	**0.26**
Significant Accounting Policies			
Accompanying Notes on Financial Statements	**1 - 43**		

As per our Report of even date attached
For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

Sachin Jain
(Partner)
(Membership No. 502054)

For and on behalf of the Board

(Alkesh Kumar Sharma)
CEO & Managing Director
(DIN : 02724743)

(Jai Prakash Batra)
Director
(DIN : 00654332)

(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Abhishek Chaudhary)
VP - Corporate Affairs, HR
& Company Secretary

Place: New Delhi
Date : 22-June-2018

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

CIN: U45400DL2008PLC172316

CASH FLOW STATEMENT FOR THE ENDED 31ST MARCH, 2018

		As at 31-Mar-2018 Rupees (₹)		As at 31-Mar-2017 Rupees (₹)	
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:					
Net Profit before Tax		7,93,36,364		3,76,80,332	
Adjustment for:					
Depreciation		30,97,971		18,25,010	
Interest Incomes		(6,48,72,995)		(7,87,01,641)	
Net Cash from Operating Activities before Extraordinary Item and Working Capital Changes		1,75,61,340		(3,91,96,299)	
Extraordinary Items		-		-	
Operating Profit before working capital changes	(a)	1,75,61,340		(3,91,96,299)	
Adjustments for :					
(Increase)/Decrease in Trade & Other Receivables		(56,86,55,654)		(37,27,76,633)	
Increase/(Decrease) in Trade Payables and Other Payables		43,61,40,139		4,08,34,847	
Refund/(Payment) of Taxes (Including TDS)		(3,14,38,759)		(62,77,456)	
Net Cash from/(used in) Operating Activities	**(b)**	**(16,39,54,274)**		**(33,82,19,242)**	
Net cash from operating activities	**(a)+(b)**		**(14,63,92,934)**		**(37,74,15,541)**
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:					
(Invested) in Project Development Expenses		(94,14,45,397)		(34,66,26,830)	
(Purchase) / Sale of Investment		4,39,00,000		-	
(Purchase)/ Sale of Fixed Assets		(75,17,166)		(23,81,578)	
(Increase)/ Decrease in Deposit with Bank		22,24,912		(97,36,618)	
Interest Income		6,48,72,995		7,87,01,641	
Net Cash from/(Used in) Investing Activities			**(83,79,64,656)**		**(28,00,43,385)**
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:					
Project Development Funds		83,64,89,555		77,59,47,975	
Net Cash from/(Used in) Financing Activities			**83,64,89,555**		**77,59,47,975**
D. NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS			**(14,78,68,034)**		**11,84,89,049**
E. CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE YEAR			**1,21,01,15,467**		**1,09,16,26,418**
F. CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF THE YEAR			**1,06,22,47,433**		**1,21,01,15,467**
(Refer Note No. 14)					

As per our Report of even date attached
For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

Sachin Jain
(Partner)
(Membership No. 502054)

For and on behalf of the Board

(Alkesh Kumar Sharma)
CEO & Managing Director
(DIN : 02724743)

(Jai Prakash Batra)
Director
(DIN : 00654332)

(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Abhishek Chaudhary)
VP - Corporate Affairs, HR
& Company Secretary

Place: New Delhi
Date : 22-June-2018

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a) Basis for preparation of Financial Statements

The Financial Statements have been prepared to comply with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), including the Accounting Standards notified under the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

The financial statements are prepared on accrual basis under the historical cost convention. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous years.

b) Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management of the Company to make certain estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities, disclosure of contingent liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognised in the period in which the results are known / materialised.

c) Property, Plant and Equipment

i) Property, plant and equipment are stated as per Cost Model i.e., at cost less accumulated depreciation and impairment, if any;

ii) Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the property, plant and equipment are ready for use, as intended by the management;

iii) Subsequent expenditures relating to property, plant and equipment are capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Repairs & maintenance costs are recognized in the Statement of profit & Loss when incurred;

iv) The cost and related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements upon sale or retirement of the asset and the resultant gains or losses are recognized in the Statement of Profit or Loss. Assets to be disposed of are reported at the lower of the carrying value or the fair value less cost to sell;

v) The Company depreciates property, plant and equipment pro-rata to the extent of depreciable amount on Written Down Value (WDV) Method. Depreciation is provided based on useful life of the assets as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013 except in respect of the following assets, where useful life is different than those prescribed in Schedule II:

Particulars	Depreciation	Justification
- Office Renovation Expenses	Amortized equally over the lease period of the office from the date of capitalisation.	The assets are non-movable in nature and are, therefore written off over the period of lease.

vi) Depreciation methods, useful lives, and residual values are reviewed periodically, including at each financial year end;

d) Capital Work-in-Progress

Advances paid towards the acquisition of property, plant and equipment outstanding at each balance sheet date is classified as capital advances under other non current assets and the cost of assets not put to use before such date are disclosed under "Capital Work in progress".

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

e) Intangible Assets

i) Intangible assets are stated at cost of acquisition net of accumulated amortisation / depletion and impairment loss, if any;

ii) Intangible assets are amortised over a period of 5 years from the year of purchase on Straight Line Method.

f) Project Development Fund (PDF)

Government of India has approved setting up a Project Development Fund (PDF) for various project development / preparatory activities for Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project and Other Industrial Corridor projects i.e., Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC) Project, Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC) Project, Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) Project and Vizag Chennai Industrial Corridor (VCIC) Project. Accordingly, the grant-in-aid received from Govt. of India / National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) for the said purpose has been shown under the head "Capital Reserves" in the Balance Sheet in accordance with the Accounting Standard (AS 12). Interest earned on the said PDF is added to the Project Development Fund. In case any part of funds becomes refundable at any future date it will be reduced from the Capital Reserves.

g) Project Implementation Fund (PIF)

Government of India has approved setting up a Project Implementation Fund (PIF) for various project implementation activities for Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project. Accordingly, the grant received from Govt. of India / National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) for the said purpose has been shown under the head "Capital Reserves" in the Balance Sheet in accordance with the Accounting Standard (AS 12). Interest, dividend or any other income that will be earned on the said PIF is added to the Project Implementation Fund. In case any part of the fund becomes refundable at any future date it will be reduced from the Capital Reserves.

h) Project Development Expenses (PDE)

All the expenses related to the project development activities of industrial corridor projects, are shown as under:

i) to the extent related to the subsidiaries of the Company and the projects for which separate Special Purpose Vehicles (SPVs) have been formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments, are transferred to the concerned subsidiaries /SPVs and shown as recoverable under the head 'Non-Current Assets';

ii) incurred for the projects which are not to be taken off or no further activities are to be carried out are reduced from the 'Project Development Funds' under the head 'Capital Reserves'; and

iii) expenses not covered under para (i) and (ii) above are accounted as 'Project Development Expenses' under the head "Non - Current Assets".

i) Long-Term Investments

Long-term investments are shown at actual cost including the cost incidental to acquisition. In case there is a decline, other than temporary, in the value of long term investment, the carrying amount is reduced to recognise the decline. Indicators of the value of an investment are obtained by reference to its market value, the investees' assets and results and the expected cash flows from the investments.



SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

j) Revenue Recognition

i) Interest income is recognised on accrual basis;

ii) Dividend income is accounted for, when the right to receive it, is established;

iii) Service Fees for the services rendered by the Company @ 1% (subject to the maximum limit of ₹ 20 crore in a year) of the funds released by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) to various projects out of Project Implementation Funds (PIF) with effect from 26th July, 2016 is recognised on accrual basis.

iv) Annual Service Fees @ 1% of yearly internal accruals (subject to a minimum of ₹ 5.00 crore and maximum of ₹ 10.00 crore p.a. on pro-rata basis for an initial period of 10 years) towards the services rendered to India International Convention & Exhibition Centre Limited as Knowledge Partner is recognised on accrual basis.

k) Leases

Leases are classified as operating lease where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership during the lease term. Operating lease payments as per the terms of the lease agreement are recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss on accrual basis.

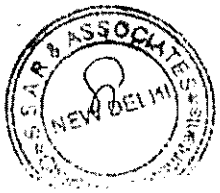
l) Transactions in Foreign Exchange

Expenses in foreign currency / transactions are accounted at the prevailing market rate of exchange on the date of transaction and income in foreign currencies are accounted at the value recovered from these currencies.

m) Employee Benefits

i) The Company makes provision for Gratuity in terms of the Payment of Gratuity Act, 1972 and Payment of Gratuity (Central) Rules, 1972 based on actuarial valuation at the end of the year.

ii) Leave salary & pension contribution to all the Government Employees on deputation to the company is accounted as per the prescribed rules of Central Government.



SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

n) Income Tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Income-tax Act, 1961 enacted in India. Deferred income taxes reflects the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years.

Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset, if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. In situations where the Company has unabsorbed depreciation or carry forward tax losses, all deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that they can be realised against future taxable profits.

At each balance sheet date the Company re-assesses unrecognised deferred tax assets. It recognises unrecognised deferred tax assets to the extent that it has become reasonably certain or virtually certain, as the case may be that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised.

The Company writes-down the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer reasonably certain or virtually certain, as the case may be, that sufficient future taxable income will be available against which deferred tax asset can be realised. Any such write-down is reversed to the extent that it becomes reasonably certain or virtually certain, as the case may be, that sufficient future taxable income will be available.

MAT credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax during the specified period.

o) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

A provision is recognised in the accounts when the company has a present obligation as a result of past event(s) and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present values and are determined based on the best estimate required to settle the obligations at the reporting date. These estimates are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are not recognised in the Financial Statements and are disclosed in the Notes.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.



	As at 31-Mar-2018 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2017 Rupees (₹)
NOTE 1: SHARE CAPITAL		
1.0 AUTHORISED		
10,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each with voting power	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	1,00,00,00,000	**1,00,00,00,000**
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP		
10,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each with voting power	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	1,00,00,00,000	**1,00,00,00,000**

1.1 The reconciliation of the number of shares outstanding is set out below:

	No. of Shares	Rupees (₹)	No. of Shares	Rupees (₹)
Equity Shares at the beginning of the year	10,00,00,000	1,00,00,00,000	10,00,00,000	1,00,00,00,000
Add: Shares issued during the year	-	-	-	-
Equity Shares at the end of the year	**10,00,00,000**	**1,00,00,00,000**	**10,00,00,000**	**1,00,00,00,000**

1.2 Details of Shareholder's Holding more than 5% Shares:

	% of Holding	No. of Shares	% of Holding	No. of Shares
The President of India (Through Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion and its nominees)	49.0	4,90,00,000	49.0	4,90,00,000
Japan Bank for International Co-operation (JBIC)	26.0	2,60,00,000	26.0	2,60,00,000
Housing and Urban Development Corporation Limited	19.9	1,99,00,000	19.9	1,99,00,000

1.3 The company has only one class of equity shares. Each shareholder is eligible for one vote per share held. The shareholders have no differential rights with respect to distribution of dividend and repayment of capital.

NOTE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
2.0 CAPITAL RESERVES				
(a) Project Development Fund				
[Refer Accounting Policy no. (f)]				
As per last Balance Sheet		3,95,32,00,000		3,18,82,00,000
Add: Grant received during the period		83,18,27,000		76,50,00,000
		4,78,50,27,000		3,95,32,00,000
Additions:				
- Interest earned on Deposits upto previous years	27,56,02,248		26,46,54,273	
- Interest earned on Deposits during the current year	46,62,555	28,02,64,803	1,09,47,975	27,56,02,248
		5,06,52,91,803		4,22,88,02,248
Less: Project Development Expenses to the extent not to be recovered [Refer Accounting Policy No. (h)]		22,23,09,205		-
(a)		**4,84,29,82,598**		**4,22,88,02,248**
(b) Project Implementation Fund				
[Refer Accounting Policy no. (g)]				
As per last Balance Sheet		13,00,00,000		13,00,00,000
(b)		**13,00,00,000**		**13,00,00,000**
2.1 PROFIT & LOSS ACCOUNT				
As per last Balance Sheet		10,10,78,414		6,51,09,193
Add/(Less): Profit for the year		5,52,10,784		2,60,63,349
Add/(Less): Adjustment with respect to the WDV of Assets costing less than ₹ 5000/- [Refer Note No. 32(b)]		-		(4,415
Add/(Less): Adjustment with respect to Project Development Activities (Refer Note No. 36)		-		99,10,287
(c)		**15,62,89,198**		**10,10,78,414**
Total (a + b + c)		**5,12,92,71,796**		**4,45,98,80,662**

	As at 31-Mar-2018 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2017 Rupees (₹)
NOTE 3 : OTHER LONG-TERM LIABILITIES		
- Performance Security	10,00,000	10,00,000
Total	**10,00,000**	**10,00,000**
NOTE 4 : LONG TERM PROVISIONS		
- Provision for Employee Benefits (Gratuity) (Refer Note no. 33)	23,87,449	17,12,848
Total	**23,87,449**	**17,12,848**
NOTE 5 : TRADE PAYABLES		
(i) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (Refer Note No. 34)	-	-
Total	**-**	**-**
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	74,21,48,835	32,52,23,916
Total	**74,21,48,835**	**32,52,23,916**
NOTE 6 : OTHER CURRENT LIABILITIES		
- Statutory liabilities	4,50,55,947	2,57,23,912
- Bid Security	21,00,000	46,50,000
- Performance Security	10,00,000	10,00,000
- Provident Fund Payable	4,76,142	3,63,998
- Due to National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (earlier known as DMIC Project Implementation Trust Fund)	-	25,48,090
- Liability against Gratuity and Leave Encashment	-	13,22,852
- Other Expenses Payable	1,07,11,218	52,45,271
Total	**5,93,43,307**	**4,08,54,123**
NOTE 7 : SHORT - TERM PROVISIONS		
- Provision for Employee Benefits (Gratuity and Leave Encashment) (Refer Note no. 33)	1,74,296	1,22,861
Total	**1,74,296**	**1,22,861**

S.A.R. & ASSOCIATES * NEW DELHI * Chartered Accountants

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

CIN: U45400DL2008PLC172316

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 8 : FIXED ASSETS

Rupees (₹)

Particulars	GROSS BLOCK				DEPRECIATION					NET BLOCK	
	As at 01.04.2017	During the year		Upto 31.03.2018	Upto 01.04.2017	For the year	For Previous Year	Other Adjustments [Note No. 32(b)]	Upto 31.03.2018	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
		Additions	Deductions [Note No. 32(b)]								
I. Property, Plant and Equipment											
A. Furniture and Fixtures	22,57,302	-	-	22,57,302	16,10,710	1,75,383	-	-	17,86,093	4,71,209	6,46,592
B. Office Equipment	43,74,595	62,937	-	44,37,532	30,04,434	6,12,634	-	-	36,17,068	8,20,464	13,70,161
C. Electrical Installations and Equipment	7,04,194	-	-	7,04,194	4,08,529	77,946	-	-	4,86,475	2,17,719	2,95,665
D. Computer & Data Processing Units	26,88,404	1,25,000	-	28,13,404	21,07,592	3,65,550	(20,599)	-	24,52,543	3,60,861	5,80,812
E. Others Office Renovation Expenses	43,86,960	-	-	43,86,960	41,07,674	1,39,452	-	-	42,47,126	1,39,834	2,79,286
Total	**1,44,11,455**	**1,87,937**	-	**1,45,99,392**	**1,12,38,939**	**13,70,965**	**(20,599)**	-	**1,25,89,305**	**20,10,087**	**31,72,516**
Previous year (31.03.2017)	1,22,49,828	22,53,584	91,957	1,44,11,455	95,93,616	17,32,865	-	(87,542)	1,12,38,939	31,72,516	26,56,212
II. INTANGIBLE ASSETS											
Computer Software	6,56,078	73,29,229	-	79,85,307	4,12,362	15,50,725	1,96,880	-	21,59,967	58,25,340	2,43,716
Total	**6,56,078**	**73,29,229**	-	**79,85,307**	**4,12,362**	**15,50,725**	**1,96,880**	-	**21,59,967**	**58,25,340**	**2,43,716**
Previous year (31.03.2017)	5,28,084	1,27,994	-	6,56,078	3,20,217	92,145	-	-	4,12,362	2,43,716	2,07,867

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31-Mar-2018 Rupees (₹)		As at 31-Mar-2017 Rupees (₹)	
NOTE 9 : NON-CURRENT INVESTMENTS				
Non-Trade Investments (Unquoted fully paid, at cost)				
(a) Investment made out of PDF of GoI				
Investment in Equity Shares of Subsidiary Companies				
i) DMICDC Guna Power Company Ltd 50,000 Fully Paid-up Equity shares of ₹10/-each	5,00,000		5,00,000	
ii) DMICDC Indapur Power Company Ltd 50,000 Fully Paid-up Equity shares of ₹10/-each	5,00,000		5,00,000	
iii) DMICDC Vaghel Power Company Ltd 50,000 Fully Paid-up Equity shares of ₹10/-each	5,00,000		5,00,000	
iv) DMICDC Ville Bhagad Power Company Ltd 50,000 Fully Paid-up Equity shares of ₹10/-each	5,00,000		5,00,000	
		20,00,000		20,00,000
Less: Provision for Permanent Diminution in Value (Refer Note no. 39)				
i) DMICDC Guna Power Company Ltd	(5,00,000)		(2,85,759)	
ii) DMICDC Indapur Power Company Ltd	(5,00,000)		(2,82,983)	
iii) DMICDC Vaghel Power Company Ltd	(5,00,000)		(2,74,629)	
iv) DMICDC Ville Bhagad Power Company Ltd	(5,00,000)	(20,00,000)	(2,83,814)	(11,27,185)
		-		8,72,815
Other Investments in Equity Shares				
i) Dholera International Airport Company Limited 43,90,000 Fully Paid-up Equity shares of ₹10/-each (Refer Note no. 40)		-		4,39,00,000
(b) Investment made out of PIF of GoI				
Investment in Equity Shares of Subsidiary Company				
i) DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited 1,30,00,000 Fully Paid-up Equity Shares of ₹10/- each*		13,00,00,000		13,00,00,000
Aggregate Amount of Unquoted Investments		**13,00,00,000**		**17,47,72,815**

* As per the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), an amount of ₹ 13,00,00,000/- (Rupees Thirteen Crore Only) was transferred to DMICDC Limited by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust Fund (earlier known as DMIC Project Implementation Trust Fund) out of Main Corpus/ Capital Funds of the Trust during the financial year 2013-14 for onward release to SPV namely "DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited" towards 100% equity investment of the Trust through DMICDC Limited for the implementation of 6.00 MW Model Solar Power Project. The upsides from such investment will flow back to the Trust through DMICDC Limited.

NOTE 10 : DEFERRED TAX ASSETS (NET)			
Deferred Tax Assets:			
- Relating to Fixed Assets	7,82,636		11,95,147
- Relating to Employee's Benefits and Allowances under Income Tax Act, 1961	7,31,430		5,86,709
	15,14,066		17,81,856
Deferred Tax Liabilities	-		-
Total	**15,14,066**		**17,81,856**
NOTE 11 : LONG TERM LOANS AND ADVANCES			
(Unsecured, considered good)			
- Security Deposits	98,11,618		98,11,618
Total	**98,11,618**		**98,11,618**

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31-Mar-2018 Rupees (₹)	As a 31-Mar-201 Rupees (₹
NOTE 12 : OTHER NON-CURRENT ASSETS		
(a) Project Development Expenditure (PDE)		
- PDE against the Project Development Fund of Govt. of India		
- As per last year	3,88,00,21,938	3,52,23,57,63
- Incurred during the period	94,52,46,753	70,16,87,406
	4,82,52,68,691	4,22,40,45,04
Add : Adjustment with respect to Project Development Activities [Refer Note No. 36)	-	99,10,287
Add : Provision for Permanent Diminution in Value of Investment in Gas Based Power SPVs (Refer Note no. 39)	8,72,815	11,27,185
Less: Amount transferred to subsidiaries /SPVs (Refer Note No.24)	(3,66,78,43,535)	(90,18
Less: Adjustment against surrender of Land (Refer Note No. 38)	-	(35,49,70,386
Less: Transfer to Project Development Fund (Refer Note No. 24)	(22,23,09,205)	-
Total (a)	**93,59,88,766**	**3,88,00,21,938**
(b) Project Development Expenses transferred to SPVs (Refer Note No. 24)		
- Aurangabad Industrial Township Limited	1,13,00,16,858	-
- Dholera Industrial City Development Limited	2,26,45,92,190	-
- DMIC Haryana Global City Project Limited	6,03,91,666	-
- DMIC Haryana MMLH Project Limited	2,19,41,511	-
- DMIC Haryana MRTS Project Limited	6,87,12,587	-
- DMIC Vikram Udyogpuri Limited	4,83,31,970	-
- IIIT Greater Noida Limited	7,00,55,397	-
- DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited	38,01,356	
	3,66,78,43,535	-
Less: DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited shown as Short Term Loans and Advances (Refer to Note No.15)	(38,01,356)	-
Total (b)	**3,66,40,42,179**	-
(c) Others		
Bank Deposits under Lien against Bank Guarantees (with more than 12 months maturity)	97,36,618	97,36,61
Total (c)	**97,36,618**	**97,36,61**
Total (a+b+c)	**4,60,97,67,563**	**3,88,97,58,55**
NOTE 13 : TRADE RECEIVABLE		
- Unsecured considered good		
Outstanding for a period exceeding six months	2,62,500	-
Others	1,52,38,356	-
	1,55,00,856	-

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31-Mar-2018 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2017 Rupees (₹)
NOTE 14 : CASH AND BANK BALANCES		
Cash and Bank Balances		
(a) Cash and Cash Equivalents *		
- Out of PDF of Govt. of India		
Balance with Bank in Current Accounts	24,901	8,70,68,542
Balance with Bank in Deposit Accounts	5,25,000	10,93,50,804
- Out of Others		
Cash in Hand	3,139	14,202
Balance with Bank in Current Accounts	(12,98,116)	(65,36,166)
Balance with Bank in Deposit Accounts	1,06,29,92,509	1,02,02,18,085
Cash and Cash Equivalent as per AS - 3 Total (a)	1,06,22,47,433	1,21,01,15,467
(b) Other Bank Balances		
- Out of PDF of Govt. of India	-	-
- Out of Others		
Balance with Bank in Deposit Accounts under lien for Bank Guarantee	18,09,646	40,34,558
Total (b)	18,09,646	40,34,558
Total Cash and Bank Balances (a+b)	**1,06,40,57,079**	**1,21,41,50,025**

* Cash and Cash Equivalents include deposits maintained by the Company with banks, which can be withdrawn by the Company at any point of time without prior notice or penalty on the principal.

NOTE 15 : SHORT TERM LOANS AND ADVANCES		
Short Term Loans and Advances		
(Unsecured, considered good)		
(i) Out of PDF of Govt. of India		
- Other Loans & Advances**	1,00,47,72,133	18,22,09,666
(ii) Others		
- Advance Tax / TDS (Net of Provisions) [Provision for Taxation - Rs. 2,34,48,800/- (Previous Year - Rs.1,18,02,027/-)]	39,14,064	56,97,424
- Balance with Revenue Authority	1,20,20,978	26,56,650
- Security Deposits	18,09,646	15,70,353
- Other Loans & Advances**	2,29,10,434	1,31,22,373
	1,04,54,27,255	**20,52,56,466**

** Includes Rs. 97,24,34,285/- (Previous Year - Nil) due from India International Convention and Exhibition Centre Limited and the amount due from the following wholly owned subsidiary companies:

i)	DMICDC Guna Power Company Limited	-	5,000
ii)	DMICDC Indapur Power Company Limited	-	5,000
iii)	DMICDC Vaghel Power Company Limited	-	5,000
iv)	DMICDC Ville Bhagad Power Company Limited	-	5,000
v)	DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited	68,42,880	21,94,269

NOTE 16 : OTHER CURRENT ASSETS		
(I) Out of PDF of Govt. of India		
- Interest Accrued but Not Due	23,149	7,96,355
- Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) (Refer Note No. 38)	-	15,61,44,375
- Industrial Infrastructure Development Corporation (Gwalior) M.P. Ltd. (Refer Note No. 38)	-	11,17,79,888
(ii) Others		
- Interest Accrued but Not Due	5,03,88,670	6,11,26,224
	5,04,11,819	**32,98,46,842**

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

	For the Year ended 31-Mar-2018 Rupees (₹)	For the Year ended 31-Mar-2017 Rupees (₹)
NOTE 17 : REVENUE FROM OPERATIONS		
Service Fees [Refer Accounting Policy No. (j) and Note No. 41]	14,37,86,338	3,32,62,000
Total	**14,37,86,338**	**3,32,62,000**
NOTE 18 : OTHER INCOME		
Interest on FD's other than PDF amount	6,48,72,995	7,80,79,582
Bid Processing Fees	-	6,02,621
Interest on Income Tax Refund	-	6,22,059
Miscellaneous Income	3,92,110	1,980
Apportionment of Administration and Other General Overheads to Subsidiary Companies	28,40,198	21,90,000
Total	**6,81,05,303**	**8,14,96,242**
NOTE 19 : EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES		
Salary, Wages and Allowances (including Contractual Employees)	3,31,65,784	2,71,64,895
Contribution to Provident/ Pension Fund	28,34,946	24,32,684
Provision for Gratuity	7,14,417	5,41,461
Provision for Leave Encashment	1,04,414	92,795
Staff Welfare Expenses	23,74,431	20,03,317
Stipend	1,31,086	1,96,233
Total	**3,93,25,078**	**3,24,31,385**

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

		For the Year ended 31-Mar-2018 Rupees (₹)	For the Year ended 31-Mar-2017 Rupees (₹)
NOTE 20 : DEPRECIATION			
For the year (Refer Note No. 8)		29,21,690	18,25,010
For earlier year (Refer Note No. 8)		1,76,281	-
	Total	**30,97,971**	**18,25,010**
NOTE 21 : OTHER EXPENSES			
Rent		2,19,48,069	1,98,58,205
Payment to Auditors (Refer to Note No. 28)		3,25,000	2,75,000
Advertisement and Public Notice Expenses		19,42,364	17,19,993
Business Promotion Expenses		4,77,77,956	8,73,325
Electricity Expenses		2,90,033	3,05,799
Evaluation Committee Sitting Fees		-	9,50,000
Foreign Travel Expenses		19,64,186	26,64,392
Professional & Consultancy Expenses		48,53,266	46,37,806
Meeting and Refreshment Expenses		6,35,380	13,17,302
Repair & Maintenance Expenses		4,08,843	76,801
IT Expenses		3,37,498	4,77,875
Printing & Stationery		21,06,019	20,99,402
Communication & Postage Expenses		19,14,691	13,23,844
Travelling & Conveyance Expenses		43,39,101	47,40,330
Insurance Expenses		33,806	36,926
Director's Sitting Fees		2,60,600	4,42,600
Prior Period Expenses		74,042	33,616
Other Expenses		9,21,374	9,88,299
	Total	**9,01,32,228**	**4,28,21,515**

S.K.R. & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

NOTES TO ACCOUNTS

22 Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and Industry, Government of India (GoI) vide letter no.11/1/2016-IC dated 12th January, 2017, communicated the order conveying the approval of GoI that the Company to function as Knowledge Partner to National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) in respect of all Industrial Corridors in addition to its present DMIC Project till Knowledge Partner(s) for other Industrial Corridors are put in place.

23 In the opinion of Board of Directors, all the Current Assets, Loans & Advances have a value on realization in the ordinary course of business at least equal the amount at which they are stated in the Financial Statements and all the known liabilities relating to the year have been provided for. Balances of trade payables, receivables and other receivable/payable have been taken at the values stated in the Books of Account and are subject to confirmation by the concerned parties.

24 In accordance with the observations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), the matter of transfer of 'Project Development Expenditure' incurred out of the Project development funds (PDF) to the concerned subsidiaries /SPVs formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments was placed for the consideration of the Board of Trustees of NICDIT in its 3rd meeting held on 06.03.2018.

The Board of Trustees has directed to transfer the 'Project Development Expenditure' incurred by DMICDC Limited in relation to projects of the said Subsidiaries /SPVs out of project development funds provided as Grant-in-Aid to the concerned subsidiaries /SPVs and to defer the recovery of the same till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds.

25 Department of Investment & Public Asset Management, Ministry of Finance, GoI, vide OM NO. 5/2/2016-Policy dated 27.05.2016 issued Guidelines on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSEs). As per the Guidelines, every CPSE is required to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the Net Worth, whichever is higher subject to maximum dividend permitted under the extant legal provisions.

The Company has sought an exemption from payment of minimum dividend as per the guidelines from the Secretary, Department of Economic Affairs and Secretary, Department of Investment and Public Asset Management through Department of Industrial Policy and Promotions. Hence, no provision for dividend is made for the year, keeping in view the pendency of said exemption.

	As at 31-Mar-2018 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2017 Rupees (₹)
26 Contingent Liabilities and Commitments (to the extent not provided for):		
(i) Contingent Liabilities	-	-
(ii) Commitments		
(a) Estimated Amount of contracts remaining to be executed and not provided for on:		
- Capital Account	-	-
- Consultancy Contracts for Project Development Activities	1,28,28,52,029	1,04,48,40,418
(b) Guarantees issued by Bank on behalf of the Company	1,15,46,264	1,37,71,170
27 Earnings and Expenditure in Foreign Currency		
I Earnings in Foreign Exchange	-	-
II Expenditure in Foreign Currency		
- Foreign Travel Expenses	13,16,116	11,71,98
28 Payment to Auditors		
(i) Audit Fees	2,25,000	2,25,000
(ii) For Other Services	1,00,000	50,000
	3,25,000	2,75,00

29 Related Party Disclosures

I As per the Accounting Standard on 'Related Party Disclosure' (AS-18) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the related parties are as follows :

a	**Enterprises having significant influence/control over the company**		
	Japan Bank for International Co-operation (JBIC)	Yes	Yes

NOTES TO ACCOUNTS

b	**Subsidiaries**		
	DMICDC Guna Power Company Ltd.*	Yes	Yes
	DMICDC Indapur Power Company Ltd.*	Yes	Yes
	DMICDC Vaghel Power Company Ltd.*	Yes	Yes
	DMICDC Ville Bhagad Power Company Ltd.*	Yes	Yes
	DMICDC Neemrana Solar Power Company Ltd.	Yes	Yes
c	**Affiliates/ Associates**		
	Housing and Urban Development Corporation Limited	Yes	Yes
d	**Key Management Personnel (KMP)**		
	Shri Alkesh Kumar Sharma	Yes	Yes
e	**Enterprises over which KMP exercises Significant Influence**		
	India International Convention and Exhibition Centre Ltd. (Incorporated on 19.12.2017)	Yes	No
	DMICDC Neemrana Solar Power Company Ltd.	No	Yes

* The applications for the striking off the name of these companies have been filed with the office of Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana for striking off the name of these companies in October, 2017 and the same are under process.

Having regard to current status, Financial Statements of these companies for the year ended as on 31.03.2018 have not been prepared and the same will not form part of the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended on 31.03.2018. This understanding has been communicated to the office of Ministry of Corporate Affairs and C&AG for their acceptance / comment. No communication in this regard has been received so far.

II The nature and volume of transactions during the period with the above related parties were as follows:

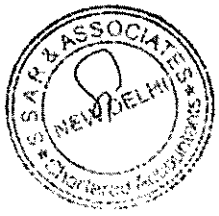
Amount in Rupees (₹)

Particulars	Subsidiaries	Affiliates	Enterprises having Significant Influence/ Control over the Company	Key Management Personnel (KMP)	Enterprises over which KMP exercises Significant Influence
Outstanding Balances:					
DMICDC Neemrana Solar Power Company Ltd.	68,42,880	Nil	Nil	Nil	Nil
DMICDC Guna Power Company Limited	21,94,269 (Cr)	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)
DMICDC Indapur Power Company Limited	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	(5,000)	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)
DMICDC Vaghel Power Company Limited	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	(5,000)	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)
DMICDC Ville Bhagad Power Company Limited	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	(5,000)	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)
India International Convention & Exhibition Centre Ltd.	Nil	Nil	Nil	Nil	98,76,72,641
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)

NOTES TO ACCOUNTS

	Aggregate Transactions during the period					
	DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited	1,77,65,593 (30,92,755)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	N (Nil)
	DMICDC Guna Power Company Limited	6,212 (5,000)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Ni (Ni
	DMICDC Indapur Power Company Limited	6,216 (5,000)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (N
	DMICDC Vaghel Power Company Limited	6,216 (5,000)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (N
	DMICDC Ville Bhagad Power Company Limited	6,216 (5,000)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil
	Shri Alkesh Kumar Sharma	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	57,05,643 (57,41,600)	N (Nil)
	India International Convention & Exhibition Centre Ltd.	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	98,90,78,77 (Nil)
III	Statement of entity wise material transactions during the year					
a	**Payment to Key Management Personnel** Shri Alkesh Kumar Sharma	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	57,05,643 (57,41,600)	Ni (Nil
b	**DMICDC Neemrana Solar Power Company Ltd.** Expenses incurred	1,77,65,593 (30,92,755)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Ni (Nil
c	**DMICDC Guna Power Company Ltd.** Expenses incurred	6,212 (5,000)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Ni (Ni
d	**DMICDC Indapur Power Company Ltd.** Expenses incurred	6,216 (5,000)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	N (Nil
e	**DMICDC Vaghel Power Company Ltd.** Expenses incurred	6,216 (5,000)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Ni (Nil
f	**DMICDC Ville Bhagad Power Company Ltd.** Expenses incurred	6,216 (5,000)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	N (N
g	**India International Convention & Exhibition Centre Ltd.** Pre-incorporation Expenses	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	2,80,74,97 (Ni
	Other Expenses incurred	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	94,43,54,48 (Ni
	Annual Service Fees (including taxes)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	1,66,49,31 (Ni

Note: Figures in bracket () represents Previous year's amount.



NOTES TO ACCOUNTS

30 Segment Reporting

The Company is engaged to facilitate, promote and establish industrial corridors/investment regions/industrial areas/economic regions/ industria nodes/specific economic zones/townships with state of the art industrial, physical and social infrastructure. As the Company operates in a single business anc geographical segment, the reporting requirements for primary and secondary segment disclosures prescribed by AS 17 are not applicable.

31 Earnings Per Share

Basic earnings per equity share have been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period.

	Particulars	Unit	Year ended 31-Mar-2018 Rupees (₹)	Year ended 31-Mar-2017 Rupees (₹)
a	Net Profit/(Loss) for the period attributable to Equity Shareholders	Rupees (₹)	5,52,10,784	2,60,63,349
b	Weighted Average of Number of Equity Shares used as denominator for calculating EPS	Number of Shares	10,00,00,000	10,00,00,000
c	Basic/Diluted Earnings per share (a/b)	Rupees (₹)	0.55	0.26
d	Face Value per Equity Share	Rupees (₹)	10.00	10.00

32 Change in Accounting Policy

a. "Project Development Expenses" shown under the head 'Non-Current Assets' have been transferred (i) to the extent directly related to the subsidiaries / SPV recoverable from the said Subsidiaries/ SPVs under 'Non-Current Assets' and (ii) to the extent directly related to the projects not to be taken off further as a reduction from 'Project Development Funds' under the head 'Capital Reserve' during the current financial year.

Due to this change in accounting policy, there is no effect on profit or loss of the Company.

b. The net book value of the assets costing less than ₹ 5,000/- has been fully written off during the financial year 2016-17. As a result of the same, the Written Down Value of the assets and the balance of Profit and Loss has been reduced by ₹ 4,415/- during the financial year 2016-17.

33 Retirement benefits

Defined Contribution Plan

The company has recognized, in the Statement of Profit & Loss for the year ended March 31, 2018 an amount of ₹ 28,34,946/- (Previous Year ₹ 24,32,684/-) under defined contribution plan on the basis of actual contribution to the Provident Fund / Pension Fund.

Defined Benefit Plans

a. Gratuity (unfunded): Payment at the time of leaving the organisation upon completion of 5 years of service, equal to 15 days salary for each completed year of service. Considering the actuarial valuation, an amount of ₹ 7,14,417/- (Previous Year - ₹ 5,41,461/-) is provided for in the Statement of Profit & Loss for the year ended March 31, 2018.

b. Leave Encashment (unfunded): Company introduced the policy of leave encashment with effect from April 01, 2016. As per the policy, the employees are entitled to encash the unavailed leave subject to specified limit during the year without carrying forward to the subsequent years. Value of leave encashment is calculated considering proportionate amount of Basic Salary for the number of unavailed leaves.



NOTES TO ACCOUNTS

Gratuity (unfunded)

	31-Mar-2018	31-Mar-20
Reconciliation statement of expense in the statement of profit and loss.		
Present value of obligation as at the end of year	24,57,331	17,42,91
Present value of obligation as at the beginning of the year	17,42,914	12,01,453
Benefits paid	-	-
Actual return on plan assets	-	
Acquisition adjustment	-	-
Expenses recognized in the statement of profit & losses	7,14,417	5,41,461
Expenses recognized in the statement of profit & loss		
Fair value of plan assets at the beginning of the year	-	
Acquisition adjustment	-	-
Expected return on plan assets	-	
Employer contributions	-	
Benefits paid	-	-
Actuarial gain/(loss) on plan assets	-	
Fair value of plan assets at the end of the year	-	
Fair value of plan assets		
Fair value of plan assets at the beginning of the year	-	-
Acquisition adjustment	-	
Actual return on plan assets	-	-
Employer contributions	-	-
Benefits paid	-	
Fair value of plan assets at the end of the year	-	
Funded status	-	-
Excess of actual over estimated return on plan assets	-	
Expense recognized in the statement of profit and loss		
Current service cost	5,25,413	4,35,092
Past service cost	-	-
Interest cost	1,35,076	96,11
Expected return on plan assets	-	-
Curtailment cost / (Credit)	-	-
Settlement cost / (credit)	-	
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year	53,928	10,253
Expenses recognized in the statement of profit & loss	7,14,417	5,41,461
Assumptions:		
Discounting Rate	7.75% per annum	8% per annum
Future salary Increase	6% per annum	6% per annu
Expected Rate of return on plan assets	-	-

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors includi supply and demand in the employment market.

The above information is certified by the Actuarial Valuer.

The discount rate is based on prevailing market yield as at the date of valuation.



NOTES TO ACCOUNTS

34 Details of dues to Micro, Small and Medium Enterprises as per MSMED Act, 2006

In absence of confirmation received from some of the Trade Payables in respect of their registration and eligibility under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the amount due to such enterprises at the year-end has been shown as NIL.

35 Operating Lease

The Company has three (03) office space at Hotel Ashok, Chankyapuri, New Delhi on license for an initial term of 3 years. The Licensee (Lessee) shall not terminate the License before the expiry of the license period except by giving six months advance notice in writing. The license deeds on the expiry of the initial lease period are renewable for a further periods of 2 years with mutual agreement. Total license fees recognized in the statement of profit and loss for the year is ₹ 2,19,48,069/- (Previous Year ₹ 1,98,58,205/-).

36 The advertisement and publication expenses incurred by the Company in respect of Project Development Activities reduced by the Bid Processing Fee received for the same are transferred to Project Development Expenditure in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

37 The Government of India has expanded the mandate of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (earlier known as DMIC Project Implementation Trust Fund) vide Cabinet Decision dated 07.12.2016 to include other Industrial Corridor Projects namely Amritsar Kolkata Investment Region (AKIC), Bangaluru Mumbai Economic Corridor (BMEC) and Chennai Bangalore Industrial Corridor (CBIC) for a unified dedicated institutional framework for the overall planning, development, funding, implementation, operation, supervision and monitoring of the Industrial Corridors. Till the time Knowledge Partners for the other industrial corridors are put in place, DMICDC Limited will continue to act as a Knowledge Partner for other Industrial Corridors as well. The Project Development Funds sanctioned for Other Industrial Corridors will also be routed to DMICDC Limited through Trust.

38 The Board of Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) in its 42nd meeting held on 16th November, 2016 decided to return the land allotted by the State Industrial Development Corporation for Gas Based Power Projects at Guna in Madhya Pradesh, Indapur and Ville Bhagad in Maharashtra. DMICDC vide its letters dated 03.12.2016 has returned the land to the respective State Agencies.

Industrial Infrastructure Development Corporation (Gwalior) M.P. Limited has refunded the entire amount paid as advance towards return of land at Guna in Madhya Pradesh.

However, Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) has refunded 95% of the total amount paid by DMICDC Limited for land at Ville Bhagad and Indapur in Maharashtra. For the balance amount, the necessary adjustments have been made in the Books of the Company.

39 The Company has initiated the process to strike off the name of its wholly owned Gas Based Power SPVs i.e., DMICDC Guna Power Company Limited, DMICDC Indapur Power Company Limited, DMICDC Vaghel Power Company Limited and DMICDC Ville Bhagad Power Company Limited from the Register of Companies maintained by the Registrar of Companies as per the provisions of Section 248 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Removal of names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016 in accordance with the resolution by circulation dated 21st April, 2017. Applications have been filed with the office of the Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana for striking off the name of these companies on 16th October, 2017 and the same are under process.

Accordingly, the equity shares held in these SPVs are valued on the basis of their assets and results as per Financial Statements of the respective SPVs and the difference has been recognised as Project Development Expenses.

40 As per the recommendations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), the Board of DMICDC Limited in its 45th meeting held on 21st September, 2017 decided to transfer 43,90,000 number of Equity Shares of Dholera International Airport Company Limited at a face value of Rs.10/- each to National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) earlier known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF) issued in the name of the Company against the Project Development Expenditure incurred out of Project Development Fund.

This has also been approved by NICDIT in its 2nd meeting held on 23rd August, 2017. Accordingly, the equity shares of Dholera International Airport Company Limited have been transferred in the name of NICDIT on Face Value and the equivalent amount has been received during the year in the Project Development Fund of DMICDC Limited from Project Implementation Fund of NICDIT .

41 With reference to accounting policy no. (j), Annual Service Fees from India International Convention and Exhibition Centre Limited is recognised on pro-rata basis with effect from 19.12.2017.

S.R. & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

NOTES TO ACCOUNTS

42 (i) The company has been made one of the respondents in two (02) writ petitions received during the year 2016-17 related to land acquisition in the State of Rajasthan. As the company has no role in the acquisition of land and the same is entirely in the purview of the State Government, the company has file a counter affidavit before the Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench for deleting the name of the company as one of the respondents.

(ii) With respect to the India International Convention and Exhibition Centre project at Dwarka in New Delhi, DMICDC Limited is acting as a Knowledge Partner for the project. As on 31st March, 2018, the matter was pending with the National Green Tribunal (NGT) with respect to the replantation of the trees in closed vicinity of the project boundary and DMICDC Limited was made one of the respondents. NGT vide its order dated 4th April, 2018 h dismissed the petition.

(iii) The above events, however, have no financial impact on the Company.

43 Figures for the Previous Year have been reclassified and regrouped wherever necessary to correspond with the Current Year's presentation.

As per our Report of even date attached
For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

Sachin Jain
(Partner)
(Membership No. 502054)

Place: New Delhi
Date : 22-June-2018

For and on behalf of the Board

(Alkesh Kumar Sharma)
CEO & Managing Director
(DIN : 02724743)

(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Jai Prakash Batra
Director
(DIN : 00654332

(Abhishek Chaudhary
VP - Corporate Affairs, H
& Company Secreta

AUDITOR'S REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS (CONSOLIDATED)

SSAR & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Report on the Consolidated Financial Statements

We have audited the accompanying consolidated financial statements of **DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** (hereinafter referred to as "the Holding Company") and its Subsidiaries (the Holding Company and its subsidiaries together referred to as " the Group"), comprising of the Consolidated Balance Sheet as at **March 31, 2018**, the Consolidated Statement of Profit and Loss and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors are responsible for preparation of these Consolidated financial statements in terms of the requirements of the Companies Act, 2013 (" hereinafter referred to as the Act") that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. The respective Board of Directors of the Companies included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements by the Directors of the Holding Company, as aforesaid.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. While conducting the audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatements.

19A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 6596 0912-13, 6528 8584. Fax: 4171 6915
ssarca.india@gmail.com

An audit involves performing procedures to obtain audit evidences about the amounts and the disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatements of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial controls relevant to the Holding Company's preparation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Holding Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditor in terms of his report referred to in Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group as at **31st March, 2018**, and their **consolidated profit** and their consolidated cash flows for the year ended on that date.

Other Matters

We did not audit the financial statements of DMICDC Neemrana Solar Power Company Ltd., the subsidiary, whose financial statements reflect total assets of Rs. 3826.74 lakhs as **at 31st March 2018**, total revenues of Rs. 1737.23 lakhs and net cash flows amounting to Rs. 140.89 lakhs for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. These financial statements have been audited by other auditor whose report has been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the subsidiary, and our report in terms of sub-section (3) and (11) of section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiary, is based solely on the report of the other auditor.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matter with respect to our reliance on the work and the report of the other auditor.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the aforesaid consolidated financial statements;
   b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and the report of other auditor;



c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements;

d) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rule, 2014;

e) On the basis of the written representations received from the Directors of the Holding Company as on **March 31, 2018** taken on record by the Board of Directors of the Holding Company and the report of the statutory auditor of its subsidiary , none of the directors of the Group Companies is disqualified as on **March 31, 2018** from being appointed as a director in terms of sub section (2) of section 164 of the Companies Act 2013;

f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in **"Annexure A"**;

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) The Group does not have any pending litigations which would impact its financial position;

ii) The Group did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;

iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Group.

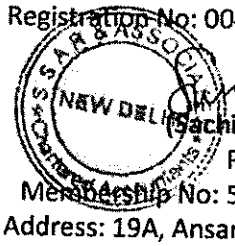
2. As required by Section 143(5) of the Act, we report to the best of our information and according to the explanations given to us, that:

a) The Group has clear title of the Leasehold land.

b) In our opinion, there are no cases of waiver/ write off of debts/ loans/ interest in any of the companies in the Group.

c) The Group has maintained proper record of assets/ equipments received as grant from New Energy & Industrial Technology Development Organisation of Government of Japan. The Group does not have any inventory lying with third party.

For SSAR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No: 004739 N



(Sachin Jain)
Partner
Membership No: 502054
Address: 19A, Ansari Road
Darya Ganj, New Delhi – 110002

Place: New Delhi
Date: 22-June-2018

"Annexure- A"

To the Independent Auditors' Report of Even Date on the Consolidated Financial Statements of Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited – FY 2017-18

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

In conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the group as of and for the year ended **31st March 2018,** we have audited the internal financial controls over financial reporting of **Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited** ("the Holding Company") and its subsidiary companies which are incorporated in India, as of that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Respective Board of Directors of the Holding Company and its subsidiary Company, which are incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the "Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to respective company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the "Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting" (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by the "ICAI" and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial controls and both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

19A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 6596 0912-13, 6528 8584. Fax: 4171 6915.
ssarca.india@gmail.com

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditor in terms of his report referred to in the Others Matters Paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

(i) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; and

(ii) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and

(iii) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Holding Company and its subsidiary company incorporated in India, have, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at **March 31, 2018**, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

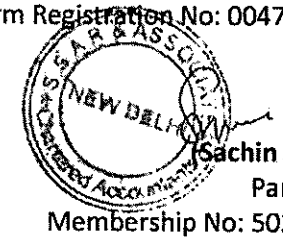


19A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 6596 0912-13, 6528 8584. Fax: 4171 6915.
ssarca.india@gmail.com

Other Matters

Our aforesaid report under section 143(3) (i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting in so far as it relates to the subsidiary company incorporated in India, are based on the corresponding reports of the auditor of such companies incorporated in India.

For SSAR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No: 004739 N



(Sachin Jain)
Partner
Membership No: 502054
Address: 19A, Ansari Road
Darya Ganj, New Delhi - 110002

Place : New Delhi
Date: 22-June-2018

FINANCIAL STATEMENTS (CONSOLIDATED)

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

CIN: U45400DL2008PLC172316

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2018

Particulars	Note No.	As at 31st March, 2018 Rupees (₹)	Rupees (₹)	As at 31st March, 2017 Rupees (₹)	Rupees (₹)
I. EQUITY & LIABILITIES					
(1)SHAREHOLDERS' FUNDS					
(a) Share Capital	1	1,00,00,00,000		1,00,00,00,000	
(b) Reserves & Surplus	2	5,25,05,80,138	6,25,05,80,138	4,54,79,00,841	5,54,79,00,841
(2)NON - CURRENT LIABILITIES					
(a) Long -Term Borrowings	3	3,60,00,000		6,64,89,756	
(b) Other Long -Term Liabilities	4	7,20,24,850		7,74,88,300	
(c) Long - Term Provisions	5	24,74,295	11,04,99,145	17,34,611	14,57,12,667
(3)CURRENT LIABILITIES					
(a) Trade Payables	6				
(i) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		-		-	
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		74,51,62,068		32,58,21,656	
(b) Other Current Liabilities	7	7,07,11,567		6,87,48,564	
(c) Short - Term Provisions	8	1,85,104	81,60,58,739	1,90,55,953	41,36,26,173
TOTAL			**7,17,71,38,022**		**6,10,72,39,681**
II. ASSETS					
(1)NON - CURRENT ASSETS					
(a) Fixed Assets					
(i) Property, Plant and Equipment	9	33,40,80,201		28,24,77,687	
(ii) Intangible Assets		59,06,098		3,31,874	
(iii) Capital Work-in-Progress		6,69,654		2,91,96,156	
		34,06,55,953		31,20,05,717	
(b) Non - Current Investments	10	-		4,39,00,000	
(c) Deferred Tax Assets (Net)	11	34,75,899		24,20,772	
(d) Long - Term Loans and Advances	12	98,61,618		1,12,68,538	
(e) Other Non - Current Assets	13	4,60,77,67,563	4,96,17,61,033	3,88,86,81,371	4,25,82,76,398
(2)CURRENT ASSETS					
(a) Inventories	14	12,46,880		-	
(b) Trade Receivables	15	2,71,65,156		10,06,96,702	
(c) Cash and Bank Balances	16	1,08,31,39,278		1,22,02,02,926	
(d) Short - Term Loans and Advances	17	1,05,24,72,523		19,79,28,078	
(e) Other Current Assets	18	5,13,53,152	2,21,53,76,989	33,01,35,577	1,84,89,63,283
			7,17,71,38,022		**6,10,72,39,681**
Significant Accounting Policies Accompanying Notes on Financial Statements	1 - 47				

As per our Report of even date attached

For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

Sabbin Jain
(Partner)
(Membership No. 502054)

Place: New Delhi
Date : 22-June-2018

For and on behalf of the Board

Alkesh Kumar Sharma
(CEO & Managing Director)
(DIN : 02724743)

P.K. Agarwal
(Chief Financial Officer)

Jai Prakash Batra
(Director)
(DIN : 00654332)

Abhishek Chaudhary
(VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary)

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

CIN: U45400DL2008PLC172316

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

	Note No.	For the Year ended 31-Mar-2018 Rupees (₹)	For the Year ended 31-Mar-2017 Rupees (₹)
I. REVENUE FROM OPERATIONS	19	31,52,83,183	18,99,81,489
II. OTHER INCOME	20	6,74,91,407	9,36,40,252
III. TOTAL REVENUE (I+II)		**38,27,74,590**	**28,36,21,741**
IV. EXPENSES			
- Employee Benefits Expenses	21	4,42,41,498	3,47,56,835
- Finance Costs	22	84,61,770	79,77,038
- Depreciation Expenses	23	4,27,45,134	3,00,42,132
- Other Expenses	24	15,27,94,165	4,99,44,465
V. TOTAL EXPENSES		**24,82,42,567**	**12,27,20,470**
VI. PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX (III-V)		**13,45,32,023**	**16,09,01,271**
VII. TAX EXPENSES			
- Current Year		4,15,69,800	4,81,57,127
- Previous Year		46,45,249	19,602
- Deferred Tax		(10,55,126)	(11,21,201)
- Excess Provision written back			-
VIII PROFIT /(LOSS) AFTER TAX FOR THE YEAR (VI-VII)		**8,93,72,100**	**11,38,45,743**
IX. EARNINGS PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH			
- Basic/Diluted		**0.89**	**1.14**
Significant Accounting Policies			
Accompanying Notes on Financial Statements	1 - 47		

As per our Report of even date attached

For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

Sachin Jain
(Partner)
(Membership No. 802054)

Place: New Delhi
Date : 22-June-2018

For and on behalf of the Board

Alkesh Kumar Sharma
(CEO & Managing Director)
(DIN : 02724743)

P.K. Agarwal
(Chief Financial Officer)

Jai Prakash Batra
(Director)
(DIN : 00654332)

Abhishek Chaudhary
(VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary)

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

CIN: U45400DL2008PLC172316

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

		As at 31st March, 2018 Rupees (₹)		As at 31st March, 2017 Rupees (₹)	
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:					
Net Profit before Tax		13,45,32,023		16,09,01,271	
Adjustment for:					
Depreciation		4,27,45,134		3,00,42,132	
Finance Cost		84,61,770		79,77,038	
Interest Incomes		(6,70,74,528)		(8,04,33,014)	
Net Cash from Operating Activities before Extraordinary Item and Working Capital Changes		11,86,64,399		11,84,87,427	
Extraordinary Items		(8,67,218)		-	
Operating Profit before working capital changes	(a)	11,77,97,181		11,84,87,427	
Adjustments for :					
(Increase)/Decrease in Trade & Other Receivables		(47,69,25,524)		(46,84,10,748)	
(Increase)/Decrease in Inventories		(12,46,880)		-	
Increase/(Decrease) in Trade Payables and Other Payables		43,68,41,789		2,41,85,963	
Refund/(Payment) of Taxes (Including TDS)		(8,90,52,043)		(1,57,07,451)	
Net Cash from/(used in) Operating Activities	**(b)**	**(13,03,82,658)**		**(45,99,32,236)**	
Net cash from operating activities	**(a)+(b)**		**(1,25,85,477)**		**(34,14,44,809)**
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:					
(Invested) in Project Development Expenses		(94,14,45,397)		(34,66,26,830)	
(Purchase)/ Sale of Investments		4,39,00,000		-	
Payment of Land Instalment		(54,63,450)		(54,63,450)	
(Purchase)/ Sale of Fixed Assets		(7,13,95,370)		55,62,117	
(Increase) /Decrease in Advance for Capital Goods		(1,05,46,933)		(1,09,88,092)	
(Increase)/ Decrease in Deposit with Bank		22,74,912		1,52,63,382	
Interest Income		6,70,74,528		8,04,33,014	
Net Cash from/(Used in) Investing Activities			**(91,56,01,710)**		**(26,18,19,859)**
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:					
Finance Cost		(1,26,51,348)		(37,87,460)	
Loan from NICDIT		(3,04,89,756)		(4,70,10,244)	
Project Development Fund		83,64,89,555		77,59,47,975	
Net Cash from/(Used in) Financing Activities			**79,33,48,451**		**72,51,50,271**
D. NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS			**(13,48,38,736)**		**12,18,85,603**
E. CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE YEAR			**1,21,61,58,368**		**1,09,42,72,765**
F. CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF THE YEAR (Refer Note 16)			**1,08,13,19,632**		**1,21,61,58,368**

As per our Report of even date attached

For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

Sachin Jain
(Partner)
(Membership No. 502054)

Place: New Delhi
Date : 22-June-2018

For and on behalf of the Board

Alkesh Kumar Sharma
(CEO & Managing Director)
(DIN : 02724743)

P.K. Agarwal
(Chief Financial Officer)

Jai Prakash Batra
(Director)
(DIN : 00654332)

Abhishek Chaudhary
(VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary)

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON CONSOLIDATED ACCOUNTS

a) Principles of Consolidation

The Consolidated Financial Statements (CFS) relates to Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited and its subsidiaries. The consolidated financial statements have been prepared on the following basis:

The financial statements of the Company and its subsidiary companies are combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating intra-group balances and intra-group transactions in accordance with Accounting Standard (AS) 21 - "Consolidated Financial Statements".

As far as possible, the consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances and are presented in the same manner as the Company's standalone financial statements.

b) Basis for Preparation of Financial Statements

These financial statements have been prepared to comply with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), including the Accounting Standards notified under the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

The financial statements are prepared on accrual basis under the historical cost convention. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous years.

c) Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management of the Company to make certain estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities, disclosure of contingent liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognised in the period in which the results are known / materialised.

d) Property, Plant and Equipment

i) Property, plant and equipments are stated as per Cost Model i.e., at cost less accumulated depreciation and impairment, if any;

ii) Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the property, plant and equipment are ready for use, as intended by the management;

iii) Subsequent expenditures relating to property, plant and equipment are capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Repairs & maintenance costs are recognized in the Statement of Profit & Loss when incurred;

iv) The cost and related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements upon sale or retirement of the asset and the resultant gains or losses are recognized in the Statement of Profit or Loss. Assets to be disposed of are reported at the lower of the carrying value or the fair value less cost to sell;

v) The expenditure relating to Landscaping & Horticulture Works is capitalised under the head Landscaping & Horticulture Works;

vi) Land acquired on lease for 99 years or less is treated as leasehold land.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON CONSOLIDATED ACCOUNTS

vii) The Company depreciates property, plant and equipment pro-rata to the extent of depreciable amount on Written Down Value (WDV) Method. Depreciation is provided based on useful life of the assets as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013 except in respect of the following assets, where useful life is different than those prescribed in Schedule II:

Particulars	Depreciation	Justification
- Office Renovation Expenses	Amortized equally over the lease period of the office from the date of capitalisation.	The assets are non-movable in nature and are, therefore written off over the period of lease.
- Solar Panels	- The salvage value is considered as 10% and depreciable assets is considered as 90% of Capital Cost. - The useful life is considered as 25 years from the date of Commercial Operation Date. - Depreciation Rate is 5.28% per annum for first 13 years and remaining depreciation is spread during remaining useful life of the assets. - Depreciation shall be charged on pro-rata basis.	This is as per the Central Electricity Regulatory Commission Regulations, 2017.
- Landscaping and Horticulture Works	The depreciable amount is depreciated over a period of 5 years on WDV Method	Useful life is considered as 5 years.
- Leasehold Land	Amortised on Straight Line Method for the remaining period of lease (97 years 106 days) from the date of possession.	This is as per the Lease Deed executed with the Land Development Authority i.e., RIICO.

viii) Depreciation methods, useful lives, and residual values are reviewed periodically, including at each financial year end.

e) Capital Work-in-Progress

Advances paid towards the acquisition of property, plant and equipment outstanding at each balance sheet date is classified as capital advances under "Other Non-Current Assets" and the cost of assets not put to use before such date are disclosed under "Capital Work in progress".

f) Intangible Assets

i) Intangible assets are stated at cost of acquisition net of accumulated amortisation / depletion and impairment loss, if any.

ii) Intangible assets are amortised over a period of 5 years from the year of purchase on Straight Line Method.

g) Project Development Fund (PDF)

Government of India has approved setting up a Project Development Fund (PDF) for various project development / preparatory activities for Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project and Other Industrial Corridor projects i.e., Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC) Project, Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC) Project, Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) Project and Vizag Chennai Industrial Corridor (VCIC) Project. Accordingly, the grant-in-aid received from Govt. of India / National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) for the said purpose has been shown under the head "Capital Reserves" in the Balance Sheet in accordance with the Accounting Standard (AS 12). Interest earned on the said PDF is added to the Project Development Fund. In case any part of funds becomes refundable at any future date it will be reduced from the Capital Reserves.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON CONSOLIDATED ACCOUNTS

h) Project Implementation Fund (PIF)

Government of India has approved setting up a Project Implementation Fund (PIF) for various project implementation activities for Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project. Accordingly, the grant received from Govt. of India / National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) for the said purpose has been shown under the head "Capital Reserves" in the Balance Sheet in accordance with the Accounting Standard (AS 12). Interest, dividend or any other income that will be earned on the said PIF is added to the Project Implementation Fund. In case any part of the fund becomes refundable at any future date it will be reduced from the Capital Reserves.

i) Project Development Expenses (PDE)

All the expenses related to the project development activities of industrial corridor projects, are shown as under:

i) to the extent related to the subsidiaries of the Company and the projects for which separate Special Purpose Vehicles (SPVs) have been formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments, are transferred to the concerned subsidiaries /SPVs and shown as recoverable under the head 'Non-Current Assets';

ii) incurred for the projects which are not to be taken off or no further activities are to be carried out are reduced from the 'Project Development Funds' under the head 'Capital Reserves'; and

iii) expenses not covered under para (i) and (ii) above are accounted as 'Project Development Expenses' under the head "Non - Current Assets".

j) Long-Term Investments

Long-term investments are shown at actual cost including the cost incidental to acquisition. In case there is a decline, other than temporary, in the value of long term investment, the carrying amount is reduced to recognise the decline. Indicators of the value of an investment are obtained by reference to its market value, the investees' assets and results and the expected cash flows from the investments.

k) Revenue Recognition

i) Interest income is recognised on accrual basis.

ii) Dividend income is accounted for, when the right to receive it, is established.

iii) Revenue from the sale of power is recognised on the basis of net number of units exported on monthly basis at the rates agreed upon with the customers.

iv) Service Fees for the services rendered by the Company @ 1% (subject to the maximum limit of ₹ 20 crore in a year) of the funds released by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) to various projects out of Project Implementation Funds (PIF) with effect from 26th July, 2016 is recognised on accrual basis.

v) Annual Service Fees @ 1% of yearly internal accruals (subject to a minimum of ₹ 5.00 crore and maximum of ₹ 10.00 crore p.a. on pro-rata basis for an initial period of 10 years) towards the services rendered to India International Convention & Exhibition Centre Limited as Knowledge Partner is recognised on accrual basis.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON CONSOLIDATED ACCOUNTS

l) Leases

Leases are classified as operating lease where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership during the lease term. Operating lease payments as per the terms of the lease agreement are recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss account on accrual basis.

m) Transactions In Foreign Exchange

Expenses in foreign currency / transactions are accounted at the prevailing market rate of exchange on the date of transaction and income in foreign currencies are accounted at the value recovered from these currencies.

n) Inventories

Inventories of consumables, Stores and Spares are valued at the lower of the cost or Net Realisable Value on First-in, First-out (FIFO) basis.

o) Employee Benefits

i) The Company makes provision for Gratuity in terms of the Payment of Gratuity Act, 1972 and Payment of Gratuity (Central) Rules, 1972 based on actuarial valuation at the end of the year.

ii) Leave salary & pension contribution to all the Government Employees on deputation to the company is accounted as per the prescribed rules of Central Government on monthly basis.

p) Income Tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Income-tax Act, 1961 enacted in India. Deferred income taxes reflects the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years.

Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset, if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. In situations where the Company has unabsorbed depreciation or carry forward tax losses, all deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that they can be realised against future taxable profits.

At each balance sheet date the Company re-assesses unrecognised deferred tax assets. It recognises unrecognised deferred tax assets to the extent that it has become reasonably certain or virtually certain, as the case may be that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised.

The Company writes-down the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer reasonably certain or virtually certain, as the case may be, that sufficient future taxable income will be available against which deferred tax asset can be realised. Any such write-down is reversed to the extent that it becomes reasonably certain or virtually certain, as the case may be, that sufficient future taxable income will be available.

MAT credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax during the specified period.

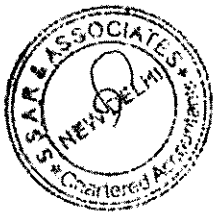
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON CONSOLIDATED ACCOUNTS

q) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

A provision is recognised in the accounts when the company has a present obligation as a result of past event(s) and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present values and are determined based on the best estimate required to settle the obligations at the reporting date. These estimates are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are not recognised in the Financial Statements and are disclosed in the Notes.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.



NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED AS ON 31ST MARCH, 2018

	As at 31-Mar-2018 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2017 Rupees (₹)
NOTE 1: SHARE CAPITAL		
1.0 AUTHORISED		
10,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each with voting power	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	1,00,00,00,000	**1,00,00,00,000**
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP		
10,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each with voting power	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	1,00,00,00,000	**1,00,00,00,000**

1.1 The reconciliation of the number of shares outstanding is set out below:

	No. of Shares	Rupees (₹)	No. of Shares	Rupees (₹)
Equity Shares at the beginning of the year	10,00,00,000	1,00,00,00,000	10,00,00,000	1,00,00,00,000
Add: Shares issued during the year	-	-	-	-
Equity Shares at the end of the year	**10,00,00,000**	**1,00,00,00,000**	**10,00,00,000**	**1,00,00,00,000**

1.2 Details of Shareholder's Holding more than 5% Shares:

	% of Holding	No. of Shares	% of Holding	No. of Shares
President of India (Through Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion and its nominees)	49.0	4,90,00,000	49.0	4,90,00,000
Japan Bank for International Co-operation (JBIC)	26.0	2,60,00,000	26.0	2,60,00,000
Housing and Urban Development Corporation Limited	19.9	1,99,00,000	19.9	1,99,00,000

1.3 The company has only one class of equity shares. Each shareholder is eligible for one vote per share held. The shareholders have no differential rights with respect to distribution of dividend and repayment of capital.

S.A.R. & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

CIN: U45400DL2008PLC172316

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED AS ON 31ST MARCH, 2018

		As at 31-Mar-2018 Rupees (₹)		As at 31-Mar-2017 Rupees (₹)	
NOTE 2 : RESERVES AND SURPLUS					
2.0 CAPITAL RESERVES					
(a) Project Development Fund					
[Refer Accounting Policy No. (g)]					
As per last Balance Sheet			3,95,32,00,000		3,18,82,00,000
Add: Grant received during the year			83,18,27,000		76,50,00,00
			4,78,50,27,000		3,95,32,00,000
Additions					
- Interest earned on Deposits upto previous years		27,56,02,248		26,46,54,273	
- Interest earned on Deposits during the current year		46,62,555	28,02,64,803	1,09,47,975	27,56,02,248
			5,06,52,91,803		4,22,88,02,24
Less: Project Development Expenses to the extent not to be recovered [Refer Accounting Policy no.(i)]			22,23,09,205		-
	(a)		**4,84,29,82,598**		**4,22,88,02,248**
(b) Project Implementation Fund					
[Refer Accounting Policy No. (h)]					
As per last Balance Sheet			13,00,00,000		13,00,00,000
	(b)		**13,00,00,000**		**13,00,00,000**
2.1 PROFIT & LOSS ACCOUNT					
As per last Balance Sheet			18,90,98,593		6,53,46,978
Add/(Less): Profit (Loss) for the year			8,93,72,100		11,38,45,74
Add/(Less): Adjustment with respect to the WDV of Assets costing less than ₹ 5000/- [Refer Note No 32(b)]			-		(4,415)
Add/(Less): Adjustment with respect to Project Development Activities (Refer Note No 36)			-		99,10,287
Add/(Less): Losses incurred during the year by gas based power subsidiary companies for which application for striking off has been filed with ROC (Refer Note No. 39)			(8,73,153)		-
	(c)		**27,75,97,540**		**18,90,98,59**
Total (a + b + c)			**5,25,05,80,138**		**4,54,79,00,841**

NOTE 3 : LONG - TERM BORROWINGS

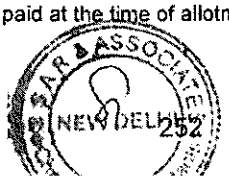
Term Loan (Unsecured)				
- From National Industrial Corridor Development and Implementation Trust* (formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)			3,60,00,000	6,64,89,756
			3,60,00,000	**6,64,89,75**

* The loan agreement was executed with National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) with effect from 09th Apr 2015 for an amount of ₹ 22.34 crore. The rate of interest shall be 100 basis points above the average G.Sec rate for the last one year. The loan is fo a period of 10 years with 1 year moratorium period from the date of release of final instalment of loan. The amount of repayment shall be on the basis of the availability of the surplus funds with the Company subject to the condition that the minimum amount of repayment instalment should n be in any case less than ₹ 0.50 crore and the entire loan amount shall be repaid before the expiry of the 10th year from the end date of the moratorium period.

NOTE 4 : OTHER LONG - TERM LIABILITIES

Others				
- Amount Payable towards Land**			7,10,24,850	7,64,88,300
- Performance Security			10,00,000	10,00,00
			7,20,24,850	**7,74,88,300**

** Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited (RIICO) on 21st November, 2012 allotted 145692 sq.m. of land for the project site at the concessional rate of ₹ 1,000/- per sq.m. Out of the total Development Charges (DC), 25% was paid at the time of allotment and the balance amount is payable in 20 equal annual interest free instalments with effect from 20th January, 2013.



	As at 31-Mar-2018 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2017 Rupees (₹)
NOTE 5 : LONG TERM PROVISIONS		
- Provision for Employee Benefits (Gratuity) (Refer Note No. 33)	24,74,295	17,34,611
Total	**24,74,295**	**17,34,611**
NOTE 6 : TRADE PAYABLE		
(i) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (Refer Note No. 34)	-	-
Total	-	-
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	74,51,62,068	32,58,21,656
Total	**74,51,62,068**	**32,58,21,656**
NOTE 7 : OTHER CURRENT LIABILITIES		
- Statutory Liabilities	4,51,85,153	2,77,37,788
- Bid Security	23,80,000	48,35,000
- Performance Security	10,00,000	10,00,000
- Provident Fund Payable	4,76,142	3,63,998
- Creditors for Capital Goods [including Retention Security of ₹ 39,76,560/- (Previous Year of ₹ 32,66,230/-)]	54,95,604	1,60,42,537
- Current Maturities of Long-term Liabilities	54,63,450	54,63,450
- Liability against Gratuity and Leave Encashment	-	13,22,852
- Interest accrued and Due on Borrowings	-	41,89,578
- Due to National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (earlier known as DMIC Project Implementation Trust Fund)	-	25,48,090
- Other Expenses Payable	1,07,11,218	52,45,271
Total	**7,07,11,567**	**6,87,48,564**
NOTE 8 : SHORT - TERM PROVISIONS		
- Provision for Income Tax	-	1,89,33,028
- Provision for Employee Benefits (Gratuity and Leave Encashment) (Refer Note no. 33)	1,85,104	1,22,925
	1,85,104	**1,90,55,953**

S.A.R. & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED AS ON 31ST MARCH, 2018

NOTE 9 : FIXED ASSETS

Rupees (₹)

Particulars	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	As at 01.04.2017	During the year		Upto 31.03.2018	Upto 31.03.2017	For the year	Other Adjustments [Note No. 32(b)]	Upto 31.03.2018	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
		Additions	Deductions [Note No. 32(b)]							
I. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT										
A. Building										
a.) Building other than RCC Frame Structure	84,39,279	37,31,330	-	1,21,70,609	12,21,643	9,43,357	(265)	21,64,735	1,00,05,874	72,17,636
b.) Fencing	97,25,574	15,02,087	-	1,12,27,661	58,72,851	22,41,859	(1,277)	81,13,433	31,14,228	38,52,723
c.) Tubewell	6,44,070	4,08,280	-	10,52,350	74,377	3,76,810	-	4,51,187	6,01,163	5,69,693
B. Roads										
a.) Carpeted - Other than RCC	2,92,213	4,50,113		7,42,326	1,76,455	2,68,164	(38)	4,44,581	2,97,745	1,15,758
b.) Non-Carpeted Roads	76,48,287	(391)	-	76,47,896	36,38,757	26,62,282	(310)	63,00,729	13,47,167	40,09,530
C. Plant & Machinery										
a.) Plant & Machinery (Gen.)	14,74,21,563	7,14,36,596	-	21,88,58,159	3,72,55,084	2,93,08,636	3,65,581	6,69,29,301	15,19,28,858	11,01,66,479
b.) Solar Panels (nos. 1288)	-	1,33,29,516	-	1,33,29,516	-	6,33,419	-	6,33,419	1,26,96,097	-
D. Furniture and Fixtures	23,30,302	70,500	-	24,00,802	16,37,838	2,00,627	-	18,38,465	5,62,337	6,92,464
E. Office Equipments	44,02,288	3,94,816	-	47,97,104	30,21,155	7,28,191	-	37,49,346	10,47,758	13,81,133
F. Electrical Installations and Equipment	7,04,194	-	-	7,04,194	4,08,529	77,946	-	4,86,475	2,17,719	2,95,665
G. Computer & Data Processing Units	29,25,879	1,89,500	-	31,15,379	22,02,568	4,62,009	(20,599)	26,43,978	4,71,401	7,23,311
H. Land - Leasehold (99 years)	15,61,68,910	-	-	15,61,68,910	42,57,033	16,05,183	-	58,62,216	15,03,06,694	15,19,11,877
I. Others										
a.) Office Renovation Expenses	43,86,960	-	-	43,86,960	41,07,674	1,39,452	-	42,47,126	1,39,834	2,79,286
b.) Landscaping & Horticulture Works	17,02,870	10,61,996	-	27,64,866	4,40,738	9,80,802	-	14,21,540	13,43,326	12,62,132
Total	**34,67,92,389**	**9,25,74,343**	**-**	**43,93,66,732**	**6,43,14,702**	**4,06,28,737**	**3,43,092**	**10,52,86,531**	**33,40,80,201**	**28,24,77,687**
Previous year	35,99,58,843	2,17,94,848	3,49,61,302	34,67,92,389	3,44,74,297	3,39,83,669	(41,43,264)	6,43,14,702	28,24,77,687	32,54,84,546
II. INTANGIBLE ASSETS										
Computer Software	7,66,276	73,47,529	-	81,13,805	4,34,402	15,76,425	1,96,880	22,07,707	59,06,098	3,31,874
Total	**7,66,276**	**73,47,529**	**-**	**81,13,805**	**4,34,402**	**15,76,425**	**1,96,880**	**22,07,707**	**59,06,098**	**3,31,874**
Previous year	5,28,084	2,38,192	-	7,66,276	3,20,217	1,14,185	-	4,34,402	3,31,874	2,07,867

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED AS ON 31ST MARCH, 2018

	As at 31-Mar-2018 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2017 Rupees (₹)
NOTE 10 : NON-CURRENT INVESTMENTS		
Non-Trade Investments (Unquoted fully paid, at cost)		
(a) Investment made out of PDF of GoI		
Other Investments in Equity Shares		
i) Dholera International Airport Company Limited		
43,90,000 Fully Paid-up Equity shares of ₹ 10/- each	-	4,39,00,000
Aggregate Amount of Unquoted Investments	**-**	**4,39,00,000**
NOTE 11 : DEFERRED TAX ASSETS (NET)		
Deferred Tax Assets:		
- Relating to Fixed Assets	27,17,563	17,65,074
- Relating to Allowances under Income Tax Act, 1961	-	62,975
- Relating to Employee's Benefits and Allowances under Income Tax Act, 1961	7,58,336	5,92,723
	34,75,899	24,20,772
Deferred Tax Liabilities		
- Relating to Fixed Assets	-	-
Total	**34,75,899**	**24,20,772**
NOTE 12 : LONG TERM LOANS AND ADVANCES		
(Unsecured, considered good)		
- Security Deposits	98,61,618	1,12,68,538
Total	**98,61,618**	**1,12,68,538**

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED AS ON 31ST MARCH, 2018

	As at 31-Mar-2018 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2017 Rupees (₹)
NOTE 13 : OTHER NON-CURRENT ASSETS		
(a) Project Development Expenditure (PDE)		
- PDE against the Project Development Fund of Govt. of India		
- As per last year	3,87,88,94,753	3,52,23,57,636
- Incurred during the year	94,52,46,753	70,16,87,406
	4,82,41,41,506	4,22,40,45,042
Add : Adjustment with respect to Project Development Activities (Refer Note No. 36)	-	99,10,287
Less: Amount transferred to subsidiaries /SPVs (Refer Note No.32(a)]	(3,66,78,43,535)	(90,188)
Less: Adjustment against surrender of Land (Refer Note No. 38)	-	(35,49,70,388)
Less: Transfer to Project Development Fund [Refer Note No. 32(a)]	(22,23,09,205)	-
Total (a)	93,39,88,766	3,87,88,94,753
(b) Project Development Expenses transferred to SPVs [Refer Note No. 32(a)]		
- Aurangabad Industrial Township Limited	1,13,00,16,858	-
- Dholera Industrial City Development Limited	2,26,45,92,190	-
- DMIC Haryana Global City Project Limited	6,03,91,666	-
- DMIC Haryana MMLH Project Limited	2,19,41,511	-
- DMIC Haryana MRTS Project Limited	6,87,12,587	-
- DMIC Vikram Udyogpuri Limited	4,83,31,970	-
- IIIT Greater Noida Limited	7,00,55,397	-
Total (b)	3,66,40,42,179	-
(c) Others		
- Bank Deposits under Lien against Bank Guarantees (with more than 12 months maturity)	97,36,618	97,86,618
Total (c)	**97,36,618**	**97,86,618**
Total (a+b+c)	**4,60,77,67,563**	**3,88,86,81,371**
Note 14 : INVENTORIES (Valued at lower of cost and net realisable value)		
- Consumables	12,46,880	-
- Others	-	-
	12,46,880	-

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED AS ON 31ST MARCH, 2018

	As at 31-Mar-2018 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2017 Rupees (₹)
NOTE 15 : TRADE RECEIVABLES		
(Unsecured, considered good)		
- Outstanding for Period exceeding six months	2,62,500	-
- Others	2,69,02,656	10,06,96,702
	2,71,65,156	**10,06,96,702**
NOTE 16 : CASH AND BANK BALANCES		
Cash and Bank Balances		
(a) Cash and Cash Equivalents*		
- Out of PDF of Govt. of India		
Balance with Bank in Current Accounts	24,901	8,70,68,542
Balance with Bank in Deposit Accounts	5,25,000	10,93,50,804
- Out of Others		
Cash in Hand	8,552	20,693
Balance with Bank in Current Accounts	(12,94,545)	(64,70,717)
Balance with Bank in Deposit Accounts	1,08,20,55,724	1,02,61,89,046
Cash and Cash Equivalent as per AS - 3 Total (a)	1,08,13,19,632	1,21,61,58,368
(b) Other Bank Balances		
- Out of PDF of Govt. of India	-	-
- Out of Others		
Balance with Bank in Deposit Accounts under lien for Bank Guarantee	18,19,646	40,44,558
Total (b)	18,19,646	40,44,558
Total Cash and Bank Balances (a+b)	**1,08,31,39,278**	**1,22,02,02,926**

* Cash and Cash Equivalents include deposits maintained by the Company with banks, which can be withdrawn by the Company at any point of time without prior notice or penalty on the principal.

NOTE 17 : SHORT - TERM LOANS AND ADVANCES		
Short Term Loans and Advances		
(Unsecured, considered good)		
(i) Out of PDF of Govt. of India		
- Other Loans & Advances*	99,71,69,421	18,22,09,666
(ii) Others		
- Advance Tax / TDS (Net of Provisions)	28,95,282	-
[Provision for Taxation - Rs. 4,15,69,800/- (Previous Year - Rs. 4,81,57,127/-)]		
- Balance with Revenue Authority	2,36,59,398	26,56,650
- Security Deposits	32,66,566	15,70,353
- Due from National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (earlier known as DMIC Project Implementation Trust Fund)	-	-
- Other Loans & Advances	2,54,81,856	1,14,91,409
	1,05,24,72,523	**19,79,28,078**

* Includes Rs. 97,24,34,285/- (Previous Year - Nil) due from India International Convention and Exhibition Centre Limited.

	As at 31-Mar-2018 Rupees (₹)	As at 31-Mar-201 Rupees (₹)
NOTE 18 : OTHER CURRENT ASSETS		
(i) Out of PDF of Govt. of India		
- Interest Accrued But Not Due	23,149	7,96,355
- Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) (Refer Note No. 38)	-	15,61,44,375
- Industrial Infrastructure Development Corporation (Gwalior) M.P. Ltd. (Refer Note No. 38)	-	11,17,79,888
(ii) Others	-	
- Interest Accrued But Not Due	5,13,30,003	6,14,14,959
	5,13,53,152	**33,01,35,577**
NOTE 19 : REVENUE FROM OPERATIONS		
Sale of Power [1,09,42,395 Kwh Units (Previous Year 70,83,960 Kwh Units) and other adjustments]	10,84,34,738	6,21,26,328
Income from Data Services*	6,30,62,107	9,45,93,161
Service Fees [Refer Accounting Policy No. (k)]	14,37,86,338	3,32,62,000
Total	**31,52,83,183**	**18,99,81,489**

* The company has entered into an agreement on 13th September, 2016 with M/s Hitachi Limited, Japan for Data Providing Services for a total value of ₹ 15,76,55,268/- (excluding service tax at applicable rates).

NOTE 20 : OTHER INCOME		
Interest on FD's other than PDF amount	6,70,74,528	7,97,07,758
Bid Processing Fees	3,269	7,66,585
Interest on Income Tax Refund	-	7,25,256
Income from Forfeiture of Bank Guarantee	-	1,07,43,956
Operation and Maintenance Expenses written back	-	16,94,717
Miscellaneous Income	4,13,610	1,980
Total	**6,74,91,407**	**9,36,40,252**



		For the Year ended 31-Mar-2018 Rupees (₹)	For the Year ended 31-Mar-2017 Rupees (₹)
NOTE 21 : EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES			
Salary, Wages and Allowances (including Contractual Employees)		3,79,31,377	2,93,88,472
Contribution to Provident/ Pension Fund		28,34,946	24,32,684
Provision for Gratuity		7,90,244	5,20,380
Provision for Leave Encashment		1,04,414	92,795
Staff Welfare Expenses		23,74,431	20,03,317
Stipend		2,06,086	3,19,187
	Total	**4,42,41,498**	**3,47,56,835**
NOTE 22 : FINANCE COSTS			
Interest on Borrowings		68,86,260	79,77,038
Interest on Income Tax		15,75,510	-
		84,61,770	**79,77,038**
NOTE 23 : DEPRECIATION			
For the year (Refer Note No. 9)		4,22,05,162	3,40,97,854
Adjusted for Earlier years (Refer Note No. 9)		5,39,972	(40,55,722)
	Total	**4,27,45,134**	**3,00,42,132**

	For the Year ended 31-Mar-2018 Rupees (₹)	For the Year ended 31-Mar-2017 Rupees (₹
NOTE 24 : OTHER EXPENSES		
Diesel Expenses	5,00,87,583	-
Business Promotion Expenses	4,77,77,956	8,73,325
Rent	2,19,48,069	1,98,58,205
Payment to Auditors	4,17,500	4,28,500
Advertisement and Public Notice Expenses	31,70,652	36,96,498
Electricity Expenses	2,90,033	3,05,795
Evaluation Committee Sitting Fees	1,27,167	11,60,000
Foreign Travel Expenses	19,64,186	26,64,397
Professional & Consultancy Expenses	60,34,492	51,04,186
Meeting and Refreshment Expenses	7,12,872	13,17,302
Office Repair & Maintenance Expenses	4,08,843	76,801
Water Charges	1,33,339	2,65,409
IT Expenses	3,37,498	4,77,875
Printing & Stationery	21,06,019	20,99,402
Communication & Postage Expenses	19,14,691	14,46,111
Travelling & Conveyance Expenses	49,55,667	51,19,778
Insurance Expenses	3,69,895	1,16,973
Director's Sitting Fees	3,40,800	6,55,425
Prior Period Expenses	81,943	52,351
Other Expenses	13,70,526	14,17,293
Operation and Maintenance Expenses	34,14,643	78,596
Development Charges	5,00,000	5,41,927
Service Charges on Land	12,00,755	10,63,550
Rebate to NVVN	12,89,580	11,24,767
Preliminary Expenses	18,39,456	-
Total	**15,27,94,165**	**4,99,44,465**

NOTES TO ACCOUNTS

		As at 31/Mar/2018	As at 31/Mar/2017
25	**Corporate Social Responsibility**		
I	Gross amount required to be spent	8,50,547	-
II	Amount spent during the year on CSR Activities	-	-
26	**Contingent Liabilities and Commitments (to the extent not provided for):**		
	A. Contingent Liabilities		
	(i) Claim on the Company not acknowledged as debt	-	66,74,853
	B. Commitments		
	(i) Estimated Amount of contracts remaining to be executed and not provided for on:		
	- Capital Account	-	4,90,34,605
	- Consultancy Contracts on account of Project Development	1,28,28,52,029	1,04,48,40,418
	- Operation and Maintenance of the Project	5,38,06,026	6,40,87,122
	(ii) Other commitments		
	- Guarantees issued by Bank on behalf of the Company	1,15,56,264	1,38,31,176
27	**Earnings and Expenditure in Foreign Currency**		
I	**Earnings in Foreign Exchange**	-	-
II	**Expenditure in Foreign Currency**		
	- Foreign Travel Expenses	13,16,116	11,71,985
28	**Payment to Auditors**		
(i)	Audit Fees	3,17,500	3,78,500
(ii)	For Other Services	1,00,000	50,000
		4,17,500	4,28,500

29 Related Party Disclosures

I As per the Accounting Standard on 'Related Party Disclosure' (AS-18) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the related parties are as follows :

a	**Enterprises having significant influence/control over the company**		
	Japan Bank for International Co-operation (JBIC)	Yes	Yes
b	**Affiliates/ Associates**		
	Housing and Urban Development Corporation Limited	Yes	Yes
c	**Key Management Personnel**		
	Shri Alkesh Kumar Sharma	Yes	Yes
d	**Enterprises over which KMP exercises Significant Influence**		
	India International Convention and Exhibition Centre Ltd (Incorporated on 19.12.2017)	Yes	No

II The nature and volume of transactions during the period with the above related parties were as follows:

Amount in Rupees (₹,

Particulars	Affiliates	Enterprises having Significant Influence/Control over the Company	Key Management Personnel	Enterprises over which KMP exercises Significant Influence
Outstanding Balances:				
India International Convention and Exhibition Centre Ltd	Nil	Nil	Nil	98,76,72,641
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)
Aggregate Transactions during the period				
Shri Alkesh Kumar Sharma	Nil	Nil	57,05,643	Nil
	(Nil)	(Nil)	(57,41,600)	(Nil)
India International Convention and Exhibition Centre Ltd	Nil	Nil	Nil	98,90,78,770
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)

III Statement of entity wise material transactions during the period

a **Payment to Key Management Personnel**				
Shri Alkesh Kumar Sharma	Nil	Nil	57,05,643	Nil
	(Nil)	(Nil)	(57,41,600)	(Nil)
b **India International Convention and Exhibition Centre Ltd**				
Pre-incorporation Expenses	Nil	Nil	Nil	2,80,74,973
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)
Other Expenses incurred	Nil	Nil	Nil	94,43,54,482
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)
Annual Service Fees (including taxes)	Nil	Nil	Nil	1,66,49,315
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)

Note: Figures in bracket () represents Previous year's amount.

30 Segment Reporting

The Company has identified two primary business segments viz. Power Generation and Project Development division. Segments have been identified and reported taking into account the nature of the services, the differing risks and returns, the organizational structure and internal business reporting system.

a. Revenue and expenses have been identified to a segment on the basis of relationship to operating activities of the segment.

b. Segment assets and segment liabilities represent assets and liabilities of respective segment.

c. Information about Primary Business Segments:



Particulars	Power Generation	Project Development	Total
REVENUE			
External Revenue	17,37,23,147	20,90,51,443	38,27,74,590
	(17,10,53,499)	(11,25,68,242)	(28,36,21,741)
Inter-Segment Revenue	Nil	28,40,198	28,40,198
	(Nil)	(21,90,000)	(21,90,000)
Total Revenue	17,37,23,147	21,18,91,641	38,56,14,788
	(17,10,53,499)	(11,47,58,242)	(28,58,11,741)
Add: Allocable Other Income	Nil	Nil	Nil
	(Nil)	(Nil)	(Nil)
Segment Revenue	17,37,23,147	21,18,91,641	38,56,14,788
	(17,10,53,499)	(11,47,58,242)	(28,58,11,741)
Segment Result (before Depreciation)	9,43,48,535	8,24,34,334	17,67,82,869
	(15,14,38,061)	(3,95,05,342)	(19,09,43,403)
Profit/ (Loss) before exceptional items and tax	5,47,01,372	7,93,36,363	13,40,37,735
	(12,32,20,939)	(3,76,80,332)	(16,09,01,271)
Exceptional Items	Nil	Nil	Nil
	(Nil)	(Nil)	(Nil)
Profit/ (Loss) before tax	5,47,01,372	7,93,36,363	13,40,37,735
	(12,32,20,939)	(3,76,80,332)	(16,09,01,271)
Tax Expenses	2,23,57,260	2,38,57,789	4,62,15,049
	(3,63,55,100)	(1,18,21,629)	(4,81,76,729)
Deferred tax Expenses /(write back)	(13,22,917)	2,67,791	(10,55,126)
	(9,16,555)	(2,04,646)	(11,21,201)
Profit/ Loss after tax	3,36,67,029	5,52,10,783	8,88,77,812
	(8,59,49,284)	(2,60,63,349)	(11,20,12,633)

Other Information

Particulars	Power Generation	Project Development	Total
Segment assets	38,26,74,001	6,93,43,25,682	7,31,69,99,683
	(41,83,62,899)	(5,82,87,94,410)	(6,24,71,57,309)
Segment Liabilities	12,98,79,946	80,50,53,887	93,49,33,833
	(19,83,42,720)	(36,89,13,748)	(56,72,56,468)
Capital Expenditure	6,38,78,204	75,17,166	7,13,95,370
	(4,25,88,833)	(23,81,578)	(4,49,70,411)
Depreciation and amortization	3,96,47,163	30,97,971	4,27,45,134
	(2,82,17,122)	(18,25,010)	(3,00,42,132)
Non Cash Expenses other than depreciation and amortization	75,827	8,18,968	8,94,795
	(21,081) Reversal	(6,34,256)	(6,13,175)

Note: Figures in bracket () represents Previous year's amount.

d. Information about Secondary Geographical Segments: There is no secondary segment.

31 Earnings Per Share

Basic earnings per equity share have been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period.

Particulars	Unit	Year ended As at 31/Mar/2018	Year ended As at 31/Mar/201
a. Net Profit/(Loss) for the period attributable to Equity Shareholders	Rupees (₹)	8,93,72,100	11,38,45,743
b. Weighted Average of Number of Equity Shares used as denominator for calculating EPS	Number of Shares	10,00,00,000	10,00,00,000
c. Basic/Diluted Earnings per share (a/b)	Rupees (₹)	0.89	1.14
d. Face Value per Equity Share	Rupees (₹)	10.00	10.00

32 Change in Accounting Policy

a. "Project Development Expenses" shown under the head 'Non-Current Assets' have been transferred (i) to the extent directly related to the subsidiaries SPV recoverable from the specific SPV under 'Non-Current Assets' and (ii) to the extent directly related to the projects not to be taken off further as a reduction from 'Project Development Funds' under the head 'Capital Reserve' during the current financial year.

Due to this change in accounting policy, there is no effect on profit and loss of the Company.

b. The net book value of the assets costing less than ₹ 5,000/- has been fully written off during the financial year 2016-17. As a result of the same, the Written Down Value of the assets and the balance of Profit and Loss has been reduced by ₹ 4,415/- during the financial year 2016-17.

33 Retirement benefits

Defined Contribution Plan

The company has recognized, in the Statement of Profit & Loss for the year ended March 31, 2018 an amount of ₹28,34,946/- (Previous Year ₹24,32,684/-) under defined contribution plan on the basis of actual contribution to the Provident Fund / Pension Fund.

Defined Benefit Plans

a. Gratuity (unfunded): Payment at the time of leaving the organisation upon completion of 5 years of service, equal to 15 days salary for each completed year of service. Considering the actuarial valuation, an amount of ₹ 7,90,244/- (Previous Year - ₹ 5,20,380/-) is provided for in the Statement of Profit & Loss for the year ended March 31, 2018.

b. Leave Encashment (unfunded): Company introduced the policy of leave encashment with effect from April 01, 2016. As per the policy, the employees are entitled to encash the unavailed leaves subject to specified limit during the year without carrying forward to the subsequent years. Value of leave encashment is calculated considering proportionate amount of Basic Salary for the number of unavailed leave.

Gratuity (unfunded)*

Reconciliation statement of expense in the statement of profit and loss.	31st March, 2018	31st March, 2017
Present value of obligation as at the end of period (31/03/2018)	25,44,440	17,42,914
Present value of obligation as at the beginning of the period (31/03/2017)	17,64,741	12,01,453
Benefits paid	-	-
Actual return on plan assets	-	-
Acquisition adjustment	-	-
Expenses recognized in the statement of profit & losses	7,79,699	5,41,461



Expenses recognized in the statement of profit & losses

Fair value of plan assets at the beginning of the period	-	-
Acquisition adjustment	-	-
Expected return on plan assets	-	-
Employer contributions	-	-
Benefits paid	-	-
Actuarial gain/(loss) on plan assets	-	-
Fair value of plan assets at the end of the period	-	-

Fair value of plan assets

Fair value of plan assets at the beginning of the period	-	-
Acquisition adjustment	-	-
Actual return on plan assets	-	-
Employer contributions	-	-
Benefits paid	-	-
Fair value of plan assets at the end of the period	-	-
Funded status	-	-
Excess of actual over estimated return on plan assets	-	-

Expense recognized in the statement of profit and loss

Current service cost	5,73,307	4,35,092
Past service cost	-	-
Interest cost	1,36,768	96,116
Expected return on plan assets	-	-
Curtailment cost / (Credit)	-	-
Settlement cost / (credit)	-	-
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the period	69,624	10,253
Expenses recognized in the statement of profit & losses	7,79,699	5,41,461
Assumptions:		
Discounting Rate	7.75% per annum	8% per annum
Future salary Increase	6% per annum	6% per annum
Expected Rate of return on plan assets	-	-

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market.

The above information is certified by the Actuarial Valuer.

The discount rate is based on prevailing market yield as at the date of valuation.

* Previous Year's figures relates to Holding Company only.

Details of dues to Micro, Small and Medium Enterprises as per MSMED Act, 2006

In absence of confirmation from Trade Payables on their registration and eligibility under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the amount due to such enterprises at the year-end has been shown as NIL.

Operating Lease

The Company has three (03) office space at Hotel Ashok, Chankyapuri, New Delhi on license for an initial term of 3 years. The Licensee (Leasee) shall not be terminate the License before the expiry of the license period except by giving six months advance notice in writing. The license deeds are renewable on the expiry of the initial lease period for a further period of 2 years with mutual agreement. Total license fees recognized in the statement of profit and loss for the year is ₹ 2,19,48,069/- (Previous Year ₹ 1,98,58,205/-).



36 The advertisement and publication expenses incurred by the Company in respect of Project Development Activities reduced by the Bid Processing Fe received for the same have been transferred Project Development Expenditure in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

37 The Government of India has expanded the mandate of DMIC Project Implementation Trust Fund vide Cabinet Decision dated 07.12.2016 to include other Industrial Corridor Projects namely Amritsar Kolkata Investment Region (AKIC), Bangaluru Mumbai Economic Corridor (BMEC) and Chennai Bangalor Industrial Corridor (CBIC) for a unified dedicated institutional framework for the overall planning, development, funding, implementation, operation, supervision and monitoring of the Industrial Corridors. Till the time Knowledge Partners for the other industrial corridors are put in place, DMICDC Limited will continue to act as a Knowledge Partner for other Industrial Corridors as well. The Project Development Funds sanctioned for Other Industrial Corridor will also be routed to DMICDC Limited through Trust.

38 The Board of Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) in its 42nd meeting held on 16th November, 2016 decided to return the land allotted by the State Industrial Development Corporation for Gas Based Power Projects at Guna in Madhya Pradesh, Indapur and Ville Bhagad in Maharashtra. DMICDC vide its letters dated 03.12.2016 has returned the land to the respective State Agencies.

Industrial Infrastructure Development Corporation (Gwalior) M.P. Limited has refunded the entire amount paid as advance towards return of land at Guna in Madhya Pradesh.

However, Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) has refunded 95% of the total amount paid by DMICDC Limited for land at Ville Bhagad and Indapur in Maharashtra. Necessary adjustments have been made in the Books of the Company.

39 The Company has initiated the process to strike off the name of its wholly owned Gas Based Power SPVs i.e., DMICDC Guna Power Company Limited DMICDC Indapur Power Company Limited, DMICDC Vaghel Power Company Limited and DMICDC Ville Bhagad Power Company Limited from the Register of Companies maintained by the Registrar of Companies as per the provisions of Section 248 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Removal of names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016 in accordance with the resolution by circulation dated 21st April, 2017. Applications have been filed with the office of the Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana for striking off the name of these companies on 16th October, 2017 and the same are under process.

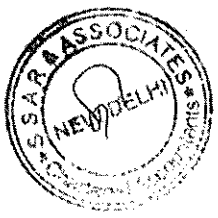
Accordingly, the equity shares held in these SPVs are valued on the basis of their assets and results as per Financial Statements of the respective SPVs and the difference has been recognised as Project Development Expenses.

40 As per the recommendations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), the Board of DMICDC Limited in its 45th meeting held on 21st September, 2017 decided to transfer 43,90,000 number of Equity Shares of Dholera International Airport Company Limited at a face value of Rs.10/- each to National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) earlier known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF) issued in the name of the Company against the Project Development Expenditure incurred out of Project Development Fund.

This has also been approved by NICDIT in its 2nd meeting held on 23rd August, 2017. Accordingly, the equity shares of Dholera International Airport Company Limited have been transferred in the name of NICDIT and the equivalent amount has been received during the year in the Project Development Fund of DMICDC Limited from Project Implementation Fund of NICDIT.

41 In accordance with the observations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), the matter of transfer of 'Project Development Expenditure' incurred out of the Project development funds (PDF) to the concerned subsidiaries /SPVs formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Government was placed for the consideration of the Board of Trustees of NICDIT in its 3rd meeting held on 06.03.2018.

The Board of Trustees has directed to transfer the 'Project Development Expenditure' incurred by DMICDC Limited in relation to projects of the said Subsidiaries /SPVs out of project development funds provided as Grant-in-Aid to the concerned subsidiaries /SPVs and to defer the recovery of the same till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds.



42 Department of Investment & Public Asset Management, Ministry of Finance, GoI, vide OM NO. 5/2/2016-Policy dated 27.05.2016 issued Guidelines on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSEs). As per the Guidelines, every CPSE is required to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the Net Worth, whichever is higher subject to maximum dividend permitted under the extant legal provisions.

The Holding and its subsidiary companies have sought an exemption from payment of minimum dividend as per the guidelines from the Secretary, Department of Economic Affairs and Secretary, Department of Investment and Public Asset Management through Department of Industrial Policy and Promotions. Hence, no provision for dividend is made for the year, keeping in view the pendency of said exemption.

43 With reference to accounting policy no. (k), Annual Service Fees from India International Convention and Exhibition Centre Limited is recognised on pro-rata basis with effect from 19.12.2017.

44 (i) The company has been made one of the respondents in two (02) writ petitions received during the year 2016-17 related to land acquisition in the State of Rajasthan. As the company has no role in the acquisition of land and the same is entirely in the purview of the State Government, the company has filed a counter affidavit before the Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench for deleting the name of the company as one of the respondents.

(ii) With respect to the India International Convention and Exhibition Centre project at Dwarka in New Delhi, DMICDC Limited is acting as a Knowledge Partner for the project. As on 31st March, 2018, the matter was pending with the National Green Tribunal (NGT) with respect to the replantation of the trees in closed vicinity of the project boundary and DMICDC Limited was made one of the respondents. NGT vide its order dated 4th April, 2018 has dismissed the petition.

(iii) However, the above events have no financial impact on the Company.

Investments in Subsidiaries:

Subsidiary enterprises in accordance with Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statements":

S.No.	Name of the Company (All incorporated in India)	Ownership Interest(%) as on 31st March 2018	Ownership Interest(%) as on 31st March 2017
1	DMICDC Guna Power Company Ltd*	-	100%
2	DMICDC Indapur Power Company Ltd*	-	100%
3	DMICDC Vaghel Power Company Ltd*	-	100%
4	DMICDC Ville Bhagad Power Company Ltd*	-	100%
5	DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited	100%	100%

* The applications for the striking off these companies have been filed with the office of Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana for striking off the name of these companies in October, 2017 and the same are under process.

Having regard to current status, Financial Statements of these companies for the year ended as on 31.03.2018 have not been prepared and the same are not forming part of the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended on 31.03.2018. This understanding has been communicated to the office of Ministry of Corporate Affairs and C&AG for their acceptance / comment. No communication in this regard has been received so far.

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED AS ON 31ST MARCH, 2018

46 Additional Information, as required under Schedule III to the Companies Act, 2013, of enterprises consolidated as Subsidiary.

Name of the Company (All Indian Companies)	Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	As % of consolidated net assets	Amount (₹)	As % of consolidated profit or loss	Amount (₹)
Parent				
Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited	0.95846	5,99,09,43,203	0.5860	5,23,70,585
Subsidiaries (Indian)				
DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited	0.04154	25,96,36,935	0.4140	3,70,01,515
Minority Interests in all subsidiaries	-	-	-	-

47 Figures for the Previous Year have been reclassified and regrouped where necessary to correspond with the Current Year's presentation.

As per our Report of even date attached

For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

Sachin Jain
(Partner)
(Membership No. 502054)

Place: New Delhi
Date : 22-June-2018

For and on behalf of Board

Alkesh Kumar Sharma
(CEO & Managing Director)
(DIN : 02724743)

P.K. Agarwal
(Chief Financial Officer)

Jai Prakash Batra
(Director)
(DIN : 00654332)

Abhishek Chaudhary
(VP - Corporate Affairs, HI & Company Secretary)

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

FORM AOC-1

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of Section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the financial statements of subsidiaries, associate companies and joint ventures as per the Companies Act, 2013

Part A : Subsidiaries

S.No.	Name of the Subsidiary	DMICDC Guna Power Company Limited	DMICDC Indapur Power Company Limited	DMICDC Vaghel Power Company Limited	DMICDC Ville Bhagad Power Company Limited	DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited
1	Reporting period for the subsidiary concerned, if any different from the holding company's reporting period	The applications for the striking off thename of these Companies have been filed with the office of Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana for striking off the name of these companies in October, 2017 and the same are under process. Having regard to current status, Financial Statements of the company for the year ended as on 31.03.2018 have not been prepared and the same are not forming part of the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended on 31.03.2018.				Same as that of the holding company
2	Reporting Currency					Indian Rupee
3	Share Capital					13,00,00,000
4	Reserves & surplus					12,27,94,055
5	Total Assets					38,26,74,001
6	Total Liabilities					12,98,79,946
7	Investments					Nil
8	Turnover					17,37,23,147
9	Profit / (Loss) before taxation					5,47,01,372
10	Provision for taxation					2,10,34,343
11	Profit / (Loss) after taxation					3,36,67,029
12	Proposed Dividend					Nil
13	% of shareholding					100%

Part B: Associates / Joint Ventures : Nil

1. Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations : Nil
2. Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year : Nil

As per our Report of even date attached

For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

Sachin Jain
(Partner)
(Membership No. 502054)

Place: New Delhi
Date : 22-June-2018

For and on behalf of Board

Alkesh Kumar Sharma
(CEO & Managing Director)
(DIN : 02724743)

P.K. Agarwal
(Chief Financial Officer)

Jai Prakash Batra
(Director)
(DIN : 00654332)

Abhishek Chaudhary
(VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary)

Attendance Slip

CIN	:	U45400DL2008PLC172316
Name of the Company	:	Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited
Registered Office	:	Room No. 341B, 03rd Floor, Main Building, Hotel Ashok, Diplomatic Enclave, 50B, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021

I/We hereby record my/our presence at the 10th Annual General Meeting of the Company at Room No. 341B, 03rd Floor, Main Building, Hotel Ashok, Diplomatic Enclave, 50B, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021.

.....	.....	.....
Member's Folio	Member's/Proxy Name	Member's/Proxy Signature

Proxy Form

Form No. MGT-11
Proxy Form

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN	:	U45400DL2008PLC172316
Name of the Company	:	Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited
Registered Office	:	Room No. 341B, 03rd Floor, Main Building, Hotel Ashok, Diplomatic Enclave, 50B, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021

Name of the members(s)	:	
Registered address	:	
E-mail Id	:	
Folio No/Client Id	:	
DP ID	:	

I/We, being the members(s) of_____ shares of the above name company, hereby appoint

1	Name	:	
	Address	:	
	E-mail Id	:	
	Signature	:	,or failing him

2	Name	:	
	Address	:	
	E-mail Id	:	
	Signature	:	,or failing him

3	Name	:	
	Address	:	
	E-mail Id	:	
	Signature	:	,or failing him

as my/ our proxy to attend and vote (on a poll) for me/ us and on my/ our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, 20th Day of September, 2018 at **03:30 P.M** at the Registered Office of the Company, at Room No. 341B, 03rd Floor, Main Building, Hotel Ashok, Diplomatic Enclave, 50B, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021 and at any adjournment thereof in respect of such resolutions set out in the Notice convening the meeting, as are indicated below:

Resolution No.

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

Signed this.....day of.....2018

Signature of shareholder.....

Signature of Proxy holder(s).....

Affix
Revenue
Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
CIN : U45400DL2008PLC172316 Rooom No. 341B, 03rd Floor, Main Building, Hotel Ashok, Diplomatic Enclave, 50B Chankyapuri, New Delhi – 110021.
Tel No.: 011-2611 8884-8, Fax: 011-26118889, Email: contactus@dmicdc.com